दशम माला,

26 February,1992

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 26 फरवरी, 1992 / 7 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
28	14	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
56	11	"(क्षा)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
120	14	राज्य मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।
172	17	"(ङ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 3, बुधवार, 26 फरवरी, 1992/7 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	... ...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 26		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	20—228
तारांकित प्रश्न संख्या : 27 से 40		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 281 से 242, 244 से 262, 264 से 267, 269 से 272; 274 से 313, 315 से 329 331 से 361; 363 से 365, 367 से 384, 386 से 397, 399 से 405 और 407 से 460		
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	224—230, 238—239
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	... ...	230
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन —प्रस्तुत		
कार्य मन्त्रणा समिति	... ...	230
ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

प्राक्कलन समिति 230

कार्यवाही सारांश तथा प्रतिवेदन—

लोक लेखा समिति 230

आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) 231

संयुक्त समिति के प्रतिवेद नके बारे में समय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव—

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 235—238

(एक) रावतसर, राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री बीरबल 235

(दो) मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में विकास केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

कुमारी विमला वर्मा ... ... 235—236

(तीन) राजस्थान में मंडलगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सूरतगढ़ में शीघ्र विद्युत संयंत्र लगाने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर 236

(चार) "इफको" संयंत्रों के विस्तार के लिए शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह 236

(पांच) पटना और पहलेजा घाट के बीच रेल पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी 237

(छः) पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी स्थित डोकसन टी-एस्टेट की बिगड़ती स्थिति में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र दास 237

(सात) बंगाल की खाड़ी में तेल फैलने की जांच करने और उस क्षेत्र के संकट प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 238

सांविधिक संकल्प : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में ... ... 239—269, 280—283

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण ... ... 239—241

कुमारी उमा भारती ... ... 241—245

श्री मणिशंकर अय्यर ... ... 245—249

श्री इन्द्रजीत यादव ... ... 249—253

श्री सैफुद्दीन चौधरी ... ... 253—256

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... 256—259

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित ... ... 259—263

श्री सैयद शाहाबुद्दीन ... ... 263—269

श्री लोकनाथ चौधरी ... ... 280—283

मन्त्री द्वारा वक्तव्य ... ... 270—280

रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या-1 के 25.2.1992 को दिए गए उत्तर पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्न

श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ ... ... 270—280

लोक सभा

बुधवार, 26 फरवरी, 1992/7 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म०पू०

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अपने परम मित्रों सर्वश्री ए० सेनापति गौंडर तथा ओ० वी० अलगेसन के निधन की सूचना सभा को देते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है।

श्री ए० सेनापति गौंडर तमिलनाडु राज्य के पलानी निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। श्री गौंडर का निधन 76 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 1992 को सुबह ईरोड, तमिलनाडु में हुआ।

श्री गौंडर सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने तमिलनाडु के पलानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह पूर्व मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 1952-71 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य भी रहे।

वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास में गहरी रूचि दिखाई।

श्री गौंडर पेशे से कृषक थे लेकिन इसके साथ ही वे विभिन्न संगठनों विशेषकर सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक, डेरी फार्मिंग आदि से भी जुड़े रहे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें हिन्दू दर्शन और आधुनिक कृषि तकनीकी से संबंधित पुस्तकें भी शामिल हैं।

सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपना मूल्यवान योगदान दिया।

श्री ओ० वी० अलगेसन 1946-52 के दौरान संविधान तथा अन्तरिम संसद के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने पहली तथा तीसरी लोक सभा (1952-57 तथा 1962-67) के दौरान पूर्व मद्रास राज्य के चिंगलपेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और पांचवीं तथा छठी लोक सभा (1971-79) में तमिलनाडु के तिरुट्टनि अर्कोनम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व योग्यतापूर्वक संभाला। वे 1968-71 के दौरान इथियोपिया में हमारे राजदूत भी रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाहियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सभा की अनेक समितियों में भी प्रभावशाली ढंग से कार्य किया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अलगेसन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और प्रतिष्ठित प्रशासक थे। उन्होंने अस्पृश्यता तथा मद्यनिषेध जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनवरत कार्य किया।

एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई वर्षों तक जेल में रहे।

श्री अलगेसन ने शिक्षा और भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए बहुत कार्य किया तथा भक्तवत्सलम शिक्षा न्यास की स्थापना की। उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू की कृति "डिस्कवरी आफ इण्डिया हिस्ट्री" का तमिल में अनुवाद किया।

उनकी मृत्यु से हमने एक सच्चा देशभक्त, एक स्वतन्त्रता सेनानी और गांधी-नेहरू युग के संपर्क को खो दिया है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को लम्बे समय तक याद किया जाएगा।

श्री ओ० वी० अलगेसन का निधन 3 जनवरी, 1992 को ९१ वर्ष की आयु में मद्रास में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने में सदन मेरे साथ रहेगा।

दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अब सदस्य थोड़ी देर तक मौन रखेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

[हिन्दी]

21. श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 दिसम्बर, 1991 के "दि फाइनेंशल एक्सप्रेस" में 'इन्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट डिक्लाइन्स फर्दर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकास दर में गिरावट होने के क्या कारण ; और

(घ) सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-जून, 1991 के दौरान समग्र विकास दर (—) 2.3 प्रतिशत थी। अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान विकास दर (—) 0.8 प्रतिशत रही है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, अनेक उद्योगों ने अच्छा काम किया है। कोयला, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली जैसे आधार भूत उद्योगों के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान सुधार हुआ है। इसी प्रकार जूट टैक्सटाइल, कागज और कागज उत्पाद उद्योग ने भी बढ़िया काम किया है। इन उद्योगों के कारण पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता संबंधी टिकाऊ वस्तुओं में ज्यादातर गिरावट आई है।

(ग) अवसंरचनात्मक बाधा, कच्चे माल खासतौर पर विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं के कारण आयातित कच्चे माल की कमी, ऋण संबंधी दबाव, बाजार में मांग में कमी, आदि जैसे विभिन्न कारणों से विकास दर में गिरावट आई है।

(घ) सरकार ने एक औद्योगिक नीति वक्तव्य प्रकाशित किया है जो 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य नियंत्रणों में ढील देकर और नौकरशाही विलंब को हटाकर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है। आयात संबंधी प्रतिबंधों में छूट देकर सरकार द्वारा कच्चा माल, आवश्यक संघटक आदि उपलब्ध कराए जाने के उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में पहले ही कुछ घोषणाएं की हैं, सरकार पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अवसंरचनात्मक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार करने और बेहतर औद्योगिक वातावरण का संवर्धन करने का भी प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में औद्योगिक विकास की दर में गिरावट को खुद स्वीकार कर लिया है लेकिन यह नहीं कहा है कि यह सब कुछ केन्द्र सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के चलते हो रहा है। सरकार ने बजट इस बात को कहे हुए आज की स्थिति को स्वीकार कर लिया है लेकिन सरकार ने अपने उत्तर में जो इम्प्रूवमेंट के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसमें सरकार ने यह कहा है कि ऋण की उपलब्धता की परिस्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इससे पहले औद्योगिक क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में कुल नौ हजार रुपये की कमी आई है और इस कमी के चलते साथ-साथ जो हाई रेट आफ इंटरस्ट है करीब-करीब 22 से 24 प्रतिशत का, उसके चलते और मल्टीनेशनल को जो खुला आमंत्रण दिया गया है, इन सब के चलते देश में जो उद्योग की स्थिति है वह नाजुक दौर में पहुंच गयी है।

हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में जो वर्तमान आर्थिक नीतियों के चलते उद्योग पहुंचा है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का या उसमें सुधार का कोई निर्णय क्या सरकार लेगी?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय सदस्य को यह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार में इन्होंने मेरे प्रश्न का पहला भाग नहीं सुना है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे दोहरा दूंगा। अप्रैल-जून, 1991 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (—) 2.3 प्रतिशत थी।

अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (—) 0.8 प्रतिशत थी। अत: जून, 1991 के पश्चात्, औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि रही। और मैं माहवार श्रेणीगत विवरण देना चाहता हूं। मेरे पास केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े हैं जिनके अनुसार अप्रैल-जून, 1991 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की कुल वृद्धि दर (—) 2.3 प्रतिशत थी। माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग इस सम्बन्ध में है कि क्या नई औद्योगिक नीति का कुछ प्रभाव पड़ा है। इसका उत्तर है। जुलाई-अक्तूबर, 1991 के दौरान, अर्थात नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात आंकड़े 0.2 प्रतिशत पर सकारात्मक हो गए हैं। एक अन्य बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी तो वृद्धि दर (—) 2.3 प्रतिशत पर नकारात्मक थी।

उस नीति की घोषणा के कुछ महीने बाद हमारी विकास दर 0.2 प्रतिशत हो गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास दर बढ़ी है। यह मेरा तर्क नहीं है। मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सच्चाई कुछ और ही है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने संरचनात्मक बाधाओं की चर्चा की है। वह जानना चाहते हैं कि औद्योगिक विकास दर में कमी की वजह यही बाधाएं रही हैं। हां, इन बाधाओं की इसमें अपनी भूमिका है। उक्त नीति की घोषणा के पूर्व और पश्चात इन संरचनात्मक सुविधाओं की भूमिका क्या है। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं वर्ष 1991 के दौरान संरचना की भूमिका का बयान करूंगा। पिछले साल वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कार्य निष्पादन 4.7 प्रतिशत रहा है मेरे पास क्षेत्रवार आंकड़े हैं। लेकिन समयाभाव की वजह से मैं इन्हें पढ़ नहीं पाऊंगा। इस वर्ष अप्रैल, 91, जनवरी, 92 के दौरान सभी बाधाओं के बावजूद संरचना के कार्य निष्पादन का प्रतिशत 6.6 रहा है। इसलिए इस वर्ष संरचना को कार्य निष्पादन में बहुत प्रगति हुई है। यद्यपि संरचनात्मक कार्य निष्पादन औद्योगिक उत्पादन के अनुपात में रहा है लेकिन संरचनात्मक कार्य निष्पादन का प्रभाव कुछ समय बाद देखने को मिलता है, हो सकता है कि दूसरे वर्ष भी इसका प्रभाव देखने को मिले। अत: औद्योगिक विकास दर में गिरावट की वजह यह रही है कि आधारभूत संरचना का कार्य निष्पादन तुलनात्मक रूप से कम रहा है।

प्रश्न का तीसरा भाग ऋण के विषय में है। उद्योग को 9,000 करोड़ रुपये उपलब्ध नहीं हो पाये। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि वित्तीय कठिनाइयां हैं लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह सही है कि वित्तीय कठिनाइयां हैं और हमने वित्तमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इस वर्ष उद्योग को पूर्ण वित्त सुलभ हो सके। इस मुद्दे को वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है, धीरे-धीरे सब चीजें स्वीकार करते चले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रश्न भी उतना ही लम्बा नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रीज ने एक नोट केबीनेट कमेटी आफ इकनामिक

अफेयर्स को भेजा है, जो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन परफारमेंस कंस्ट्रेन से संबंधित है। इस नोट में पूर्ण रूप से लभी की जो आर्थिक नीति है, डा० मनमोहन सिंह जी की और इस सरकार की, इसको इन्होंने क्लेम किया है, जो डिक्लाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, यह इन्होंने क्लेम किया है। इन्होंने अभी कुछ हद तक डिफेंड किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? आप अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि आपको स्पष्ट जवाब दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। ये साफ-साफ इसको स्वीकार कर लें, बगैर इसको कहे हुए ये सब कुछ कहते चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाद में इंप्रूव किया है, यह विचित्र बात है। टोटल जो कहते हैं कि माइनस 1 परसेंट ग्रोथ रेट हुई है, यह नेगेटिव फेज है और दूसरी बात है कि लास्ट इयर प्लस 8.5 परसेंट ग्रोथ रेट है। जबकि गल्फ वार था, बहुत तरह की आंतरिक प्रोबलम्स थी, अभी माइनस एक परसेंट टोटल हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, हमें मालूम होना चाहिए कि यह प्रश्नकाल है। यहां और लोग भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप सटीक प्रश्न करें और वह आपको सटीक जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इन्होंने कहा है इसलिए इन्हें पूरे फैक्टस देने चाहिए। स्माल स्केल इण्डस्टरी की जो स्थिति है उसके बारे में पूछना चाहता हूं। स्माल स्केल इण्डस्टरी की जो स्थिति है 1990-91 में जहां उसका 8.5 परसेंट ग्रोथ रेट था इनके रिजीम में यह घट कर दो से तीन परसेंट हो गया है। हम पूछ रहे हैं कि क्या यह सही है कि स्माल स्केल इण्डस्टरी का कंट्रीब्यूशन भारतीय उद्योग में एक लाख पचास हजार करोड का था जबकि वर्किंग कैपिटल मात्रतेरह हजार करोड़ का मिलता है। इसके चलते ग्रोथ रेट घट कर 8.5 परसेंट लास्ट ईयर से दो तीन परसेंट हो गया है। दूसरा, सिक पब्लिक यूनिट्स को रिवाइव करने के बारे मे आपकी जो पालिसी है उसमे आप मात्र 1/3 सिक यूनिट्स को रिवाइव करने का डिसीजन ले रहे हैं और 2/3 को बिलकुल छोड़ दे रहे हैं। मल्टी नैशनल के हाथ में इस को रखने के लिए और मोनोपोली हाउसिज को देश में रखने के लिए यह कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सिक पब्लिक यूनिट्स का 2/3 भाग क्यों छोड़ रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी प्रश्न के पहले भाग का ही जवाब देंगे। वह प्रश्न के मात्र पहले भाग का ही जवाब दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अपने प्रश्न के पहले भाग में उन्होंने लघु उद्योग के बारे में पूछा है। उन्हें कुछ जानकारी चाहिए। इसके लिए उन्हें अलग से सूचना चाहिए। यह उस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सटीक प्रश्न करें। क्योंकि अन्य सदस्य भी प्रश्न करने के इच्छुक हैं। आप सटीक प्रश्न करें और वह सटीक उत्तर देंगे। इसलिए ऐसा दोनों तरफ होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न इस प्रकार है। क्या मैं जान सकता हूं कि औद्योगिकीकरण के लिए यह उच्च ब्याज दर ही जिम्मेदार है। यह भाग 'क' है। मांग में कमी की चर्चा है। मांग में इस कमी के कारण क्या हैं। क्या यह भारी पैमाने पर छंटनी की वजह से है या देश में लोगों के जीवन-स्तर में गिरावट की वजह से है। यह भाग 'ख' है। क्या यह सही है कि मांग में इस कमी का एक कारण बाहरी क्षेत्र भी रहा है। क्या इसकी वजह से हमारे निर्यात के अवसर में कमी आई है। यह भाग (ग) है। उद्योगों के विकास दर की कमी में एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों और एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की क्या भूमिका रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह भाग 'क' का क्या जवाब देंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमान, ये सभी प्रश्न हैं। आपकी अनुमती से मैंने सिर्फ प्रश्न ही किए हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तीन प्रश्नों की इजाजत नहीं दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : भाग 'क' ब्याज दर के विषय में है। यह वास्तव में बहुत ही ज्यादा है। कारण, हमारे उद्योग की कुछ समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भी भेज दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। यदि आप विस्तार से इस पर बहस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देने की इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह भी महसूस करते हैं कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर बहस करने का अवसर मिलेगा।

श्री कुप्पुराम : महोदय, उन्होंने कहा है यह केवल विकास है। कि यह केवल विकास हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन विकास की प्रकृति और इसके पैमाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विषय में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

आधिवास्य उपभोग की वस्तुओं के विकास की क्या स्थिति है। जैसे, कार, एयरकन्डीशनर, रेफ्रीजरेटर आदि और उन वस्तुओं के विकास का दर क्या है जो आम जनता के लिए उपयोगी है, जैसे साईकल, चीनी, कपड़े आदि? यदि इन वस्तुओं के विकास दर में कमी आई है तो क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे— यदि उनके लिए वर्तमान में आश्वासन देना संभव नहीं है तो,— वह मूल्य और आयात सम्बन्धी नियंत्रण में ढील देने पर विचार करेंगे क्योंकि भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही अच्छी है।

यदि आम जनता के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई है तो क्या वह इनका उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेंगे ताकि इस देश के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े?

प्रो पी० जे० कुरियन : यह सही है कि उद्योग के इस क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट आई है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। उपभोक्ता वस्तुओं की विकास दर 11.7 प्रतिशत रही है। यात्री के उत्पादन में कमी आई है। इसलिए, इसका प्रभाव साफ दिखता है और वह उपभोक्ता वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं पर ज्यादा है।

मैंने अपने उत्तर के पहले भाग में पहले ही कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आम आदमी के लिए ज्यादा उपयोगी है और औद्योगिक उत्पादन सकारात्मक हैं।

महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र

*22. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के बिजली स्रोतों को बढ़ाने के लिए वहां कुछ परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) चुने गये स्थानों का एवं योजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संघ सरकार ने तारापुर, महाराष्ट्र में 500 मेगावाट क्षमता वाले दो अतिरिक्त यूनिट लगाने के लिए परियोजना वित्तीय संस्वीकृति जनवरी, 1991 में दे दी है। स्थल पर संयंत्र सम्बन्धी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन उपलब्ध होने की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक जवाब दिया और सेंक्शन कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन पैसा नहीं रखा और चैक फेंक दिया। पैसा नहीं होता तो उसके बाद कुछ नहीं होता। यह परियोजना इतनी अच्छी है कि जिसके लिए बाहरी देश से फंड मिल सकता है। आप कहां से फंड उपलब्ध कर रहे हैं। 5700 से दस हजार मेगावाट तक लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके पास क्या परियोजना है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि प्रारम्भिक कार्य इस पर आरम्भ हो चुका है। मूलत: 6 यूनिटों के लिए 500 मेगावाट क्षमता की 1000 करोड़ रुपये की परियोजना की मंजूरी दी गई थी जिन्हें देश के विभिन्न भागों में चालू किया जाना था; दो तो तारापुर में अर्थात् प्रस्तावित हैं। और मुझे यह भी बता देना चाहिए कि हम जमीन के अधिग्रहण की शुरूआत भी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने संवेदन शील औजारों में और जिसकी सुपुर्दगी लम्बे समय में होती है में भी निवेश कर दिया है। जिससे कि परियोजना की शुरूआत समय पर हो सके। दुर्भाग्यवश—पिछले वर्ष धन का अभाव था। लेकिन, हम इस पर उम्मीद करते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को आरम्भ करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो जाएगा जैसे ही पूरी राशि जिसकी परिकल्पना की गई थी

2000 करोड़ रुपये सुलभ न हो सकें।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, यह जो चार एटोमिक पावर संयंत्र हैं उसमें से जो नरौरा का है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नरौरा में मत जाइए सिर्फ महाराष्ट्र में रहिए।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : तीन-चार संयंत्र बनाए गए हैं जैसे—महाराष्ट्र, नरौरा, कोटा और मद्रास में है। ये संयंत्र अपनी कैपेसिटी के अनुसार उत्पादन नहीं देते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने जो संयंत्र स्थापित किए हैं या परचेज किए हैं, वे पहले से क्षतिग्रस्त थे या उसमें से सरकार ने घुस खाई है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : दरअसल ऐसा नहीं है। हमें कुछ संयंत्रों में कुछ समस्याएं थी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि पिछले साल से उत्पादन में सुधार हुआ है और सभी संयंत्रों में क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है और बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यदि पिछले पांच साल के आंकड़े (1985-90) देखे जाएं तो यह वृद्धि स्पष्ट है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : यह प्रश्न महाराष्ट्र में परमाणु उर्जा से संबंधित है। तारापुर यूनिट-I और II 1969 में आरम्भ की गई थी तथा इनका 25 वर्ष का उपयोगी कार्यकाल 1993 में समाप्त हो जाएगा। तारापुर तीन और चार जिन्हें स्वीकृत किया जा चुका है, 2001 में तैयार हो जाने की सम्भावना है। इनके लिए भी हमें पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने हैं। तारापुर इकाई तीन और इकाई चार का डिजाइन पूर्णतः नया है जो कि पहले भारत में नहीं लगाई गई हैं। इस तथ्य के परिपेक्ष्य में 1993 में क्या तारापुर यूनिट एक और यूनिट दो को बन्द कर दिया जाएगा अथवा इन्हें इनकी किफायती और अभिकल्पित कार्य-अवधि 25 वर्ष यानि 1993 के बाद भी चालू रखा जाएगा? यदि इन्हें 1993 में बन्द कर दिया जाएगा। तब महाराष्ट्र में गम्भीर उर्जा संकट पैदा हो जाएगा। इसे पहले ही 420 से घटाकर 320 मैगावाट कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय से हटकर बात है। मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। यदि आपके पास सूचना है तो आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : यह केवल महाराष्ट्र में परमाणु उर्जा के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नये संयंत्र के बारे में है। यह पुराने संयंत्र के बारे में नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या पुराने संयंत्र को बंद कर दिया जाएगा? क्या नये संयंत्र तीन और चार के निर्माण की गति बढ़ाई जाएगी और क्या इसे अन्य संयंत्रों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं कहना चाहती हूं कि हम 1994-95 में इस संयंत्र को बंद नहीं करना चाहते हैं, इसकी कार्य-अवधि को बढ़ाना आवश्यक है और अतः अब हमें इसके बंद हो जाने की चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

कोयले के मामले में भाड़ा समानीकरण को समाप्त करना

*23. डा० सुधीर राय :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले के मामले में भाड़ा समानीकरण को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्तमान में कोयले के संबंध में भाड़ा समानीकरण जैसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० सुधीर राय : सामान्य जानकारी के अनुसार इस्पात और कोयले के माल भाड़े में समानता के कारण पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की औद्योगिक सम्भावनाएं समाप्त कर दी हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि फिलहाल कोई माल भाड़ा में कोई समानता नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समस्त भारत में विभिन्न कोयला डिपो पर एक ही मूल्य पर कोयला कैसे बेचा जाता है ? दूसरे, क्या इसे समाप्त कर दिया गया है ? तीसरे, कोयले पर उपकर जो कि कोयला उत्पादक राज्यों के राजस्व का मुख्य स्रोत है, के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, इसमें कभी भी माल-भाड़ा-समानता नहीं रही। अतः, इसे समाप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कोयले का मूल्य सरकार द्वारा शासित मूल्य पर तय किया जाता है, जो कि ग्रेडवार भिन्न-भिन्न होता है। वह मूल्य समान है।

जहां तक माल-भाड़े का सम्बन्ध है, वह इस पर निर्भर करता है कि क्या कोयला सड़क द्वारा ढोया गया है अथवा रेल द्वारा तथा यह दूरी पर भी निर्भर करता है क्योंकि माल-भाड़ा की गणना प्रति टन प्रति किलोमीटर के आधार पर की जाती है। अतः, यह सब-कुछ इस पर निर्भर करता है कि यह कितनी दूरी से आया है और उसे ढोने का साधन क्या है ?

डा० सुधीर राय : आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। समूचे भारत में विभिन्न डिपुओं पर कोयला एक ही मूल्य पर कैसे बेचा जाता है और दूसरे विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा एकत्रित किए जा रहे उपकर पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री पी० ए० संगमा : विभिन्न कोयला खानों से कोयला लदान स्थलों पर कोयले का विक्रय किया जाता है और विभिन्न ग्रेडों के लिए शासित मूल्य सरकार द्वारा नियत किए जाते हैं। इसलिए, मूल्य समान हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, परन्तु जहां तक कोयले की ढुलाई का संबंध है, वह इस पर निर्भर करता है वह रेल द्वारा अथवा सड़क से ले जाया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : रेल माल भाड़ा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल मुख्य प्रश्न का ही उत्तर दें।

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक रेल-भाड़े का सम्बन्ध है, मैंने प्रचलित दरें एकत्रित की हैं— वर्तमान दरों पर अभी वह रुपये 56.50, प्रति 100 कि०मी० प्रति टन है, और यह इसी प्रकार बढ़ता जाता है। मैं सभी दूरियों के लिए दरें नहीं बताऊंगा। 636 कि० मी० और उससे अधिक के लिए 263/-रुपये प्रति टन दर है और 1000 कि० मी० के लिए यह दर 387/-रुपये प्रति टन है। 1500 कि० मी० के लिए यह 551/-रुपये प्रति टन है। 2000 कि० मी० के लिए वह 695/-रुपये प्रति टन है। वह दरें पहली अप्रैल से और बढ़ जाएंगी क्योंकि कल रेल बजट में, चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। मैं आज ही की दरों के बारे में बोल रहा हूं।

यदि आप इसकी तुलना सड़क से करेंगे, हम पाएंगे कि सड़क से ढुलाई की लागत निश्चित रूप से रेल से ढुलाई की लागत से बहुत अधिक है। मैं तुलनात्मक विवरण दे सकता हूं। ६00 कि० मी० और उससे ऊपर यह लागत रेल द्वारा 263/-रुपये आती है और यदि यही सामान सड़क से ढोया जाता है तो यह लागत 650/-रुपये आती है। 1000 कि० मी० के लिए रेल द्वारा यह लागत 387.90 रुपये प्रति टन है और सड़क से 760/-रुपये प्रति टन आती है। इसके बाद मैं तीसरी श्रेणी पर आता हूं। 2000 कि० मी० और उससे अधिक के लिए वह लागत रेल द्वारा 675.50 रुपये और सड़क द्वारा 900/-रुपये आती है। इस प्रकार, इनमें अन्तर है और यह सब-कुछ ढुलाई के साधन। किस्म पर निर्भर हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ढुलाई की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में माल-भाड़ा समानता कैसे रखी जा सकती है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

मंत्री महोदय ने केवल माल-भाड़े की दरों के बारे में व्यक्त किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसे कैसे नियत किया जाता है, किसी समिति द्वारा अथवा कुछ विशेष मीलों अथवा कि० मी० की दर में।

श्री पी० ए० संगमा : चूंकि माल-भाड़ा समानता हेतु कोई प्रणाली नहीं है, अत: माल-भाड़े को समान शर्तों पर लाने का प्रश्न ही नहीं है। यह सम्भव भी नहीं है। न ही सरकार का माल-भाड़ा समानता की घोषणा शुरू करने का कोई इरादा है। इस बारे में यह स्थिति है।

जहां तक माल-भाड़े का रेल-विभाग द्वारा कैसे निर्धारित किए जाने का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि इस बारे में सूचना रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

[हिन्दी]

*24. श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच दल भेजा है;

(ग) इस दल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त रिपोर्ट पर कब तक कार्यवाही की जाएगी; और

(ङ) घाटे को रोकने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के चुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने एच० ई० सी० में घाटे को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें योजना और गैर-योजना निधियों की व्यवस्था और वर्तमान वित्तीय संकट के निवारण के लिए बैंकों से नकद ऋण सीमा में वृद्धि के लिए गारंटी देना तथा बढ़ी हुई जन शक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की व्यवस्था करना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के "क" और "ख" में सकारात्मक उत्तर दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है, जिसकी हमने मांग की हैं, एच० ई० सी० में किन कारणों से घाटा हो रहा है ? इसमें जहां लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं, वहीं पर बहुत से अनाप-सनाप खर्चे हुए हैं। टेलीफोन का करोड़ों रुपयों का खर्चा वहां के पदाधिकारियों ने किया है। इसके दो साल पहले करोड़ों का मुनाफा हुआ और दो साल के बाद वहां के प्रबन्धन के कारण एच० ई० सी० में घाटा हो रहा है। लोगों को कम्पलसरी रिटायरमेंट पर भेजा जा रहा है। वही सब लोग थे, जबकि करोड़ों रुपयों का मुनाफा हुआ और बहुती-सी अनियमितताएं बरती गईं। उन्होंने प्रश्न "ग" और "घ" के जवाब में कहा हैं—प्रश्न नहीं उठता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एच० ई० सी० में घाटा···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। एच० ई० सी० में घाटा किस कारण से हुआ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। आप प्रश्न पर आइए। मालूमात अगर देने की बात है, तो आप मिनिस्टर के पास लिखकर भेजिए। मालूम है, तो पूछने की जरूरत नहीं है और अगर मालूम नहीं है, तो पूछने की जरूरत है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। सदन को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि घाटा किस कारण से हुआ ?···(व्यवधान)···

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सभी पर लागू कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सदस्य आधा-आधा घण्टा भाषण देते हैं, मंत्री जी को सही वर्णन करने के लिए, आप ऐतराज करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी पर लागू है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लाइन में प्रश्न पूछ रहा हूं। घाटे के बारे में जो रिपोर्ट उन्होंने मंगाई है, उसकी जानकारी सदन को दें कि किन कारणों से घाटा हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है, जहां तक समिति का सम्बन्ध है, हमने इसे किसी समिति को नहीं भेजा है। माननीय सदस्य उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं कि यह घाटा पहुंचाने वाली इकाई क्यों बन गई है। इसके कारण हैं :—

1. अत्यधिक जनशक्ति और कार्य का निम्न स्तर;
2. ऊंचे ऊपरी खर्चे और अत्यधिक ब्याज भार;
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी साख सीमा 150 करोड़ रुपये से घटाकर 102 करोड़ रुपये करना;
4. मुख्य ग्राहकों की ओर लगभग 150 करोड़ रुपये की भारी राशि का बकाया होना;
5. कार्यकारी पूंजी की कमी;
6. आर्डर बुक का पर्याप्त और असंतुलित होना; और
7. संयंत्र एवं मशीनरी और तकनीक का पुराना होना।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इतने बड़े कारखाने पर लाखों लोग आश्रित हैं, इस बात को मंत्री जी बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। मैंने यही पूछा है और यही जानने का प्रयास किया है कि उस कारखाने में लाखों लोगों की रोजी-रोटी का प्रश्न है, इन सभी बिन्दुओं पर जांच कराना चाहते हैं, यदि हां, तो कब तक कराना चाहते हैं और यदि नहीं चाहते तो क्यों नहीं ? उस फैक्टरी को बचाने के लिए वे क्या करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि हम निश्चित रूप से एच० ई० सी० को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए यह बताना चाहता हूं कि पिछले छह महीनों के दौरान मैंने केन्द्रीय नेताओं से उनका सहयोग और उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु 6-7 बैठकें की है कि इसे कैसे अच्छी प्रकार से पुनः चालू किया जा सकता है। मैंने एच० ई० सी० के कार्य करने के बारे में तीन से अधिक बार समीक्षा की है और इस सारे प्रयास के पश्चात् एच० ई० सी० को पुनर्जीवित नीति प्रस्तुत करने को कहा है। उस नीति में उन्होंने कुछेक उपाय सुझाए हैं मैं। इसे और थोड़ा विस्तृत कर दूं, एच० ई० सी० के इस बारे में निम्न सुझाव हैं :—

1. गैर-योजना ऋणों और योजना और गैर-योजना तथ्यों पर 1-4-1991 को बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डालना;
2. 1-4-1991 को बकाया योजना-ऋणों को इक्वीटी में बदलना;
3. स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु अंशदान;

4. कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता;

5. सोवियत संघ से स्थगित क्रेडिट देनदारियों की पूर्ति हेतु नकदी सहायता;

6. नगर परिव्यय में पूंजी अनिवेश।

मैंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के इस प्रस्ताव को तीन सदस्यों वाली समिति जिसके अध्यक्ष डा० डी० वी० कपूर थे, को भेजा था। उनमें से एक सदस्य हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के भूतपूर्व चेयरमैन हैं और वह बी० एच० ई० एल० के भी भूतपूर्व चेयरमैन हैं। तीसरे सदस्य भी एच० एल० कपूर एक विशेषज्ञ हैं। उस समिति की पहले ही तीन बैठकें हो गई थीं और आशा है वे शीघ्र ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देंगी।

डा० देवी प्रसाद पाल : अध्यक्ष महोदय, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन पिछले कई वर्षों से घाटे पर चल रही है। अब तक इस निगम को कुल कितना घाटा हुआ है और दूसरा, क्या यह घाटा उच्च प्रबंधकों के जल्द परिवर्तन किए जाने के कारण और मजदूर संघों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण भी हुआ है ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, अभी तक कुल घाटा 387 करोड़ रुपये का हुआ है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हम समस्याओं से अवगत हैं और हम मैनेजमेंट प्रबंधन को ठीक करना चाहते हैं और यह सब कार्य इसीलिए हो रहा है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय महसूस करते हैं कि आर्थिक नीति के वर्तमान उदारीकरण से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को पुनर्जीवित करना असम्भव है ? वे सदन को और देश को अंधेरे में क्यों रखते हैं ? आप लोगों को वेतन दे सकते हैं। लेकिन यदि सभी पूंजीगत माल बाहर से आयात किया जाएगा तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन क्या उत्पादन करेगा ? मंत्री जी देश को भ्रम में क्यों डाल रहे हैं कि वे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि यह भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के अन्तर्गत असम्भव कार्य है ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय हम देश को धोखे में रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा हम पर यह बिल्कुल गलत आरोप लगाया गया है। हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों पर मेरे विचार से उद्योग मंत्री या स्वयं प्रधान मंत्री को उत्तर देना चाहिए क्योंकि सरकार को इस बारे में देश को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। समूची आर्थिक नीति से पता चलता है कि आप पूंजीगत माल को आयात करने में उदार नीति अपना रहे हैं। आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं उससे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन इस देश में क्या उत्पादन करेगा। आप उसमें कुछ धन यह कहते हुए लगा सकते हैं कि आप श्रमिकों को उसमें लगाएंगे, रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को मात्र सरकार की वर्तमान नीति से पुनर्जीवित नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, इस पर मेरे विचार इनसे अलग हैं। हम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को पुनर्जीवित कर सकते हैं, हम उन सभी उद्योगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो ठीक से नहीं चल रहे हैं। हमें कुछ कठोर उपाय करने होंगे। वे प्रतियोगी बन जाएंगे और यही नई नीति का निचोड़ है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं हम लोग वहां से आते हैं इसलिए दो-तीन फैक्टर्स और हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो हैवी मशीन्स के आर्डर दिए जाने चाहिए, वह आर्डर वहां पर नहीं दिए जाते हैं। नीचे से जो कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलती है, बाहर से डेपुटेशंस होती हैं और बहुत से अधिकारी हैं जिनका मल्टी-नेशनल्स के साथ संबंध होता है।

इन चीजों के अलावा मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक आप वर्कर्स को मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक आपका कोई पब्लिक सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है, चूंकि वर्कर्स को कोई इनसेन्टिव नहीं मिलता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दूसरे सदन में बिल पेन्डिंग है। क्या सरकार का इरादा है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो, इस बिल को इस सदन में लाया जाए और उसको जल्द से जल्द पास कराया जाए ?...(व्यवधान) क्या सरकार जो एक्सपर्ट लोग हैं, बाहर से डेपुटेशन पर लेने के बजाय उनको वहां स्थापित करेगी ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह बहुत अनुचित है। यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। वे केवल अपना प्रिय प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी समिति

*25. श्री अम्मा जोशी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु योजना आयोग द्वारा अपनाई गई अन्य योजनाओं नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार में वृद्धि करने हेतु उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है। समिति को ये कार्य सौंपे

गए हैं। (1) शिक्षित युवकों के लिए रोजगार सृजन के प्रस्तावों की जांच करना तथा (2) सामान्य रूप में रोजगार से संबंधित उन मुद्दों पर विचार जारी रखना जिन पर तत्कालीन उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में जनवरी, 1991 में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा विचार किया जा रहा था। इस समिति की एक बैठक 6-1-92 को हुई थी जिसमें सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक दल के गठन का निर्णय लिया गया था ताकि उन क्षेत्रों तथा गतिविधियों का पता लगाया जा सके जहां पर शिक्षित बेरोजगारों को खपाए जाने की संभावना विद्यमान है तथा प्रशिक्षण एवं उद्यमशीलता कौशल आदि के विकास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता है।

(घ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रोजगार पैदा करने के लिए, सामान्य विकास प्रक्रिया में उसके पैदा होने के अलावा कई विशेष रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बेरोजगार युवकों को भी लाभ पहुंचाना है। इन कार्यक्रमों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार (एस० ई० ई०यू०वाई०) की स्कीम तथा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्रायसेम) विशेष रूप में क्रमशः शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीण युवकों के लिए है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, क्या सरकार विशेष रोजगार कार्यक्रमों की असफलता या सफलता का विश्लेषण करेगी जो कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लागू किये जा रहे हैं, और क्या सरकार विशेष रूप से स्पष्ट करेगी कि क्या बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ये कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं ? मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या सरकार पूर्व सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को जो कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से सम्बंधित है को लागू करने जा रही है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उसी बात का विशेष उत्तर दीजिए जो मूल प्रश्न से संबंधित है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी हां, महोदय, मैं उत्तर दूंगा।

विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम है। उसके तहत, 1989-90 में शुरू की गई जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम चलाये गये थे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.82 करोड़ परिवारों को सहायता दी गई थी और लगभग दस लाख युवाओं को टी० आर० वाई० एस० ई० एम० के तहत प्रशिक्षित किया गया था; सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था और उसके तहत 28,000 सामूहिक और 46,800 महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात आर० एस० ई० बी० पी० तथा अन्य के तहत लगभग 3,492 मिलियन रोजगार कार्यदिवस प्रदान किये गये थे। यह ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी और यह आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत नहीं आती है। इस योजना के तहत, बैंकों द्वारा शहरी गरीब लोगों को 5000/ रुपये तक के ऋण दिये गये थे और मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि दस लाख लोगों को 368.49 करोड़ रुपये की राशि के ऋण इस योजना के शुरू में सितम्बर 1988 से लेकर सातवीं योजना अवधि तक प्रदान किए गये थे।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग और हैं जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है।

सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक समिति गठित की है। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम पर्याप्त हैं ? तत्पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति, पूर्व समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और समिति अन्य अधिकारियों की भी समिति गठित करने जा रही है और वे अपनी सिफारिशें देंगें। वे एक के बाद एक समिति गठित कर रहे हैं। वे नये रोजगार के अवसरों का पता कब लगायेंगे ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग मौलिक अधिकार के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : 'प्रश्न काल' में इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसे नियम विरुद्ध घोषित करता हूं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में माननीय सदस्य की उत्सुकता मसमूस कर सकता हूं। उत्तरोत्तर सरकार, जिसके प्रमुख श्री वी० पी० सिंह, श्री चन्द्र शेखर और वर्तमान सरकार ने विभिन्न स्तरों पर इस समस्या से निपटा है। जहां तक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है सितम्बर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुछ सीमा तक एक मुश्त सहायता प्रदान की थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रभावशाली उपायों के साथ रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखना चाहते है। संक्षेप में प्रश्न यही है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है प्रधानमंत्री जी ने योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उस समिति का काम रोजगार के नये क्षेत्रों का पता लगाना है। इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा हुई थी, जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के तीन क्षेत्रों को निर्धारित किया है। एक जनसंख्या दूसरा रोजगार तथा तीसरा खर्च में संयम बरतना। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सभी मुख्य मंत्री तथा सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों जिनका विकास नहीं हुआ था, में रोजगार के नये क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं। यह नये प्रयास हैं जिनको वर्तमान सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि पूर्व सरकार ने क्या किया था उन्होंने केवल समितियां गठित की थी और उनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि रोजगार देने की योजना के तहत सरकार अनुदान देकर लोगों को रोजगार देती है जिसके अन्तर्गत भेड़-बकरी और बैल आदि खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। मैं आपको इस बारे में एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं;

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उदाहरण मत दीजिए, प्रश्न पूछिए।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उस क्षेत्र में होकर आया हूं जहां बैल की जोड़ी खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप उदाहरण में मत जाइए।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बैल की जोड़ी दी जाती है उसकी कीमत सरकार की तरफ से तय हो जाती है पांच हजार रुपये और उसकी बाजार में कीमत सिर्फ दो हजार रुपये होती है। 50 प्रतिशत अनुदान का लालच देकर उसको बहकाया जाता है और वह;

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका क्वश्चन डिसअलाऊ कर दूंगा।

श्री भेरूलाल मीणा : कृपया मेरी बात सुनिए। बहुत सीरियस बात है। उसके नाम ढाई हजार रुपये लग जाता है और वह ढाई हजार जो अनुदान मिलता है वह उसे नहीं मिलता है, बीच वाले खा जाते हैं और बैल की जोड़ी भी मर जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या रोजगार देंगे। इसी प्रकार रोजगार योजना के अधीन जितने भी काम होते है उनमें तो पंचायतों का ही खर्च हो जाता है। वहां के ग्रामीणों को कुछ जाता ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से जो कीमत आंकी जाती है, उसको ठीक तरह से क्यों नहीं किया जाता है ?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हमने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में समस्या से निपटने का प्रयास किया। हमारे पास ग्राम-स्तर पर, ब्लाक-स्तर पर, जिला-स्तर पर स्टाफ नहीं है। हम केवल योजना बना सकते हैं और धन उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्य मंत्रियों से अपील की थी कि यह एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसे केन्द्र और राज्यों की साझेदारी में चलाना होगा। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति जताई।अब वे इस बात पर भी सहमत हो गये हैं, कि हमें इन कार्यक्रमों को निचले स्तर से शुरू करना चाहिए और राज्यों को उनको भली प्रकार क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

हमारे पास एक ऐसा संयुक्त तन्त्र होगा जो यह पता लगायेगा कि यह कार्यक्रम कैसा चल रहा है। यह सत्य है कि बहुत से मामलों में कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यह भी सच है कि कुछ मामलों में असफलताएं मिली हैं।

इसलिए हमें इसका अध्ययन करना होगा। यह किसी भी तरह दलगत प्रश्न नहीं है। इन सब कार्यक्रमों को भली भली प्रकार से लागू करने की आवश्यकता है इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, अब सही नतीजे प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे : अध्यक्ष महोदय, रोजगार, पैदा करने वाली इन योजनाओं के क्रियान्वयन का समाज को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। अधिकांश लक्ष्य कागजों पर है और वे वास्तव में रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में प्राप्त नही हुए हैं।

इन सरकार लक्षित कार्यक्रमों के अलावा ऐसे बहुत से बेरोजगार लोग हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए वित्तीय संस्थाओं को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ये वित्तीय संस्थाएं और बैंक उनकी सहायता कर सकें। हमारी जानकारी के अनुसार बैंक केवल सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में रुचि रखते हैं, और वे बेरोजगार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना उनके लक्ष्यों से परे है।

मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों और सूचीबद्ध बैंकों को, आवश्यकतानुसार बेरोजगार लोगों की मदद करने के बारे में दिशानिर्देश जारी करेगी तथा तीसरे सेक्टर और माध्यमिक सेक्टर संबंधी क्षेत्रों में उन बेरोजगार लोगों को थोड़ी-सी ही राशि उपलब्ध

करा के सुरक्षा प्रदान करेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है। लेकिन यदि माननीय सदस्य का सुझाव व्यावहारिक होगा तो मैं उनका वह सुझाव अवश्य ग्रहण करूंगा जो वास्तव में वे देना चाहते हैं। यदि निर्देश दिये जाने की आवश्यकता होगी तो दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुव्रत मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इसको नजर में रखते हुए और बेरोजगारों के सेंटीमेंट को नजर में रखते हुए क्या सरकार संविधान के अन्तर्गत इस काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने का प्रावधान करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि यह प्रश्न, क्वश्चन-आवर के लिए बहुत बड़ा है। इसलिए इस प्रश्न को आप जनरल डिबेट के समय उठाएं।

श्री सूर्य नारायण यादव : अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जवाहर रोजगार योजना के तहत हम रोजगार का प्रावधान करते हैं और शिक्षित बेरोजगारों को थोड़ा-बहुत रोजगार प्राप्त हो जाता है। शहरों में शिक्षित बेरोजगारों को प्राप्त हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार, जो ग्रामीण है, जिसे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, क्या आप योजना आयोग में इसका ठोस आधार बनाने जा रहे हैं या बनाया है?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि रोजगार कई प्रकार के होंगे, गांवों में ऐसे रोजगार होंगे जिससे मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलेगी तथा अन्य स्थानों में जहां शिक्षित बेरोजगार हैं, वहां उनके अनुकूल रोजगार उपलब्ध होंगे। सरकार के कार्यक्रमों में इन सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। यह सच है कि ये कार्यक्रम सभी वर्गों को शत-प्रतिशत कवर नहीं करते।

क्लर्क ग्रेड परीक्षा 1990 और 1991 में मूक और बधिर उम्मीदवार

*26. श्री भू० विजय कुमार राजू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क ग्रेड परीक्षा 1990 और 1991 के लिए मूक और बधिर उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो 3 फरवरी, 1991 और 27 अक्तूबर, 1991 को हुई परीक्षाओं में क्रमशः कितने मूक और बधिर उम्मीदवार बैठे थे;

(ग) 3 फरवरी, 1990 को आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 1990 और 27 अक्तूबर, 1991 को आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा 1991 के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति के लिए मेरिट सूची में कितने मूक और बधिर उम्मीदवार सम्मिलित किए गए;

(घ) क्या 3 फरवरी, 1991 और 27 अक्तूबर, 1991 को आयोजित परीक्षाओं के आधार पर मूक और बधिर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित एक प्रतिशत कोटे को भरा गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) 3 फरवरी, 1991 को आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा 1990 के लिए शारीरिक रूप से विकलांग 15658 उम्मीदवारों ने, जिनमें अस्थि-विकलांग तथा बधिर उम्मीदवार शामिल हैं, आवेदन किया था। 27 अक्तूबर, 1991 को आयोजित, 1991 की परीक्षा के संबंध में सूचना अभी समेकित नहीं की गई है।

(ग) क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 1990 में 165 उम्मीदवारों ने शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त की है। इनमें दो बधिर उम्मीदवार शामिल हैं। 1991 परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।

(घ) 1990 की परीक्षा में जिन बधिर उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की है उनकी संख्या कुल रिक्तियों के एक प्रतिशत से कम है। 1991 परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।

(ङ) शिथिल मानदण्डों के बावजूद भी अर्हता प्राप्त करने वाले बधिर उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं थी।

श्री भू० विजयकुमार राजू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन उसमें से केवल एक प्रतिशत मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन मंत्री महोदया ने चुने गए मूक और बधिर उम्मीदवारों की संख्या नहीं बताई है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैंने बताया है कि केवल दो ऐसे उम्मीदवारों का चयन हुआ था। केवल दो ही उम्मीदवार सफल हुए। मैंने इसका उल्लेख अपने उत्तर में किया है।

श्री भू० विजयकुमार राजू : इस पत्र में 1980, अर्थात् 12 वर्ष पूर्व से जानकारी मांगी गई है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष 1990-91 के दौरान दो उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रश्न विशेष कर 1990 और 1991 की परीक्षाओं के संबंध में है। माननीय सदस्य का प्रश्न दो ही वर्षों के संबंध में है और उसका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने मंत्री महोदय का ध्यान एक पत्र के माध्यम से आकृष्ट किया था और मैं यह आशा करता हूं कि उन्हें उस पत्र को पढ़ने का समय मिल गया होगा। मैंने यह बताया था कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रेलवे में नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटा है—चाहे वे मूक और बधिर या शारीरिक रूप से विकलांग हों। मैंने यह भी बताया था कि रेलवे में—विशेषकर दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे में जिसकी मुझे जानकारी है—इस आरक्षित कोटे को नहीं भरा जाता है। यह कोटा लम्बे समय से भरा नहीं गया है। मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए और रेलवे के सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर बातचीत की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : उस पत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्य से बातचीत की थी। मैंने रेलवे

मंत्रालय से भी इस पत्र के सम्बन्ध में बातचीत की थी। रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनके अपने श्रमिकों में ही विकलांग व्यक्ति हैं और उनके परिवारों को नियुक्तियों में प्राथमिकता देनी होती है और इसलिए वे सामान्य श्रेणी के ऐसे बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि रेल श्रमिकों के अपने ही परिवारों के विकलांग व्यक्तियों को समायोजित कर इस वर्ग की कोटे से अधिक भर्ती की जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बाहरी अथवा रेलवे के अपने ही उम्मीदवारों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आरक्षित कोटा है उनको रोजगार दिया जा रहा है या नहीं? ये उम्मीदवार बाहर के भी हो सकते हैं और रेलवे के अपने ही श्रमिकों पर आश्रित विकलांग व्यक्ति भी हो सकते हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : अपने विभाग से हम मार्गनिर्देश जारी करते हैं। हम नीतिगत निर्देश जारी करते हैं। हमने सभी नियमों को संकलित किया है। हमारे लिए यह एक कठिन काम है। हम अपने विभाग द्वारा प्रत्येक स्थानीय कार्यालयों और प्रत्येक विभाग में भरे जाने वाले कोटे की निगरानी नहीं कर सकते। इसलिए हम इस मामले को सम्बन्धित विभागों के समक्ष उठाते है, जो यह सुनिश्चित करे कि इस नीति का लागू किया जा रहा है। यहां तक कि सहयोगी कार्यालयों से श्रेणीवार जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेत्रहीनों, शारीरिक रूप से विकलांग और बधिरों के लिए एक-एक प्रतिशत आरक्षण हैं। यहां तक कि हमारी आवश्यकतानुसार श्रेणियों के तहत रिक्तियों की घोषणा नहीं की जाती है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। समय-समय पर हम नये निर्देश जारी करते रहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आटोमोबाइल उद्योग पर संकट

*27. प्रो० सुदर्शन राय चौधरी :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल उद्योग संकट से गुजर रहा है जैसा कि दिनांक 31 जनवरी, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" मे बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में आटोमोटिव वाहनों के उत्पादन मे गिरावट आई है। यह गिरावट उच्च ऋण लागतो और मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग में आई कमी के कारणों से हुई है। सरकार से आयात नियंत्रण संबंधी उपायों को शिथिल बनाकर उपचारात्मक कार्रवाई की है।

कोल इंडिया लिमिटेड की विपणन नीति

[अनुवाद]

*28. श्री के० वी० तंगकाबालू :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की वर्तमान विपणन नीति में कुछ कमियां हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं को कोयला नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोल इण्डिया लिमिटेड की विपणन नीति में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड की विपणन नीति में नये परिवर्तन कब तक किए जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) कोयले की वितरण प्रणाली में मांग और आपूर्ति की पद्धति में हुए परिवर्तन के समायोजन को समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिकतम उपभोक्ता संतोषप्रदता प्रदान की जा सके। ऐसी समीक्षाएं अपेक्षानुसार की जाती हैं और समीक्षाओं के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों के संबंध में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। विद्यमान वितरण नीति के अन्तर्गत आवंटन किये जाने की व्यवस्था के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों/उपभोक्ताओं को जैसे विद्युत, सीमेंट, इस्पात, रेलवे, आदि को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उद्योग मंत्रालय, रेलवे आदि द्वारा किए गए प्रयोजनों के आधार पर कोयले का संचालन किए जाने को प्राथमिकता दिये जाने की भी व्यवस्था है। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कोयले की मांग को कम प्राथमिकता मिल पाती है। कोयले की सभी उपभोक्ताओं को 1000 टन तक एक समय में "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कुछ कोयला खानों से खुले रूप में उपलब्ध किया जाता है। हाल ही में एकत्रित पिटहैड स्टाक में से 20 मिलियन टन कोयले को जारी किये जाने के सम्बन्ध में भी एक निर्णय लिया गया है।

कुडनकुलम, तमिलनाडु में परमाणु विद्युत केन्द्र

*29. श्री वी० देवराजन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सोवित संघ ने कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की क्षमता वाला एक परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। भारत में दो यूनिटों वाले, जिनमें से प्रत्येक यूनिट की क्षमता 1000 मेगावाट होगी, एक परमाणु बिजलीघर के निर्माण में सहकार करने के लिए सोवियत संघ और भारत के बीच एक अन्तर्सरकारी करार पर नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इन यूनिटों को तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है। अन्तर्सरकारी करार के अनुसार ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट पहले के सोवियत संघ द्वारा उन विचारार्थ विषयों जिन पर सहमति हो गई थी, के अनुरूप तैयार की जानी थी। भारत द्वारा उस ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिये जाने के बाद, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव सोवियत संघ की तरफ से प्राप्त होना था। तत्पश्चात निर्माण संबंधी अनुबंध किया जाना था। अन्तर्सरकारी करार के अनुसार सोवियत संघ द्वारा भारत को 3200 मिलियन रूबल तक की धनराशि का ऋण 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाना था। अद्यतन स्थिति के अनुसार ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के विचारार्थ विषयों और परियोजना की अधिकतम मूलभूत लागत पर सहमति हो गई है। इस परियोजना का कार्यान्वित करने के बारे में आगे कोई निर्णय लेना पहले के सोवियत संघ में हाल ही में आए परिवर्तनों पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला खानें

*30. श्री पी० जी० नारायणन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत चालू कोयला खानों की संख्या क्या थी;

(ख) दिसम्बर, 1991 तक इन सभी कोयला खानों में कुल कितनी पूंजी लगी थी;

(ग) क्या कुल निवेश का एक भाग ऋणों के माध्यम से जुटाया गया था;

(घ) यदि हां, तो कितनी ऋणराशि ली गई थी और उस पर कितना वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान कोयला क्षेत्र को कितना लाभ हुआ ?

कोयला मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में संचलन कोयला खानों की संख्या 510 थी।

(ख) कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोल इंडिया लि० की और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की सभी कोयला खानों में दिसम्बर, 1991 के अन्त में कुल निवेश क्रमशः कुल 9986.40 करोड़ (अनन्तिम) और 1143.35 करोड़ रु० (अनन्तिम) की राशि का था।

(ग) जी हां।

(घ)

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	31-3-91 की स्थिति के अनुसार ऋण	वर्ष 1990-91 में अदा की गई वास्तविक ब्याज की राशि
कोल इंडिया लि०	5923.30	313.64
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	801.66	शून्य

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० द्वारा 253.17 करोड़ रुपये और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा 163.19 करोड़ रुपये का घाटा उठाया गया।

संयुक्त उद्यम संबंधी मानदण्डों की पुनरीक्षा

*31. श्री वत्तात्रेय बंडारू :

श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संयुक्त उद्यम मानदण्डों की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारतीय कम्पनियों और सरकार को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारत में विदेशी निवेश और विदेशों से विदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तरण सम्बन्धी नीति का 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। उक्त नीति के तहत, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी तक सीधे ही विदेशी निवेश करने के लिए स्वत: अनुमोदन दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार विनिर्दिष्ट मानदण्डों की शर्तें पर विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वत: अनुमति दी जा रही है।

(ग) विदेशी निवेश से निवेश और रोजगार सृजन के लिए विदेशी मुद्रा, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय पद्धतियों को बुक करने और निर्यात के लिए सम्भावनाओं में वृद्धि करने जैसे अन्य लाभ होने की भी आशा है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में लघु और भारी उद्योग

[हिन्दी]

*32. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने-कितने लघु एवं भारी उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन राज्यों में और अधिक लघु एवं भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात उद्योग निदेशालयों द्वारा क्रमश: 15220 तथा

5746 लघु उद्योग एककों का पंजीकरण किया गया था। वर्ष 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में क्रमश: 24549 और 7142 लघु उद्योग एकक पंजीकृत किए गए थे।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश और गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय, राज्य तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम) तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में एककों की स्थापना हेतु जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

	आशय पत्र			औद्योगिक लाइसेंस		
	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल
उत्तर प्रदेश						
1990	13	111	124	8	47	55
1991	11	97	108	2	21	23
गुजरात						
1990	7	62	69	2	36	38
1991	6	95	101	4	20	34

(ग) और (घ) इस समय आशय पत्रों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त 550 प्रस्ताव और गुजरात से प्राप्त 61 प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग में विचाराधीन हैं। नीति के अनुसार उन मामलों के ब्यौरे नहीं बताए जाते जिन पर अभी निर्णय नहीं लिए गए हैं। लघु उद्योगों का पंजीकरण राज्यों के उद्योग निदेशालयों द्वारा किया जाता है। लघु उद्योगों के पंजीकरण हेतु लम्बित पड़े मामलों की जानकारी केन्द्र द्वारा इस विभाग में नहीं रखी जाती।

सिगरेनी कोयला खानों में हड़ताल

[अनुवाद]

*33. डा० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :]

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के एक वर्ष में श्रमिक संघों ने सिंगरेनी कोयला खानों में बहुत दिनों तक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस हड़ताल के कारण कोयला उत्पादन में कितनी कमी हुई; और

(घ) स्थिति को ठीक करने तथा कोयले का उत्पादन सामान्य स्तर पर पुन: आरम्भ करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री० पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1.4.1991 से 31.1.1992 की अवधि के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, में 404 हड़तालें हुई थीं। आयोजित की गई कुल हड़तालों में से 11 हड़तालें, 5 मजदूरों संघों द्वारा, जोकि कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति के सदस्यों तथा राष्ट्रीय स्तर के मजदूर संघों से सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित की गई थी और बकाया 393 हड़तालें अन्य मजदूर संघों द्वारा आयोजित की गई थी।

(ग) दिनांक 1.4.1991 से 31.1.1992 की अवधि के दौरान हड़तालों के कारण उत्पादन में 12, 75, 790 टन की हानि होने का अनुमान है।

(घ) (i) पिछले 2 वर्षों के दौरान कंपनी के प्रबंधन ने, कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति पर प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बड़े मजदूर संघों को मजदूर संघ संबंधी परस्पर वैमनस्य को कम किए जाने और कम्पनी ने समझौते की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के माध्यम से सभी बड़ी श्रमिक समस्याओं का निपटारा तथा विचार-विमर्श किए जाने की दृष्टि से मजदूर संघों को कंपनी स्तर पर एक मंच पर आने के लिए राजी कर लिया है।

(ii) औद्योगिक सुरक्षा बल के आदिलाबाद जिले के 2 क्षेत्रों में खानों की तथा कंपनी की अन्य विस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस बल को उक्त जिले के और 2 बकाया क्षेत्र में तैनात किए जाने का भी प्रस्ताव है।

(iii) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० राज्य सरकार के पुलिस प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि बुरी घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

*34. श्री मुमताज अंसारी :

श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में की गई मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल, गेहूं तथा चीनी के मूल्यों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) उपभोक्ता पर कुल मिलाकर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) दिसम्बर, 1989 तथा जनवरी, 1992 में मूल्य सूचकांक क्या-क्या था; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अपने उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क)

वस्तु/यूनिट	खरीफ केंद्रीय निर्गम मूल्य	पूर्व मूल्य	प्रतिशत वृद्धि
1. चावल (क्विंटल)			
(क) कामन	377.00	289.00	30.4
(ख) फाइन	437.00	349.00	25.2
(ग) सुपर फाइन	458.00	370.00	23.8
2. गेहूं (क्विंटल)	280.00	234.00	19.7
3. चीनी (कि० ग्रा०)	6.90	6.10	13.1

(ख) चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि करना खाद्य राज सहायता के बजट को नियंत्रित करने की दृष्टि से आवश्यक हो गया था। चावल तथा गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य में उपयुक्त वृद्धि करना आवश्यक था, क्योंकि धान तथा गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि को आंशिक रूप से समाहित करने के लिए उपयुक्त समय पर संशोधन नहीं किया गया था। चीनी के निर्गम मूल्य में 27.3.91 व 21.1.92 को लेवी चीनी के खोगीय कारखाना मूल्यों में वृद्धि होने के कारण संशोधन किया गया था।

(ग) चावल, गेहूं तथा चीनी के निर्गम मूल्य प्रचलित बाजार दर से काफी कम हैं। केन्द्रीय सरकार खाद्य राज सहायता के रूप में भारी वित्तीय भार वहन करती है, क्योंकि ऐसे निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य खाद्यान्नों की वसूली पर आने वाली आर्थिक लागत को पूरा नहीं करते हैं। केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को जान-बूझकर आर्थिक लागत से काफी कम पर नियत किया जाता है, ताकि वे आबादी के कमजोर वर्ग की पहुंच के भीतर रहे।

(घ) वस्तु थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1981-82—100)

	दिसम्बर, 1989	जनवरी, 1992 (अनन्तिम)
चावल	166.8	237.7
गेहूं	151.0	238.2
चीनी	141.9	159.9
समग्र वस्तु	166.6	213.9

(ङ) सरकार द्वारा किए जा चुके निर्णय पर फिर से विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोल इंडिया लिमिटेड को घाटा

*35. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के अन्त तक कोल इंडिया लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) इस घाटे के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस घाटे को कम करने में कोयले के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि का क्या असर पड़ा है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अलाभप्रद खानों को चालू रखने की अनुमति देने का विचार है, जिससे घाटा बढ़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इन खानों के कारण प्रत्येक वर्ष कुल कितना घाटा होता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1990-91 के अन्त तक कोल इंडिया लि० द्वारा 2498.98 करोड़ रु० का आवर्ती घाटा उठाया गया ।

(ख) ऐसे घाटे को उठाए जाने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :--

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में भूमिगत उत्पादन की मात्रा कुल उत्पादन से अधिक है । भूमिगत खनन लागत आमतौर पर ओपनकास्ट खनन लागत से अधिक रहती है ।

2. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० खानों का औसतन आकार छोटा है । खान का आकार ही उत्पादन संबंधी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है । अधिकांशत: पुरानी खानों के होने और विभिन्न भू-खनन समस्याओं के होने के कारण कुछ खानों का पुनर्गठन किए जाने बाद भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में खानों का औसतन आकार छोटा है ।

3. झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों मे अधिकांश खानों में प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां विद्यमान हैं और कोयले का उत्खनन किए जाने के लिए रेत भराई की प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित है । इससे कोयले के उत्खनन किए जाने की लागत बढ़ जाती है ।

4. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में श्रम शक्ति फालतू है ।

5. ऐसे क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किए जाने और विद्युत की उपलब्धता संबंधी समस्या विद्यमान है, जिनमें कोयले के खनन क्रियाकलाप किए जा रहे हैं ।

6. लागत की कुछ मदों का न शामिल किए जाना अर्थात् ब्याज, मूल्यह्रास और इक्विटी पर लाभांश जिन्हें विगत में कई मौके पर कोयले की प्रशासनिक कीमत में शामिल नहीं किया गया है ।

7. मजदूरी संशोधन तथा लागतों की कीमत में वृद्धि और कोयले की कीमतों में संशोधन की प्रभावकारिता के बीच समय-अवधि सम्बन्धी अन्तराल ।

(ग) कोयले की हाल की कीमतों में की गई वृद्धि का प्रभाव औसतन 73 रु० प्रति टन रहा है। वर्ष 1991-92 में कीमतों में हुई वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व की राशि 480 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी 225 खानें थी, जो कि 100 रु० प्रति टन से अधिक की राशि का घाटा उठा रही थीं। उक्त वर्ष के दौरान इन खानों द्वारा कुल 1064 करोड़ रुपये की राशि का घाटा उठाया गया। इन खानों में उत्पादकता में वृद्धि करके, लागत आदि में कमी करके, घाटे को कम किए जाने के उपाय किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश को खाद्य वस्तुओं और चीनी की सप्लाई

[हिन्दी]

*36. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किए जाने के लिए और अधिक मात्रा मे खाद्य वस्तुओं और चीनी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) केंद्रीय सरकार कितनी वृद्धि करने पर सहमत हुई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए 20.000 मी० टन गेहूं, 7150 मी० टन चावल, 2680 मी० टन लेवी चीनी और 1000 मी० टन आयातित खाद्य तेल के माहवार आबंटन की मांग की है।

विगत छः महीने के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल का आबंटन

(आंकड़े मी० टन में)

माह	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल
सितम्बर, 91	10000	7150	2271	शून्य
अक्तूबर, 91	10000	7150	2424	500
नवम्बर, 91	10000	7150	2424	500
दिसम्बर, 91	9000	6500	2120	शून्य
जनवरी, 92	9000	6500	2120	500
फरवरी, 92	1000	6500	2120	500

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना

[अनुवाद]

*37. श्री मोहन सिंह :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार कितनी-कितनी उचित दर की दुकानें और खोली जाएंगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग अनुमानत: कितने-कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सरकार ने लगभग 1700 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के उपाय किए हैं। यह कार्य इस दृष्टि से किया गया है कि विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना और कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के तहत आने वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक यह प्रणाली बेहतर तरीके से पहुंच सके। इन ब्लाकों की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके की गई है। राज्य सरकारों ने बताया है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका लगभग 11000 अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने तथा लगभग 23.6 लाख राशन कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। इससे 16.7 करोड़ जनता को लाभ पहुंचने का अनुमान है। इसमें से शहरी आबादी अनुमानत: 2 करोड़ होगी।

अभिज्ञात क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा खोली जाने वाली प्रस्तावित उचित दर दुकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरा नहीं बताया गया है। यह समझा जाता है कि इनमें से अधिकतर को ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

अभिज्ञात क्षेत्रों में खोली जाने वाली प्रस्तावित उचित दर दुकानों की अनुमानित संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित अतिरिक्त उचित दर दुकान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	316
2	अरुणाचल प्रदेश	155

1	2	3
3.	असम	485
4.	बिहार	505
5.	गुजरात	122
6.	हरियाणा	887
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
9.	कर्नाटक	157
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	1274
12.	महाराष्ट्र	2940
13.	मणिपुर	24
14.	मेघालय	16
15.	मिजोरम	23
16.	नागालैंड	
17.	उड़ीसा	1316
18.	राजस्थान	718
19.	सिक्किम	400
20.	तमिलनाडु	47
21.	त्रिपुरा	25
22.	उत्तर प्रदेश	1130
23.	पश्चिम बंगाल	826
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12
25.	दादरा व नगर हवेली	2
26.	दमण व दीव	2
27.	लक्षद्वीप	5
	योग	10889

गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा दमण और दीव के मामले में आंकड़े वास्तव में खोली गई उचित दर दुकानों की संख्या दर्शाते हैं। इन राज्यों द्वारा कोई लक्ष्य सूचित नहीं किए गए हैं।

परमाणु विद्युत परियोजनाओं का पूरा किया जाना

*38. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैगा परमाणु विद्युत परियोजना तथा ककरापार परियोजना के 220 मेगावाट क्षमता के दो एककों और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दो एककों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है;

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का कैगा परियोजना में 220 मेगावाट क्षमता के चार और एककों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) कैगा 1 और 2 के सन् 1996 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेने की आशा है। ककरापार परियोजना का पहला यूनिट चालू किए जाने की प्रगति अवस्था में है और आशा है कि सन् 1992 की पहली छमाही के दौरान क्रान्तिकता प्राप्त कर लेगा और उसके एक वर्ष बाद में दूसरा यूनिट क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-4 के क्रमश: सन् 1996 और सन् 1997 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हां। कैगा में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले चार अतिरिक्त यूनिट (कैगा-3 से 6) स्थापित करने के लिए स्थल के बारे में पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय से जनवरी, 1992 में प्राप्त हुई है। परियोजना की ब्यौरेवार अनुमानित लागत तैयार की जा रही है ताकि भारत सरकार से परियोजना सम्बन्धी वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त की जा सके। अतिरिक्त यूनिटों पर काम करना कब शुरू किया जाएगा, यह साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्यों को वार्षिक आवंटन

[हिन्दी]

*39. श्री रामनारायण बेरवा :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए धन का आवंटन करते समय क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्यों को अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्य सरकारों का वार्षिक योजना परिव्यय राज्यों के संसाधनों के अपने योगदान तथा केन्द्र

के योजना बजट के लिए केन्द्रीय सहायता/समर्थन पर आधारित होता है।

(ख) ग्रामीण विकास पर व्यय को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि किसी राज्य को कोई प्रतिशत अलग करने के लिए विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी आवास का किराया

[अनुवाद]

*40. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री 4 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न 188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद टाइपवार सरकारी आवास के किराये में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं और किराये में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) प्रति तीन वर्ष में एक बार किराये में संशोधन करने का निर्णय लेने का क्या कारण है;

(ग) इस प्रकार के लिए गए निर्णय की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सभी समान टाइप के निवासों में मानक तरीके से अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन किए जाने थे और आवंटियों से इस अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त लाइसेंस फीस या शुल्क नहीं लिया जाता था ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के पूर्व/पश्चात् टाइपवार सरकारी वास के किरायों में वृद्धि की प्रतिशत मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि 1-7-87 से पूर्व अलग-अलग रिहायशी एककों के लिए किराये का आकलन मानक लाइसेंस फीस या आवंटी द्वारा लिए गए वेतन का 10% इनमें से जो भी कम हो, के संदर्भ में किया जाता था। तथापि, 1-7-87 के पश्चात, प्रत्येक टाईप के वास में लिविंग क्षेत्र की श्रेणी के आधार पर समान दर के संदर्भ में किराया आकलित किया जाता है।

(ख) तीन वर्षों में किराये में संशोधन करने के कारण पूंजीगत परिसम्पत्तियों की कीमत में वृद्धि है जिसके संदर्भ में लाइसेंस फीस की गणना की जाती है। संगत अवधि में सभी परिवर्द्धनों/परिवर्तनों एवं नये रिहायशी एककों की वृद्धि को, लाइसेंस फीस के संशोधन की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) किसी मकान विशेष में संरचनात्मक प्रकृति का कोई परिवर्द्धन/परिवर्तन नहीं किया जाना होता है। ऐसे परिवर्द्धन/परिवर्तन, यदि आवश्यक समझे जाते हैं, तो मानकीकृत पद्धति में सभी समान मकानों में किए जाना होता है। किराये के संशोधन के समय, ये संरचनात्मक परिवर्द्धन/परिवर्तन परिसम्पत्ति की कीमत में जोड़े जाते हैं। आवंटी के अनुरोध पर ग्लेजिंग, टाईलिंग आदि जैसे गैर-संरचनात्मक प्रकृति के विशिष्ट परिवर्तनों के मामले में आवंटी से वास्तविक लागत का 10% वसूल किया जाता है, जिसे ऐसे परिवर्तनों के लिए अनुरोध करते समय अग्रिम रूप में जमा किया जाता है।

कृषि-वानिकी

231. श्री बापु हरि चौरे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि-वानिकी का विकास करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में किसानों तथा भूमिहीन ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कृषि-वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों द्वारा "पेड़ पट्टा" देने, यानि पेड़ लगाने के लिए भूमि का आवंटन करने की प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) कृषि-वानिकी का विकास करना राज्य सरकार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य के वन विभाग द्वारा पौधों की सप्लाई और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

(ग) केन्द्र सरकार कृषि-वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियां बनाने को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर वन-बीज व पौधों की सप्लाई और वन उत्पादों को एकत्र करने, उनका भण्डारण करने और विपणन करने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारत सरकार द्वारा 1986 में जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अनुसरण में, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश राज्यों ने भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल के अनुरूप वृक्ष-पट्टा योजनाएं शुरू की हैं। आन्ध्र प्रदेश की 'पारिवारिक सहायता से निम्न स्तर के वनों का वन-रोपण" नामक अपनी योजना है जो कि मॉडल वृक्ष-पट्टा योजना का संशोधित रूप है। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों ने भूमि को पट्टे पर देने की योजनाएं शुरू की हैं जिनके अन्तर्गत लाभार्थी को कुछ वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है। उड़ीसा ने भी हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी की वृक्षा-पट्टा योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा मॉडल वृक्ष-पट्टा योजना शुरू करने से पहले ही आरम्भ कर दी गई थी।

कोयला भण्डार

[हिन्दी]

232. श्री राम धूजन पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का कितना भण्डार है तथा इस समय जिस गति से कोयला निकाला जा रहा है, उसे देखते हुए यह कितने वर्ष तक चल पाएगा;

(ख) क्या उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का अन्य वैकल्पिक ईंधन का पता

लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा देश में कोयले के कुल भण्डारों 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार लगभग 196 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। खनन योग्य भण्डारों को और भविष्य में कोयले के उपयोग में होने वाली वृद्धि को देखते हुए, कोयले के भण्डार अगले 100 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पर्याप्त हैं। कोयले के अलावा वाणिज्यिक ऊर्जा के अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं—पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और न्यूक्लीय ऊर्जा आदि। तथापि, कोयला देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का एक बड़े प्राथमिक स्रोत के रूप में बना रहेगा।

बिहार में नये उद्योगों का पंजीकरण

23?. श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों के पंजीकरण के लिए बिहार सरकार के कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का इन प्रस्तावों को मंजूर करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो मंजूरी कब तक देने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, उद्योगों के पंजीकरण की योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति संबंधी पैकेज की घोषणा से 31 जनवरी, 1992 तक बिहार राज्य में उद्योग लगाने हेतु औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 27 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा देय धनराशि

[अनुवाद]

234. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड अथवा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों को 31 दिसम्बर, 1991 तक रायल्टी, उपकर आदि के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना था;

(ख) ऐसे राज्यों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियों को उस तारीख को कितनी धनराशि दी जानी थी; और

(ग) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और केन्द्र तथा राज्य प्राधिकारियों, जिनके साथ भी इसका लेन-देन हो, के बीच आवधिक अन्तराल में लेखे की स्वीकृति की कोई प्रणाली बनाई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

235. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में ताप बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मांग संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना कोयला आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इन बिजलीघरों को आवंटित किया गया कोटा खपत की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मांग के अनुकूल कोटा बढ़ाने में भेदभाव पूर्ण रुख अपनाया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) सभी राज्य विद्युत बोर्डों ने तिमाही उत्पादन के कार्यक्रम को और तदनुसार कोयले की मांग को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया है, जो कि विद्युत गृहों को व्यक्तिगत रूप में कोयले का संयोजन करने के प्रस्ताव करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्तावों पर स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा विचार-विमर्श किया गया जिसकी प्रत्येक तिमाही में बैठक होती है, जो कि कोयले की और रेल वैगनों की उपलब्धता पर विद्युत उपयोगिताओं की कोयले का संयोजन प्रदान करती है। महाराष्ट्र में तापीय विद्युत गृह के लिए (ट्राम्बे विद्युत गृह को छोड़कर) कोयले के संयोजन और कोयले की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(000 टन में)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड

वर्ष	संयोजन	अधिप्राप्ति
1989-90	20265	15690
1990-91	21240	16626
1991-92 (जनवरी, 1992 तक)	19695	15394

उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र विद्युत गृह लगभग 77% से 78% संयोजन प्राप्त कर रहा है। संयोजन में वृद्धि किए जाने का अर्थ अधिक अधिप्राप्ति होना ही आवश्यक नहीं है। महाराष्ट्र के विद्युत गृह अधिकांशतः वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयला प्राप्त करते हैं, जहां

कि कोयले उच्च स्तर पर मांग है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का पारली विद्युत गृह आंशिक रूप सिंगरेनी से संयोजित है जिसकी कोयले की आपूर्ति का कार्य प्राय: कानून तथा व्यवस्था की समस्या से प्रभावित रहता है।

लालडोरा भूमि में अवैध निर्माण

236 प्रो० के० वी० थामस :

क्या शहरी विकास मंत्री दक्षिण दिल्ली में तथाकथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के बारे में 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को राजधानी में लालडोरा भूमि का कारखानों, दुकानों, कार्यालयों और अवैध निर्माण के लिए दुरुपयोग करने पर दंड देने का अधिकार प्राप्त है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अपने विकास क्षेत्र में पड़ने वाले गांव के लालडोरा में किसी अनधिकृत निर्माण तथा दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार फैक्ट्रियों, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक केन्द्रों तथा कार्यालय परिसरों का निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

समता स्थल का विकास

[हिन्दी]

237. श्री बारे लाल जाटव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाबू जगजीवन राम की स्मृति में बनाए गए "समता स्थल" का विकास करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने समता स्थल का विकास करने के मामले पर विचार करने के लिए 5 अन्य सदस्यों के साथ उप-राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 1991 को एक समिति गठित की है। समिति ने दो बैठकें आयोजित कीं थीं, जिनके आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समता स्थल का विकास करने के लिए योजनाएं और प्राक्कलन तैयार कर रहा है। तैयार की जा रही योजनाओं और प्राक्कलनों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्यान्नों की जमाखोरी के लिए प्रयोग किए जा रहे गोदामों पर छापे

[अनुवाद]

238. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में उन गोदामों की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जहां बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं जमा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गोदामों पर छापे मारकर खाद्यान्नों के भण्डारों को जमा किया गया है और कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या छिपाए गए भण्डारों का पता लगाने का अभियान जारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 24 जनवरी, 1992 से पहली फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 18 व्यापार परिसरों का निरीक्षण किया गया था। दो चावल विक्रेताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी खाद्यान्न के व्यापारियों के परिसरों, उचित दर की दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओं तथा खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों के 46 निरीक्षण किए थे। इनके परिणामस्वरूप फरवरी, 1992 के पहले पखवाड़े में 8 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई।

(ङ) व (च) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों के परिसरों की जांच करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सामान्य गतिविधि का एक हिस्सा है।

दिल्ली में नानकपुरा में समाज सदन

239. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नानकपुरा कालोनी में एक समाज सदन को पिछले दो-तीन वर्षों से खतरनाक घोषित किया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाज सदन की मरम्मत करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं धन-राशि तुरन्त प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) नानकपुरा कालोनी के समाज सदन के केवल सभा भवन को ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई, 1990 से खतरनाक घोषित किया गया था । तदनुसार, मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी शीघ्र मरम्मत करवाने के लिए उपाय किए हैं ।

अलाभप्रद कोयला खानें

240. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अलाभप्रद कोयला खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन कोयला खानों में से कुछ कोयला खानों को पुन: चालू करने का विचार है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने भी इनमें से कुछ कोयला खानों को चलाने में अपनी उत्सुकता जाहिर की है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी खानों को चलाने में किन-किन राज्यों की रुचि है; और

(च) क्या इन राज्यों को इन अलाभप्रद कोयला खानों को चलाने की अनुमति दे दी गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां ।

(ख) कोल इंडिया लि० के अधीन कोयले की अलाभकारी खानों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	अलाभकारी कोयला खानों की संख्या
बिहार	133
पश्चिम बंगाल	96
मध्य प्रदेश	47
उड़ीसा	6
महाराष्ट्र	18

(ग) से (च) उपर्युक्त ब्यौरा दी गई कोयला खानें कार्यचालन में हैं । अत: उनके पुन: खोले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । किन्तु ऐसी खानें भी हैं जो कि कई निम्नलिखित कारणों से बन्द पड़ी हैं—भण्डारों का समापन, कठिन भू-खनन परिस्थितियां, बहुत अधिक उत्पादन लागत, आदि। इन बन्द खानों को चालू किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों से जब भी अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन पर नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में गुणवत्ता के आधार पर समीक्षा की जाती है ।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाएं

241. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना विशेषज्ञों ने सभी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं को एक समेकित योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वित्तीय ढांचे और रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए सभी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन स्कीमों को एक में मिलाने का सुझाव देता रहा है । यह इस प्रस्तावना पर आधारित है कि इन स्कीमों के विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा कार्यान्वयन का गरीबी की समस्या पर बेहतर प्रभाव होगा ।

(ख) इस दृष्टिकोण का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सवाई माधोपुर में सीमेंट कारखाने को बन्द करना

[हिन्दी]

242. श्री डाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सवाई माधोपुर में सीमेंट कारखाने को बन्द करने के क्या कारण हैं और यह कब से बन्द पड़ा है;

(ख) इस कारखाने में पहले कितने श्रमिक कार्य कर रहे थे और इस समय कितने कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस कारखाने को अर्थक्षम बनाकर पुनः चालू करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(घ) इस कारखाने के कब तक पुनः चालू होने की संभावना है;

(ङ) क्या श्रमिक उन्हें वेतन न दिये जाने के बावजूद भी ड्यूटी पर नियमित रूप से आते हैं; और

(च) उन्हें कब से वेतन नहीं दिया गया है तथा क्या उन्हें वेतन का भुगतान किये जाने की कोई योजना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखाने में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और यह इस एकक होने के कारण

जुलाई, 1987 में बन्द कर दिया गया था । यह कारखाना मार्च, 1988 से जून, 1988 में ईंटों (क्लिंकरों) के पुराने स्टाक की ग्राईंडिंग के लिए आंशिक रूप से चालू रहा । तब से यह बन्द पड़ा है ।

(ख) से (च) इस कारखाने में लगभग 3,500 श्रमिक काम कर रहे थे । एकक के पुनरुज्जीवन/पुनर्स्थापना का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है ।

पुनरुज्जीवन/पुनर्स्थापना संबंधी प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिकों को बकाया वेतन का भुगतान करना शामिल है ।

ओइन्टरिंग किट्स के क्रयादेश प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान केबल्स लि० द्वारा उत्पादक-संघ (कार्टेल) का गठन

[अनुवाद]

244. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने आरोप लगाया है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने "ओइन्टरिंग किट्स" के भारी क्रयादेश प्राप्त करने हेतु 6 अन्य कम्पनियों के साथ एक उत्पादक-संघ (कार्टेल) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम० टी० एन० एल०) ने आरोप लगाया है कि उनकी जाइन्टिंग किट्स की आवश्यकता पूरी करने के लिए मांगे गए टेन्डर के विरुद्ध आपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने उत्पादक संघ (कार्टेल) दृष्टिकोण अपनाया है ।

(ग) प्रथम दृष्टि में, उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह परिणाम नहीं निकलता कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने कोई उत्पादक संघ गठित किया है ।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के एकक

245. श्री हाराधन राय :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में आठवीं योजना के अंग के तौर पर पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों में क्या प्रमुख विकास कार्य शुरू किए जाने हैं;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के नये एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

246. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों को अपना कार्यक्रम विस्तृत करने तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) लघु, अत्यन्त छोटे और ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु 6 8 1991 को संसद में नीति संबंधी उपाय रखे गए थे जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सहित सारे देश में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों सहित लघु एककों को और ज्यादा स्थायित्व तथा विकास प्रोत्साहन देना है।

बिहार में बन्द पड़े उद्योग

[हिन्दी]

247. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में बन्द पड़े बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) इन उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 1990 के अन्त में बिहार राज्य में लघु क्षेत्र में 5007 एकक तथा गैर-लघु क्षेत्र में 40 एकक रुग्ण थे। इन रुग्ण एककों पर बकाया बैंक ऋण क्रमश: 56.42 करोड़ रुपए तथा 97.22 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक से मिले नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 1990 के अन्त में 23 गैर-लघु रुग्ण उद्योग/कमजोर औद्योगिक एकक बन्द थे।

(ग) सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने के लिए किये गये कुछ उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य

रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन.स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुन: स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुन स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपए तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/- रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की रुग्णता

[अनुवाद]

248. श्री सुधीर गिरि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रुग्णता के कगार पर है;

(ख) क्या विद्युत उपकरणों का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ग) उन उपकरणों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आर्डर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वदेशी उपकरणों की आपूर्ति के लिए आर्डर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ही मिले ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) इस समय भेल की कार्यादेश स्थिति अच्छी नहीं है। चालू वर्ष के लिए 3200 करोड़ रुपये के बजटीय कारोबार की तुलना में, इसे 1992-93 में निष्पादित किए जाने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त हुए हैं। कार्यादेश की इस स्थिति से इसकी लाभप्रदता तथा क्षमता उपयोगिता प्रभावित होने की संभावना है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद

249. श्री पीयूष तीरकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौला अली, हैदराबाद के निकट परमाणु ईंधन परिसर का तीन चरणों में विस्तार के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लोगों को उच्चस्तर के विकिरण और गम्भीर स्वास्थ्य के खतरों का सामना करना पड़ेगा;

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी मंजूरी ले ली गई है;

(घ) क्या संयंत्र को अन्यत्र ले जाने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (मौला अली के नजदीक) हैदराबाद का विस्तार नई जर्कोनाय संविरचन परियोजना, नई यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन परियोजना और नई यूरेनियम ईंधन समुच्चय परियोजना नामक तीन परियोजनाएं लगाकर चरणबद्ध रूप से करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन के लिए तैयार किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। सम्मिश्र के प्रस्तावित विस्तार से लोगों पर अधिक मात्रा में विकिरण का

प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन परियोजनाओं में बेहतर डिजाइन मशीनों द्वारा हस्तन और बेहतर संवातन की सुविधा द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमेय सीमाओं से काफी कम होगी।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हैदराबाद में लगाई जाने वाली सभी तीनों परियोजनाओं के लिए अनुमति दे दी है। यद्यपि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने हैदराबाद में लगाई जाने वाली दो परियोजनाओं नामत: नई जर्कोलाय संविरचन परियोजना और नई यूरेनियम आक्साइड ईंधन परियोजना लगाने के लिए अनुमति पहले ही दे दी है। आशा है कि नई यूरेनियम ईंधन समुच्चय परियोजना के लिए अनुमति शीघ्र मिल जाएगी।

(घ) तथा (ङ) प्रदूषण की समस्याओं से बचने के लिए इन नई परियोजनाओं को हैदराबाद शहर से दूर स्थापित करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए थे। उन सुझावों पर विचार किया गया है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी आधार पर इन परियोजनाओं के स्थान को बदलना आवश्यक नहीं है क्योंकि संयंत्रों के डिजाइन में सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

खाद्यान्नों का सरकार द्वारा व्यापार

250. डॉ० चोक्का राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गेहूं तथा चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में भी खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य असामान्य रूप से ऊंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विचौलियों को समाप्त करके सरकार द्वारा खाद्यान्नों का व्यापार शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) खाद्यान्नों के मूल्य सामान्यतया उचित स्तरों पर हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए विभिन्न केन्द्रों के 29-1-92, 5-2-92 और 12-2-92 को खाद्यान्नों, विशेषकर चावल, गेहूं चना और अरहर के खुदरा मूल्यों के विवरण से स्पष्ट हो जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

चुने हुए केन्द्रों पर खाद्यान्नों के मूल्य

वस्तुएं/केन्द्र	29-1-92	5-2-92	12-2-92
1	2	3	4
चावल			
अमृतसर	4.80	सू. न.	4.75

1	2	3	4
लुधियाना	5.25	सू. न.	5.50
करनाल	5.50	5.50	5.80
भुवनेश्वर	5.00	4.80	4.80
कटक	4.60	4.70	4.70
हैदराबाद	5.60	5.80	6.00
विजयवाड़ा	5.40	5.20	5.20
मद्रास	6.20	6.20	6.20
मदुरई	6.00	6.00	5.90
गेहूं			
हिसार	4.40	4.50	3.80
करनाल	4.00	सू.न.	4.50
अमृतसर	4.25	सू.न.	4.00
लुधियाना	4.40	4.30	4.40
कानपुर	5.00	4.90	5.10
लखनऊ	5.25	5.30	4.90
जयपुर	5.00	5.00	5.15
पटना	5.50	5.25	5.25
हैदराबाद	6.00	[illegible]	5.00
चना			
हिसार	9.[illegible]0	8.[illegible]0	8.50
लुधियाना	9.50	9.00	9.50
कानपुर	7.50	7.70	8.30
अहमदाबाद	9.00	9.50	9.50
राजकोट	9.25	8.75	8.75
नागपुर	9.00	8.75	9.00
जयपुर	8.40	8.[illegible]0	8.30

1	2	3	4
जोधपुर	8.50	8.00	8.00
तुर (अरहर)			
हिसार	16.00	18.00	14.00
लुधियाना	16.00	16.00	16.00
कानपुर	14.00	13.50	13.50
लखनऊ	14.00	14.00	14.00
राजकोट	17.25	16.75	17.00
नागपुर	15.00	14.50	14.40
जयपुर	17.00	17.00	17.00
पटना	16.00	16.00	16.00
कटक	16.00	16.00	16.00
हैदराबाद	14.50	14.50	14.50
मद्रास	18.00	18.00	18.00

सू. न.—सूचना नहीं।

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

कीटनाशकों के मूल्य में वृद्धि

251. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कीटनाशकों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न कीटनाशकों के मद-वार खुदरा मूल्य कितने-कितने थे;

(ग) मूल्य किस तरह से नियन्त्रित किए जाते हैं;

(घ) कीटनाशकों की गुणवत्ता पर नियंत्रण किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है;

(ङ) क्या कीटनाशकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण मांग में कमी होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(च) कीटनाशकों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) और (च) पेस्टिसाइडो, कीटनाशियों और अपतृणनाशियों की कीमतें सरकार द्वारा ना तो निर्धारित की जाती है और न मानीटर की जाती है ।

(च) कीटनाशी अधिनियम 1968 और उसके अधीन बने नियमों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विशिष्टियों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की प्रणाली की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए राज्यों ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए प्रमुख कार्मिकों जैसे इन्सेक्टिसाइड्स इन्स्पेक्टर, विश्लेषकों, लाइसेंस अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों आदि को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को और कीटनाशियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य के प्रयासों में तेजी लाने के लिए अधिसूचित किया है। क्षेत्रीय सम्मेलनों में गुणवत्ता नियन्त्रण प्रबन्धों की आवधिक समीक्षा की जाती है। घटिया कीटनाशियों के विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को सभी संभव कदम उठाने की सलाह दी गई है ।

(छ) पेस्टिसाइडों की मांग में कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति विहीन कार्यालय

[हिन्दी]

252. श्री विनय कटियार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद डिवीजन, उत्तर प्रदेश में इस मन्त्रालय और संबंधित सरकारी उपक्रमों के उन कार्यालयों के क्या नाम हैं जिनमें वर्ग ग के कर्मचारियों के अलावा अन्यकर्मचारियों की संख्या 25 अथवा उससे अधिक है;

(ख) इनमें से किन-किन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है ;

(ग) इनमें से कितने कार्यालयों में 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अपना 50 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं;

(घ) क्या इन सभी कार्यालयों में सरकार के निदेशानुसार अधिकांश कार्य हिन्दी में करने को सुनिश्चित करने के कोई प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ङ) यह व्यवस्था किस हद तक सफल रही है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) फैजाबाद डिवीजन में इस मंत्रालय के अधीन किसी भी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी कार्यालय/शाखा में ग्रुप "ब" कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों की संख्या 25 या इससे अधिक नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में नये उद्योग

[अनुवाद]

253. श्रीमती मोहिला एच० कोशीवाला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कितने उद्योग पंजीकृत किए गए हैं; और

(ख) उनमें से कितने अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा अथवा गुजरात के किन्हीं अन्य जिलों में पंजीकृत किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के अधीन उद्योगों के पंजीकरण की योजनाएं समाप्त कर दी गई है। 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति से लेकर 31 जनवरी, 1992 तक गुजरात राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति कार्यालय में 349 औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 29 एकक अहमदाबाद जिले के 34 एकक सूरत जिले के 37 एकक बड़ोदरा और 249 एकक अन्य जिलों के लिए हैं।

कोयले की मांग

254. श्री विजय एन० पाटील :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सन् 2000 ई० तक कोयले की कुल कितनी मांग हो जाएगी;

(ख) विद्युत क्षेत्र को उक्त अवधि के दौरान कितने कोयले की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या सरकार ने अपनी मांग पूरी करने के लिए और अधिक कोयले के उत्पादन हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, ऐसी इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। 2000 ई० तक विद्युत क्षेत्र द्वारा अपेक्षित कोयले की कुल मात्रा तथा देश की कोयले की कुल आवश्यकता का अनुमान केवल आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किए जाने के बाद ही लगाया जा सकता है। किन्तु योजना आयोग द्वारा हाल ही में वर्ष 1996-97 तक देश की कच्चे कोयले की कुल मांग का मूल्यांकन 309.20 मि० टन किया गया है जिसमें विद्युत क्षेत्र की कच्चे कोयले की 175.30 मि० टन अनुमानित मांग शामिल है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 तक इस प्रक्षिप्त मांग को पूरा किए जाने के लिए कोयले के उत्पादन के संबंध में योजनाएं निष्पादित/क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1996-97 में देश में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 306.00 मि० टन की योजना आयोग द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण किया गया है जिसका ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

कंपनी	ग्रुप	उत्पादन (मि० टन)
कोल इंडिया लि०	विद्यमान खान	121.03
	चालू परियोजनाएं	121.13
	नई परियोजनाएं	25.84
	जोड़ को०इं०लि०	268.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	विद्यमान खान	12,32
	चालू परियोजनाएं	15.93
	नई परियोजनाएं	4.75
	जोड़ सिं०को०कं०लि०	33.00
अन्य (टिस्को/इस्को/ वा०पा०नि०	ग्रहीत खानें	5.00
	महा जोड़	306.00

इस संबंध में मांग और उत्पादन में अन्तराल को पिट-हैड स्टाक से कोयले की निकासी द्वारा और इस्पात संयंत्रों के लिए मिश्रण के प्रयोजन से कोककर कोयले का आयात करके पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

255. श्री टी० के० अंजलोज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत, बत तीन वर्षों के दौरान, पिछली नीति तथा इस समय संशोधित दोनों ही नीतियों के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और इस दिशा में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य की सरकार को 1988-89 और 1989-90 में कोई राशि रिलीज नहीं की गई थी। तथापि, पहले वर्षों में रिलीज की गई राशि में से राज्य सरकार ने 1988-89 में 4.25 लाख रुपए और 1989-90 में 0.15 लाख रुपए का खर्च किए जाने की सूचना दी थी। 1988-89 में 771 और 1989-90 में 73 स्वच्छ शौचालय बनाए गए थे। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की संशोधित मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत 1990-91 के लिए मार्च, 1991 में 25 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। राज्य सरकार ने अभी तक भौतिक और वित्तीय प्रगति की कोई सूचना नहीं दी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का औद्योगिक विकास

256. डा० जयन्त रंगपी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषतः औद्योगिक रूप से पिछड़े इसके क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित कर दिया गया है और पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "क" में शामिल कर लिया गया है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तरी राज्यों के कुछ पर्वतीय जिलों के लिए एक परिवहन राज सहायता योजना चला रही है, जिसके अन्तर्गत चुनिंदा स्थानों से औद्योगिक एककों तक कच्चे माल एवं तैयार माल के परिवहन के वास्ते 50%-90% के बीच राजसहायता दी जाती है।

इसके अलावा, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, विकास केन्द्र योजना, जिस पर इस समय कार्यवाही की जा रही है, के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्यों को एक-एक विकास केन्द्र आबंटित कर दिया गया है। असम को 3 विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास दर

257. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के लिए सकल घरेलू उत्पाद हेतु अनुमानित और पूर्वघोषित विकास दर कितनी है;

(ख) यदि इसमें कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए सकल घरेलू उत्पाद को छः प्रतिशत प्रतिपादित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) आठवीं योजना अर्थात 1991-92 के आधार वर्ष में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) की विकास दर 4 प्रतिशत अनुमानित की है। इस स्थिति में वर्ष 1991-92 में प्राप्त हुई सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं योजना के निर्देशात्मक पत्र में जरूरत संसाधन आधार तथा अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1992—97 के दौरान 5.6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक औसत विकास दर का अनुमान लगाया गया है। साल दर साल अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे के लोग

258. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की, राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना-अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 12 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की जनसंख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के जीवन-स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन पर आयोजना में मुख्य जोर दिया गया है। इन योजनाओं में आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विकास के लिए निवेश/परिव्यय तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे सीधे रोजगार पैदा करने वाले तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी शामिल है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्षेत्र विकास योजनाओं तथा विशेष कार्यक्रम/योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दिशात्मक पत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि उपयुक्त भूमि सुधार तथा आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के जरिए चुनींदा गांवों में स्थानीय क्षेत्र विकास के एकीकृत कार्यक्रम के प्रोत्साहन का सुझाव दिया गया है। दिशात्मक पत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए रोजगार में प्रतिवर्ष 2.6% की दर से संवृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या-राज्यवार 1987-88

(अनन्तिम)

क्र० सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	195.70
2.	असम	52.89

1	2	3
3.	बिहार	336.54
4.	गुजरात	73.25
5.	हरियाणा	18.15
6.	हिमाचल प्रदेश	4.52
7.	जम्मू व कश्मीर	9.79
8.	कर्नाटक	136.46
9.	केरल	48.98
10.	मध्य प्रदेश	224.97
11.	महाराष्ट्र	214.10
12.	उड़ीसा	135.12
13.	पंजाब	13.88
14.	राजस्थान	99.54
15.	तमिलनाडु	176.85
16.	उत्तर प्रदेश	448.34
17.	पश्चिम बंगाल	173.45
18.	छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	14.2
19.	अखिल भारत	2376.7

आभूषण उद्योग

[हिन्दी]

259. श्री गोविंदराव निकाम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आभूषण उद्योग संकटपूर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार भारतीय आभूषणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ)-स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों और चालू आयात-निर्यात नीति के अध्याय-21 में दी गयी वस्तुओं के निर्यात के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। ऐसी योजनाओं के तहत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० (एच० एच० ई० सी०) और भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम० एम० टी० सी०) के माध्यम से निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर स्वर्ण की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ता: 11 दिसम्बर, 1991 को सार्वजनिक सूचना सं० 257-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 के अनुसार निर्यातकों द्वारा सीधे ही स्वर्ण का आयात करने की योजना भी हाल में अधिसूचित की है।

भुवनेश्वर स्थित तूफान चेतावनी केन्द्र

[अनुवाद]

260. श्री अनादि चरण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्थित तूफान चेतावनी केन्द्र की सफलता-दर कितनी है;

(ख) क्या चौबीस घंटे निगरानी रखने की व्यवस्था आरम्भ करके उसका पालन किया गया था; और

(ग) सभी क्षेत्रों में सेवा सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले पांच वर्षों में सभी अवसरों पर भुवनेश्वर स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी केन्द्र ने उड़ीसा तट को चक्रवात चेतावनी देने के मामले में समय पर सावधानी और चेतावनी संकेत सफलतापूर्वक दिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भुवनेश्वर में एक चक्रवात चेतावनी केन्द्र 1973 से निदेशक ओहदे के एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रहा है।

भुवनेश्वर स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें मौसम और वायु सूचक राडार, उपग्रह प्रतिबिम्ब अभिग्रहण उपस्कर और पर्याप्त दूर संचार सम्पर्क सम्मिलित हैं। शुरू में चेतावनी देने के लिए तट के समीप पारादीप पत्तन क्षेत्र में एक अधिक शक्तिशाली चक्रवात ससूचन राडार कार्य करता है।

1992 के दौरान उड़ीसा तट के साथ साथ उपग्रह आधारित 15 आपदा चेतावनी सेटों को स्थापित करने की योजना है।

फालतू भूमि पर भूमिहीन निर्धनों को वास्तविक रूप से कब्जा दिलाना

261. श्री प्रबोध डेका :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश मामलों में निर्धन भूमिहीनों को फालतू भूमि का आवंटन केवल कागजों में हुआ है और वास्तव में भूमिहीन निर्धनों को कोई भूमि नहीं दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो भूमिहीन निर्धनों को फालतू भूमि का वास्तविक मालिक बनाये जाने के लिए क्या कदम उठाये गये है;

(ग) क्या कुछ भूमिहीन निर्धनों को भूमि आवंटित की गयी है, किन्तु उन्हें अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें पट्टे कब तक जारी कर देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, उन्हें आवंटित की गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि से निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा बेदखल किया गया है।

(ख) राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि ऐसी अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को कब्जावापिस दिलाया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उन्हें पर्याप्त कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि भविष्य में उन्हें आवंटित भूमि से बेदखल न किया जाए।

(ग) व (घ) आमतौर पर ऐसी स्थिति नहीं आती। तथापि, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आवंटिती को भूमि का कब्जा देने के साथ ही साथ पट्टा भी जारी किया जाए और अधिकारों के रिकार्ड में नामांतरण किया जाए।

दिल्ली में मेट्रो रेलवे

[हिन्दी]

262. श्री जी० एल० शर्मा "प्रेम" :

श्री फूल चंद वर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मैट्रो रेल सेवा शुरू करने का; है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को चालू वर्ष में लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली में जन-द्रुतगामी परिवहन प्रणाली को लागू करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने मैसर्ज राईट्स को यह काम सौंपा है। इस अध्ययन में 1989 के कीमत स्तर पर 5378 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 27 किलोमीटर की दूरी के लिए भूमिगत मैट्रो कोरिडोरों सहित कुल 184.5 किलोमीटर की दूरी के लिए बहु-मोडल जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई है।

इस रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया है और कई परिचर्चायें की गई है। इस महत्व की परियोजना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, अवस्थिति सर्वेक्षण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है। लागू करने की तारीख पर निर्णय लेना असामयिक है।

मास रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, मद्रास का महाबलिपुरम तक विस्तार

[अनुवाद]

264. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मास रेलवे ट्रांजिट सिस्टम का महाबलिपुरम तक विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गया में वनस्पति तेल की मिलें

[हिन्दी]

265. श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वनस्पति तेल की एक मिल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में आई० डी० पी० एल० की शाखाओं की स्थापना

266. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी आयोग रिपोर्ट में पिछड़े क्षेत्रों में आई० डी० पी० एल० की शाखाएं खोलने की सिफारिश की गई थी; और

(ख) राज्यवार उन पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर हरियाणा स्थित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर उक्त सिफारिश को लागू किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) औषध एवं भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति, जो सामान्यतया हाथी समिति के नाम से जानी जाती है, ने अप्रैल, 1975 में सिफारिश की थी कि समिति की सिफारिश में शामिल उत्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विस्तार करने और नई क्षमताएं अधिष्ठापित करते समय सरकारी क्षेत्र को इसकी बात पर उचित ध्यान देना चाहिए कि प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए नये एककों के स्थापना स्थलों के चयन में आर्थिक कारणों पर ध्यान दिया गया है। समिति ने यह भी महसूस किया कि देश की विज्ञानता और उद्योग के महत्व को विचारते हुए औषध उद्योग को संतुलित रूप से स्थापित करना आवश्यक है। यद्यपि समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रमुख नगरों और शहरों के निकट उद्योगों के जमघट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए लेकिन राज्यों को चाहिए कि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करने के लिए उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दें। समिति की सिफारिशें औषध उद्योग के लिए और सामान्यतया सरकारी क्षेत्र के लिए थी।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फरमास्युटिकल्स लि० ने हाथी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद पिछड़े क्षेत्रों में दो विनिर्माण एकक स्थापित किए थे। ये हैं (1) मुजफ्फरपुर (बिहार) में निजासिनामाइड संयंत्र और (2) ढूंढाहेड़ा, गुड़गांव (हरियाणा) में सूत्रयोग संयंत्र।

अलीगढ़ में वनस्पति तेल मिल की स्थापना

267. श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक वनस्पति तेल मिल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान को चुना गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खाद्य तेलों के निर्यात हेतु अनुमति मांगना

[अनुवाद]

269. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्च, 1992 तक 15000 टन खाद्य तेलों के आयात हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 8000 मी० टन खाद्य तेल का सीधा आयात करने की अनुमति दी गई है।

औषध उत्पादन लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु सांविधिक प्राधिकरण

270. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उत्पादन लाइसेंस स्वीकृत करने तथा (जी एम पी) अच्छे उत्पादन की परिपाटी जैसे मानदंडों सहित लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सांविधिक प्राधिकरण का क्या नाम है;

(ख) क्या सांविधिक प्राधिकरण के निर्णय को कोई सरकारी विभाग रद्द अथवा उसकी उपेक्षा कर सकता है;

(ग) लाइसेंस देने की शर्तों विशेषकर जी एम पी मानदंडों पर निगरानी रखने की सांविधिक शक्तियों को औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 21 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक को सौंपी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भेषजों के विनिर्माण के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस देने की शक्ति उद्योग मंत्रालय में निहित है। इसके अतिरिक्त औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अधीन नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, राज्य केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रक औषध विनिर्माण के लिए

लाइसेंस देने और लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, जिनमें निर्माण की अच्छी पद्धतियां भी शामिल हैं, के लिए कानूनी प्राधिकारी है।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 84-क के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में मेट्रो रेल का विस्तार

271. श्री चित्त बसु :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में मेट्रो रेल का टालीगंज से गड़िया और साल्ट लेक से हावड़ा तक विस्तार करने के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने टॉलीगंज से गड़िया तक मैट्रो रेल के विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। इस पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि उपरोक्त परियोजना के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन करने की आवश्यकता है तथा परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के तरीके का आंकलन किए जाने की आवश्यकता है। अत: इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार को वापस भेजा गया था। मौजूदा व्यवहार्यता अध्ययन को अद्यतन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लि० को यह कार्य सौंपा है। इस समय साल्ट लेक से हावड़ा तक मैट्रो प्रणाली की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रूस से औषधों का आयात

272. डा० राजागोपालम श्रीधरन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल से आयात की जा रही औषधों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : अलग-अलग देशों से औषधों के आयात को इस विभाग द्वारा मॉनीटर नहीं किया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

274. श्री साईमन मरान्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, कोयला और रसोई गैस आदि जैसी आम उपभोक्ता

वस्तुओं के मूल्यों में जनवरी, 1991 से अब तक अनेक बार वृद्धि की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यों में अनेक बार वृद्धि करने के बाद भी जनवरी, 1991 से अब तक इन वस्तुओं के मूल्यों में किये गये परिवर्तनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में ऐसी वृद्धि करने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस वृद्धि के माध्यम से राज्यवार हुई घाटा पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और किन-किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है और उन पर महीनेवार/मदवार अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा खर्च किए जाने की संभावना है और सरकार का विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में खाद्यान्न आयात करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क)

वस्तु	इकाई	संशोधन की तारीख	मूल्य (रु० में)
1. चावल			
(क) कामन	क्विंटल	28-12-91	377.00
(ख) फाइन			437.00
(ग) सुपर फाइन			458.00
2. गेहूं	क्विंटल	28-12-91	280.00
3. चीनी	कि०ग्रा०	24-7-91	6.10
		21-1-92	6.90
4. आयातित खाद्य तेल	मी० टन		
(क) थोक		26-1-91	16,500.00
		4-1-92	22,000.00
(ख) 15 कि०ग्रा०		26-1-91	19,000.00
		4-1-92	25,000.00
5. कोयला (औसत खदान मूल्य)			
सी० आई० एल०	मी० टन	28-12-91	322.00
एस० सी० एफ० एल०	मी० टन	28-12-91	388.00
6. रसोई गैस	विवरण संलग्न है		

(ख) और (ग) निर्गम मूल्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वे सारे देश में एक समान होते हैं। लेकिन उपभोक्ता खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जाते हैं और ये भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग होते हैं। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में

वृद्धि आंशिक रूप से इन मदों के समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धि को समाहित करने तथा खाद्यान्न के लिए बजट में दी जाने वाली राज सहायता को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। फिर भी केन्द्रीय निर्गम मूल्य प्रचलित बाजार दरों से काफी कम हैं।

(घ) एक विवरण II संलग्न है, जिसमें अक्तूबर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) तथा चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल—अक्तूबर, 91) में आयात की गई वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य दर्शाया गया है। विदेशी मुद्रा का अंश, अलग-अलग वस्तुओं, निर्यातक देश तथा अन्य बातों पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होता है। सरकार आवश्यक वस्तुओं के आयात की आवश्यकता के मामले में समग्रतः दृष्टिकोण अपनाती है और आवश्यकता पूरी करने के लिए समय-समय पर व्यवस्था करती है।

विवरण-I

रसोई गैस (घरेलू) के मूल्य दर्शाने वाला विवरण

रु० प्रति 14.2 कि० ग्रा० का सिलेंडर

क्र० सं०	राज्य	स्थान	25-7-91 से पूर्व	25-7-91 को	1-1-92 को
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	66.35	77.55	78.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	54.30	64.50	64.50
3.	असम	गुवाहाटी	56.25	66.85	67.15
4.	बिहार	पटना	60.20	71.10	71.85
5.	गोवा	पणजी	69.15	70.70	70.70
6.	गुजरात	अहमदाबाद	63.45	73.15	76.45
7.	हरियाणा	चंडीगढ़	64.75	74.20	74.20
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	56.10	66.85	66,85
9.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	56.45	67.10	67.10
10.	कर्नाटक	बंगलौर	64.05	75.80	76.00
11.	केरल	त्रिवेंद्रम	64.45	76.10	80.15
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	66.05	77.40	77.40
13.	महाराष्ट्र	बम्बई	56.15	66.35	66.60
14.	मणिपुर	इम्फाल	68.10	69.00	69.00

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	शिलांग	58.20	69.10	71.05
16.	मिजोरम	आइजोल	54.40	64.60	64.60
17.	नागालैंड	कोहिमा	57.55	68.85	68.85
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	64.95	76 20	77.20
19.	पंजाब	चंडीगढ़	64.75	74.20	74.20
20.	राजस्थान	जयपुर	61.10	71.85	71.85
21.	सिक्किम	गंगटोक	57.05	67.70	67.70
22.	तमिलनाडु	मद्रास	57.45	68.15	71 05
23.	त्रिपुरा	अगरतला	60.95	72.35	72.35
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	61.30	72.05	72.05
25.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	63.20	74.45	77.20
	संघ राज्य क्षेत्र	स्थान			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	57.95	68.35	68.35
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	64.75	74.20	74.20
3.	दिल्ली	दिल्ली	57.60	67.90	67.90
4.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	60.25	70.95	70.95

उपर्युक्त सूचना भारतीय तेल निगम से प्राप्त हुई है। मूल्यों का निकटतम 5 पैसे पर नियत किया गया है।

विवरण-II

भारत का मुख्य वस्तुओं का आयात

अनन्तिम आंकड़े	मूल्य लाख रु० में		अक्तूबर, 91	अप्रैल, 91	अक्तूबर, 91
वस्तु	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
चावल	टन	29	3.55	9308	765.71
अन्य अनाज	टन	114	1.23	634	9.63
अनाज से बनी सामग्री	टन	12069	1752.95	77874	7775.10
दूध और मलाई	टन			766	310.93
काजू	टन	2773	673.66	45931	10642.43
फल और गिरी			1027.43		4667.77
चीनी	टन			650	18.79
ऊन, कच्चा	टन	1957	1595.00	15742	10414.61
तेल बीज			24.13		215.44

1	2	3	4	5	6
कच्चा रबड़	टन	246	52.81	10940	2056.27
संश्लिष्ट और उद्धारित रबड़	टन	2534	1054.52	19915	7049.04
लुग्दी और रद्दी कागज	टन	37464	3792.86	218703	17091.05
लकड़ी और लकड़ी की सामग्री			3921.98		18512.90
कच्चा रेशम	टन	197	1440.67	1029	6941.46
संश्लिष्ट और उद्धारित रेशे	टन	1273	522.45	8804	3197.58
वनस्पति और पशु चर्बी	टन	17	3.80	268	45.61
दाल	टन	18240	1841.78	189153	15372.73
अपरिष्कृत उर्वरक	टन	292702	6384.24	1553590	26951.66
गंधक व बिना भुने लौह फाइराइट	टन	85833	2995.85	500665	16802.82
अन्य अपरिष्कृत धातु			1969.79		9911.98
धात व अयस्क व धातु खुरचन			4405.13		46683.68
कोयला, कोक और कोयले का गोला	टन	525494	10403.20	3156362	53876.87
अपरिष्कृत पेट्रोलियम और उत्पाद			121426.86		659840.81
वनस्पति तेल (खाद्य)	टन	23615	2866.25	80580	8997 13
कार्बनिक रसायन			15800.91		78413.39

1	2	3	4	5	6
अकार्बनिक रसायन			18152.64		108693.20
रंजन टनिंग रंग सामग्री			1236.16		8916.04
औषधीय और भेषजीय उत्पाद			4979.44		22569.76
विनिर्मित उर्वरक	टन	402172	20926.22	2254745	105914.06
बनावटी रैजिन, प्लास्टिक की सामग्री आदि			11979.01		77907.07
रसायनिक सामग्री और उत्पाद			2329.42		14801.00
अखबारी कागज	टन	13520	2251.42	155430	22822.25
कागज बोर्ड और विनिर्माण	टन	2164	1038.78	22835	8602.17
किताब अखबार जर्नल्स आदि			637.52		6158.60
धागा वस्त्र तैयार सामान			2988.54		21470.85
सीमेंट	टन	70	3.84	627	39.03
मोती कीमती और कीमती पत्थर			58213.01		275256.63
अधात्विक खनिज (बिना मोती)			1493.17		11747.71
मूल इस्पात, इलवां लोहा आधारित मद	टन	39903	3307.56	129802	13155.96

1	2	3	4	5	6
लोहा और इस्पात	टन	91806	14272.21	1174894	113616.70
अलोह धातु			7875.67		41543.72
धातुओं का विनिर्माण			2122.52		19284.44
मशीन के औजार			3163.14		24928.90
यंत्र (बिना-बिजली और कल औजार)			22473.56		199392.31
विद्युतीय यन्त्रादि			10835.87		75285.60
परिवहन के उपकरण			6247.56		55097.16
परियोजना सामग्री			15638.44		175556.12
पेशवर यंत्र, प्रकाश सामान आदि			9588.70		55698.33
अन्य पण्य			12570.20		80928.83
भूल चूक			2573.71		1392.26
कुल योग :			420859.00		2547344.00

उड़ीसा में समेकित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत गांवों को राशन की सप्लाई

275. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या प्रधानमंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा के प्रत्येक जिले में कितने गांवों को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष कितना राशन सप्लाई किया गया था ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान उड़ीसा में समेकित आदिवासी विकास परियोजना में 170575 मी० टन चावल, 43719 मी० टन गेहूं वितरित किया गया है।

विवरण

उड़ीसा में समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत शामिल गांवों की संख्या

जिला	गांवों की संख्या
1. बालासोर	146
2. गंजाम	1332
3. मयूरभंज	4001
4. सुन्दरगढ़	1724
5. क्योंझर	1616
6. सम्बलपुर	510
7. कोरापट	6350
8. फुलबनी	2497
9. कालाहांडी	767

उत्तर प्रदेश में वैस वितरण प्रणाली के लिए आशय पत्र

276. श्री पंकज चौधरी :

श्री राजवीर सिंह :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधानमंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य औद्योगिक विकास निगम से फिरोजाबाद आगरा, बरेली, गाजियाबाद, खुर्जा और नोएडा क्षेत्र में गैस वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागरिक आपूर्ति निगम को घाटा

[अनुवाद]

277. श्री ए० चारलेस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक आपूर्ति निगम को पिछले तीन वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष इस प्रकार कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन घाटों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कोई नागरिक आपूर्ति निगम नहीं है । अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ने नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित किए हैं। इन नागरिक आपूर्ति निगमों को हुए लाभ और हानि से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है ।

अपशिष्ट पदार्थ से आणविक प्रौद्योगिकी

278. श्री विजय कृष्ण हार्डिक :

क्या प्रधानमंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपशिष्ट पदार्थ से आणविक प्रौद्योगिकी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कूड़ा-व्यवस्था तथा अवमल की स्वच्छता की दोहरी सुविधा सभी महानगरों में प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) शहरों में इकट्ठा होने वाले अपशिष्ट पदार्थों/कूड़ा-करकट का नेमी आधार पर निपटान करने के

लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का सरकार का कोई पक्का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने बड़ौदा में एक प्रदर्श संयंत्र स्थापित किया है जिसमें बड़ौदा शहर में नगर निगम को कुल मलजल पंक के आधे भाग को कीटाणुरहित करने की क्षमता है।

(ख) और (ग) महानगरों में और संयंत्र स्थापित करना प्रदर्श संयंत्र के कार्य-निष्पादन, अन्य नगर निगमों की आवश्यकता तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कनिष्ठ अभियंता संघ की मांगे

279. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता संघ (भारत) ने 20 अगस्त, 1991 को एक मांग-पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मांग	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2
1. कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के अनुसार वेतनमान तथा कम से कम 1-1-1986 से उच्चतर वेतनमान लागू करना	जूनियर इंजीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के दो वेतनमान अर्थात 1400—2600 के प्रवेश ग्रेड तथा 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर 1640—2900 के संबंध में भारत सरकार ने 22 मार्च, 1991 को आदेश जारी किए। 5 वर्षों के बाद 1640—2900 रुपये के वेतनमान में रखे जाने के बारे में यह निर्णय 1-1-1986 से प्रभावी है। जूनियर इंजीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के रूप में 15 वर्षों की कुल सेवा पूरी करने के बाद भी जिन जूनियर इंजीनियर/अनुभाग अधिकारी (बागवानी) को रु० 2000—3500 के वेतनमान में सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका। उनको वैयक्तिक आधार पर सहायक इंजीनियर/सहायक

1	2
	निदेशक (बागवानी) का वेतनमान दिया जाएगा। यह वैयक्तिक पदोन्नति 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् 1-1-1991 से प्रभावी होगी। 1-1-1986 से 2000—3500 के ग्रेड में वैयक्तिक पदोन्नति देने की मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं हो सका है।
2. करार के अनुसार अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों के समान काटी गई 37 दिन की मजदूरी का भुगतान तथा उत्पीड़न किए गए मामलों को हटाना।	सरकार ने इस मामले पर पहले विचार किया था तथा इसे माना नहीं जा सका है। तथापि, इस मामले पर सरकार फिर विचार करने का प्रस्ताव करती है।
3. जूनियर इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के संवर्ग में गत्यावरोध को हटाना तथा दूसरे संवर्ग समीक्षा का अनुमोदन।	दूसरे संवर्ग समीक्षा का काम आरंभ हो गया है और इस पर शीघ्र ही सरकारी निर्णय लिए जाने की संभावना है।
4. नियत यात्रा भत्ते की मंजूरी (नियत यात्रा भत्ता)	इस मामले पर शहरी विकास मंत्रालय की विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) में विचार किया गया है तथा विभागीय परिषद में इस पर विचार किया जाना है।
5. नियम 3 (ए) सी ई एस और सी ई ई एस श्रेणी-II भर्ती नियम (अर्थात् सहायक इंजीनियरों की सी ई एस से सीधी भर्ती और सी ई ई एस श्रेणी-II भर्ती नियम) के प्रावधान को समाप्त करना।	सरकार का, जूनियर इंजीनियरों के स्तर सहित इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या के संबंध में विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव है।
6. सहायक इंजीनियरों के सभी रिक्त पदों को भरना अर्थात् परीक्षा कोटा (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से) तथा आरक्षित कोटा।	सहायक इंजीनियरों के रूप में जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने संबंधी मामले को संघ लोक सेवा आयोग के साथ दुबारा उठाया गया है। 105 जूनियर इंजीनियरों (सिविल) और 7 जूनियर इंजीनियर (विद्युत) को सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं।

1	2
7. पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए विभाग का विस्तार।	विभाग के विस्तार पर, समग्र कार्यभार को न कि पदोन्नति अवसरों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।
8. विविध (स्थानीय और अंत: क्षेत्रीय स्थानांतरण के सम्बन्ध में उपयुक्त स्थानांतरण नीति बनाना)	विभाग की एक स्थानांतरण नीति है। स्थानांतरण के मामले में समस्याओं का समाधान करने के लिए एक हार्ड केस कमेटी भी है।

विश्व बैंक की सहायता से बरभंगा, बिहार में जल आपूर्ति योजना

[हिन्दी]

280. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से बरभंगा तथा बिहार के कुछ अन्य भागों में जल आपूर्ति परियोजनाएं अथवा योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ है और किस वर्ष तक ये योजनाएं पूरी हो जायेंगी;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के कार्य में विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

281. श्री राजवीर सिंह :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) वर्ष 1991 के लिए विभिन्न कोयला कम्पनियों के संबंध में कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या मांग पूर्ति हेतु उक्त लक्ष्य पर्याप्त था; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) विभिन्न कोयला कम्पनियों के संबंध में वर्ष 1991-92 के लिए कच्चे कोयले के निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

	(मि० ट० में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	24.50
भारत कोकिंग कोल लि०	28.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	31.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	31.60
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	24.60
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	62.60
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.70
जोड़ : कोल इंडिया लि०	203.00
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	20.50
टिस्को/इस्को/दा० वा० नि० की ग्रहीत खानें	4.50
कुल जोड़	228.00

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के लिए देश में कच्चे कोयले की मांग हाल ही में योजना आयोग द्वारा 235.20 मि० टन मूल्यांकित की गई है। मांग को पूरा करने और उत्पादन के बीच के अन्तराल को पिट-हैड के कोयले के स्टाक से पूरा किए जाने और कोककर कोयले के मामले में इसे इस्पात संयंत्रों के मिश्रण प्रयोजनों से आयात द्वारा पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों को खाद्यान्न का कोटा

282. श्री सत्यनारायण जटिया :
श्री राजेश कुमार :
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री पी० सी० थामस :
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री राम कापसे :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री सोमजीभाई डामोर :
श्रीमती बासवाराजेश्वरी :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जनवरी, 1992 तक राज्यों को खाद्यान्न चीनी और खाद्य तेल का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना कोटा मंजूर किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी-कितनी मात्रा में उक्त खाद्यान्न सप्लाई किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों की मांग के अनुरूप आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 1992 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जुलाई से दिसम्बर तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल का माहवार और राज्यवार आबंटन और उनकी उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन वस्तुओं का जनवरी, 1992 के महीने के लिए आबंटन दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

(ग) और (घ) अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने समय-समय पर कोटे में वृद्धि करने की मांग की है।

(ङ) (च) और (छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, इन वस्तुओं को बाजार में उपलब्धता, मौसमजन्य कारणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को पारस्परिक मांग को ध्यान मे रखते हुए माह-वर-माह आधार पर किया जाता है। अगस्त, -नवम्बर, 1991 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल के आबंटन में खरीफ अनाजों के लिए कमी के मौसम को देखते हुए तदर्थ वृद्धि की थी। अगस्त, 91 से लेवी चीनी के सामान्य कोटे के अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की गई थी। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए खाद्य तेलों की कुछ मात्रा आयात करने की व्यवस्था की थी तथा अक्तूबर, 1991 से ये आबंटन चुक कर दिए गए हैं।

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक गेहूं, चावल, खाद्य तेल और चीनी की राज्यवार आबंटित की गई और उठाई गई मात्रा

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		लेवीचीनी	आयातित खाद्य तेल	
	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	118.0	78.0	1252.0	1150.6	165.6	3.1	3.8
अरुणाचल प्रदेश	4.7	3.2	56.5	38.6	2.1	0.1	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	169.0	152.5	243.8	223.6	63.0	0.6	0.3
बिहार	267.3	262.8	83.0	48.0	219.2	3.0	0.9
गोवा	21 0	18.7	32.0	25.1	3.3	0.9	0.3
गुजरात	389.3	351.5	180.0	168.2	106.1	3.1	4 0
हरियाणा	117.0	80.1	22.0	13.4	41.8	1·2	0.0
हिमाचल प्रदेश	59.0	54.9	41.6	39.1	13.2	1.0	0.6
जम्मू तथा कश्मीर	118.0	73.0	249.0	145.9	18.5	1.4	0.5
कर्नाटक	236.0	229.7	317.0	314.7	116.4	2.7	2.8
केरल	177.0	176.2	905.0	924.7	78.3	3.0	3.0
मध्य प्रदेश	191.5	192.3	184.0	146.2	164.0	2.4	0.0
महाराष्ट्र	710.0	715.9	300.0	299.3	196.1	4.1	3.9
मणिपुर	17.7	18.4	58.5	34.1	4.5	0.4	0.0
मेघालय	16.3	16.2	78.0	58.6	4.3	0.6	0.2
मिजोरम	8.4	7.8	58.5	43.0	1.7	0.8	0.2
नागालैंड	36.9	40.7	75.5]	69.3	7.8	0.4	0.3
उड़ीसा	147.5	134.1	221.0	152.2	81.2	2.0	2.1
पंजाब	87.5	51.2	11.0	3.4	52.0	1.4	0.2
राजस्थान	432.5	406.5	23.0	14.1	110.8	1.4	0.4
सिक्किम	3.5	2.0	31.0	20.0	1.1	0.3	0.0
तमिलनाडु	177.0	120.7	490.0	502.0	147.7	3.0	1.0
त्रिपुरा	14.8	10.8	99.1	77.7	6.6	0.4	0.0
उत्तर प्रदेश	319.0	348.9	208.0	205.8	346.7	3.0	0.6
पश्चिम बंगाल	531.0	438.0	464.0	383.3	169.6	3.0	2.9
अंडमान व निकोबार	4.2	6.8	9.0	12.7	1.6	0.2	0.1
चंडीगढ़	10.6	9.3	8.9	2.5	2.4	0.2	0.1
दादरा व नगर हवेली	1.2	0.0	5.0	0.2	0.3	0.2	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन व द्वीव	0.9	0.1	5.0	0.5	0.3	0.2	0.2
दिल्ली	424.8	369.1	148.0	90.4	56.8	3.1	1.4
लक्षद्वीप	0.2	0 0	6 3	2.3	0.5	0.1	0.0
पांडिचेरी	4.4	0.0	16.0	1.3	2.6	0.6	0.5

नोट : अनुमानतः चीनी की शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है ।

विवरण-II

जनवरी, 1992 के महीने के लिए चावल, गेहूं आयातित खाद्य तेल और लेवी चीनी का राज्यवार आबंटन

(हजार मी०टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18.0	170.0	26.5	1.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.72	8.0	0.3	0.1
3.	असम	25.0	35.3	10.1	0.2
4.	बिहार	42.3	15.0	35.1	1.5
5.	गोवा	3.15	4.5	0.5	0.3
6.	गुजरात	60.3	28.0	17.0	1.5
7.	हरियाणा	27.0	3.0	6.7	0.6
8.	हिमाचल प्रदेश	9.0	6.5	2.1	0.5
9.	जम्मू तथा कश्मीर	18.0	35.0	3.0	0.5
10.	कर्नाटक	36.0	45.0	18.7	1.2
11.	केरल	27.0	150.0	12.6	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	3[illegible]	23.0	26.3	1.2
13.	महाराष्ट्र	138.0	65.0	31.4	4.0

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	2.7	7.0	0.7	0.2
15.	मेघालय	2.25	10.0	0.7	0.2
16.	मिजोरम	1.25	6.0	0.3	0.2
17.	नागालैंड	6.0	9.25	0.4	0.2
18.	उड़ीसा	22.5	25.0	13.0	1.0
19.	पंजाब	22.5	1.5	8.3	0.7
20.	राजस्थान	72.5	3.0	17.8	0.7
21.	सिक्किम	0.54	4.5	0 2	0.2
22.	तमिलनाडु	27.0	81.0	23.7	शून्य
23.	त्रिपुरा	2.25	16.85	1.1	0.2
24.	उत्तर प्रदेश	54.0	28.0	55.6	1.5
25.	पश्चिम बंगाल	81.0	69.0	27.2	1.5
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.1	4.5	0.3	0.1
27.	चंडीगढ़	1.6	0.5	0.4	0.1
28.	दादरा व नगर हवेली	0.18	0.5	0.1	0.1
29.	दमन व द्वीप	0.13	0.5	शून्य	0.1
30.	दिल्ली	64.8	20.0	9.2	1.5
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	0.1	0.1
32.	पांडिचेरी	0.67	2.0	0.4	0.3

दिल्ली में जाली राशन कार्डों का पता लगाने संबंधी जांच

[अनुवाद]

283. **श्रीमती मारगयम चन्द्रशेखर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए अब तक कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं; और

(घ) सरकार प्रतिवर्ष जाली राशन कार्डों पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च करती है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा बढ़ाई हुई चीनी यूनिटों/अनाज यूनिटों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण तथा अकस्मात दौरे किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा बढ़ी हुई यूनिटों को समाप्त करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। मई-जून, 1991 में एक विशेष अभियान के दौरान चीनी की लगभग 5.5 लाख यूनिटें समाप्त कर दी गई थीं। दिल्ली में जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

हल्दिया और दुर्गापुर उर्वरक एककों को बन्द करना

284. श्री अन्नारासु इरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के स्वामित्व वाले हल्दिया और दुर्गापुर एककों को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन संयंत्रों को अंशतः अथवा पूर्णतः बन्द करने की स्थिति में छंटनी के स्थान पर "गोल्डन हैंड शेक" की नीति लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इन एककों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मारुति उद्योग लिमिटेड का गैर सरकारीकरण

285. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री बलराज पासी :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

कुमारी उमा भारती :

श्री रूप चन्द पाल :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड की मूल जापानी कम्पनी, सुजुकी की भागीदारी को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर इसका गैर-सरकारीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के प्रबन्धन बोर्ड में किये गये अन्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी का गैर सरकारीकरण करने के क्या करण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लि० में मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन की विदेशी इक्विटी सहभागिता को 40% से बढ़ाकर 50% करने के एक प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ताकि कम्पनी की विस्तार परियोजनाओं के लिए धन जुटाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाया जा सके। कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश के रुग्ण सरकारी उपक्रम

286. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की रुग्ण सरकारी इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का उन रुग्ण सरकारी इकाइयों को बन्द करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन इकाइयों में कितनी धनराशि का निवेश है;

(घ) उन इकाइयों में घाटे की शुरूआत किस वर्ष से हुई; और

(ङ) उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में हैं, उनमें मैसर्स नेशनल टेक्सटाइल कॉरपो० (म० प्र०) लि० को काफी समय से रुग्ण सरकारी उद्यम के रूप मे निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमानतः ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 31.3.1990, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, तक की स्थिति के अनुसार सरकारी उद्यमों में 198.87 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था।

(घ) ये उद्यम वर्ष 1983-84 से घाटा उठाते रहे हैं।

(ङ) चयनात्मक आधार आधुनिकीकरण एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का सहारा लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के अलाभकारी एकक

287. डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र के अलाभकारी एककों को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम क्या हैं;

(ग) इस अभियान से क्या उपलब्धियां प्राप्त होने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के इन अलाभकारी एककों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) सरकार, सरकारी क्षेत्र के अक्षम एककों के पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन पर विचार कर रही है, ताकि उनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाया जा सके।

(घ) एवं (ङ) सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल से कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार करने की आशा की जाती है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष भी इन एककों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उचित दर की दुकानें

288. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उचित दर की कितनी दुकानें कार्यरत हैं;

(ख) वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से किन-किन मदों को सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या सभी उचित दर की दुकानें नियमित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदें ले रही हैं; और

(घ) क्या सरकार को वहां कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय राज्य में मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 325 उचित दर दुकानें कार्य कर रही हैं।

(ख) उचित दर दुकानों के जरिए चावल, गेहूं, आयातित खाद्य तेल, सेंधा चीनी, मिट्टी का

तेल और नियंत्रित कपड़ा वितरित किया जाता है।

(ब) जी, हां।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि फिलहाल उनके पास कोई शिकायत नहीं है।

वर्ष 1992-93 के लिए राज्यों का वार्षिक योजना परिव्यय

[हिन्दी]

289. श्री बलराज पासी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री चित्त बसु :

श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

श्री राम कृष्ण कुसमारिया :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० ए० के० पटेल :

कुमारी उमा भारती :

श्री ललित उरांव :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का वर्ष 1992-93 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी है;

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के योजना परिव्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए प्रत्येक राज्य के योजना परिव्यय में यदि कोई कटौती की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के लिए विभिन्न राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्यय पर एक विवरण संलग्न है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित वर्ष 1991-92 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का विवरण तथा सहमति प्राप्त परिव्यय का ब्यौरा भी संलग्न है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के लिए परिव्यय तय नहीं किया गया है। मदवार परिव्यय केवल अपने-अपने राज्य बजटों में उपलब्ध होगा। राज्य सरकारों के ये वार्षिक योजना परिव्यय राज्य के अंशदान तथा केन्द्रीय सहायता निधी संसाधन राज्य के योजना बजट के समर्थन पर आधारित है। कुछ मामलों में कमी, राज्य की संसाधन स्थिति के कारण हुई है।

विवरण-I

वार्षिक योजनाएं—1989-90 से 1991-92—अनुमोदित परिव्यय
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र०सं० राज्य/संघ रा० क्षेत्र	मूल रूप से सहमति प्राप्त परिव्यय		
	वार्षिक योजना 1989-90	वार्षिक योजना 1990-91	वार्षिक योजना* 1991-92
1	2	3	4
1. राज्य			
आंध्र प्रदेश	1300.00	1323.00	1410.00
अरुणाचल प्रदेश	150.00	183.00	235.00
असम	635.00	675.00	805.00
बिहार	1800.00	1805.00	2261.00
गोवा	110.00	130.00	172.50
गुजरात	1400.00	1451.00	1765.00
हरियाणा	676.00	700.00	765.00
हिमाचल प्रदेश	300.00	360.00	410.00
जम्मू और कश्मीर	520.00	650.00	723.00
कर्नाटक	1040.00	1120.00	1610.00
केरल	526.00	635.00	807.00

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	1840.00	2000.00	2420.00
महाराष्ट्र	2642.00	2450.00	2500.00
मणिपुर	142.00	170.00	200.00
मेघालय	150.00	175.00	210.00
मिजोरम	102.00	125.00	152.00
नागालैंड	132.00	145.00	170.00
उड़ीसा	925.00	1250.00	1402.00
पंजाब	789.00	905.00	1010.00
राजस्थान	795.00	956.00	1170.00
सिक्किम	71.00	76.00	96.00
उत्तर प्रदेश	2800.00	3200.00	3710.00 2/
पश्चिम बंगाल	1115.00	1328.00	1486.00 3/
II. संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	80.00	97.00	154.50
चंडीगढ़	51.50	55.97	65.36
दादर और नागर हवेली	11.06	12.99	21.50
दमन और द्वीप	12.34	12.58	16.18
दिल्ली	620.00	800.00	920.00
लक्ष द्वीप	21.00	22.00	22.96
पांडिचेरी	63.00	70.00	85.00

* आदर्श गाँवों की स्कीमों के लिए प्रावधान तथा सहकारी समितियों के लिए इक्विटी बेस, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है, शामिल है ।

1. पहले गणना किए गए योजना ऋण के कारण 150 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। बशर्ते कि वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो ।

2. पहले गणना किए गए योजना ऋण के कारण 787 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। बशर्ते कि वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो ।

3. गणना किए गए योजना ऋण के कारण 135 करोड़ रुपयें की धनराशि सम्मिलित है, बशर्ते कि वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो ।

विवरण-II

वार्षिक योजना 1992-93—अनुमोदित परिव्यय—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य/सं०रा० क्षेत्र	वार्षिक योजना—1992-93	
		राज्य/सं०रा० क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित	सहमति प्राप्त परिव्यय
1	2	3	4
I	राज्य		
	आन्ध्र प्रदेश	2744.05	1660.00
	अरुणाचल प्रदेश	571.86	245.60
	असम	1398.36	960.00
	बिहार	2200.00	2202.73
	गोवा	225.09	152.50
	गुजरात	1783.00	1875.00
	हरियाणा	916.88	830.00
	हिमाचल प्रदेश	534.54	486.00
	जम्मू व कश्मीर	870.00	820.00
	कर्नाटक	1810.00	1915.00
	केरल	913.00	913.00
	मध्य प्रदेश	2503.51	2400.00
	महाराष्ट्र	3484.16	3160.00
	मणिपुर	307.55	210.00
	मेघालय	311.55	241.00
	मिजोरम	206.89	160.00
	नागालैंड	322.62	185.00
	उड़ीसा	1750.00	1405.00
	पंजाब	1500.00	*

1	2	3	4
	राजस्थान	1630.51	1400.00
	सिक्किम	160.19	110.00
	तमिलनाडु	1751.39	1751.00
	त्रिपुरा	360.51	282.00
	उत्तर प्रदेश	4034.42*	
	पश्चिम बंगाल	1634.33	1501.00
II.	संघ राज्य क्षेत्र		
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	182.42	155.00
	चंडीगढ़	95.00	68.00
	दादर व नगर हवेली	27.97	18.15
	दमन व द्वीव	28.95	14.50
	दिल्ली	1259.17	920.00
	लक्षद्वीप	30.35	25.00
	पांडिचेरी	200.00	90.00

* योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अखबारी कागज के आयात के संबंध में आल इण्डिया स्माल पेपर्स मिल्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

[अनुवाद]

290. श्री पी० एम० सईद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने तथा सीमा शुल्क स्लैबों की पुनरीक्षा करने के संबंध में आल इंडिया स्माल पेपर्स मिल्स एसोसिएसन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार को छोटे कागज कारखानों के लिए विभिन्न प्रकार की राहत के वास्ते आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। अन्य राहतों में, इस एसोसिएसन ने रद्दी कागज के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने तथा बड़े कागज कारखानो की तुलना में छोटे कागज कारखानों के लिए सीमा शुल्क की वसूली के मामले को वरीयता के आधार पर हल करने की मांग की है। सम्पूर्ण कागज उद्योग के समंचित विकास हेतु उचित उपाय शुरू करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्ष, 1991 के दौरान रद्दी कागज के आयात पर सीमा-शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया।

दिल्ली में 'मास रेपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम' का विकास

291. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने शहर की बढ़ती परिवहन समस्या को हल करने हेतु राजधानी के लिए "मास रेपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम' का विकास करने की पूरी तैयारी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त परियोजना के लिए दिल्ली प्रशासन को धनराशि आवंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'मास रेपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम' का कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली में जनद्रुतगामी परिवहन प्रणाली को लागू करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने मैसर्ज राइट्स को यह काम सौंपा है। इस अध्ययन में 1989 के कीमत स्तर पर 5378 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 27 कि० मी० की दूरी केलिए भूमिगत मैट्रो-कोरिडोरों सहित कुल 184.5 कि०मी० की दूरी के लिए बहु-माडल जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली प्रशासन के 1992-93 के बजट प्रस्तावों में जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के लिए भू-अर्जन प्रयोजन हेतु योजना आयोग ने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इस रिपोर्ट का वि स्तृत अध्ययन किया गया है और कई परिचर्चाएं की गई हैं। इस महत्व की परियोजना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, अवस्थिति सर्वेक्षण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है। लागू करने की तारीख पर निर्णय लेना असामयिक है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा

292. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रुग्णता के बारे में कोई समीक्षा की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितनी प्रतिशत इकाइयों का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रुग्ण इकाइयों को फिर से अर्थक्षम बनाते समय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मंत्रणा की जाती है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति को एक विनिबंध (मोनोग्राफ) के रूप में संसद के पिछले सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत कर दिया गया था।

(ख) 31.3.1990 तक 19 प्रतिशत।

(ग) पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन सम्बंधी योजनाओं में कामगारों के प्रतिनिधियों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली में आवासीय समस्या

293. श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में आवासीय समस्या के समाधान के लिए गैर-सरकारी भवन निर्माताओं को भूमि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक गैर-सरकारी भवन निर्माण में किए गए कार्य और /अथवा लिए गए कमीशन पर कोई वित्तीय सीमा निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क)से (घ) दिल्ली में आवास की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से सरकार निजी विकासकर्ताओं की शामिलता पर विचार कर रही है। उसके ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विदेशी सहयोग

294. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों में उदार नीति को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक नई राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान की सरकारों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयुक्त सहयोग करने के लिए बात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावी विदेशी सहयोग के लिए ठोस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में किसी नई नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में दूसरे देशों के साथ पारस्परिक हित के प्रस्तावों पर विचार करना एक नियमित पद्धति है। सहयोग कार्यक्रमों को एक अंग के रूप में अंतर-क्रिया के क्षेत्रों और उनके स्वरूप के बारे में उल्लेख किया जाता है।

हड़ताल पर प्रतिबन्ध

295. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री रूपचन्द पाल :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हड़ताल और किसी भी प्रकार के श्रमिक आंदोलन पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जापान से एम०एस० जी० का आयात

[हिन्दी]

296. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से प्रति वर्ष 5000 टन मोनोसोडियम ग्लूटोमेंट (एम०एस०जी०) आयातित किया जाता हैं;

(ख) क्या अधिकतर देशों ने इस रसायन को खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ग) क्या इस रसायन को खाद्य पदार्थों में मिलाने के कारण विभिन्न बीमारियां फैलने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रसायन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डीलरशिप

[अनुवाद]

297. श्री रामविलास पासवान :

क्या प्रधान मन्त्री 11 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग विभाग ने मारुति डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूसनशिप सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूसनशिप में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शर्तों को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के विविध उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आरक्षण का मुद्दा अब भी सरकार के विचाराधीन है।

कतिपय उर्वरक एककों को बन्द करना

298. श्री सैफुद्दीन चौधरी :

श्री आचार्य कर्णाम्बोज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय उर्वरक एककों को बन्द करने का तथाकथित प्रस्ताव देश की खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु देश की अधिक उर्वरकों की कृषि संबंधी

आवश्यकताओं के अनुरूप है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों को बन्द करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन एककों को फिर से चालू करने पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) चिरकाल से हरण सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है, विशेष रूप से बजटीय आधारों के संदर्भ में, ताकि ऐसे एककों की हमेशा बढ़ने वाली हानियों को पूरा किया जा सके। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उर्वरक एकक को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। खाद्यान्नों में स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए अधिक न्यूट्रीएन्ट प्रदान करने की आवश्यकता तथा ऐसे एककों को पुनः चालू करने के संभावित व्यय को ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

299. श्री बी० कृष्ण राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विद्युत निगम की अगले 10 वर्षों में 8200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की योजना है;

(ख) देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की बिजली का उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में पर्याप्त आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस शताब्दी के अन्त तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन करने की योजना बनाई थी। तथापि, वास्तविक उपलब्धि साधनों के समय से उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी।

(ख) चालू परमाणु बिजलीघरों की वर्तमान स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है। विवरण निम्नानुसार है :

	पुनः निर्धारित क्षमता मेगावाट
तारापुर परमाणु बिजलीघर	2 × 160
राजस्थान परमाणु बिजलीघर	1 × 100 1 × 200
मद्रास परमाणु बिजलीघर	2 × 220
नरोरा परमाणु बिजलीघर	2 × 220

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सन 2002 तक 8,000 मेगावाट के लगभग परमाणु बिजली का उत्पादन प्राप्त करने से संबंधित आवश्यकताओं के समनुरूप परिव्यय का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित प्रस्ताव में नाभिकीय ईंधन और भारी पानी का उत्पादन करने की परियोजनाएं भी शामिल हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। नई परियोजनाओं की स्थापना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, जिसमें न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सरकार द्वारा दी जाने वाली बजटीय सहायता तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बाजार से उधार लेकर राशि इकट्ठा करना भी शामिल है। साधनों की वर्तमान कमी के कारण, ऐसी संभावनाएं हैं कि जितने बड़े कार्यक्रम का प्रस्ताव आठवीं योजना में किया गया है, उसे आगे बढ़ाने में धन की उपलब्धता एक भारी समस्या होगी।

खाद्यान्नों को जमा करने की प्रणाली में परिवर्तन

300. डा० विश्वनाथम केनियो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों को एक स्थान पर जमा करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करके खरीद वाले क्षेत्रों में ही जमा करने की कोई योजना है;

(ख) क्या वर्तमान सार्वजनिक आपूर्ति वितरण में होने वाली अड़चनों के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) खाद्यान्नों के भंडारण की वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भंडारण के प्रयोजन के लिए देश में कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं। जिन स्थानों पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता को भाड़े पर लेता है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में बाधाओं के कारणों को जानने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

उचित दर की दुकानों के विरुद्ध आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतें

[हिन्दी]

301. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयुक्त, खाद्य व नागरिक पूर्ति, दिल्ली प्रशासन के कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में उपभोक्ताओं से उचित दर की दुकानों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ख) ऐसी प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई

है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) शिकायत कक्ष में पिछले तीन वर्षों के दौरान 1918 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायत प्रकोष्ठ का कार्य और आपूर्ति विभाग अनुचित व्यापारिक व्यवहारों को रोकने के लिए उचित दर दुकानों की नियमित रूप से जांच और अचानक दौरा करता है। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त प्रत्येक शिकायत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों अथवा प्रवर्तन शाखा को जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी जाती है।

देश में उर्वरक कारखाने

[अनुवाद]

302. श्री मुकुल इस्लाम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत उर्वरक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कारखाने देश की अपेक्षित आवश्यकता पूरी कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) देश में उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

		एककों की संख्या	न्यूट्रिएन्ट्स की क्षमता लाख मि० टन में एन०+पी०	न्यूट्रिएन्ट्स का उत्पादन लाख मि० टन में एन०+पी० 1990-91
1.	वृहद नाइट्रोजनी और फास्फेटिक संयंत्र	4[illegible]	100.19	69.93 (उप-उत्पाद सहित)
2.	एस० एस० पी०	83	8.37 (मात्र "पी०" के लिए)	5.83 (मात्र "पी०" के लिए)

(ख) और (ग) देश के उर्वरक संयंत्र देश की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। चूंकि पोटाशिक उर्वरकों के लिए देश में कच्चा माल नहीं है अतः फास्फेटिक उर्वरकों के लिए अधिकांश कच्चे मालों/मध्यवर्तियों का आयात करना पड़ता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के मामले में, अधिकांश आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कारों का निर्यात

303. श्री के० आर० नारायणन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी कारों तथा अन्य मोटर वाहनों का निर्यात किया गया और वर्ष 1992-93 में कितनों का निर्यात किए जाने की सम्भावना है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में उक्त निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) निर्यात किए गए वाहनों के लिए पुर्जों एवं अन्य संघटकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और ऐसी एक मारुति वाहन के निर्माण में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) :

	वर्ष	वाहनों की संख्या
प्रत्याशित निर्यात	1991-92	24,000
	1992-93	25,000

(ख) निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय :—

1990-91	18.17 मिलियन अमरीकी डालर
1991-92	80.00 मिलियन अमरीकी डालर

(ग) निर्यात किए गए वाहनों के लिए आयातित उपकरणों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा :—

1990-91	7.96 मिलियन अमरीकी डालर
1991-92 (संभावित)	31.00 मिलियन अमरीकी डालर

ईंट-भट्ठों के लिए कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

304. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट-भट्ठों, कंकटी भट्ठों, मिट्टी के बर्तनों के भट्ठों, पुलीज और अन्य उद्योग भट्ठों के लिए कोयले की सप्लाई हेतु कुछ प्राइवेट कोयला ठेकेदार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए कोयला ठेकेदार सरकार में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कोयला भंडार धारकों को नियुक्त करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उन्होंने ईंट-भट्ठा उद्योग, कांक्रीट भट्ठा उद्योग, कुटीर और लघु उद्योग भट्ठों आदि को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए किसी निजी कोयला-धारक की नियुक्ति नहीं की है। ऐसे अन्य धारकों की नियुक्ति कुछ राज्य प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। अत: न तो सरकार को और न ही कोल इंडिया लि० के पास ऐसी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

किन्तु कोल इंडिया लि० देश के विभिन्न भागों में कोयले के स्टाकयार्ड चलाती है। स्टाकयार्डों को चलाए जाने के लिए कोल इंडिया लि समय-समय पर खुली निविदाएं आमंत्रित करता है। इन निविदाओं के उत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच विधिवत रूप से गठित समिति द्वारा की जाती है। स्टाकयार्ड को चलाए जाने के लिए विभिन्न निविदाकर्ताओं द्वारा की गई प्लाटों की पेशकश की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निरीक्षण किया जाता है। निविदाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित दरों और उनके द्वारा पेशकश किए गए प्लाटों की उपयुक्तता के आधार पर, स्टाकयार्डों को चालू करने के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा संविदाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे स्टाकयार्डों से ईंट-भट्ठा उद्योग, आदि के उपभोक्ताओं सहित, लघु उद्योग क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।

औषधि उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करना

305. श्री राम बदन :

श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औषधि उद्योग के सम्बन्ध में लाइसेंस-नीति को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या 2000ई० तक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे जन सामान्य के कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) ऋण लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत देश में चल रही इकाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) ऋण लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने के फलस्वरूप कितने उद्योगों के बन्द होने की संभावना है; और

(ङ) संतोषजनक औषधि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) (ख) और (ङ) औषध नीति, 1986 की समीक्षा की जा रही है। औषध नीति का लक्ष्य आम आदमी को उचित कीमत पर अच्छी किस्म की दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बना रहेगा।

(ग) और (घ) ऋण-लाइसेंस सुविधा प्राप्त करने की स्वीकृतियां राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा दी जाती है। अनेक विद्यमान यूनिटों ने अपने कार्यकलापों के अलावा इस सुविधा का लाभ उठाया है।

मैसूर में भारत सरकार की पाठ्यक्रम पुस्तक परेस को अधिकार में लेना

[अनुवाद]

306. श्री आस्कर फर्नान्डीज :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह मैसूर स्थित भारत सरकार की पाठ्यक्रम पुस्तक प्रेस को अपने अधिकार में ले लें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत सरकार का मैसूर स्थित पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालय कर्नाटक सरकार को स्थानांतरित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई औद्योगिक नीति के कारण कामगारों की छंटनी

307. डा० असीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई वित्तीय एवं औद्योगिक नीतियों के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संगठनों में कितने कामगारों और कर्मचारियों की छंटनी होने की संभावना है;

(ख) वर्ष, 1990-91 और 1991-92 के दौरान, राज्य-वार, तालाबन्दी एवं इन्हें बन्द करने की कितनी घटनाएं हुई तथा कितने व्यक्तियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की;

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की शर्तें क्या हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी; और

(घ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों में बेरोजगार लोगों से संबंधित नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) भारत सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में कर्मकारों की अनिवार्यतः छंटनी करने की परिकल्पना नहीं की गयी है।

(ख) हड़तालों और तालाबन्दियों तथा इकाइयों की बन्दी की संख्या संबंधी विवरण (I) और (II) संलग्न है। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की कोई योजना तैयार नहीं की है।

(घ) विवरण "III" संलग्न है।

विवरण-I

चुनिंदा राज्यों में 1990 और 1991 के दौरान हड़तालों की संख्या (अनन्तिम)

राज्य	1990	1991
आंध्र प्रदेश	34	189
बिहार	17	10
दिल्ली	6	...
गोवा दमन व दीव	2	1
गुजरात	27	20
हरियाणा	4	9
कर्नाटक	5	1
केरल	12	—
मध्य प्रदेश	2	1
महाराष्ट्र	64	52
उड़ीसा	1	—
पांडिचेरी	—	—
पंजाब	4	3
राजस्थान	13	21
तमिलनाडु	30	22
उत्तर प्रदेश	23	20
पश्चिम बंगाल	116	96
अन्य	6	—
जोड़—	366	—

— = शून्य
... = उपलब्ध नहीं
स्रोत = श्रम ब्यूरो शिमला

विवरण-II

राज्यों में 1990 और 1991 के दौरान बन्द हुई इकाइयों की संख्या (अनन्तिम)

राज्य	1990	1991
1	2	3
आंध्र प्रदेश	8	8

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	—	...
असम	3	—
बिहार	—	1
गोवा	1	4
गुजरात	30	26
हरियाणा	16	5
हिमाचल प्रदेश	1	1
जम्मू व कश्मीर	—	—
कर्नाटक	—	—
केरल	1	2
मध्य प्रदेश	—	—
महाराष्ट्र	52	30
मणीपुर	—	—
मेघालय	—	—
मिजोरम	...	—
नागालैंड	...	...
उड़ीसा	—	2
पंजाब	2	6
राजस्थान	6	4
सिक्किम	...	—
तमिलनाडु	1	—
त्रिपुरा	22	17
उत्तर प्रदेश	3	...
पश्चिम बंगाल	—	...
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	—

1	2	3
चण्डीगढ़	—	—
दादर व नगर हवेली	—	...
दिल्ली	—	2
दमन व द्वीव	—	—
लक्षद्वीप	—	—
पांडिचेरी	7	7
जोड़	154	115

— = शून्य
... = उपलब्ध नहीं
स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला

विवरण-II

देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के आधार पर रोजगार चाहने वालों की श्रेणीवार संख्या

	रोजगार चाहने वालों की श्रेणी	वर्ष अवधि (वर्ष के अन्त में)	संख्या (हजारों में)
1.	सभी, नौकरी चाहने वाले	1991	36299.77
2.	महिलाएं	1991	7307.7
3.	शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर)	1990 (जून)	20122.5
4.	अनुसूचित जातियां	1991 (जून)	4560.1
5.	अनुसूचित जन जातियां	1991 (जून)	1167.8
6.	शारीरिक विकलांग	1991 (जून)	303.0

कागज का उत्पादन करने के लिए खोई का प्रयोग करने वाले एककों को प्रोत्साहन

308. श्री शंकरराव काले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कागज का उत्पादन करने के लिए खोई का प्रयोग कर रहे एककों को

क्या-क्या प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) क्या ये प्रोत्साहन पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन एककों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) कागज उद्योग के निरन्तर विकास के लिए उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार कागज के निर्माण में खोई के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है और खोई तथा अन्य अपरम्परागत कच्चे माल न्यूनतम 75% सुबदी के प्रयोग पर आधारित एककों को औद्योगिक लाइसेंस से छूट दे दी गई है। खोई से कम-से-कम 75% सुबदी से लिखाई, छपाई और क्राफ्ट कागज के निर्माण को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकारी फ्लैटों का आवंटन

309. श्री लाल बाबू राय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सेवा-अवधि के आधार पर सरकारी फ्लैटों का आवंटन केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही किया जाता है; और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह पक्षपात समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सेवा-अवधि पूल आवास भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उद्दिष्ट किया गया है कि इन सेवाओं के अधिकारियों की दिल्ली में एक निश्चित सेवा-अवधि के लिए तैनाती की जाती है।

(ग) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा-अवधि पूल के आवंटन का प्रस्ताव जांचाधीन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में संशोधन

[अनुवाद]

310. श्री के० प्रधानी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तरह की कोई नीति बनाई है कि प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों को जो सम्बद्ध सेवाओं में नियुक्त हुए हैं; आई० ए० एस०/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस० आदि की परीक्षाओं में इस वर्ष से बैठने की अनुमति न दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० अम्बेडकर आवास योजना

[हिन्दी]

311. श्री राम निहोर राय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की डा० अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण और आवंटन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सभी आवास एकक दिल्ली सीमा पर एक ही स्थान पर निर्मित करने का विचार है अथवा इनका निर्माण विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा;

(ग) क्या मकानों के निर्माण और आवंटन की प्रक्रिया प्रस्तावित तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए अलग मकान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत जिन फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार इस योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 फ्लैटों के आवंटन पर विचार किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/पंजीकृत किए जाने वाले सभी 20,000 व्यक्तियों को 1994-95 तक फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है।

नगरों के सीमांत क्षेत्रों का विकास

[अनुवाद]

312. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े नगरों के सीमांत क्षेत्रों के विकास को विनियमित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भूमि तथा नगर आयोजना कार्यकलाप राज्य के विषय हैं और इसलिए बड़े नगरों इत्यादि के सीमांत क्षेत्रों

के विकास को नियंत्रित करने से सम्बन्धित कानून राज्य विनियमनों द्वारा अधिनियमित किये जाते हैं। राज्य सरकारें बड़े नगरों की आयोजना तथा विकास का कार्य शुरू करते समय सीमांत क्षेत्रों के मामले पर भी विचार करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए वृहद् उपाय महानगर क्षेत्रीय विकास आयोजनाओं का प्रतिपादन, महानगर विकास प्राधिकरण का गठन, इत्यादि प्रकृति के हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लाभार्थियों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को स्वीकार किया जाना

31[illegible]. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसे प्रस्ताव की समीक्षा की है जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं व्यक्तियों को रखा जायेगा जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार किया हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बल्बों की गुणवत्ता

315. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में "पुअर क्वालिटी बल्बस: हूज बेबी" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो सरकार की, आई०एस०आई० मार्क वाले बल्बों की भी गुणवत्ता की गारंटी न होने तथा बिना आई० एस० आई० मार्क वाले बल्बों अथवा बी० आई० एस० की नकली छाप वाले बल्बों की बिक्री की शिकायतों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जी, हां, सरकार को इस समाचार की जानकारी है। सरकार ने 24 अप्रैल, 1989 को जारी किये गये" सामान्य सेवा विद्युत लैम्प (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1989" के तहत ये शर्त लगाई कि टंग्सटन फिलामेंट सामान्य सेवा विद्युत लैम्पों पर बी० आई० एस० मार्क का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय होगा। बी० आई० एस० के पास बी० आई० एस० प्रमाणीकरण वाले जी० एल० एस० लैम्पों की कथित खराब गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच-पड़ताल करने तथा आवश्यक सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु एक व्यवस्थित कार्यविधि है। जब कभी बी० आई० एस० द्वारा नकली बी० आई० एस० मार्क के मामले देखे जाते हैं अथवा राज्य सरकारों के प्रवर्तन अधिकरणों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बी० आई० एस० की जानकारी में लाये जाते हैं तो

उचित जांच-पड़ताल के बाद बी० आई० एस० द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें जो उच्चगुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करती हैं, ऐसे जी० एल० एस० लैम्पों की बिक्री रोकने के लिए उचित कार्रवाई करती है, जिन पर बी० आई० एस० प्रमाणीकरण मार्क नहीं होता।

मूल्य नियंत्रण हेतु समितियां

[हिन्दी]

316. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य नियंत्रण हेतु कितनी समितियां गठित की गई हैं; और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी समितियां गठित की गई हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक समिति में शामिल की गई गृहणियों की संख्या क्या है; और

(ग) उनके चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) मूल्यों की परिवीक्षा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को राज्यों द्वारा मूल्य नियंत्रण के लिए समिति के गठन, उसमें शामिल की गई गृहणियों की संख्या तथा उनके चयन के लिए अपनाए गए मापदण्ड के बारे में सूचना नहीं भेजी गई है।

केन्द्र में केंद्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डल समिति नियमित रूप से मूल्य स्थिति की पुनरीक्षा करती है। मूल्यों की परिवीक्षा (मॉनीटरिंग) से संबंधित एक विशेष कार्यवाही समिति भी आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की मूल्य स्थिति की परिवीक्षा करती है।

उत्तर प्रदेश के लिए विकास योजनाएं

317. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में विश्व बैंक अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से विकास योजनाएं शुरू करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) किसी राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में विभिन्न क्षेत्रकों में कुछ परियोजनाओं

को विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावित करने पर विचार कर रही है।

राजस्थान की अरावली पर्वत शृंखला को पर्वतीय विकास कार्यक्रम में शामिल करना

[अनुवाद]

318. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान की अरावली पर्वत शृंखला में रेगिस्तान के विकास को राजस्थान के पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए तथा इस क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने संबंधी सर्वेक्षण करने के लिए एक कार्यकारी दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग को कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो कार्यकारी दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई है; और

(घ) योजना आयोग ने सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिकीकरण के लिये उत्तर प्रदेश के जिलों का वर्गीकरण

[हिन्दी]

319. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का उनके औद्योगिकीकरण के संबंध में वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्गीकरण हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ग) क्या लखीमपुरखीरी तथा हरदोई जिलों का विकसित जिलों के रूप में वर्गीकरण किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मानदंडों के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश के जिलों सहित कुछ जिलों का औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में पता लगाया गया था। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये गए मानदंड निम्नप्रकार थे :—

(i) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करता है कि

क्या जिला प्रधानतया खाद्यान्न/नकदी फसल उत्पादक है। (अन्तर-जिला तुलनाओं के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच की दरें जहां आवश्यक हों वहां पूर्व-निर्धारित की जा सकती हैं)

(ii) कृषि कामगारों की आबादी का अनुपात।

(iii) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

(iv) प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे दर्जे के कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या।

(v) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत।

(vi) आबादी की तुलना में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी की तुलना में रेलवे मील दूरी।

(ग) हरदोई जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की गई नियुक्तियों की समीक्षा

[अनुवाद]

320. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले सामान्य चुनावों के दौरान की गई नियुक्तियों के मामले की समीक्षा करने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की देरी के कारण संबंधित उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्य कुशलता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन नियुक्ति व्यक्तियों में से कुछ पदधारियों के विरुद्ध कुछ गम्भीर शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में समीक्षा कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) पिछले आम चुनाव की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त इक्कीस मुख्य कार्यपालकों में से अठारह के संबंध में पुनरीक्षा की जा चुकी है। शेष तीन मामलों की पुनरीक्षा विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ब्रिटिश इंडिया कारपो० के कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे मुख्य कार्यपालक के द्वारा की जा रही है जिसकी नियुक्ति की पुनरीक्षा अब भी विचाराधीन है।

जिला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र

321. श्री जी० एम० सी० बालयोगी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु देश में जिला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ग्रामीण जनता की सहायता करने लिए इस सम्बन्ध मे कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण लोगों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामीण जनता को प्रौद्योगिकी और विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए कोई वृहत योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जी रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय श्रमिक संघों की त्रिपक्षीय समिति की बैठक

322. श्री रवि राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक संघों की विशेष त्रिपक्षीय समिति की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) श्रमिक तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है जिसमें सरकार, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और नियोक्ताओं के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की पहली बैठक दिनांक 21-12-1991 को बम्बई में आयोजित की गयी थी जिसमें निर्णय किया गया था कि बीमार औद्योगिक इकाइयों की पुनरीक्षा करने के लिए विभिन्न उद्योगों के बारे में, औद्योगिक समितियों का पुनर्गठन

किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया था कि दीर्घ अवधि से बीमार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनर्स्थापन के लिए सामान्य सिद्धान्तों पर विशेष त्रिपक्षीय समिति विचार करेगी।

समिति की दूसरी बैठक दिनांक 20-1-1992 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि पुनर्गठित औद्योगिक समितियां बीमार औद्योगिक इकाईयों की इकाई-वार समीक्षा करेंगी और उनको पुनर्जीवित करने के लिए उपाय सुझायेंगी।

बिहार और गुजरात की शहरी विकास योजनाएं

[हिन्दी]

3:3. श्री रामलखन सिंह यादव :

श्री काशी राम राणा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और गुजरात की कुछ शहरी विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी नहीं। भारत सरकार के पास शहरी विकास की कोई परियोजनायें लम्बित नहीं हैं। तथापि, छोटे तथा मध्यम वर्ग के कस्बों का एकीकृत विकास एक चालू योजना है जिसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों सहित प्राथमिकता प्राप्त कस्बों की सूची के आधार पर प्रत्येक वर्ष कस्बों का चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए सहायता हेतु कस्बों का अन्तिम चयन नहीं किया गया है।

कोयले में पत्थर की मिलावट

324. कुमारी उमा भारती :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले में पत्थर की मिलावट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कुछ खानों में, कोयला सीमों में खड़िया मिट्टी और पत्थर के पतली पट्टियां (बैन्ड) परस्पर मिश्रित रूप में उपलब्ध

होते हैं। ऐसी सीमों में से कोयला निकालते समय ये पट्टियां कोयले के साथ मिल जाती हैं। उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले में पत्थर और कंकड की मात्रा न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1, भूमिगत खानों से जब कोयला खान मुहाने तक लाया जाता है तो इस प्रकार की व्यर्थ की सामग्री को पृथक कर दिया जाता है।

2. सतही कोयले के भंडारों में से कंकड और पत्थर के टुकड़ों को मजदूरों द्वारा हटा कर अलग कर दिया जाता है।

3. कोयला रखरखाव संयंत्रों में जहां कोयले के कंकड और पत्थर के टुकड़ों को उठाया जाने का कार्य किया जाता है, उन स्थानों पर धीमी गति से चलने वाली पिकिंग बैल्टस मुहैया करायी गयी है।

कोयले का परिष्करण करना

825. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :**

श्री हरनाथ राय :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित कोयले का परिष्करण किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या इस परिष्करण के कारण कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न ग्रेडों के कोयले के मूल्य क्या है;

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड को इसके परिणाम-स्वरूप 31 दिसम्बर, 1991 तक कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई और ये मूल्य कब से बढ़ाये गये ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला कंपनियां कोयले के ग्रेडों में, कोयला नियंत्रक द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा पद्धतियों के अनुरूप लिए गए नमूनों तथा गुणवत्ता संबंधी विश्लेषणों के आधार पर संशोधन किए जाने की प्राधिकारी हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान खानों/सीमों के अधिसूचित किए गए ग्रेडों के अनुसार कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले का किया गया ग्रेड-वार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

निश्चित उत्पादन (मिलियन टन)

ग्रेड	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
असम कोयला	0.90	0.84	0.68
ए	2.96	3.07	2.96

1	2	3	4
बी	22.61	21.88	21.97
सी	32.54	34.01	37.85
डी	22.77	20.71	17.71
ई	24.50	25.03	25 82
एफ	26.91	32.99	39.01
जी	1.42	1.41	4,03
कुल गैर-कोककर (ए)	134.61	139.94	150.03
इस्ताप ग्रेड :	1988-89	1989-90	1990-91
इस्पात ग्रेड-I	0.26	0.03	0.03
इस्पात ग्रेड-II	0.52	0.49	0.34
बाजारी ग्रेड			
बा० ग्रेड-I	2.94	2.30	1.42
बा० ग्रेड-II	2.98	1.52	1.57
बा० ग्रेड-III	10.79	12.86	12.95
बा० ग्रेड-IV	18.90	20.79	22.75
एस० सी०-I	0.33	0.47	0.55
एस० सी०-II	0.19	0.17	—
कुल कोककर (बी)	36.91	38.63	39.61
महा जोड़ (ए)+(बी)	171.52	178.57	189.64

(ग) से (च) विभिन्न ग्रेड के कोयले की कीमतों को पिछली बार दिनांक 28.12.1991 को संशोधित किया गया था। पिछले तीन वर्षों के लिए कोल इंडिया लि० के घोषित ग्रेड पर आधारित कोयले की औसत कीमत नीचे दी गई है :—

रु० प्रति टन

1988-89	1989-90	1990-01
274.20	268.70	262.89

प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति और कल्याण नीति

[अनुवाद]

326. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति और समेकित कल्याण नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 में यह व्यवस्था है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी को किसी भी हालत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि ऐसे किसी प्रतिष्ठान, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो से सम्बन्धित कार्य करने के लिए अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्त्तव्य है कि वह :—

(क) ऐसे कर्मकारों को नियमित रूप से मजदूरी के भुगतान का सुनिश्चय करें;

(ख) बिना किसी लिंग-भेद के समान कार्य के लिए समान वेतन का सुनिश्चय करें;

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें अपने राज्य से अलग राज्य में काम करना पड़ता है ऐसे कर्मकार के लिए समुचित कार्य दशाओं का सुनिश्चत करें;

(घ) उनके नियोजन की अवधि के दौरान ऐसे कर्मकार के लिए समुचित आवास की व्यवस्था और उसके रख-रखाव का सुनिश्चय करें;

(ङ) कर्मकार को निःशुल्क विहित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें;

(च) कर्मकारों के लिए ऐसे सुरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था करें जो निर्धारित किये गये हों; और

(छ) ऐसे किसी कर्मकार की घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट लगने की दशा में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तथा कर्मकार के निकट संबंधी को सूचित करें।

(ग) प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए फ्लैटों के तलों/स्थानों में परिवर्तन किया जाना

327. श्री जीवन शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए फ्लैटों के तलों/स्थानों में

परिवर्तन करने और फ्लैटों को अपने निकट सम्बन्धियों को बेचने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को गत तीन वर्षों में ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों के सम्बन्ध में तल/स्थान बदली के अनुरोधों पर नीति निर्देशों और फ्लैटों की उपलब्धता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है। फ्लैटों की बिक्री के अनुरोधों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार, आवंटिति द्वारा निर्धारित अनार्जित वृद्धि की अदायगी और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त ऐसे अनुरोधों और उनपर की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	अनुरोध की प्रकृति	कुल प्राप्त अनुरोधों की सं०	अनुमोदित अनुरोधों की संख्या	रद्द अनुरोधों की संख्या	विचाराधीन अनुरोधों की संख्या
1.	तल/स्थान परिवर्तन	208	97	77	34
2.	बिक्री की अनुमति	209	87	—	22

अन्तरिक्ष सम्बन्धी योजनाएं

[हिन्दी]

328. **श्री विलासराव नारायणराव मुंडेवार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष मंत्रालय/विभाग की विभिन्न योजनाओं पर वर्षवार तथा योजनावार, कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में अन्तरिक्ष अनुसंधान के विकास पर खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है। इन वर्षों के अन्तर्गत पृथक-पृथक परियोजनाएं और कार्यक्रम आते हैं :—

(करोड़ रुपये में)

विस्तृत योजना	1989-90	1990-91
प्रमोचक रोकेट प्रौद्योगिकी	147.41	181.29
उपग्रह प्रौद्योगिकी	138.92	118·00
अन्तरिक्ष उपयोग	93.24	66·05
अन्तरिक्ष विज्ञान	8.48	9.46

अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लाभ प्रत्येक राज्य में इसके दूरवर्ती क्षेत्र सहित संपूर्ण देश में पहुंचते हैं। अन्तरिक्ष प्रणालियां राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे संचार, मौसमविज्ञान और संसाधन सर्वेक्षण में प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं। अन्तरिक्ष से अधिकतम लाभों को प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं के उपयोग के लिए अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं। उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अन्तरिक्ष उपयोग

— इन्सैट-1बी को प्रतिस्थापित करने के लिए 12 जून, 1990 को सफलतापूर्वक प्रमोचित प्रचालनात्मक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली, इन्सैट-1डी, दूरसंचार, मौसमविज्ञानीय आंकड़ा रिले, प्रादेशिक दूरदर्शन प्रसारण सहित दूरदर्शन आवरण; आपदा चेतावनी के क्षेत्र में तथा प्रशासकीय, व्यवसाय, कम्प्यूटर संचार, ग्रामीण टेलिग्राफी तथा राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों के बीच आंकड़ा संचार सम्पर्कों को आवृत करते हुए विविध उपयोगों के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी सेवाओं को जारी रखे हुए है।

— अन्तरिक्ष खण्ड के रूप में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० 1ए/आई० आर० एस० 1बी०) सहित प्रचालनात्मक राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन० एन० आर० एम० एस०) कृषि, फसल का एकड़वार और पैदावार का आंकलन सूखा चेतावनी और आंकलन, बाढ़ नियन्त्रण तथा क्षति का आंकलन, कृषि जलवायवी आयोजना के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण मानचित्रण, परतीभूमि प्रबन्ध, जल-संसाधन प्रबन्ध, महासागर तथा समुद्री संसाधन सर्वेक्षण और प्रबन्ध, शहरी विकास, खनिज का पूर्वानुमान और वन संसाधन सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध जैसे विविध क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए संसाधन प्रबन्ध में सहायता कर रही है।

उपग्रह प्रौद्योगिकी

— 29 अगस्त, 1991 को आई० आर० एस० 1बी अन्तरिक्षयान का सफल प्रमोचन किया गया, जोकि आई० आर० एस० 1ए द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जारी रखेगा और इनका विस्तार करेगा। द्वितीय पीढ़ी के आई० आर० एस० 1सी/1डी अन्तरिक्षयानों के लिए विकास कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है, जोकि अतिरिक्त स्पेक्ट्रमी बैण्डों और उन्नत त्रिविम विभेदनों, आन बोर्ड रिकार्डिंग, त्रिविम दृश्यन और अधिक बार पुनरागमन क्षमता जैसी बेहतर प्रौद्योगिकियां प्रदान करेंगे।

— इन्सैट-2 अन्तरिक्षयान के द्वितीय पीढ़ी का, संवर्धित क्षमता और प्रथम फ्लाइट मॉडल (इन्सैट-2ए) के स्वदेशी विकास को पूरा करना, जिसका प्रमोचन एरियन राकेट द्वारा जून 1992 के लिए निर्धारित है। इन्सैट-2ए के प्रमोचन के एक वर्ष बाद द्वितीय फ्लाइट मॉडल (इन्सैट-2बी) प्रमोचन के लिए तैयार होने वाला है।

प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी

— ए० एस० एल० वी०-डी 1 और डी-2 मिशनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर जरूरी संशोधनों और सुधारों का समावेश करने के बाद 1992 के पूर्वार्द्ध में संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०-डी०3) के प्रमोचन की आयोजना।

— पी० एस०एल०वी० की सभी उप-प्रणालियों/चरणों के अपेक्षित अनुकार और जांचों के पूरा करने के बाद इसके 1992 के उत्तरार्द्ध में प्रमोचन के लिए तैयार होने की संभावना है।

— क्रायोजेनिक ऊपरी चरण सहित भू-स्थायी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के 1995-96 में प्रमोचन के लिए परियोजना विधा के रूप में विकास को शुरू करना।

अन्तरिक्ष विज्ञान

अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे मूल अनुसंधान ने, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, ग्रहीय वायुमंडल, वायुविज्ञान और सैद्धान्तिक भौतिकी के क्षेत्र में विविध परिघटनाओं को समझने के लिए और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन योगदान दिया है। मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभमंडल (एम० एस० टी०) राडार की स्थापना की गई है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरित मदों की मात्रा

329. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीणों और शहरी लोगों में वितरित मदों की मात्रा समान है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मदों को किस अनुपात में वितरित किए जाने के निर्देश हैं और इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रमुख आवश्यक वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आबंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न क्षत्रों जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं में वितरण करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वस्तुओं का आन्तरिक आबंटन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में इनकी हकदारी की मात्रा का भी निर्णय करते हैं।

प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

331. **प्रो० राव कापसे :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं को, जिन्हें दस वर्षों से अधिक

समय तक निलंबित रखा गया था, क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक क्रियान्वित कर दी जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई प्रमुख शहरी आधारभूत परियोजनायें नहीं हैं जिन्हें 10 वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रखा गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना की पुनरीक्षा

332. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना और इसको लागू करने के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मुख्य उपलब्धियों और इसके क्रियान्वयन में आई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे और सार्थक बनाने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे सरकार कार्यक्रम की सतत् निगरानी और पर्यवेक्षण के दौरान महसूस की गई कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के आलोक में समय-समय पर करती रहती है। भारत सरकार ने कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्वतन्त्र संस्थाओं/संगठनों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य भी शुरू किया है। शुरू किए जा चुके समवर्ती मूल्यांकन में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के स्वरूप पर कार्यक्रम का प्रभाव, आमतौर पर समाज में और विशेष रूप से समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए इसकी उपयोगिता तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के कल्याण में जवाहर रोजगार योजना का योगदान मुख्य मुद्दे हैं।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी मुहैया कराये गए रोजगार की सीमा, सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता और उपयोगिता आदि का जायजा लेने के लिए देश के 10 प्रमुख राज्यों में जवाहर रोजगार योजना का एक गहन अध्ययन किया है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार जुटाने के मुख्य (प्राथमिक) उद्देश्य से 1-4-1989 को शुरू की गई थी। कार्यक्रम की वर्षवार वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद सामाजार्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन के द्वितीय उद्देश्य को भी पूरा किया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को देर से और बेवक्त निधियों को रिलीज करना जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में मुख्य समस्याएं रही हैं।

(घ) यदि समवर्ती मूल्यांकन और योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए शीघ्र अध्ययन के परिणाम औचित्य प्रस्तुत करेंगे तो सरकार कार्यक्रम का पुनर्गठन करेगी।

विवरण-I

1989-90 से 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तगत वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां

वर्ष	वित्तीय (करोड़ रुपये में)			रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)		
	रिलीज किए गए संसाधन	उपयोग किए गए संसाधन	प्रतिशत उपयोग	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1989-90	2689.71	2458.54	91 41	8757.25	8643.87	98.71
1990-91	2529.16	2586.48	102.27	9291.04	8732.29	93.99
1991-92	2267.94	1544.8 .*	68.12*	8152.90	4877.58*	57.83*

*अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबध में अनन्तिम आंकड़े जनवरी, 1992 तक की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

विवरण-II

1989-90 से 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

वर्ष	सामाजिक वानिकी		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के लाभ के कार्य (संख्या)	लघु सिंचाई बाढ़ बचाव कार्य (हैक्टेयर)	भूमि संरक्षण कार्य (हैक्टेयर)	ग्राम तालाबों का निर्माण (संख्या)	भूमि विकास (हैक्टेयर)	पेयजल कुए, तालाब आदि (संख्या)	ग्रामीण सड़कें (किलो-मीटर)
	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	लगाए गए वृक्ष (सं० लाख)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1989-90	188389.79	2917.27	488511	54024.12	43001.32	20869	13444.73	154226	180238.16
1990-91	244751.80	2066.61	379598	36092.38	16266.41	10556	12058.27	73926	130488.96
1991-92 (सितम्बर 91 तक)	20181.64	771.85	261901	2609.49	7961.17	3018	6151.73	22085	44245.15
योग :	453323.23	5755.73		92725.99	67228.90		31654.73	250239	354972.27

वर्ष	स्कूल इमारतें (संख्या)	मकानों का विकास (संख्या)	मकानों का निर्माण (संख्या)	पंचायत घरों का निर्माण (संख्या)	महिला मंडल (संख्या)	स्वच्छ शौचालय (संख्या)	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण (संख्या)	इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण (संख्या)	अन्य कार्य (संख्या)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1989-90	34674	9782	57938	9287	1620	34396	87417	182242	213473
1990-91	36594	21813	75137	11381	1477	32304	56396	170805	196773
1991-92 (सितम्बर, 91 तक)	12250	5759	21707	3259	413	8537	106899	127989	70791
योग :	83518	28354	154782	23927	3510	75237	250712	481036	481037

खाद्य तेलों की मांग एवं आपूर्ति

[हिन्दी]

333. श्री हरिसिंह यादव :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे विशेषकर गुजरात राज्य में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसकी मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आधार पर इस वर्ष देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 7 लाख मी० टन का अन्तर होने का अनुमान है।

जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, जो कि एक प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य है, राज्य में तिलहन उत्पादन के आधार पर खाद्य तेलों की आपूर्ति खाद्य तेलों की मांग से अधिक होनी चाहिए। किन्तु वास्तव में अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि उत्पादित तिलहन राज्य में ही संसाधित हों या यह भी आवश्यक नहीं है कि राज्य में उत्पादित तेलों की खपत भी अनिवार्यत: राज्य में ही हो।

तथापि, देश में मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर अधिक नहीं हो रहा है।

(घ) सरकार देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने के अलावा आपूर्ति और मांग के बीच अन्तर को पाटने के लिए खाद्य तेल का आयात कर रही है।

गन्दी बस्तियों के विकास के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश को धनराशि

[हिन्दी]

334. श्री काशीराम राणा :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकारों ने अपने राज्यों में गन्दी बस्तियों के विकास के लिए विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गन्दी बस्तियों के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वाराणसी तथा आगरा के मलिन बस्तियों के सुधार के लिए क्रमश: 52.05 करोड़ और 44.89 करोड़ रुपए की विदेश विकास सहायता (ओ० डी० ए०) के लिए परियोजना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए थे। चूंकि एक नीतिगत मामले के रूप में बाहरी सहायता के लिए एक राज्य में केवल एक ही परियोजना की मंजूरी दी जा सकती है, अत: वाराणसी के परियोजना प्रस्ताव को, आगरा परियोजना प्रस्ताव से पहले प्राप्त हुआ था, विदेश विकास सहायता (ओ० डी० ए०) के अनुमान के लिए भेज दिया गया है।

गुजरात में मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

कर्नाटक के आठवीं योजना के प्रस्ताव

[अनुवाद]

335. श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आठवीं योजना के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आठवीं योजना के पहले वर्ष में शुरू किया जायेगा; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में ये किस सीमा तक अधिक है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) 13 नई सिंचाई परियोजनाओं और 5 नई विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें शुरू किए जाने की आशा है के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं;

(ग) विद्युत क्षेत्रक के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना 1991-92 का परिव्यय 373.00 करोड़ रुपए और सिंचाई के लिए (कमान क्षेत्र विकास सहित) 246.43 करोड़ रुपए हैं जिनकी क्रमश: 494.07 करोड़ रुपए और 296.71 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की संभावना है।

विवरण

लाख रुपयों में

ब्यौरे	अनुमानित लागत	8वीं योजना 1992—97 (प्रस्तावित परिव्यय)	वार्षिक योजना 1992-93 (प्रस्तावित परिव्यय)
1	2	3	4
(I) सिंचाई परियोजनाएं नई स्कीमें			
1. मार्कंण्डया	13977	600	100
2. रामचल लिफ्ट	10430	600	100
3. भीमा प्रवाह	12940	600	100
4. भीमा लिफ्ट	7548	600	100
5. अपर भद्रा	56870	600	90
6. महादायी मोड़	9680	600	100
7. अपर तुंगा	36300	1307	300
8. सिंगाटलूर	6141	1000	200
9. वांदावती	3700	100	20
10. मंजरा लिफ्ट	9228	100	20
11. कामना	4148	600	100
12. नेत्रावती	उ० नं०	500	100
13. ओल्ड रीवर चैनल (मैसूर) की मरम्मत)	6825	600	100
(II) विद्युत परियोजनाएं नई स्कीमें			
1. ऊर्जा संरक्षण	125	225	18
2. सरपदी बरेज जल विद्युत परियोजना	16632	13528	150
3. रायचुर ताप विद्युत स्टेशन चरण III इकाई-5	62813	21520	20

1	2	3	4
4. महादायी हाइडल परियोजना	31200	3000	20
5. शिवासामुद्रम नियतावधि स्कीम	17500	4000	100

उत्तर बिहार में नए उद्योग

[हिन्दी]

386. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर बिहार में नए उद्योग लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन : (क) से (ग) इस समय उद्योग मंत्रालय के पास उत्तरी बिहार में कोई नया उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी राज्य में अथवा उसके किसी क्षेत्र में उद्योगों के विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद पहुंचाती है। तथापि, बिहार राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1990 में 1। आशय पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1991 में 7 आशय पत्र और 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए जुलाई, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक उद्यमियों द्वारा 27 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। केन्द्र सरकार ने बिहार के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु भागलपुर, हजारीबाग, जसौरिया, मुजफ्फरपुर और पुर्णिया कस्बा में पांच विकास केन्द्रों का अनुमोदन भी किया है।

भवन निर्माण कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

[अनुवाद]

337. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में अनेक भवन निर्माण कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने और दिल्ली के आसपास मकान उपलब्ध कराए जाने के नाम पर लोगों को ठगे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ की जाने वाली इस धोखाधड़ी

को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन दोषी कम्पनियों का पता लगाया है; और

(घ) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) भवन निर्माण कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आती है और ऐसे मामलों का विवरण एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विभिन्न उद्योगों को राजसहायता

[हिन्दी]

338. श्री रति लाल कालिदास वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी० जे० कुरियन) : इस समय सरकार एक परिवहन सब्सिडी योजना चला रही है जो पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों और पश्चिमी बंगाल में लागू है। इस योजना के तहत चुनिंदा स्थानों से औद्योगिक एककों तक कच्चे माल व तैयार सामान के परिवहन के लिए 90% तक सब्सिडी दी जाती है।

(ख) औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक राज्य सरकारें पूंजीगत निवेश सब्सिडी, बिक्री कर में छूट, भूमि सब्सिडी, विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए विद्युत शुल्क से छूट आदि जैसे कई प्रोत्साहन दे रही हैं।

अशोक पेपर मिल्स की रमेशनगर तथा जोगीघोपा इकाइयों को चालू करना

339. श्री मोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की रमेशनगर तथा जोगीघोपा इकाइयों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) दोनों इकाइयों को चालू करने के लिए क्रमशः बिहार तथा असम की सरकारों के क्या सुझाव और निर्णय हैं तथा उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार सरकार द्वारा 1982-83 में चिचड़ो से लुगदी का निर्माण करने तथा स्वयं अपनी विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना करने सुझाव पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्रवाई से पूर्व असम और बिहार राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों राज्य सरकारों को अपने राज्य में अशोक पेपर मिल्स के एककों का राष्ट्रीयकरण करना था। असम राज्य सरकार ने मैं० अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के असम स्थित के जोगीघोपा एकक का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। एकक को फिर से चालू करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के रामेश्वर नगर एकक के संबंध में ऐसी ही कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा की जानी है।

बिहार सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के रामेश्वर नगर एकक का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अध्यादेश लागू करने से पहले एक ड्राफ्ट अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए भेजा है। भारत सरकार की ओर से कुछ टिप्पणियों/सुझावों को बिहार सरकार की टिप्पणियों के लिए भेजा गया है जिनकी प्रतिक्षा की जा रही है। एकक को फिर से चालू करने के लिए और उपाय बिहार राज्य सरकार द्वारा किये जाने हैं।

(ग) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड का मूल आवेदन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रैग लुगदी की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और एक कैप्टिव पावर यूनिट अधिस्थापित करने का प्रस्ताव था, को वर्ष 1982 में नामंजूर कर दिया गया था। भारत सरकार को इसके पश्चात कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में अप्रवासी भारतीयों का पूंजी निवेश

[अनुवाद]

340. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप तथा अप्रवासी भारतीयों के पूंजीनिवेश को देश में उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करने से महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने हेतु अप्रवासी भारतीयों से कोई अनुक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में देश में उद्योगों की स्थापना करने हेतु अप्रवासी भारतीयों से समग्र रूप से क्या अनुक्रिया प्राप्त हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 24-7-1991 को नई उदार औद्योगिकी नीति की घोषणा के बाद से विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय)

ने महाराष्ट्र में उद्योग स्थापित करने के लिए चार प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

अनिवासी भारतीय का नाम	स्थापना-स्थल	अनुमोदन/विनिर्माण की मद
श्री धनसुख जेठालाल शाह	पुणे, महाराष्ट्र	सीमेंट, पेट्रो-रसायन संयंत्रों इत्यादि के निर्माण के लिए क्रेनों का आयात।
श्री ए०एस० हुसेन	थाणे, महाराष्ट्र	कार्य के आधार पर मेटल प्रिंटिंग, क्राउन केप्स टिन शीट्स।
श्री किशोर चिंचवाड़कर	नागपुर, महा०	इलैक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली।
श्री जे० एन० ज्वैलर्स	बोरावेल्ली महाराष्ट्र	सोने के आभूषण।

(ग) आर्थिक नीतियों को उदार बनाने से देश में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल मिलाकर अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक होने की आशा है।

सीमेंट के मूल्य पर नियंत्रण

[हिन्दी]

241. श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सीमेंट के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सीमेंट की कीमतों को बढ़ने से रोकने के वास्ते सरकार की नीति यह रही है कि सीमेंट का उत्पादन अधिक से अधिक हो तथा इसकी उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को न्यूनतम किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग को मूलभूत सुविधाएं विशेष रूप से कोयला, बिजली तथा कोयले व सीमेंट की ढुलाई के लिए रेल-वैगन सुगमता से उपलब्ध होते रहें, इस बात पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

राष्ट्रीय आवास विकास निगम द्वारा ऋण दिया जाना

[अनुवाद]

342. श्री मोहन रावले :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास विकास निगम देश में आवास को प्रोत्साहन देने के लिए भवन निर्माताओं को धन देता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आवास विकास निगम निर्माताओं को ऋण देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाता है; और

(ग) राष्ट्रीय आवास विकास निगम द्वारा इन ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) भारत सरकार को अपने अधिकार/क्षेत्र नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय आवास विकास निगम नामक कोई संस्थान होने से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोग

343. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है;

(ख) पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया;

(ग) गरीबी उन्मूलन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया तथा उसमें से कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) :(क) और (ख) उत्तर प्रदेश में 1987-88 के 448.34 लाख लोगों की तुलना में 1983-84 में 530.61 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे।

(ग) राज्य गरीबी उन्मूलन के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा कृषि, उद्योग तथा सेवाओं इत्यादि के जरिए आय तथा रोजगार सृजन के लिए कई विकासशील स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं। इन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम शामिल हैं ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रमवार आवंटन अभी निश्चित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

344. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों को उद्योगों के लिए कौन कौन से कच्चे माल की पूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में उत्पादित कच्चे माल पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से कच्चा माल जैसे रेजिन, लकड़ी, फल, वनस्पति, हुबंस, मैग्नेसाइट और जीवाश्म मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, ऊन, चूना-पत्थर आदि। मैदानी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए भेजा गया है।

(ख) और (ग) जी हां, ट्रेर्पेंटाइन, वार्निश, मुरब्बा, आचार, चटनी, जैम, जेली, फलों की लुगदी, लकड़ी का फर्नीचर और सम्बद्ध मदें, सा मिल्स, जड़ी-बूटियों का संग्रह, खेल का सामान; औषधियां इत्यादि जैसे कच्चा माल पर आधारित उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित किये गये हैं।

(घ) लागू नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक एकक

345. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) यह कब से बन्द पड़े हैं और क्यों;

(ग) इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं तथा इन प्रयासों का निष्कर्ष क्या निकला;

(घ) इन एककों को कब तक पुनर्जीवित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बन्द होने से कितने कर्मचारी व श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार

उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च 1990 के अन्त में लघु क्षेत्र में 27,862 एकक और गैर लघु क्षेत्र में 84 एकक रुग्ण पड़े थे। यह बताया गया है कि सितम्बर 1990 के अन्त में गैर लघु क्षेत्र में 60 रुग्ण एकक बन्द हो गये हैं।

(ख) जैसा कि बैंकों ने बताया है तकनीकी समस्याएं, कच्चे माल की अनुपलब्धता, श्रमिक समस्यायें, बिजली की कमी, प्राकृतिक विपत्तियों, परिवहन और वित्तीय रुकावटें रुग्णता के प्रमुख कारण हैं।

(ग) लघु क्षेत्र में 27,862 रुग्ण एककों में से 343 एककों को जीव्यक्षम और 27,458 एककों को अजीव्य पाया गया है। 61 एककों के संबंध में जीव्यता के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। लघु क्षेत्र में 343 संभावित जीव्यक्षम रुग्ण एककों में से मार्च, 1990 के अन्त में 238 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया था। गैर-लघु क्षेत्र में 60 रुग्ण एककों में से सितम्बर, 1990 के अन्त में 4 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया था।

(घ) जीव्यक्षम एककों को फिर से चालू करने के बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ङ) ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

कलकत्ता नगर का विकास

[अनुवाद]

346. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री चित्त बसु :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग के अध्यक्ष, श्री चार्ल्स कोरिया ने कलकत्ता नगर तथा अन्य राष्ट्रीय नगरों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व ग्रहण करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसके लिए आवश्यक धन-राशि आबंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में औद्योगिक विवाद के मामले

347. श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायालयों के संबंध

निर्णय हेतु लम्बित औद्योगिक विवादों तथा अन्य मामलों की संख्या क्या है;

(ख) मामलों के अधिनिर्णय के विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य के बैंगलोर स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय के पास 31.1.1992 तक 267 औद्योगिक विवाद और 6 आवेदनपत्र लंबित पड़े हैं।

(ख) मामलों के निपटाने में विलम्ब के लिए पता लगाये गये सामान्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक कार्य दबाव, अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति, सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थगन, उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये स्थगन आदेश या न्यायालय के बाहर ही निपटान करने का प्रयास आदि जैसी प्रक्रिया संबंधी व्यवधान शामिल हैं।

(ग) औद्योगिक विवादों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए उठाये जाने वाले कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :--

(i) संराधन तंत्र में सुधार लाना और इसको सुदृढ़ करना ताकि अधिकांश मामले संराधन स्तर पर ही सुलझा लिये जायें।

(ii) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों को शीघ्र भरना।

(iii) जहां भी संभव हो, लोक अदालतें आयोजित करना।

उर्वरकों के आयात पर व्यय

348. श्री अनिल बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में उर्वरकों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उर्वरक एककों का, जिन्हें रुग्ण होने के कारण बन्द किया जा रहा है, नवीकरण करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए उपरोक्त दो उपायों में से कौन-सा उपाय अधिक लाभप्रद तथा सस्ता है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) विस्तृत मूल्यांकन बताता है कि 1992-93 में उर्वरकों के मध्यवर्तियों और कच्चे माल के आयात के लिए सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा की आवश्यकता लगभग 6000 करोड़ रु० की होने की संभावना है। तथापि, यथार्थ आवश्यकता चालू वर्ष में वास्तविक खपत और 1.4.92 तक उपलब्ध अवशेष भंडार पर निर्भर होगी।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा रुग्ण एककों को बन्द करने का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है :

अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों को गिराया जाना

349. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1989 से 31 दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों में अनधिकृत और अवैध रूप से निर्मित अनेक मकानों, फ्लैटो, झुग्गियों, दुकानों इत्यादि को गिराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें गिराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बेघर किए गए लोगों को वैकल्पिक स्थान, प्लाट देने अथवा इसकी क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सूचित किया गया है कि अनधिकृत तथा अवैध मकानों, फ्लैटों, दुकानों, भवनों इत्यादि को गिराया गया था क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक या निजी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था जिनमें से कुछ भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित थी। ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2814 पात्र व्यक्तियों को अन्य वैकल्पिक स्थान मुहैया कराए गए थे।

विवरण

सम्बन्धित प्राधिकरण	अवैध तथा अनधिकृत निर्माण किस्म की	संख्या
1. दिल्ली छावनी बोर्ड	चारदिवारी, बाड़े, स्नानगृह/शौचगृह इत्यादि	29
2. नई दिल्ली नगर पालिका	झुग्गियां	50
3. दिल्ली विकास प्राधिकरण	छप्पर के ढांचे, खोखे, प्याऊ, चारदिवारी डेरियां, दुकानें, जीने, टिन-शैड, भूखण्ड, मकान, झुग्गियां, इत्यादि	13528
4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	झुग्गियां, दुकानों के अनधिकृत विस्तार, सरकारी वासों में सर्वेंट क्वार्टरों के टैरस में अनधिकृत निर्माण, तिरपाल से ढंकी हुई दुकानें।	99
5- दिल्ली नगर निगम	दुकानें, आवासीय मकान तथा स्वीकृत प्लान से विचलन	396
	योग :	14112

स्वायत्तशासी निकायों के भर्ती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

350. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वायत्तशासी निकायों के भर्ती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वायत्तशासी निकायों के लिए भर्ती आयोग गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के काम-काज को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखा जाता है। ऐसी सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) स्वायत्तशासी निकाय अपने कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था स्वयं करते हैं। स्वायत्तशासी निकायों के लिए कोई भर्ती आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

खादी उत्पादक कर्मचारियों द्वारा वेतन में वृद्धि की मांग

[अनुवाद]

351. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी के उत्पादन और बिक्री में संलग्न विभिन्न संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत कर्मचारी यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के समकक्ष वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएं;

(ख) क्या जून, 1990 में सरकार द्वारा गठित समिति ने यह सिफारिश की है कि खादी के उत्पादन और बिक्री में संलग्न संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह न्यूनतम 750 रुपये वेतन और उसके साथ मंहगाई भत्ता भी दिया जाए;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, समिति ने यह सिफारिश की थी कि के० वी० आई० सी० से सहायता प्राप्त संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन संस्थाओं के

कार्य करने के क्षेत्र में लागू होने वाले दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में उल्लिखित वेतनों के बराबर होने चाहिए ।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की मांग आदि के बारे में उक्त समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

तमिलनाडु में नये उद्योग

352. श्री आर० जोवरत्नम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद तमिलनाडु में पंजीकृत किये गये नये उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों का देश में तथा विशेषकर तमिलनाडु में विदेशी सहयोग के लिए पंजीकरण किया गया है; और

(ग) नई औद्योगिक नीति के बाद तमिलनाडु में कितने प्रकार के उद्योगों का पंजीकरण किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) उद्योगों के पंजीकरण की योजना नयी औद्योगिक नीति के तहत समाप्त कर दी गयी है । 24 जुलाई, 1991 को नयी औद्योगिक नीति पैकेज की घोषणा होने के समय से तमिलनाड राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 31 जनवरी, 1992 तक 168 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं ।

(ख) स्थापना स्थल पर मंजूर किए गए विदेशी सहयोग के अनुमोदनों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं । 24 जुलाई, 1991 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा होने के समय से देश में विदेशी निवेश/प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा 49:1 अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 269 अनुमोदन मंजूर किए गए हैं ।

(ग) तमिलनाडु के लिए जिन मुख्य उद्योगों के बारे में औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं वे चातुकर्मी उद्योग, रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त), कपड़ा, वनस्पति तेल व वनस्पति, दूरसंचार, विद्युत उपकरण आदि हैं ।

कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि

353. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से विभिन्न श्रेणी के कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या कोयले पर रायल्टी की दरों में राज्य सरकार की मांग के अनुसार वृद्धि की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो रायल्टी की दरों में वृद्धि करने के संबंध में खान विभाग द्वारा गठित किए गए अध्ययन दल द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने के लिए कुछ राज्य सरकारों की मांग और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में उत्पादित किए जाने वाले कोयले को छोड़कर, दिनांक .-8-1991 से कोयले पर रायल्टी की दरों में औसतन 5.30 रु० प्रति टन से औसतन 70 रु० प्रति टन तक का संशोधन किया गया।

(ग) इस संबंध में माननीय सदस्य शायद तत्कालीन कोयला विभाग द्वारा गठित अध्ययन दल का संदर्भ दे रहे हैं। तत्कालीन कोयला विभाग द्वारा फरवरी, 1991 में गठित किए गए अध्ययन दल द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं—(1) कोयले पर रायल्टी की दरों में, राज्यों जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल के मामले में व्यक्तिगत रूप में राजस्व के मामले में हुई संपूर्ण हानि को पूरा किए जाने के लिए वृद्धि नहीं की जा सकती है, जहां कि रायल्टी की दरें उपकर की दरों से 25 गुना अधिक हैं। किन्तु रायल्टी में वृद्धि इस तरह किया जा ना संभव हो सकता है कि कोयले से उक्त राज्यों को प्राप्त होने वाले समग्र राजस्व की सुरक्षा की जा सके, (2) राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही संग्रहीत की गई कोयले पर उपकर की राशि वैध किए जाने के लिये संसद द्वारा कानून पास किया जाए, (3) कोयले पर रायल्टी की दरों में औसतन 5.30 रु० प्रति टन से 70 रु0 प्रति टन की वृद्धि की जाय।

कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन कर दिया गया है, खान मंत्रालय अपेक्षित कानून बनाए जाने के संबंध में कार्यवाही कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में सूखा-प्रवण क्षेत्र

354. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सूखा-प्रवण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण संवेदनशील परिस्थिति की संस्थापना करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का पता लगाने और इनका विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के 8 जिलों के 69 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत 77150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके समन्वित क्षेत्र विकास करना तथा सूखे के प्रभाव को कम करने हेतु पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर दिसम्बर, 1991 तक आंध्र प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को कवर करते हुए विभिन्न गतिविधियों पर 162.13 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने भी एक विकेन्द्रीकृत नर्सरी योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत नर्सरी चलाने वाले व्यक्ति को 45 पैसे (अब 70 पैसे) प्रति पौधे के हिसाब से सबसिडी दी जा रही है। 1991-92 के दौरान, इस प्रयोजन हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 2 करोड़ रुपये की सबसिडी रिलीज की जा चुकी है।

रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता/ऋण

355. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जिन रुग्ण उद्योगों को चालू रखने के लिए वित्तीय सहायता/ऋण दिए गए थे उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जैसे कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को दी गई वित्तीय सहायता/ऋणों के ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार द्वारा किए गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	प्रमुख वित्तीय संस्थान का नाम	सहायता पाने वाले रुग्ण एककों की संख्या	मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि (रु० करोड़ में)
1.	आई० डी० बी० आई०	11	13.58 (अप्रैल-दिसम्बर 91)
2.	आई० आर० बी० आई०	18	19.69 (जुलाई-दिसम्बर 91)
3.	आई० एफ० सी० आई०	7	9 15 (अप्रैल-दिसम्बर, 91)
4.	आई० सी० आई० सी० आई०	5	4.07 (जुलाई-दिसम्बर, 91)

विवरण-II

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय

पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुन: स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/-रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुर्नस्थापना वित्तीय योजना चलाई जा रही है।

भारतीय प्रयोगशालाओं में कार्य करने के इच्छुक विदेशी वैज्ञानिक

[हिन्दी]

356. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी वैज्ञानिक भारतीय प्रयोगशालाओं में कार्य करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन्हें देश में कार्य करने की अनुमति देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा : (क) से (घ) : जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के विभिन्न अन्तः सरकारी कार्यक्रमों के अधीन अनेक विदेशी वैज्ञानिक भारतीय प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए आते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कांटाबाजी क्षेत्र में नये कोयला भंडारों का पता लगाना

[अनुवाद]

357. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड ने बोलगीर जिला (उड़ीसा) के कांटाबाजी क्षेत्र में नये कोयला भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला भंडारों का सदुपयोग करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) उड़ीसा के बोलांगीर कांताबांजी क्षेत्र में कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले के कोई नये भण्डारों की खोज नहीं की गई है। भारतीय भू-सर्वेक्षण ने भी इस क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय ड्रिलिंग कार्य नहीं किया है। किन्तु, उड़ीसा सरकार के खनन एवं भूगर्भीय निदेशालय ने आसपास के क्षेत्र में वर्ष 1988-89 के दौरान कुछ ड्रिलिंग कार्य किया था। इस ड्रिलिंग कार्य से कोयले का वाणिज्यिक दृष्टि से दोहन किए जाने के संबंध में साकारात्मक कोयले के भंडारों का पता नहीं लगा है।

कलमस्सेरी में एच० एम० टी० एकक का विस्तार

358. श्री रमेश चेन्निथला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कलमस्सेरी में एच० एम० टी० एकक के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री०पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) चालू वार्षिक योजना में एच० एम० टी०-4, कलमस्सेरी के लिए केवल नवीकरण तथा प्रतिस्थापन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अतिरिक्त निवेशों के लिए निधियों के आवंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

मूंगफली के तेल में मूल्य वृद्धि पर रोक

359. श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापारियों ने 9 दिसम्बर, 1991 से मूंगफली के तेल के मूल्य वृद्धि पर अपने आप ही रोक लगा दी थी, जैसा कि 29 दिसम्बर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोक को हटा लिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने व्यापारियों से इस रोक को लगाने तथा उपभोक्ताओं का संरक्षण करने की अपील की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस अपील को व्यापारियों ने माना या नहीं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जी नहीं। मूल्य के सम्बन्ध में कोई अन्तिम सीमा नहीं थी। सरकार की अपील के प्रति व्यापारियों ने केवल सकारात्मक रुख दर्शाया था और वे खुदरा स्तर पर खुले मूंगफली तेल के मूल्यों में 4 से 5 रु० प्रति कि०ग्रा० की कमी करने पर सहमत हो गए थे। अहमदाबाद और बम्बई में मूल्य पुनः व्यापारियों के नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्होंने अन्ततः अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। इसके बावजूद जनवरी, 1992 के तीसरे सप्ताह से मूंगफली के तेल के मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है तथा कुछ स्थानों में वे व्यापारियों द्वारा पीछे दिसम्बर, 1991 में स्वैच्छिक रूप से की गई कमी से भी नीचे आ गए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन

360. श्री हरिन पाठक :

श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री 28 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी ग्रुप ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक प्रभावी व अर्थपूर्ण ढंग से विशेषकर सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अपना प्रतिवेदन/सुझाव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार तथा संघ राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक कारगर और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करने और प्रतितोष अभिकरणों की शक्तियां बढ़ाने से सम्बन्धित हैं, जिन्हें कार्यान्वित किए जाने पर देश भर में उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में गुणात्मक सुधार आएगा।

नैवेली लिग्नाइट निगम के आसपास लिग्नाइट आधारित सहायक एककों की स्थापना का प्रस्ताव

361. डा० पी० बल्लल पेरुमान :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नैवेली लिग्नाइट निगम के आसपास लिग्नाइट आधारित सहायक एककों की स्थापना के बारे में निगम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निगम द्वारा उद्यमियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० डी० श्यामगौड) : (क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने सरकार (कोयला मंत्रालय) को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का अनुरोध

363. श्री ए० चार्ल्स :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अधिक मात्रा में चावल, चीनी, गेहूं और खाद्य तेलों की सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कुल कितनी मात्रा का अनुरोध किया है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में चावल, चीनी, गेहूं और खाद्य तेलों का आवंटन किया गया;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान चावल, चीनी, गेहूं और खाद्य तेलों का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने प्रति महीने 2.36 लाख मी० टन चावल, 50,000 मी० टन गेहूं तथा 25000 मी० टन लेवी चीनी की मांग की है। उन्होंने आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में भी वृद्धि की मांग की है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध भण्डार बाजार में उपलब्ध मात्रा मौसमजन्य कारणों तथा विभिन्न राज्यों की परस्पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 91 में चावल के आवटन में तदर्थ वृद्धि की थी। लेवी चीनी के मामले में भी अगस्त, 91 से लेवी चीनी के कोटे के आवंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की गई थी।

विवरण

केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी तथा आयातित खाद्य तेलों का किया गया आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई इन वस्तुओं की मात्रा

महीना	गेहूं		चावल		आयातित खाद्य तेल		चीनी
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन
अप्रैल, 1991	30.0		142.5		शून्य		11.953
मई, 1991	30.0		142.5		शून्य		11.953
जून, 1991	30.0		142.5		0.56		11.953
जुलाई, 1991	30.0		142.5		शून्य		11.953
अगस्त 1991	30.0		152.5		0.1		13.753
सितम्बर, 1991	30.0		150.0		शून्य		14.949
अक्तूबर, 1991	30.0		150.0		1.0		12.551
नवम्बर, 1991	30.0		150.0		1.0		12.551
दिसम्बर, 1991	27.0		150.0		1.0		12.551
जनवरी, 1992	27.0		150.0		शून्य		12.551
फरवरी, 1992	30.0		150.0		शून्य		12.551

दिल्ली में झुग्गी निवासियों का पुनर्वास

364. श्रीमती सुशीला पोपालन :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी इलाके में अनुमानत: कितनी जनसंख्या रहती है;

(ख) क्या झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 13-14 लाख लोग दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी समूहों की समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 1990-91 से एक त्रि-आयामी नीति तैयार की गई है।

नीति-I वैकल्पिक स्थलों पर, उन पात्र झुग्गी-परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में है, जहां भूमि धारक अभिकरण अतिक्रमित भूमि पाकेटों पर अधिक जनहित में परियोजनाएं कार्यान्वित करने की स्थिति में हैं और झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं।

नीति-II में पात्र झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का उसी स्थान पर उन्नयन करने और भूमि की उन पाकेटों, जिनके लिए भूमि धारक अभिकरण अतिक्रमित भूमि पाकेटों का अनधिवासियों के लिए उपयोग करने के लिए स्लम विंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, के मामले में अनौपचारिक आधार पर विचार है। इस परियोजना में अनधिवासी परिवारों के बीच भूमि के समान वितरण द्वारा एक उन्नत/संशोधित अभिरूप में झुग्गी परिवारों के पुन: समायोजन पर विचार किया गया है।

नीति-III में पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत पात्र झुग्गी समूहों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में चिन्तन किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अप्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश पर आधारित उद्योग

365. श्री के० राममूर्ति तिंडिवनम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उदारीकरण नीति के बाद अप्रवासी भारतीयों द्वारा किन उद्योगों में पूंजी निवेश किया जा रहा है; और

(ख) विभिन्न औद्योगिक एककों में अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये गये पूंजी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से, 31 दिसम्बर, 1991 तक, विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) ने इंजीनियरी, ऑटोमोबील, रसायन, बैंचुत इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए 49 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिसमें कुल अनुमानित निवेश 2968.71 मिलियन रुपए है।

स्थापना-स्थल सहित एन० आर० आई० प्रस्तावों के अनुमोदनों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मनुष्य पर कीटनाशकों के प्रभाव

[हिन्दी]

367. श्री ब्रह्मा नन्द मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनुष्यों पर कीटनाशकों के प्रभावों का पता लगाने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा पोटाश का आयात

[अनुवाद]

368. डा० (श्रीमती) के० एस० लोग्रम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान पोटाश की कितनी मात्रा का आयात किया गया और 1991-92 के लिए कितनी पोटाश के आर्डर भेजे गए;

(ख) क्या इण्डियन पोटाश लिमिटेड के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी को पोटाश के आयात की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पोटाश की वितरक एजेंसियां दिए जाने के लिए इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) खनिज एवं धातु व्यापार नियम उर्वरकों के आयात के लिए जिसमें पोटाश भी शामिल है भारत सरकार का

सरकीबद्ध अभिकरण है। 1990-91 के दौरान एम० एम० टी० सी० ने 19.88 लाख टन पोटाश का ठेका लिया। 1991-92 के दौरान अब तक 21.75 लाख टन पोटाश का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(घ) भारतीय पोटाश लि० के अनुसार वितरण कार्य, पार्टी की वित्तीय क्षमता तथा उनके अनुभव तथा उत्पाद के दक्षतापूर्वक विपणन तथा वितरण के लिए उनके पास उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन

369. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने और किस प्रकार के कन्वेंशन स्वीकार किए;

(ख) सरकार ने अब तक इनमे से कितने कन्वेंशनों का अनुसमर्थन किया है;

(ग) क्या सरकार किसी अन्य कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित चार अभिसमय स्वीकार किए हैं :

— स्वतन्त्र देशों में स्वदेशी तथा जनजातीय व्यक्तियों से सम्बन्धित अभिसमय सं० 169; 1989;

— कार्य के दौरान रसायनों के प्रयोग में सुरक्षा से सम्बन्धित अभिसमय सं० 170; 1990;

— रात्रि में कार्य करने से सम्बन्धित अभिसमय सं० 171, 1990;

— होटलों, रेस्तराओं तथा इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों में कामकाजी दशाओं से सम्बन्धित अभिसमय सं० 172, 1991

भारत सरकार ने अभी तक इनमें से किसी अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने अभिसमय के अनुच्छेद 8 से सम्बन्धित दायित्वों को स्वीकार करके श्रम सांख्यिकी से सम्बन्धित अभिसमय सं० 160 का अनुसमर्थन करने का निर्णय किया है। इस अनुच्छेद का सम्बन्ध आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या की संरचना और वितरण सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन से है।

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

[हिन्दी]

370. श्री नवल किशोर राय :

श्री ललित उरांव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में तुलनात्मक प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए क्या योजना आयोग का विचार बिहार में कुछ और योजनाएं लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में 336.54 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बिहार सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए निवेश परिव्यय तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी शामिल है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992—97 के विकासात्मक पक्ष में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उपयुक्त भूमि सुधार तथा आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के जरिए मुख्यतः गांवों के स्थानीय क्षेत्र विकास के एकीकृत कार्यक्रम को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।

विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत राज्यवार 1987-88 (अनन्तिम)

क्र० सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31.7
2.	असम	22.8

1	2	3
3.	बिहार	40.8
4.	गुजरात	18.4
5.	हरियाणा	11.6
6.	हिमाचल प्रदेश	0.2
7.	जम्मू एवं कश्मीर	13.9
8.	कर्नाटक	32.1
9.	केरल	17.0
10.	मध्य प्रदेश	36.7
11.	महाराष्ट्र	29.2
12.	उड़ीसा	44.7
13.	पंजाब	7.2
14.	राजस्थान	24.4
15.	तमिलनाडु	32.8
16.	उत्तर प्रदेश	35.1
17.	पश्चिम बंगाल	27.9
18.	छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	7.7
19.	अखिल भारत	29.9

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी का खुदरा मूल्य

[अनुवाद]

371. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली मुख्य वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल के औसतन खुदरा मूल्य क्या थे और उसमें कितनी राजसहायता शामिल थी;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन वस्तुओं के संशोधित मूल्यों और उनमें शामिल राज-

सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धीरे-धीरे उक्त राजसहायता बन्द करने अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों तक सीमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे वर्गों अथवा परिवारों का पता लगाने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण अनुबन्ध पर दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए चावल, गेहूं, लेवी चीनी तथा मिट्टी के तेल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य दर्शाए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रमुख आवश्यक वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध करती हैं, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। वे इन वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में प्रासंगिक खर्चों, जैसे ढुलाई तथा रख-रखाव की लागत स्थानीय करों तथा उचित दर की दुकानों को दिए जाने वाले मार्जिनों को जोड़ करके अन्तिम खुदरा मूल्य नियत करते हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इन वस्तुओं के वितरण में 1990-91 में वहन की गई राज-सहायता की मात्रा इस प्रकार है :

	(करोड़ रु० में)
खाद्यान्न (चावल व गेहूं)	2142
लेवी चीनी	308
मिट्टी का तेल	2310

1991-92 के लिए राजसहायता का अभी अनुमान लगाया जाना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा कुछ निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के तहत आने वाले 1700 ब्लाकों का पता लगाया है ताकि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं बेहतर रूप में पहुंच सकें। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे वस्तुओं की उचित दर की दुकानों तक सुपुर्दगी करने के कार्य को मजबूत करें, जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं, उन्हें अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करें और उन क्षेत्रों में, जहां कहीं आवश्यक है, अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें।

विवरण

चावल, गेहूं लेवी चीनी तथा मिट्टी के तेल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

चावल	25-6-90 से	28-12-91 से	गेहूं 1-5-90 से	28-12-91 से
मोटा	289	377	234	280
मीडियम	349	437		
सुपर फाइन	370	438		

समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य

चावल			गेहूं	
मोटा	239	327	184	230
फाइन	299	387		
सुपर फाइन	320	408		

चीनी (लेवी) का उपभोक्ता मूल्य (रु० प्रति कि०ग्रा०)

लेवी चीनी	1-1-89	24-7-91	21-1-92
	5.25	6.10	6.90

मिट्टी के तेल का मूल अधिकतम बिक्री मूल्य (रु० प्रति कि० लीटर)
थोक में (भंडार केन्द्र से)

	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
15-10-90	2446:16	2446:16	2446.16
25-7-1991	2201.54	2201.54	2201.54

उत्प्रवास एजेंट

372. श्री [illegible] :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त उत्प्रवास एजेंटों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान किसी उत्प्रवास एजेंट का पंजीकरण रद्द किया गया है अथवा उसका नाम काली सूची में रखा गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और उत्प्रवास एजेंटों का पंजीकरण किया गया है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक एजेंट ने औसतन कितने-कितने उत्प्रवासियों को विदेश भेजा है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) 4-4-91 तक श्रम मन्त्रालय में पंजीकृत उत्प्रवास एजेन्टों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में अपराध करने वाली भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित करने और रद्द करने की व्यवस्था है। वर्ष 1991 तथा 1992 (2 -2-92 तक) के दौरान पांच पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किए गए थे। इस अवधि के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया।

(ग) चालू (कैलेन्डर) वर्ष 1992 (20-2-92 तक) के दौरान 28 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

(घ) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान प्रति एजेन्ट द्वारा विदेश भेजे गए उत्प्रवासियों की औसत संख्या क्रमशः 82 और 112 थी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35
2.	बिहार	2
3.	चण्डीगढ़	33
4.	दिल्ली	343
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	10
8.	जम्मू व कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	7
10.	केरल	35
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	896
13.	उड़ीसा	3

1	2	3
14.	पंजाब	59
15.	राजस्थान	15
16.	तमिलनाडु	59
17.	उत्तर प्रदेश	23
18.	पश्चिम बंगाल	6
	जोड़ :	1540

राष्ट्रीय नवीकरण कोष का संकल्पना पत्र

373. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय नवीकरण कोष पर सरकार ने संकल्पना पत्र को एक दम अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का श्रमिकों की सहकारिताओं को रुग्ण सरकारी उपक्रम सौंपना तथा उनके पिछले ऋणों को माफ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में ट्रेड यूनियनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोबार) : (क) और (ख) 20-1-1992 को आयोजित विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक में श्रम पक्ष ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष के बारे में संकल्पना पेपर का विरोध किया क्योंकि उनका यह मानना था कि उस पेपर में पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नहीं दर्शाया गया है। और यह केवल छटनी की क्षतिपूर्ति से संबंधित है।

(ग) से (ङ) विशेष त्रिपक्षीय समिति की 20-1-1992 की हुई बैठक में कतिपय व्यवसाय संघ संगठनों ने सुझाव दिया कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की पिछली देनदारियों को माफ कर दिया जाए और श्रमिकों को ऐसी इकाइयों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दे दी जाए तो कर्मकारों की सहकारी समितियां रुग्ण इकाइयों को अपने हाथ में ले सकती हैं।

कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र

374. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कैगा की तीसरी और चौथी यूनिट को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने कैगा परमाणु बिजली घर के तीसरे और चौथे यूनिट के लिए तथा पांचवें और छठे यूनिट के लिए अनुमति दे दी है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की निधियों में कथित हेराफेरी

[हिन्दी]

375. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की निधियों में हेराफेरी का आरोप लगाने वाली शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वित्तीय अनियमितताओं, मुख्यत: (i) मोबाइल वैनों की रचना; तथा (ii) स्तर से नीचे की (सब-स्टैण्डर्ड) ऊंचे मूल्यों वाली पुस्तकों के प्रकाशन के आरोप वाली एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) चूंकि यह शिकायत औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आइ टी आरसी) के ही एक वैज्ञानिक से अभिप्राय रखती थी, इस मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथम कार्रवाई के रूप में इसकी प्रामाणिकता की जांच विषयक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निवेश

[अनुवाद]

376. श्री मान्ये गोवर्धन :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० द्वारा अब तक कुल कितना निवेश किया गया है और इसमें कार्य-पूंजी कितनी है ;

(ख) पूंजी मशीनरी और अन्य भारी उपकरणों की खरीद पर कितनी राशि निवेश हुआ है;

(ग) कितनी खानें किराये के उपकरणों से चल रही हैं; और

(घ) क्या खनन कार्य के मशीनीकरण से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है जनशक्ति में कमी आई है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० और इनकी सहायक कंपनियों के खानों में कुल निवेश तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च की गई राशि और कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों की कार्यकारी पूंजी की राशि क्रमश: 11041.67 करोड़ रुपया और 977.61 करोड़ रु० थी।

(ख) दिनांक 31-3-1991 को भारी उपकरण सहित संयंत्र और मशीनरी की कीमत (मूल्य ह्रास से पहले सकल रूप में) 7033 करोड़ रु० थी।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अलाभकारी कोयला खानें

377. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जो कोयले के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि के बावजूद अलाभकारी बनी हुई है;

(ख) क्या इन खानों को जारी रखने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य हैं; और

(घ) प्रति मैन शिफ्ट उत्पादन में सुधार करने के लिए कौन से आवश्यक उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे उपलब्ध होते ही सभा पटल रख दिया जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजना

378. श्री बापू हरि चौरे :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशेष लघु योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को भी निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 23-24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में और परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित महत्व देने तथा गतिशील बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के 6 और 7 जनवरी, 1992 को हुए सम्मेलन में पहले ही किया जा चुका है। कार्य योजना को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रभारी सचिवों के पास कार्य योजना के विभिन्न घटकों पर कार्रवाई किए जाने के लिए भेजा जा चुका है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

379. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा के कितने अस्पताल/औषधालय हैं; और

(ख) राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा के नये अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) कर्नाटक में 7 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 137 औषधालय हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा के नए अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। शाहबाद तथा बेलगांव में अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है।

औषधीय पौधों का निर्यात

380. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से औषधीय पौधों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधीय पौधों की प्राप्ति किन स्थानों से की जाती है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में महेन्द्रगिर गन्धमर्दन और शिनलीपाल पहाड़ियों में बड़ी संख्या में औषधीय पौधे पाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो औषधियों का निर्माण करने एवं निर्यात करने के प्रयोजनार्थ इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ;

(ङ) क्या निर्यात प्रयोजन के लिए हाल में कुछ नए औषधीय पौधों की पहचान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) इन पौधों (पादपों) को मुख्यत: पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों, तमिलनाडु, केरल की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के वनों से प्राप्त किया जाता है ।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर द्वारा शुरू किए गए उड़ीसा के इन पहाड़ी क्षेत्रों के पादप संसाधन सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप लगभग एक सौ संभाव्य औषधीय तथा अन्य लाभकारी पादपों का अभिनिर्धारण किया गया है ।

(घ) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों को निर्यात तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इन पादपों के समुचित दोहन हेतु राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है ।

(ङ) इस क्षेत्र से निर्यात उद्देश्य के लिए किसी भी नए औषधीय पादप का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

381. श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "काउंसिल फॉर एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नालाजी" को विभिन्न संस्थानों और समितियों की ओर से ग्रामीण विकास हेतु अनुदान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) किन-किन संस्थानों और समितियों को उक्त अवधि के दौरान अनुदान दिया गया और प्रत्येक मामले में कितनी राशि का अनुदान दिया गया; और

(ग) इस अनुदान में से इन संस्थाओं में से प्रत्येक द्वारा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमश: 2438, 2987 और 4836 थी ।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमश: 1257, 1154 और 1157 संस्थाओं और समितियों को अनुदान दिया गया था । इन संस्थाओं और समितियों को 1988-89, 1989-90 1991-91 और के दौरान क्रमश: 28.26 करोड़ रुपए, 20.84 करोड़ रुपए और 17.34 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ग) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने इन संस्थाओं और समितियों को वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमश: 17.71 करोड़ रुपए,

17.47 करोड़ रुपए और 16.93 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की है। परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद निधियां किस्तों में रिलीज की जाती हैं। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह जांच की जाती है कि परियोजना का कार्यान्वयन निर्धारित मानदंड के अनुसार हो रहा है। यदि परियोजना के कार्यान्वयन को निर्धारित मानदंड के अनुसार पाया जाता है तो दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। अधिकांश मामलों में, भौतिक निष्पादन देखने के बाद स्वयंसेवी एजेंसी को मार्गदर्शन देने के लिए एक मानिटर नियुक्त किया जाता है। परियोजना के पूरा होने पर स्वयंसेवी एजेंसी को उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ अन्तिम प्रगति रिपोर्ट और लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण देना अपेक्षित होता है।

विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेके

382. श्री के० वी० तंग्काबालू :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कोयला क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कितने ठेके दिए गए;

(ख) कार्यान्वित किए गए ठेकों की संख्या कितनी है तथा कितने ठेकों पर काम चल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इनके कार्य की पुनरीक्षा की है और इसे संतोषजनक पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इन ठेकों को विदेशी कंपनियों को देने के स्थान पर भारतीय कंपनियों को देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस संबंध में पिछले 2 वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में विदेशी फर्मों को दिए गए ठेकों की संख्या 23 है।

(ख) उपर्युक्त 23 ठेकों में से 8 ठेके अभी तक निष्पादित कर दिए गए हैं और शेष 15 ठेके चालू स्थिति में हैं।

(ग) और (घ) इन ठेकों के कार्य की प्रगति कोयला कंपनी और सरकारी स्तर पर समय-समय पर गहन समीक्षा द्वारा की जाती है। इन ठेकों के कार्य की प्रगति आमतौर पर संतोषजनक पाई गई है।

(ङ) नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत किए जाने और उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा में सुधार किए जाने और कोयले के उत्खनन में उच्च दर प्राप्त किए जाने के लिए अन्य ऐसे देशों से, जिनके पास ऐसी विशेषज्ञता प्राप्त है, उनसे चयनकृत द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। विदेशी फर्मों को सरकार द्वारा ठेके इस बात से संतुष्ट होने के बाद दिए जाते हैं कि प्रस्तावित की गई प्रौद्योगिकी तथा उपकरण, जो कि आयातित की जाती है, वह देश में उपलब्ध नहीं है और जहां कि सहयोगकर्ता देश द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा रही है।

बहुत छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग नीति

383. श्री आर्य फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत छोटे औद्योगिक क्षेत्र को सारे नियंत्रणों से मुक्त करने के लिए एक अलग नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का उद्देश्य "इन्सपेक्टर राज" समाप्त करना तथा इस क्षेत्र को नौकरशाही के बंधनों से मुक्त करना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) लघु अतिलघु एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ बनाने हेतु 6 अगस्त, 1991 को संसद में घोषित नीति संबंधी उपायों के सभी विधानों, विनियमनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और परिवर्तन करने की परिकल्पना है ताकि उनका आसानी से कार्य करना सुनिश्चित हो सके।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

384. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में दिसम्बर, 1991 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अधिकांश राज्यों ने केन्द्रीय सहायता वितरण संबंधी फार्मूले तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव पर परस्पर भिन्न विचार व्यक्त किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु अनुमोदित फार्मूला इस प्रकार है :—

1. कुल केन्द्रीय सहायता से विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखना, जैसा कि अब किया जा रहा है।

2. शेष राशि में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए समुचित राशि रखना जैसे—

(क) पहाड़ी क्षेत्र;

(ख) जनजाति क्षेत्र;

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र; और

(घ) एन० ई० सी०

3. दस विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30 प्रतिशत शेष राशि को रखते हुए; और

4. निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार पन्द्रह गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के बीच शेष राशि का आवंटन :

	मानदंड		अधिभार (प्रतिशत)
1.	जनसंख्या (1971)		60%
2.	प्रति व्यक्ति आय जिसमें :		25%
(क)	विचलन विधि के अनुसार जिनमें केवल वे राज्य आते हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति एस० डी० पी० राष्ट्रीय औसत से कम है	20%	
(ख)	"अन्तर" विधि के अनुसार सभी 15 राज्य	5%	
3.	कार्य निष्पादन		7.5%
(क)	जिसमें पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथा परिभाषित "कर प्रभार" के अनुसार	2.5%	
(ख)	पूर्व संशोधित फार्मूले में यथा परिभाषित राजकोषीय प्रबन्धन के अनुसार; और	2.5%	
(ग)	राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में प्रगति के अनुसार	2.5%	
4.	विशेष समस्याएं		7.5%

राष्ट्रीय प्राथमिकता के निश्चित कार्यक्रमों के बारे में कार्य निष्पादन के मानदंड के तहत अनुमोदित फार्मूले में चार लक्ष्य शामिल हैं, जैसे :—

(1) जनसंख्या नियंत्रण (2) निरक्षरता उन्मूलन (3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और (4) भूमि सुधार में सफलता।

आगे इस पर सहमति हुई कि जैसा कि नरसिंह राव समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि 113 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय अंश सहित हस्तांतरित कर दी जाएं।

अमरीका द्वारा समुद्री आंकड़े न देना

386. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी समुद्र वैज्ञानिकों ने अपने भारतीय समकक्षों को पिछले वर्ष हिन्द महासागर में किए गए एक परीक्षण, जिसमें भारत भी सहयोगी था, के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा महत्वपूर्ण समुद्री आंकड़े भारतीय वैज्ञानिकों को न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं श्रीमान। सम्पूर्ण प्रयोग भारतीय जलयान पर किया गया था और सभी संगत आंकड़े हमारे पास हैं। डाक सेवा के विलम्ब के कारण मूल संकेत आयाम आंकड़ा प्राप्त करने में कुछ देरी हुई। हालांकि यह सूचना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस प्रयोग में पूर्व परिकलन एक सामान्य नित्यक्रम अभ्यास है।

(ख) आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि इसे प्राप्त किया जा चुका है।

(ग) यह एक सहयोगात्मक प्रयोग था एवं प्रत्येक देश से अपना आंकड़ा एकत्र करने की उम्मीद की गई थी।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन

387. श्री डी० डी० खनेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलनों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता औद्योगिक आन्दोलन के फलस्वरूप रोजगार अवसरों के सृजन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता को हमेशा प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार का प्रोत्साहन हिमाचल प्रदेश राज्य में भी दिया गया है। इस प्रकार के निरंतर प्रोत्साहन के फलस्वरूप, औद्योगिक सहकारी-संस्थाएं फलों, सब्जियों आदि जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार ने हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों जैसे परंपरागत शिल्प व उद्योगों के विकास में भी सहकारिता को प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य की सहकारी संस्थाओं को वित्त प्रदान किया है।

(ख) इस विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार रोजगार उत्पन्न करने सहित अनेक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारी-संस्थाओं सहित उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इस बारे में कुछ अध्ययन भी किए गए हैं। तथापि, हिमाचल प्रदेश के लिए उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित किस्म का कोई अलग अध्ययन करना जरूरी नहीं समझा गया है ।

विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले का सप्लाई

[हिन्दी]

388. श्री पीयूष तोरकी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विद्युत संयंत्रों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें घटिया कोयले की सप्लाई की जा रही है और कोयले की समय पर सप्लाई नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की किस्म और उसकी सप्लाई स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगोड) : (क) विद्युत गृहों ने कोयले की आपूर्ति में विलम्ब होने तथा कोयले की गुणवत्ता, बड़े आकार में कोयले की प्राप्ति और कोयले में पत्थर-कंकड़ तथा अन्य अवशिष्ट सामग्री शामिल होने के सम्बन्ध में शिकायतें की हैं ।

(ख) विद्युत उपयोगिताओं को कोयले के प्रेषण तथा आवंटन के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । इसके अलावा समान आधार के कोयले का लदान, जो कि अवशिष्ट सामग्री से रहित हो, का सुनिश्चय किए जाने के लिए लदान स्थलों पर कोयला रखरखाव संयंत्रों की व्यवस्था की जा रही है। कोल इंडिया लि० अब गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी शिकायतों पर बहुत जोर दे रही है और उपभोक्ताओं की ऐसी शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। कौलियरियों के स्थल पर वैगनों के लदान के पर्यवेक्षण कार्य पर सख्ती रखी जा रही है और विद्युत उपयोगिताओं को स्वयं ही लदान स्थलों पर कोयले के लदान कार्य का पर्यवेक्षण किए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

स्वाजीलैंड के राजदूत के साथ पंजाब-हरियाणा वाणिज्य और उद्योग मंडल की बैठक

[अनुवाद]

389. डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-हरियाणा वाणिज्य और उद्योग मंडल के पदाधिकारियों की स्वाजीलैंड के राजदूत के साथ हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) क्या स्वाजीलैंड सरकार का वैर सरकारी उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पहल करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत के लिए स्वाजीलैंड के उच्चायुक्त जो सियोल में रहते है ने भारत का दौरा किया और 27 जनवरी, 1992 को वाणिज्य एवं उद्योग के पी० एच० डी० चैम्बर के एक छोटे शिष्टमंडल के साथ विचार-विमर्श किया। स्वाजीलैंड के उच्चायुक्त ने निवेश के लिए अपने देश में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और स्वाजीलैंड की अर्थ-व्यवस्था, व्यापार के सम्भावित क्षेत्र, दोनों देशों के बीच सहयोग तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। संयुक्त उद्यम इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के उद्यमियों द्वारा पहल की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी

390. डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ का विचार सभी महानगरों में विचार गोष्ठियों की एक शृंखला आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) या संघ द्वारा सूचना उद्योग में व्यवसाय के अवसरों के संबंध में कुछ सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित कदमों सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) तथा (ख) सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ (एम० ए० आइ० टी०) ने बंगलूर तथा मद्रास में विचार-गोष्ठियां आयोजित की है तथा कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में विचार गोष्ठियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। इन विचार-गोष्ठियों के उद्देश्यों में—जनशक्ति आवश्यकता संबंधी शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा औद्योगिक समुदाय के विचार, वांछित जनशक्ति का विकास तथा जनशक्ति आपूर्ति-मांग अन्तराल का निर्धारण-सम्मिलित हैं।

(ग) तथा (घ) चूंकि कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ (एम० ए० आइ० टी०) को परिकल्पित सभी पांच विचार-गोष्ठियों के पूरा होने के बाद इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ सुझावों की एक समेकित सूची तैयार करनी है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक

391. डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में कुछ चुने हुए लोगों ने ही भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बैठक में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस परिषद सदस्यता सरकारी विभागों, कर्मचारियों के संगठनों, श्रमिक संगठनों, तकनीकी संगठनों के प्रतिनिधियों, स्थानीय उत्पादकता संगठनों के प्रतिनिधियों एवं को-आपटेड मेम्बरों से पूरी की जाती है।

परिषद की 25 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में बैठक की गई। इस बैठक में 35 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें पांच ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि थे।

इस बैठक में, देश के उत्पादकता आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श करने के अलावा, वर्ष 1990-91 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा रिपोर्ट, 1991-92 के वास्ते संशोधित बजट अनुमान और 1992-93 के लिए बजट अनुमान पारित किये गये।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोयला स्टाकयार्ड

392. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोयले का कोई स्टाकयार्ड/भंडार स्थल स्वीकृत किया है, यदि हां, तो इसे किस तिथि को स्वीकृत किया गया, और अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से कितना कोयला निकाला गया; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से किसी कंपनी के नाम से कुछ कोयला स्वीकृत किया गया था, और यदि हां, तो उन कंपनियों के क्या नाम हैं और उनसे कितना कोयला निकाला ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री० एस० बी० न्यामगौड़) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उन्होंने वर्ष 1991 में पोर्ट-ब्लेयर में स्टाकयार्ड को चालू किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित की थीं। चूंकि निविदाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले थे, इसलिए कोई भी स्टाक-यार्ड संबंधी कार्यचालन कार्य नहीं किया जा सका। अतः इस प्रयोजन के लिय कोयले को प्रेषित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं।

लघु और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निगरानी एजेंसियां

[हिन्दी]

393. श्री बलराज पासी :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ करने के लिए कुछ विशेष निगरानी एजेंसियां स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु अति लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने व मजबूत करने के लिए 6-8-91 को संसद में रखे गए नीतिगत उपायों के पैरा 3.1 में परिकल्पित एक विशेष निगरानी एजेंसी अभी स्थापित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

394. श्री पी० एम० सईद :

प्रो० श्रीमती रीता वर्मा :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री महेश कनोडिया :

श्री रूपचन्द पाल :

श्री आर० जोवरत्नम :

श्री ई० अहमद :

श्री राम नाईक :

श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्रीमती कुन्धेन्द्र कौर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमानुल्लाह अहमद) : (क) दिसम्बर, 91 और जनवरी, 92 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाले एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति नियमित अंतरालों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्यों की समीक्षा करती है और मांग तथा आपूर्ति में असंतुलनों को ठीक करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करती है। इसके लिए राज्य व्यापार निगम के जरिए "एक्सिम स्किम्स" के बदले पामोलीन का आयात करने की अनुमति दी गई है और राज्य सरकारों को भी, उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से, पामोलीन का आयात करने की अनुमति दी गई है। देश में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप दिया गया है और समाज के निर्धन वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद करने हेतु इसका दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों, सुविधाहीन क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों इत्यादि में लगभग 1700 ब्लाकों का चयन किया गया है।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरों, चोरबाजारियों इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-91 से 31-1-1992 की अवधि में 158387 छापे मारे गये, 5374 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 6591 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 280 व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हुआ और 2505.17 लाख रु० का माल जब्त किया गया।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप पिछले सात सप्ताहों के दौरान मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, चने की दाल, तुर की दाल, चीनी, चाय, आलू और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है।

विवरण

दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	प्रतिशत उतार चढ़ाव	
	दिसम्बर, 1991	जनवरी, 1992
1	2	3
चावल	+1.9	+4.3
गेहूं	+6.1	+10.8

1	2	3
ज्वार	+9·9	+3.5
बाजरा	+8.4	+6.8
चना	+0.1	+1.0
अरहर	—3.5	+1.0
मूंग	—0.9	स्थिर
मसूर	—0 5	—3.6
उड़द	—4.7	+0.9
आलू	—7.2	—27.8
प्याज	—37.0	—19.6
दूध	+1.1	—1.7
मछली	—2.2	+8.3
गोश्त	—0.4	+0.2
लाल मिर्च	—0.5	—5.9
चाय	—3.6	—1.9
कोक	+8.7	+23.9
मिट्टी का तेल	स्थिर	+0.2
आटा	+4.8	+0.5
चीनी	—0.4	+2.2
गुड़	—9.5	—4.3
नमक	+0.4	+0.6
वनस्पति	+1.0	—0.4
सरसों का तेल	+0.3	+0.7
नारियल का तेल	+6.4	+4.6
मूंगफली का तेल	+0.1	—0.3
सूती कपड़ा (मील का)	+0.1	स्थिर

1	2	3
कपड़े धोने का साबुन	+2.3	+6.8
दियासलाई	+0.7	+2.2
समग्र वस्तुएं	+0.4	+1.2

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा

396. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति ,

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा राशि देने के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को कब तक पर्याप्त मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) प्रत्येक श्रेणी के दावों के लिए दी जाने वाली मुआवजे की कुल राशि और प्रत्येक प्रकार के घायल या हानि के संबंध में सामान्यत: देय मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के अधीन केन्द्र सरकार को अधिकार प्राप्त है। कल्याण आयुक्त को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए प्रस्ताव नहीं है। फिर भी उपवर्णित मार्गदर्शी सिद्धांत जिन्हें वह विस्तृत आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते समय विचार मे रख सकते हैं, देने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अधिनिर्णय कार्यवाहियां प्रारम्भ हो चुकी हैं। यह बताना कठिन है कि सभी पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के लिए आयुक्तों द्वारा सही कितना समय लिया जाएगा।

पिछले छ: महीनों के दौरान नौकरियों का सृजन

396. श्री अम्मा जोशी :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 10,00,000 नौकरियों का सृजन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों के दौरान कितनी नौकरियों का सृजन किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने युवकों को रोजगार दिया गया ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विकास प्रक्रिया में अपने दस वर्षों में सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष औसतन एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का है।

(ख) और (ग) गत 6 महीनों के दौरान जुटाए गए काम के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण विकास के लिए बिहार को धनराशि

[हिन्दी]

397. श्री राजेश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अधिकांश गांव गरीबी और रोजगार के मामले में सबसे पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गांवों के विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के इन गांवों के विकास के लिए इनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष धनराशि का आवंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) विभिन्न राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में गांव-वार तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस बात की पुष्टि करना अथवा नकारना संभव नहीं है कि बिहार के अधिकांश गांव गरीबी और बेरोजगारी के मामले में सबसे पिछड़े हुए हैं। तथापि, समग्र राज्य के आंकड़े उपलब्ध हैं। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पिछला सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43 वें दौर के दौरान वर्ष 1987-88 में किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43 वें दौर के आंकड़ों के अनुसार, बिहार ऐसा राज्य नहीं है जहां गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति सबसे अधिक हो और, इसलिए इसे गरीबी और बेरोजगारी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, बिहार में गांवों के विकास के लिए विशेष निधियों के आवंटन की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, गांवों का सामाजार्थिक ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से राज्यों को जवाहर रोजगार योजना की निधियों का आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। निधियों का उसके बाद जिलों और फिर गांवों के बीच आवंटन विशेष तौर पर बनाए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाता है। गांवों को निधियों का आवंटन एक निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया जाता है जो कि अधिकांशतः गांव की कुल जनसंख्या से सम्बन्धित होता है और जिसमें गांव की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उत्तर बिहार में खोई पर आधारित कागज मिल

399. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के चम्पारन जिले में खोई पर आधारित कागज मिल स्थापित करने

की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान पेपर मिल्स लिमिटेड ने उक्त कागज मिल के लिए स्थान चुन लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कागज मिल को स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों/भूखंडों का बारी पूर्व आबंटन

[अनुवाद]

400. श्री राम विलास पासवान :

क्या शहरी विकास मंत्री अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों/भूखंडों का बारी पूर्व आबंटन के बारे में 8 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 167 मकानों/भूखंडों में से कितने मकानों/भूखंडों का बारी पूर्व आबंटन किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके बाद भी मकानों/भूखंडों का बारी पूर्व आबंटन किया है;

(ग) यदि हां, तो उन सभी आबंटितियों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आबंटितियों सहित ब्यौरा क्या है जिन्हें बारी पूर्व आबंटन किया गया है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकलांग और पात्र उम्मीदवारों को बारी पूर्व आबंटन की शर्तें पूरी करने के बावजूद नजर अंदाज कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ग) से (ङ) तक

सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना-बारी आधार पर फ्लैटों का आबंटन किया है।

उबंरक बोरि

401. श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उर्वरक नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थापित की गई अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति निम्न प्रकार है :—

(1) स्वदेशी फीडस्टाक के उपयोग पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम स्तर तक स्वावलम्बन प्राप्त करना।

(2) चूंकि स्वदेशी कच्चे माल की उपलब्धि में बाधायें फास्फेटिक उर्वरकों के सम्बन्ध में स्वावलम्बन की स्वीकृति नहीं देती, इसलिए उत्पादन मिश्रित होगा जिसमें ये अन्तग्रस्त होंगे (क) स्वदेशी राक फास्फेट और आयातित राक फास्फेट तथा सल्फर पर आधारित स्वदेशी उत्पादन (ख) अमोनिया तथा फोस्फोरिक एसिड की तरह के आयातित मध्यवर्तियों पर आधारित स्वदेशी उत्पादन, और (ग) डी० ए० पी० का आयात।

(3) पोटासिक उर्वरकों का पूर्णतः आयात करना पड़ेगा क्योंकि देश में पोटेसिक उर्वरकों के ज्ञात स्त्रोत नहीं है।

(ख) नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों के सम्बन्ध में गत 3 वर्षों के दौरान स्थापित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

	"एन०"	"पी०"
1988-89	11,'5,000 मि० टन	3,87,000 मि० टन
1989-90	—	1,00,000 मि० टन
1990-91	1,12,000 मि० टन०	32,775 मि० टन०

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (अर्थात 1996-97) तक नाइट्रोजन क्षमता को 82.50 लाख टन से बढ़ा कर 118.17 लाख टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार, फास्फेटिक उर्वरक क्षमता को 27.57 लाख टन से बढ़ा कर 37.67 लाख टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है।

मैट्रो रेल परिवहन प्रणाली

402. श्री प्रकाश वी० पाडिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल किन नगरों पर मैट्रो रेलवे प्रणाली चालू है;

(ख) क्या और अधिक मैट्रो रेलवे प्रणाली शुरू करने, विशेषतौर पर बम्बई तथा अन्य महा-

नगरों में, हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भूमिगत मैट्रो रेल पद्धति कलकत्ता में टालीगंज एस्टलेनेड (7.64 कि० मी०) तथा दमदम बेलगाछिया (2.15 कि० मी०) के बीच चालू है। दिल्ली के सम्बन्ध में, मैसर्स राइटस को अप्रैल, 1989 में एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। मैसर्स राइटस् ने दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पूर्व-पश्चिम दिशा तथा उत्तर-दक्षिण दिशाओं मे कुल 27 कि० मी० के दो भूमिगत मैट्रो कारीडोरों की सिफारिश की है।

वर्तमान में किसी अन्य महानगरीय शहर के लिए मैट्रो रेल पद्धति आरम्भ करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

403. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गरीब लोगों को उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरूप निम्न आय वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से कोई जांच दल गठित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस प्रणाली में सुधार करने हेतु तथा गरीब लोगों को वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की वसूली, भंडारण तथा ढुलाई का कार्य करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है। आंतरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है, जिसमें हकदारी की मात्रा तय करने, अन्तिम खुदरा मूल्य नियत करने उचित दर की दुकानों में उपलब्धता की आवश्यकता तय करने, उचित दर की दुकानों के स्तर पर आपूर्ति तथा उपलब्धता परिवीक्षा करना, उपयुक्त वितरण की निगरानी तथा जांच करने के बारे में निर्णय करना शामिल है। इतने बड़े आकार के कार्य में जिसमें लाखों की टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुए उचित दर की दुकानों के विशाल तंत्र के जरिए वितरित की जाती है, आपूर्ति तथा उपलब्धता में कभी-कभार व्यवधान होने से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है। फिर भी आबादी के एक बड़े वर्ग को उचित मूल्यों पर मूलभूत

आवश्यक वस्तुएं, विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के अधिकारी उचित दर की दुकानों का निरीक्षण तथा अकस्मात दौरे करते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे महिला संगठनों, स्वैच्छिक तथा उपभोक्ता संगठनों, लोगों के चुने प्रतिनिधियों के सहयोग से उचित दर की दुकानों ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें, ताकि कुछ व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोका जा सके। अनेक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सतर्कता समितियां गठित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

जीवन रक्षक औषधों के मूल्य पर हाथी आयोग की रिपोर्ट

404. श्री भारावन सिंह चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी आयोग की रिपोर्ट में जीवन रक्षक औषधों के मूल्य में कमी करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है; और

(ग) उन सभी सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) औषध एवं भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति, जिसे आमतौर पर हाथी समिति के रूप में जाना जाता है, ने औषधों एवं भेषजों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि औषधों एवं भेषजों के संबंध में उचित मूल्य सुनिश्चित करने के विचार से सभी औषधों और भेषजों की अपेक्षा मूल्य विनियमन पद्धति में अधिक चयनात्मकता वांछनीय होगी चाहे उनका महत्व कुछ भी हो। डी० पी० सी० ओ०, 1979 और 1987 की घोषणा के पीछे यह मार्गदर्शी सिद्धान्त रहा है।

जनसंख्या की समस्या के सम्बन्ध में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक

[अनुवाद]

405. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने 3—5 जनवरी, 1992 को अपनी तीन दिवसीय बैठक में जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या की समस्या का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने के लिए कोई कार्य-प्रणाली बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक 3 से 8 जनवरी, 1992 तक छः दिनों के लिए बड़ोदरा में हुई थी जिसमें चर्चा का मुख्य विषय "विज्ञान, जनसंख्या और विकास" था।

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, जो विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करती है, से अन्तिम सिफारिशें सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। उनके प्राप्त होने पर, इन सिफारिशों पर इस प्रयोजन के लिए गठित एक अन्तर-मंत्रालयीय टास्क फोर्स द्वारा विचार किया जाता है ताकि संबंधित विभाग तथा एजेंसियां उन पर उचित कार्रवाई कर सकें। की गई कार्रवाई की मुख्य-मुख्य बातों की सूचना विज्ञान कांग्रेस के अगले अधिवेशन के दौरान एक सत्र में टास्क फोर्स की रिपोर्ट रिलीज करके भी दी जाती है।

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

407. श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) घाटे में चल रहे उपक्रमों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1990-91 के अन्त तक इन उपक्रमों को हुए कुल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपक्रमों में 1990-91 के अन्त तक सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया था; और

(घ) इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा इन्हें औसत मासिक तनख्वाह कितनी दी जाती है तथा वेतन के अलावा इनके रख-रखाव और अन्य प्रशासनिक खर्च के रूप में इन पर प्रतिमाह औसतन कुल कितना खर्च होता है ?

उद्योग-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंचन) : (क) एवं (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 233 चालू उद्यमों में से 98 उद्यमों ने 1959.09 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया है।

(ग) 31.3.1990 तक इन उद्यमों में 99,315.31 करोड़ रुपये का कुल पूंजीनिवेश किया गया था।

(घ) 31.3.1990 तक इन उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 23.17 लाख थी। 22.36 लाख नियमित कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत मासिक परिलब्धि 3639 रुपये थी तथा 31.3.1990 तक अनुरक्षण, प्रशासन, बस्तियों के निर्माण तथा सामाजिक उपरिव्ययों पर कुल खर्च 1354.19 करोड़ रुपये था।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशि में कटौती

408. श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में छपने

डेवलपमेंट प्लान स्लैश्ड बाई फ्रीज 500 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नियत की गई धनराशि में से कितनी राशि कम करने का विचार है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं के लिए नियत की गई धनराशि में कटौती करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण प्रभावित होने वाली योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के संबंध में कितनी धनराशि कम करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) सरकार को 1991-92 में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों में कटौती किए जाने के बारे में 3 फरवरी, 1992 के "दि इकनामिक टाइम्स" में छपे समाचार की जानकारी है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए संशोधित प्राक्कलनों को 1992-93 के लिए बजट प्राक्कलनों के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारगर बनाने हेतु उपाय

409. श्री नीतीश कुमार :

श्री जीवन वर्मा :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 1992 को इण्डियन एक्सप्रेस में "एफ० पी० एस० सप्लाई बीइंग डाइवर्टेड; एडमिनिस्ट्रेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में दिसम्बर, 1991 को उचित दर की कुल कितनी दुकानें थीं तथा जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 के बीच कितनी ऐसी दुकानों पर छापे मारे गये;

(ग) कितने दुकानदार दोषी पाये गये थे तथा उस खाद्यान्न की मात्रा कितनी थी जिसकी अनियमितता के बारे में प्रमाण मिले थे;

(घ) इस प्रकार के कदाचार के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए निरीक्षण विभाग में मूलभूत परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में 3546 उचित दर दुकानें हैं (31.12.91 की स्थिति) जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि में दिल्ली प्रशासन के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा कुल 542 उचित दर दुकानों की जांच की गई थी।

(ग) 301 मामलों में अनियमिताएं देखी गई, जिनमें विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की 1265 क्विंटल मात्रा अन्तर्ग्रस्त थी।

(घ) 28 उचित दर दुकानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई और 184 उचित दर दुकानधारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जांच के दौरान जो देखने में आए वे कर्मचारियों की वजह से नहीं थे।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं और वस्तुओं की हेरा-फेरी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा जमाखोरी और अन्य कदाचारों पर नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाएं।

उर्वरक में देय राजसहायता में कटौती किए जाने के कारण होने वाली बचत

410. श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण होने वाली राजसहायता की बचत का अनुमानित लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या इस लक्ष्य की पूर्ति होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक की गई टिप्पणियों के आधार पर चालू वर्ष में उर्वरक पर कितनी राजसहायता दिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जब 14.8.91 से उर्वरकों के मूल्य औसतन 30 प्रतिशत बढ़ाये गये तो यह अनुमान लगाया गया था कि उर्वरक आर्थिक सहायता में लगभग 1350 करोड़ रु० की बचत होगी।

(ख) उपर्युक्त मूल्य बढ़ोतरी के कारण स्वदेशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के संबंध में लगभग 885 करोड़ रु० की बचत की संभावना है।

मूल्य बढ़ोतरी के कारण आयातित उर्वरकों पर चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता में बचत की वास्तविक मात्रा विभिन्न परिवर्ती कारणों की वजह से इस समय ठीक-ठीक सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

(ग) अब तक, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में चालू वर्ष के लिए 4250 करोड़ रु० की राशि दी गयी है। चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमानों की प्रतीक्षा है।

कोयला कंपनियों में श्रमिक संघ

411. श्री राम टहल चौधरी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कंपनियों में कोई भी मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ मौजूद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोयला कंपनियों में मान्यताप्राप्त मजदूर संघ विद्यमान हैं। इसके अलावा, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनस, हिंद मजदूर सभा और भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध सभी मजदूर संघों को मान्यता-प्राप्त मजदूर संघों के रूप में माना जाता है और उनके साथ कोलियरी/क्षेत्र, सहायक कंपनियों के मुख्यालय स्तर पर तथा कोल इंडिया लिमिटेड के स्तर पर समझौते किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

412. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने उद्योग स्थापित किए गए; और

(ग) ये उद्योग किन किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए और इन उद्योगों में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होता है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) 23 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

—अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग।

—उत्पादन अधिकतम करना और उत्पादकता को बढ़ाना।

—रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करना।

—औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकास कार्यों में प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

—कृषि पर आधारित उद्योगों को अधिमान देकर तथा अंतर-क्षेत्रीय संबंधों को अधिकतम बढ़ावा देकर कृषि के आधार को मजबूत करना।

—निर्यातोन्मुख तथा आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योगों को तेजी से बढ़ावा देना।

—आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देना और निवेश का समान वितरण करना तथा आय को दूर-दूर तक फैले हुए छोटे किन्तु विकासमान ग्रामीण व शहरी एककों के बीच बांटना।

—ऊंची कीमत और खराब क्वालिटी के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण देना।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 1989 से जनवरी, 1992 तक की अवधि में 130 औद्योगिक लाइसेंस

दिये गये हैं। औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जैसे कि उपक्रम का नाम व पता, स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु/वस्तुओं, तथा स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस की क्षमता आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से छापे जाते हैं और प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश को जारी किये गये लाइसेंस और आशय पत्र

413. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नये औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए कितने प्रार्थना पत्र अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) इन प्रार्थना पत्रों पर कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापनार्थ 1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 15 औद्योगिक लाइसेंस तथा 60 आशय पत्र दिये गये थे।

(ख) दिनांक 21-2-1992 को आशय पत्रों की मंजूरी के लिए 550 आवेदन विचाराधीन थे।

(ग) औद्योगिक स्वीकृति हेतु आवेदनों को निपटाने के लिए निश्चित समय सीमाएं निर्धारित की हुई हैं। आवेदनों का निपटान निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित करने हेतु हर तरह के उपाय किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रम

414. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का पता लगाया है जो पिछले तीन वर्षों से सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन : (क) से (ग) जी हां,। सरकार ने ऐसे उपक्रम निर्धारित कर दिये हैं जिन्होंने अपनी निवल सम्पत्ति में कमी की है तथा वित्तीय घाटे उठाए हैं।

उद्यम विशेष में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी समन्वयन, आधुनिकीकरण आदि के क्षेत्र में उपचारी कार्रवाई की जाती है। उद्यमों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करने तथा तदनुरूप जवाबदेह बनाने और किसी समझौते के आधार पर उसके कार्यनिष्पादन व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पद्धति कार्यान्वित की जा रही है। बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम, जिनके उद्धार की कोई सम्भावना नहीं है, उनके लिए पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिये उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजा जाये।

सुपर बाजार में तथाकथित अनियमितताएं

[अनुवाद]

415. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के लिए सुपर बाजार के वार्षिक लेखों तथा लेखा-परीक्षण रिपोर्टों से इसमें विद्यमान वित्तीय अनियमितताओं तथा कुप्रबंधन का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुपर बाजार के कुप्रबंधन के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 1990-91 के लिए लेखाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वित्त प्रबंध में भारी अनियमितताओं और कुप्रबंधन का संकेत नहीं मिलता है। लेखा-परीक्षा-रिपोर्ट में स्टोर के रोजाना के कार्यों पर नेमी टिप्पणियां हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लेखा परीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन पर सुपर बाजार की प्रबंध समिति द्वारा नजर रखी जाएगी।

मोटर गाड़ियों के नकली/घटिया पुर्जे

416. श्री सुदर्शन राय चौधरी :

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मोटर गाड़ियों के बेचे जाने वाले

अधिकांश प्रतिशत पुर्जे नकली तथा घटिया स्तर के होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में रोकथाम संबंधी क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) किसी लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत मोटरगाड़ी पुर्जे निर्माता द्वारा अविश्वसनीय पुर्जों की आपूर्ति किए जाने के बारे में मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

फार्मास्युटिकल एककों को अर्थक्षम बनाना :

417. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के फार्मास्युटिकल एककों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजने के पूर्व इनको अर्थक्षम बनाने का कोई प्रयास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन एककों को अर्थक्षम बनाने का किसी और से कोई नया प्रस्ताव आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का प्रस्ताव है ।

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) यह प्रश्न सम्भवत: बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, बंगाल इम्युनिटि लि० और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० से संबंधित है। इन तीनों कंपनियों को विगत वर्षों से भारी नगद हानियां हो रही हैं। बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और बंगाल इम्युनिटी लि० के संबंध में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के परामर्श से तैयार पुनस्थापन योजनाओं से यह पता चलता है कि संचित हानियों और सरकारी ऋणों को बट्टे खाते में डालने के अलावा इन्हें काफी बड़ी योजना और गैर योजना राशि की आवश्यकता होगी। स्मिथ स्टेनिस्ट्रीटफार्मास्युटिकल्स लि० के संबंध मे पुन: स्थापना योजना जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है के लिए भी संचित हानियों और सरकारी ऋणों को बट्टेखाते में डालने के अतिरिक्त पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना जो इन यूनिटों के प्रस्तावित पुन: स्थापन योजना का एक अभिन्न अंग है, को पहले ही लागू कर दिया गया है ताकि अत्यधिक जनशक्ति को घटाया जा सके और निर्धारित लागत में कमी लायी जा सके। इन कंपनियों को न तो विभाग द्वारा और न कंपनी के प्रबंधकों द्वारा अभी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास नहीं भेजा गया है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

418. **श्री पी० जी० नारायणन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 1990-91 के दौरान सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी लोगों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किये;

(ख) उनमें से कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और कितने अराजपत्रित अधिकारी है;

(ग) अब तक कितने मामले निपटाये गये और उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई और कितने लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार को 1990 के दौरान अदालत द्वारा लगाए गए दण्ड के रूप में और सरकारी कर्मचारियों से वसूली के रूप में कुल कितने धन की बचत की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

(i) 1990—1116

(ii) 199 —1180

(ख) राजपत्रित	अराजपत्रित
(i) 1990—1364	861
(ii) 1991—1072	771

(ग) 1990 में दर्ज किए गए 1116 मामलों में से 788 मामलों में जांच कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 234 मामले विचारण के लिए भेज दिए गए हैं और 343 मामलों में विभागीय कार्यवाहियों की सिफारिश की गई। विचारण के लिए भेजे गए 234 मामलों में से 16 मामले दोष-सिद्ध हो गए हैं। इसी प्रकार विभागीय कार्यवाही के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों को भेजे गए 343 मामलों में से 24 मामलों में सजा हुई है।

वर्ष 1991 के दौरान दर्ज किए गए 1180 मामलों में से 424 मामलों में जांच कार्य पूरा हो गया है। इनमें से 99 मामले विचारण के लिए भेज दिए गए और नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए 211 मामलों की प्रशासनिक प्राधिकारियों को सिफारिश की गई। विचारण के लिए भेजे गए 99 मामलों में से एक मामला दोष सिद्ध पाया गया और नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए भेजे गए 211 मामलों में से एक मामले में सजा दी गई।

(घ) सरकार को 1990 के दौरान नियमित विभागीय मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर अदालत द्वारा किए गए जुर्माने के रूप में और सरकारी कर्मचारियों से वसूली के रूप में निम्नलिखित कुल राशि वसूल हुई :—

जुर्माना	वसूलियां
55,700/-रु०	16,954/-रु०

मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र

*19. श्री पी० जी० नारायणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र में बिजली का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) इस परमाणु विद्युत केन्द्र की पुनर्निर्धारित क्षमता और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दोनों बातें परस्पर असंगत हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों ने कुल 2075 मिलियन यूनिट (मिलियन यूनिट-मिलियन किलोवाट घंटा) बिजली का उत्पादन किया।

(ख) मद्रास परमाणु बिजलीघर की वर्तमान पुन: निर्धारित क्षमता 1-1-1992 से 2× 220 मेगावाट है। बिजलीघर ने वर्ष 90-91 के दौरान कुल मिलाकर औसतन 79 प्रतिशत उपलब्धता घटक प्राप्त कर लिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी क्षेत्र में मूल सेवा योजना

420. श्री पी० सी० नारायणन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने यूनीसेफ की सहायता से 1986 में शहरी क्षेत्र में मूल सेवाएं कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए क्या प्रावधान किया गया और 1990-91 में इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्यक्रम कितने शहरों में शुरू किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को कितने शहरों में शुरू किया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा यूनिसेफ और राज्य सरकारों के सहयोग से 20:40:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण के आधार पर शहरी मूलभूत सेवा योजना प्रायोगिक तौर पर 1996 में आरम्भ की गई थी। कार्यक्रम में, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य देख-रेख, कम लागत की जल आपूर्ति तथा स्वच्छता और आय वृद्धि के लिये प्रशिक्षण के माध्यम से महिला और शिशु विकास हर लक्षित विकास कार्यक्रमों के केन्द्रीयकृत कार्यान्वयन हेतु स्लम वासियों की पास-पड़ोस की समितियों के विकास पर मुख्य बल दिया गया था।

(ग) शहरी मूलभूत सेवा योजना के प्रायोगिक चरण के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर "निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा" नामक एक संशोधित योजना 1991 में आरम्भ की गई थी, जो सक्रिय विशेषज्ञता और सामाजिक सेवाओं के केन्द्रीकृत प्रावधान, भौतिक सुविधाओं और आय उत्पत्ति अवसरों पर बल देती है। सातवीं योजनावधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश के रूप में 3.09 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। शहरी मूलभूत सेवा योजना/निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 1990-91 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा 24.85 करोड़ रुपये की राशि नियतित की गई थी।

(घ) शहरी मूलभूत सेवा योजना सातवीं योजनावधि के दौरान देश के 37 जिलों के 168 नगरों में कार्यान्वित की गई थी। आठवीं योजना अवधि के दौरान नगरों के सामान्वयन का कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है। वास्तविक सामान्वयन, चुनींदा नगरों की आकार श्रेणी और आठवीं योजना में दिये जाने वाले कुल परिव्यय पर निर्भर करेगा। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत सामान्वयन के लिये अनन्तिम रूप से 271 नगरों का चयन किया गया है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश आदि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

421. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती दीपिका एच० डोंगोवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में पंजीकृत कार्यालयों वाले सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का पता लगाया है जो पिछले तीन सालों से संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने उन उद्यमों की पहचान कर ली है जिन्होंने अपने निवल सम्पत्ति को समाप्त कर लिया है तथा वित्तीय घाटा उठा रहे हैं। सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण आदि के क्षेत्र में उद्यम-विशेष के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकारी उद्यमों को अधिकाधिक स्वायत्तता तथा तदनुरूप उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली लागू की जा रही है तथा एक समझौते के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है। बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों का पुनरुद्धार सम्भव नहीं है उनके पुनर्नवीकरण/पुनरर्स्थापन सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण के लिए उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल अथवा उक्त उद्देश्य से गठित अन्य तमाम उच्चस्तरीय संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा।

शहरी मूल सेवाओं का क्रियान्वयन

422. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 1988-89; 1989-90 और 1990-91 के दौरान किन-किन शहरों को शहरी मूल सेवा योजना के अन्तर्गत विकास के लिए चुना गया है; और

(ख) उक्त राज्यों में 1991-92 के दौरान किन-किन शहरों को उक्त योजना को लागू करने के लिए चुना गया और इस कार्य के लिए राज्य-वार कुल कितना धन नियत किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) शहरी मूलभूत सेवा योजना की 1990 में समीक्षा की गई थी तथा उक्त वर्ष में निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना नामक एक संशोधित योजना प्रवर्त्तित की गई थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात मे 1988-89 से 1991-92 तक शहरी मूलभूत सेवा योजना तथा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए शहरों के नाम और 1991-92 के लिए नियतित राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मूलभूत सेवाएं

(क) चुने गए नगर :

राज्य	शहरी मूलभूत सेवा योजना नगर चल रही योजना (1988-89 और 89-90)	निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं योजना नगर नई योजना (1990-91 और 1991-92)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	हिन्दुपुर
	नलगोंडा	गुंटकल
	वनपरती	विजयनगरम्

1	2	3
	नारायणपेट	बोबीली
	अनन्तपुर	पार्वतीपुरम
	ताडिपत्री	सालूर
	कदिरी	आदमलावलसा
	धर्मावरम	लेहपुरम्
	रायदुर्ग	निजामाबाद
	कडपा	बोधन
	प्रोद्दुटूर	
	नलगोंडा	
	सूर्यापेट	
	मोनगीर	
	मिरियालागुड़ा	
	श्रीकाकुलम	
2. बिहार	पटना	पटना
	दानापुर	मुजफरपुर
	दराह	दरभंगा
	खगौल	मुंगेर
	मोकामाह	छपरा
	फतुहा	बोकारो
	खशरूपुर	सिमदेगा
	मसोढ़ी	जमतारा
	मनेर	लेपहार
	फुलवारी-शरीफ	हरसवा
	बरिवतयारपुर	रांची
	दानापुर छावनी	गया
		भागलपुर
		बिहार-शरीफ
		जमशेदपुर
		आरा
		कटिहार
		धनबाद

1	2	3
3. गुजरात	राजकोट	अहमदाबाद
	उपलेटा	सूरत
	धोराजी	जामनगर
	जेतपुर	भावनगर
	गोंडल	मेहसाना
	मोरबी	कालोल
	बांकानेर	नडियाड
	बड़ौदा	पालनपुर
	दबोही	अंजर
	पडारा	जूनागढ़
		विसनगर
		आनन्द
		भारूच
		अंकलेश्वर
		राजपिपला
		बम्बूसर
		दीसा
		सुरेन्द्र नगर
		धरंगधारा
		वधवन
		लिम्बडी
		वेरावल
		पोरबन्दर
		ऊना
		केशोड
		मंगरौल
		बुलसरडोली
		वयारा

1	2	3
4. महाराष्ट्र	कोई योजना नहीं	परभनी
		बीड
		चन्दरपुर
		ओस्मानाबाद
		अकोला
		धुले
		मालेगांव
		मनमाड
		भंडारा
		गोंदिया
		भुसावल
		चालीस गांव
		जालाना
		लटपुर
		चोपडा
5. राजस्थान	बांसवाड़ा	जयपुर
	कुशलगढ़	संगनेर
	भीलवाड़ा	फुलेरा
	गुलाबपुरा	चोमु
	जहाजपुर	कोटपुतली
	मंडलगढ़	दोसा
	शाहपुरा	खानसोठ
	मंडल	धोलपुर
	गंगपुर	राजखेड़ा
	असिंद	बादी
6. उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ
	मलिहाबाद	कानपुर

1	2	3
	ककोड़ी	आगरा
		इलाहाबाद
		वाराणसी
		मेरठ
		बरेली
		गोरखपुर
		फैजाबाद
		फतेहपुर
		फरुखाबाद
		बलिया
		अलीगढ़
		मुरादाबाद
		मिर्जापुर
		शाहजहांपुर
		गाजियाबाद
		हापुड़
		फिरोजाबाद
		हरदोई
		गोंडा
		मथुरा

(ख) शहरी मूलभूत सेवा योजना एवं निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना हेतु राज्य-वार नियतित निधियां

क्र० सं०	राज्य	शहरी मूलभूत सेवा योजना सहायता (1991-92)	निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना सहायता (1991-92)	गैर सरकारी संगठन सहायता (निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत) (1991-92)	योग (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18.60	128.40	11.00	158.00
2.	बिहार	11.98	114.00	9.50	135.48

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	27.56	62.80	5.00	95.36
4.	महाराष्ट्र	—	176.30	14.50	190.80
5.	उत्तर प्रदेश	7.88	285.70	24.00	317.58
6.	राजस्थान	14.96	66.80	5.50	87.26

राज्यों में बन्द पड़े औद्योगिक एकक

423. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात में राज्य-वार कितने औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं;

(ख) ये कब से बन्द पड़े हैं;

(ग) उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किये गये ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात में बन्द की गई इकाइयों के नाम, उन्हें बन्द करने की तारीख और बन्द करने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मामला-दर-मामला आधार पर संबद्ध बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के बारे पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान समय-समय पर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों द्वारा पुनर्वास पैकेजों की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी कारंवाई करते हैं।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को उपचारी उपायों के निर्धारण और प्रवर्तन के लिए आवश्यक कारंवाइ करने की शक्ति प्राप्त है।

विवरण

राज्य	एकक का नाम	बंद होने की तारीख	बंद होने का कारण
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश		
	उपलब्ध नहीं।		
2.	आंध्र प्रदेश		
1.	अनुभा इण्टर प्राइजेज प्रा० जेडीमेटला।	14.6.91	(5)
2.	दुर्गा पेपर इन्डस्ट्री प्रा० इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, नैल्लौर	1.10.91	(1)
3.	रायलसीमा इस्टील रि-रोलिंग मिल्स प्रा० नाम्बीगांव महबूब नगर जिला	3.8.91	(1)
4.	अन्नपूर्णा डिलक्स थियेटर प्रा० मंगलागिरी	1.6.91	(1)
5.	विजय डिलक्स थियेटर प्रा० मंगलागिरी	1.6.91	(1)
6.	गोपाल कृष्ण टाकिज प्रा० मंगलागिरी	1.6.91	(1)
7.	श्रीनिवास महल प्रा० मंगलागिरी	1.6.91	(1)
8.	वैंकटेश्वर टाकिज प्रा० मंगलागिरी	1.6.91	(1)
2.	महाराष्ट्र		
1.	मैसर्स विपल ड्रेसेस, 211, हिन्द राजस्थान बिल्डिंग दादा साहिब फालके रोड, दादर (सी० आर०)	22.6.91	(7)
2.	मैसर्स मनीष इन्टरप्राइजेज उद्योग नगर, प्लाट नं-8, सीनियर रोड, यूनिट नं 10 गोरेगांव (प०) बम्बई-62	26.8.91	(7)
3.	मैसर्स एक्यूरेट डाईज एण्ड माइल्डस, प्लाट नं 3 सी० पी० रोड, कान्दीवल्ली (पूर्व), 34—1	21.1.91	(7)
4.	मैसर्स प्रयोग इलेक्ट्रीकल्स प्रा० लि० टी-126 एम० आई० डी०सी० भोसारी, पुणे-26	19.4.91	(5)
5.	मैसर्स सानेश, प्लाट नं ए-30, एम०आई०डी०सी० अहमदनगर-414111	30.6.91	(7)

1	2	3	4
6.	मैसर्स द ग्लिटर, टी-2, पहली मेजानिरा, मचछ्स वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर कप प्रेड, कोलाबा बम्बई-400005	1.6.91	(5)
7.	मैसर्स एडलैक्स, 21, आशीष इन्ड० इस्ट० गोखले रोड (दक्षिण) दादर, बम्बई-25	7.7.91	(5)
8.	मैसर्स मूवी प्रासेसेस, 222, आशीष इन्ड० इस्ट० गोखले रोड (दक्षिण), दादर, बम्बई-25	7.7.91	(5)
9.	मैसर्स यूनाइटेड इन्टरप्राइजेज, 2/22-23 सरदार प्रताप सिंह इन्ड० इस्ट० एल० बी० एस० मार्ग भाण्डुप बम्बई-78	6.7.91	(5)
10.	मैसर्स देवेन्द्र मशीनरी एण्ड फैब्रीकेटर्स प्रा० लि० टैंक रोड, मिनी लैण्ड के सामने भाण्डुप बम्बई-78	6.7.91	(5)
11.	मैसर्स देवेन्द्र ट्रेनिंग कं०, 2/22-23, सरदार प्रताप सिंह बिल्डिंग इस्टेट एल० बी० एस० मार्ग, भाण्डुप बम्बई-78	6.7.91	(5)
12	मैसर्स स्टील चेन कन्वेयर्स प्रा० लि० टैंक रोड, मिनी लैण्ड के सामने, भाण्डुप, बम्बई-78	6.7.91	(5)
13.	मैसर्स फामिला इन्ज० वर्क्स, 19 हिल व्यू इन्ड० इस्टेट, अमृतनगर रोड, एल० बी० एस० मार्ग घाटकोपर	30.9.91	(6)
14.	मैसर्स स्वास्तिक इंड०, शिवारी नगर, आई०टी०आई० के नजदीक अहमदनगर-414001	1.7.91	(7)
15.	मैसर्स निम्वी प्लास्टिक, 94, बी० आई० कम्पाउण्ड मलाड (पश्चिम) बम्बई-64	1.4.91	(5)
16.	मैसर्स दैनिक तरुण भारत पुणे, 1360, शुक्रवारपथ पुणे-2	16.6.91	(5)
17.	मैसर्स प्रियदर्शनी पैकेजिंग प्रा० लि० प्लाट नं-20/21 एम० आई० डी० सी० शिराली, कोल्हापुर	25.6.91	(1)
18.	मैसर्स द सरस्वती दाल एण्ड बेसन प्लाट नं०-8/3 एम० आई० डी० सी० अहमदनगर	1.2.91	(1)
19.	मैसर्स श्रीडेड्स पोस्ट बाक्स नं-16 खुपाली पैन रोड खुपाली जिला रायगढ़	24.1.91	(1)

1	2	3	4
20.	मैसर्स उमर प्लास्टिक एण्ड इन्ज० कारपोरेशन-205, सूरी हनुमान इन्ड० इस्टेट दूसरा तल जी० डी० अम्बेडकर रोड बड़ाला, बम्बई-31	31.10.91	(1)
21.	मैसर्स प्रामडाइचेन बिल्डिंग प्लाट नं०-17/31 एम०आई०डी०सी० इन्ड० एरिया, तलोजा जिला रायगढ़	26.10.91	(1)
22.	द प्रीती कैमिकल इन्टरमिडियट प्लाट नं-17/31, एम० आई० डी० सी० इन्ड० एरिया, तलोजा जिला रायगढ़।	26 10.91	(1)
23.	मैसर्स जेसन्स कारपोरेशन, 16 क्रेसैन्ट इन्ड० इस्टेट कामगार मार्ग, बम्बई-78	10.1.91	(1)
24.	मैसर्स मिस्त्री आर्ट प्रिन्टर्स 278, तारदास रोड माता मन्दिर के पीछे, बम्बई-7	8.4.91	(1)
25.	मैसर्स प्रिमियर स्टील प्रोडक्टस पोस्ट बाक्स नं०-90, 2/4-9, रामाक्ते रोड, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई	2.11.91	(1)
26.	मैसर्स शाह इन्ड० गली नं, 149-एफ, 112 गांधी नगर डी० सी० रोड, वर्ली, बम्बई	1.4.91	(1)
27.	मैसर्स कीर्ती स्टोव मै०, कं०, 112, बुशा इन्ड० इस्टेट हनुमान लेन, फारनर्सम रोड बम्बई	1.4.91	(1)
28.	मैसर्स स्पेशल टूल्स एण्ड स्टील ट्रीट कम्बाइन, 4/425-ए, शर्मा इंड० इस्टेट, बालभात रोड, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई	15.2.91	(1)
29.	होटल पार्ले इन्टरनेशनल अग्रवाल मार्किट, विल्ले पार्ले (पूर्व) बम्बई	11.11.91	(1)
30.	मैसर्स एसोसियेटेड पम्पस प्रा० लि० अहमदनगर	15.5.91	(1)
4.	बिहार		
1.	दत्ता इन्ड० भगतडीह झरिया, धनबाद	1-7-91	(5)
5.	राजस्थान		
1.	इन्डो इन्ज० इन्ड०, कोटा	1.4.91	(5)
2.	कोटा बोक्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, कोटा	1.2.91	(5)

1	2	3	4
3.	खनिज खनन निगम लि०, पोस्ट सैन्ट पिंडवारा पो०बा० नं०-4, जिला सिजदवी	31.8.91	(7)
4.	परियोजना प्रबंधक, देवपुरा लीड एण्ड जिंक परियोजना एम० ई० सी० लि० पो० मण्डल जिला	23.4.91	(7)
6.	गुजरात		
1.	अमून इन्ड० जे०आई०डी०सी० मार्कापुर बड़ोदरा	16.6.91	(5)
2.	ओसवाल प्रोडेक्ट्स 2/8 इन्ड० इस्टेट गोरवा रोड बड़ोदरा	26.10.91	(7)
3.	(1) ओटोमेटिक इन्टर मिडियट एण्ड केमिकल्स (2) एमको डाईजिंग एल० एस०, 74/1 जी० आई० डी० सी० वाटवा, अहमदाबाद	6.3.91	(7)
4.	गुजरात इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल कारपोरेशन, 465 जी०आई० डी० (पूर्व) मार्कापुर रोड बड़ोदरा	30.11.91	(5)
5.	स्वीचगियर कारपोरेशन, 303/18, जी०आई० डी०सी० मार्कापुर बड़ोदरा	25.2.91	(5)
6.	एम०के० स्पाइन्डल मैन्यू० प्रा०लि० प्लाट नं-3 हियेन्द्र नगर सकारी औद्योगिक नलाहत लि०, नजदीक रेलवे क्रासिंग, नरोद जिला अहमदाबाद पी० कुबेर नगर	7.3.91	(7)
7.	गुजरात सिनेमा प्रदर्शक संघ ए-44, तीसरातल कैपिटल कामशियल सैन्टर सन्यास आश्रम के नजदीक आश्रम रोड अहमदाबाद	21.10.91	(7)
8.	आलरेड इन्ज० कारपोरेशन, 1216/30, फेज-4, जी० आई० डी० ई० नरोदा, अहमदाबाद	11.8.91	(5)
9.	इलीन मशीन प्रा० लि० 270, जी०आई०डी०सी०, मार्कापुर, बड़ोदरा	31.8.91	(5)
10.	नन्दी इन्ज० वर्क्स, जी० आई० डी० ई०, इस्टेट फेज-I, वटावा, अहमदाबाद	26.4.91	(5)
11.	विवेका नन्द पोलिक्लिनिक एण्ड नर्सिंग होम रायपुर, दारवासा, अहमदाबाद	1.5.91	(7)
12.	राजस्थान मैटल एण्ड इन्ज० वर्क्स, शील नं-25 से 28, कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र गांधी धाम	1.11.91	(5)

1	2	3	4
13.	हाईलाइफ मशीन टूल्स, प्रा० लि०, नजदीक 1 एण्ड 2, कबेरनगर, बरोदा	2.6.91	(8)
14.	सुमित एलैक्ट्रिक लि०,	7.8.91	(8)
15.	नेशनल टावर पैक इन्ड०, 434 जी०आई०डी०सी० मार्कापुर बड़ोदरा	30.11.91	(7)
16.	ननुसारी रसायन प्रा० लि० 122/4 जी० आई० डी०सी०, नन्दसारी जिला बड़ोदरा	1.6.91	(5)
17.	अहमदाबाद कैमिकल प्रा०लि०, 107/जी, जी० आई० डी० सी० वाडवा, अहमदाबाद	22.1.91	(5)
18.	सम्यक उद्योग, 124/1 एण्ड 2, जी०आई० डी०सी० इस्टेट, नन्दवारी	30.11.91	(5)
19.	शिम्को फूड इन्ड०, 202/204, जी० आई० डी० सी० उमरेठ	15.5.91	(1)
20.	प्रेसेल्स इन्ज०, डिजाइनरर्स, इन्ज० एण्ड फेब्रीकेटर्स 262, जी० वी० एम० इन्ड० इस्टेट, ओधार अहमदाबाद	1.2.91	(1)
21.	पैन्टल ओरगेनिक्स प्रा० लि०, 192/1, जी०आई० डी०सी० वापी, जिला वलसाड	1.1.91	(1)
22.	परामोहनी मैटल्स प्रा०लि०, किशान रोड, जामनगर	30.6.91	(1)
23.	ट्रेन्ड सेटर्स, ए/6, मोहन इस्टेट अनुपम सिनेमा के सामने खोखड़ा, अहमदाबाद	5.11.91	(5)
24.	नौसरी प्रोसेसर्स उद्योग नगर नरसारी	22.7.91	(2)
25.	लिक्विड गैस कम्पनी, जिन्दल रोड एस० टी० वर्क्स सोप के नजदीक राजकोट	30.4.91	(1)
26.	ए आरती लेदर्स प्रा०लि० राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नजदीक ग्राम ओरान पोस्ट वडवासा टी० ए० प्रामलिज जिला सावरकंथा	11.12.91	(7)

स्रोत : श्रम ब्यूरो शिमला

बन्द होने के कारणों के लिए दिए गए कोड

(1) वित्तीय कठिनाइयां

(2) कच्चे माल की कमी

(5) उत्पादों के लिए मांग में कमी
(स्टोक का संचय)

(7) अन्य

(8) कारण ज्ञात नहीं

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित करने की वैकल्पिक नीति

424. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अन्ना जोशी :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "टू पेप अप पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग यूनिट्स आफीसर्स सजेस्ट अल्टरनेटिव पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके लाभ को अधिकाधिक करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी संघ के राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा सुझाये गए वैकल्पिक नीति परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इन सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकारी उद्यमों की लाभकारिता को इष्टतम स्तर तक पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी संघ के राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा दिए गए सुझावों में निर्मित प्रौद्योगिकीय एवं विनिर्माणकारी क्षमता का पूर्ण उपयोग, प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्वायत्तता आदि पर ही मुख्य रूप से विचार किया गया है। इस आशय की विस्तृत नीति का निर्धारण करते समय सरकार उपर्युक्त सुझावों के साथ-साथ अन्य माध्यमों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखती है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गाजियाबाद जिलों में भारी एवं लघु उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

425. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गाजियाबाद जिलों में कितने भारी और लघु उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का इन जिलों में और अधिक भारी और लघु उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गाजियाबाद जिलों में उद्योगों की स्थापनार्थ 1990 और 1991 के दौरान जारी किये गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	उन्नाव		गाजियाबाद	
	1990	1991	1990	1991
आशय पत्र	2	5	25	26
औद्योगिक लाइसेंस	1	—	8	4

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1990 के दौरान उन्नाव तथा गाजियाबाद जिलों में क्रमशः 404 तथा 1387 लघु उद्योग एकक पंजीकृत किये गये थे।

(ख) और (ग) सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को जो नयी औद्योगिक नीति घोषित की है उसके अनुसार अब 18 उद्योगों की छोटी सी सूची में उल्लिखित उद्योगों के अलावा अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्योग की स्थापना का स्थल सरकारी स्थापना-स्थल नीति के अनुरूप होने पर उद्यमी अपना एकक कहीं भी स्थापित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

बिहार की कोयला खानों में आग

426. डा० रमेश चंद तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की कोयला खानों में आग बुझाने के लिए अमेरिका से सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड़) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान आगों को पूरी तरह बुझाए जाने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज में 4 खनन अभियंताओं के एक दल को आगों पर नियंत्रण पाए जाने की उपलब्ध

प्रौद्योगिकी की जांच करने के लिए अमरीका भेजा गया था। इस दल ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को विनिर्दिष्ट किया, जो कि आगों को बुझाए जाने लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

(1) तापीय अवशिष्ट पदार्थ तथा कोयले की निकासी किए जाने के पश्चात् लगी आग को बुझाए जाने के लिए "हाइड्रो मानीटर" का प्रयोग;

(2) उच्च तापीय परिस्थितियों के अन्तर्गत ड्रिलिंग;

(3) बोर-होलों के जरिए फोमस का इन्फयूजन;

(4) दरारों को सील करने और क्षेत्र का सुदृढीकरण करने के लिए सीमेंट-सलेरी मिश्रण का प्रयोग।

औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर

[अनुवाद]

427. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी; और

(ख) वर्ष 1990-91 की संगत अवधि की तुलना में अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक वृद्धि दर कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, सातवीं योजना अवधि के दौरान वार्षिक विकास दरें निम्नप्रकार थीं :—

वर्ष	विकास दर (%)
1985-86	8.7
1986-87	9.1
1987-88	7.3
1988-89	8.7
1989-90	8.6

(ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में उपलब्ध नवीनतम सूचना नवम्बर, 1991 तक की है जो अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान समग्र विकास दर (—) 0.9% दर्शाती है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान विकास दर 10% थी।

आन्ध्र प्रदेश में नये उर्वरक कारखाने

428. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कुछ नये उर्वरक कारखाने लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में किन्हीं प्राइवेट पार्टियों के कोई आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी स्वीकृति का मामला इस समय किस चरण में है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जुलाई 1991 में सरकार द्वारा घोषित वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस आवंटित करने के लिए 16 पार्टियों ने आवेदन पत्र दिये हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महत्वपूर्ण औषधि डिफेराल के मूल्य में वृद्धि

429. श्री मुमताज अंसारी :

श्री आर्थर फर्नान्डीज :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थैलासेमिया के रोगियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण औषध 'डिफेराल' के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यह अधिकांश रोगियों की पहुंच से बाहर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यक औषध के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण हैं, और

(ग) इस औषध के मूल्य को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) "डेसफेराल" एक सूत्रयोग है जिसका तैयार रूप में आयात किया जाता है और मूल्य नियंत्रण से बाहर है। मै० हिन्दुस्तान सिबा-गेगी अगस्त, 1991 तक इस इंजेक्शन का विपणन आयात लागत से भी

कम लागत पर कर रही थी, इस प्रकार इस सूत्रयोग की बिक्री से इसे हानि हो रही थी कंपनी द्वारा विनिमय दर में समायोजन के कारण और इस सूत्रयोग की बिक्री की हानि को कम करने के लिए बाद में मूल्य में वृद्धि की गई थी। तथापि, देश में थालेसीमिया रोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हस्तक्षेप किया और कंपनी से कहा कि वह मार्च, 1992 के पहले सप्ताह से 'डेसफेरास' इंजेक्शन के 5 वायल के पैक की कीमत 410 रु० से कम करके 290 रु० करें।

औषधों पर से नियंत्रण हटाना

430. श्री मुमताज अंसारी :

श्री विजयकुमार हान्डिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ आवश्यक औषधों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसके इस कदम से आवश्यक औषधों के मूल्य में काफी वृद्धि हो जायेगी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी;

(ग) यदि हां, तो इन आवश्यक औषधों पर से नियंत्रण हटाने के क्या कारण हैं और

(घ) जीवन रक्षक औषध उचित मूल्य पर आम आदमी को किस प्रकार उपलब्ध कराने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) औषधों के मूल्य नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर औषध नीति, 1986 और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की चालू समीक्षा के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है।

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन

431. प्रो० प्रेम चूमल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अनु० जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को बाबा साहेब बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान फ्लैटों अथवा प्लाटों का आवंटन किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए फ्लैटों/प्लाटों का निर्माण किया है;

(ग) क्या अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को प्लाटों का आवंटन करने में कोई प्रमुख समस्या सामने आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृतों को आवंटन के लिए अलग से मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यू पैटन स्कीम, 1979 के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाले फ्लैटों में से अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार पंजीकृतों को विभिन्न क्षेत्रों में केवल फ्लैटों के आवंटन का इस योजना में विचार है।

इस योजना के अन्तर्गत सभी 20,000 पंजीकृतों/पंजीकृत होने वालों को 1994-95 तक फ्लैट आवंटित किये जाने की सम्भावना है।

तिब्बतियों की दुकाने गिराना

432. श्री मोहन सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में लद्दाख बुद्ध विहार मार्केट में स्थित तिब्बतियों की दुकानें गिरा दीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभावित तिब्बती दुकानदारों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार सरकारी भूमि पर कतिपय लकड़ी के तख्तों, जहां कुछ तिब्बती शरणार्थी अनधिकृत तौर पर बस गए थे और इनका उपयोग व्यापार चलाने के लिए कर रहे थे, को हाल ही में उनके द्वारा हटाया गया था।

(ख) भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने तिब्बती शरणार्थीयो द्वारा इन भूमियों के उपयोग के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली मे उचित दर को दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता

433. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की उचित दर की दुकानों में पिछले दो महीनों से आवश्यक वस्तुयें समय पर उपलब्ध थीं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विगत दो महीनों के दौरान

उचित दर दुकानों पर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सामान्यतः उपलब्ध रही। दिल्ली प्रशासन के अधिकारी कदाचार रोकने के लिए उचित दर दुकानों की अचानक जांच करते हैं। वर्ष 1991 के दौरान 2075 जांच की गई, 117 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई और 172 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरींग की जाती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार किया जा सके।

चित्तौड़गढ़ को उद्योगविहीन जिला घोषित करना

434. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में कोई बड़ा अथवा मध्यम दर्जे का उद्योग न होने के कारण इसे उद्योगविहीन जिले के रूप में घोषित किये जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) इस समय चित्रदुर्ग सहित किसी जिले/क्षेत्र को उद्योग रहित जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताएं

435. श्री विजय कुमार यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो मारुति उद्योग के प्रबंधकों द्वारा की गई कुछ तथाकथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है जिसमें उनकी कई विदेश यात्रायें भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कथित रूप से बरती गई कुछ अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सरकार को कुछ पत्र प्राप्त हुए है, जो अभी विचाराधीन है।

लघु सीमेंट संयंत्र

[हिन्दी]

436. श्री रामनारायण बैरवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान लघु सीमेंट भवन संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये लघु सीमेंट संयंत्र घटिया सीमेंट का उत्पादन करते हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन संयंत्रों में सीमेंट की गुणवत्ता की जांच के लिए किसी तंत्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो यदि इस तंत्र ने कोई रिपोर्ट तैयार की है तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सीमेंट उद्योग के लाइसेंस होने की वजह से पिछले तीन वर्षों के दौरान, छूट-प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना (ई० आई० आर० रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत मंजूर किए गए पंजीकरणों तथा अतिलघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु उद्यमियों द्वारा दाखिल सूचना ज्ञापनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा निर्मित सीमेंट की गुणवत्ता की जांच करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश 1983 जारी किया है । उक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत,

> "कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए ऐसे सीमेंट का विनिर्माण करेगा अथवा बिक्री हेतु भंडारण करेगा, बेचेगा या वितरण करेगा जो निर्धारित मानक को पूरा नहीं करता है और जिस पर बी०आई०एस० प्रमाणीकरण मार्क अंकित नहीं होता है ।"

इन प्रावधानों के अन्तर्गत देश में सीमेंट की किसी किस्म का उत्पादन करने वाले सभी सीमेंट विनिर्माताओं, जो सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के तहत आते हैं, से आई० एस० आई० प्रमाणीकरण मार्क के अन्तर्गत सीमेंट का उत्पादन करने एवं बिक्री करने हेतु बी०आई०एस० प्रमाणीकरण मार्क लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंजूर किए गए ई०आई०आर० पंजीकरणों तथा अति लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु दाखिल सूचना ज्ञापनों की संख्या

राज्य का नाम	की कुल संख्या	
	ई०आई०आर० पंजीकरण	सूचना ज्ञापन
1	2	3
महाराष्ट्र	3	—
उत्तर प्रदेश	2	4
तमिलनाडु	2	—

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	2	5
मध्य प्रदेश	7	5
नागालैंड	1	—
राजस्थान	2	9
असम	3	—
गुजरात	3	1
उड़िसा	3	2
पश्चिम बंगाल	1	—
आंध्र प्रदेश	—	7
कर्नाटक	—	1
हरियाणा	—	1
बिहार	—	1

राजस्थान में हुडको परियोजनाएं

437. श्री रामनारायण बेरवा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या को हल करने हेतु हुडको की विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या हुडको ने राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई सभी आवास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 20-2-1992 की स्थिति के अनुसार राजस्थान सरकार से 32.94 करोड़ रुपये के हुडको के ऋण के लिए 41 शहरी आवास स्कीमें प्रक्रिया में होने की सूचना है । इसके अतिरिक्त 86.48 करोड़ रुपये के हुडको के ऋण के लिए 13 भूमि अधिग्रहण की स्कीमें भी हुडको के समक्ष रखी गई हैं । राजस्थान राज्य से कोई ग्रामीण आवास स्कीम हुडको को प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान क्षेत्रफल और आबादी के मानदण्ड पर आधारित हुडको ने राजस्थान राज्य के लिए 39.55 करोड़ रुपये का नियतन किया है जिसके प्रति 8.30 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है । सभी भूमि अधिग्रहण की स्कीमें हुडको द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार फिर से प्रस्तुत करने के लिए एजेंसियों को

वापस कर दी गई है। प्रक्रियाधीन स्कीमों की मंजूरी पर हुडको के तकनीकी तथा वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन विचार किया जाता है।

राज्यों में सरकारी आवास के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति का कोटा

438. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के आवंटन हेतु कितने प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) इन कर्मचारियों के लिए प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित कोटे को किस वर्ष तक भर दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों को आवास के बिना बारी के आवंटन के लिए भी कोई कोटा निर्धारित किया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार वास के आवंटन के लिए राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कोटे का प्रतिशत यदि कोई हो, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि साधारण पूल आवासीय वास मे पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए आरक्षण टाइप-ए तथा बी वास में रिक्तियों का 10 प्रतिशत और टाईप-सी तथा डी वास में रिक्तियों का 5 प्रतिशत की सीमा तक नियत किया गया है।

(ख) 21-2-9 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे को जिस तारीख तक पूरा किया जा चुका है वह इस प्रकार है :—

टाईप	प्राथमिकता की तारीख जिस तक आवंटन किया जा चुका है	
	अनुसूचित जाति कोटा	अनुसूचित जनजाति कोटा
ए	.2.75	27.6.78
बी	.5.59	1.4.67
सी	5.7.56	15.2.68
डी	11.4 57	6.2.64

(ग) बिना बारी आवंटन के लिए प्रत्येक आवेदन पर नियमों में छूट देते हुए, गुण-दोष आधार पर विचार किया जाता है। बिना बारी आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है।

भरती प्रणाली

[अनुवाद]

439. श्री मदनलाल खुराना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कुछ विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और सांविधिक निकायों के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में भरती कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/रोजगार कार्यालय, दरियागंज के माध्यम से की जाती है जब कि कुछ कार्यालयों में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के आधार पर भरती की जाती है;

(ख) क्या भरती प्रणाली को केन्द्रीयकृत करके कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भरती करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग जैसी एजेंसियों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थापनाओं (जिनमें अर्ध-सरकारी संस्थाएं तथा सांविधिक संगठन शामिल है) में होने वाली सभी रिक्तियों न केवल रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करनी होती है बल्कि उनके माध्यम से भरी भी जानी होती है। ऐसी रिक्तियां रोजगार कार्यालय से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही भर्ती के अन्य अनुज्ञेय स्रोतों अर्थात समाचार पत्र में विज्ञापनों इत्यादि द्वारा भरी जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में रोजगार कार्यालयों का उपयोग केवल उन्हीं पदों की भर्ती के लिए किया जाता है जिनका अधिकतम वेतन 1200 रुपया प्रतिमाह (संशोधित) अथवा 800 रुपये (संशोधन पूर्व) प्रतिमास हो। लोक उद्यम चयन बोर्ड के माध्यम से भरे जाने वाले वरिष्ठ स्तर के पदों को छोड़कर इस स्तर के ऊपर के पदों की भर्ती के लिए संबंधित उपक्रमों की अपनी ही व्यवस्था होती है।

भर्ती की वर्तमान प्रणाली पूर्णतया संतोषजनक पायी गयी है और इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी यातायात के लिए परिव्यय

440. श्री मदनलाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी यातायात के लिए अलग से कोई शीर्ष नहीं है बल्कि दूसरे प्रयोजन के परिव्यय को शहरी विकास मन्त्रालय के परिव्यय में ही शामिल कर लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो शहरी विकास के परिव्यय का ब्यौरा क्या है और 1991-92 के दौरान शहरी यातायात के लिए इसमें से कितनी धन राशि निर्धारित की गयी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) शहरी यातायात के लिए निधियों की व्यवस्था विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय की मांग के

अन्तर्वलित की जाती है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विषयों में से शहरी यातायात एक है। 1991-92 के लिए शहरी विकास हेतु बजटीय परिव्यय 179 करोड़ रुपये हैं। इसमें से शहरी यातायात के लिए परिव्यय 5 करोड़ रुपये हैं।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

441. श्री मदनलाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में सड़कों की मरम्मत के बारे में 16 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 9079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में मानसून आरम्भ होने के पश्चात दिल्ली की अधिकांश सड़कों पर बड़े-बड़े खड्डे उभर गए हैं जिसमें पानी जमा रहता है;

(ख) क्या दिल्ली की सड़कें जिनपर वर्ष 1990 के दौरान मरम्मत करके परत चढ़ा दी गई थी, पर जगह-जगह ऊपरी परत कट जाने के कारण खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो विनिदेशक के अनुसार सड़कों की मरम्मत हेतु बेहतर सामग्री का उपयोग सुनिश्चित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने तथा जन साधारण को होने वाली असुविधा को दूर करने व फिजूलखर्ची पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से बेहतर सड़कें बिछाना सुनिश्चित करने हेतु अचूक उपाय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) संबंधित अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा समापटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र में भूमि की ऊपरी सतह का अस्थिर होना

442. श्री विजय कृष्ण हार्डिकर :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमि के धंसने की जानकारी है जिसके कारण विशेषत: पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र और बिहार में, जहां ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कार्यरत हैं, भूमि की ऊपरी सतह अस्थिर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी द्वारा निर्धारित अनुवर्ती उपायों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण भूमि धंसती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार भूमि धंसने की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कोयला क्षेत्रों में भूमि धंसाव का मुख्य कारण राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान

भू-वैज्ञानिक रूप से कोयले का दोहन किया जाता रहा है। असुरक्षित क्षेत्रों में आवासीय वृद्धि को रोकने की दृष्टि से खान सुरक्षा महा निदेशालय के कार्यालय ने लोगों के बसने के लिए रानीगंज कोल फील्ड में 40 क्षेत्रों को वर्ष 1950 से ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल ने भी ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 1979 में कानून पास किया था। कानून को पास किए जाने के बाद भी धंसाव-प्रवण क्षेत्रों पर आवास के विकास पर रोक नहीं लगी और यह कार्य बढ़ता ही जा रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्धन अपने कर्मचारियों को घरों को गिराकर सुरक्षित स्थान पर अपेक्षानुसार स्थानांतरित कर सकता है, किन्तु बाहर से बसे हुए व्यक्तियों के मामले में इसके लिए किए गए प्रयासों का इच्छित प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) धंसाव की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) खनन क्रियाकलाप को नियमों तथा विनियमों का और खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है;

(2) विनिर्मित क्षेत्र के नीचे निकासी का कार्य केवल रेत भराई की सहायता से किया जाता है;

(3) प० बंगाल सरकार ने 1979 में असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्माण के क्रियाकलापों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने संबंधी कानून पास किया था;

(4) इस सम्बन्ध में असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों से व्यक्तियों की निकासी किए जाने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तथा सम्पर्क कार्य नियमित रूप से किया जाता है;

(5) रानीगंज कोयला क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किए जाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने बोर-होल के जरिए रेत की जलीयन्यूमेटिक भराई की प्रौद्योगिकी पर आधारित एक परियोजना शुरू की है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा विद्युत उपकरणों का निर्माण

4435. **श्री विजयकृष्ण हान्डिक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विभिन्न विद्युत उपकरणों के निर्माण की मेगावट वार क्षमता क्या है;

(ख) क्या इस क्षमता का भरपूर उपयोग किया गया है;

(ग) क्या 38,000 मेगावट के अतिरिक्त लक्षित क्षमता को पूरा करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को केवल 40 प्रतिशत विद्युत उपकरणों की पूर्ति करनी है जैसा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बी०एच०ई०एल० की विद्युत जनित्रण उपकरण की उत्पादन क्षमता नीचे दर्शाई गयी है ,

थर्मल	4500 मेगावट प्रति वर्ष
हाइड्रो	1345 मेगावट प्रति वर्ष
गैस टर्बाइन्स	1000-1200 मेगावट प्रति वर्ष

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 से 1994-95 (पूर्ववर्ती 8वीं योजना) की अवधि के दौरान बढ़ायी जाने वाली 38,370 मेगावट विद्युत में से भेल को 16,043 मेगावट विद्युत जनित्रण उपकरण के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं जो उपरोक्त अवधि के लिए कुल प्रस्तावित क्षमता का लगभग 42 प्रतिशत है, अब तक उपलब्ध आदेशों के आधार पर, भेल में क्षमता उपयोगिता प्रतिशतता इस प्रकार होगी :

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
थर्मल	55	30	—	—
हाइड्रो	51	16	52	—
गैस टर्बाइन	—	5	—	—

रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए विधिक व्यवस्था

444. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विधिक व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है जिससे संघ और राज्य सरकारें रुग्ण औद्योगिक एककों को बन्द किए जाने पर रोक लगा सकें; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की बंदी को रोकने के लिए उसमें निहित प्रावधान को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लागत मूल्य और बिक्री मूल्य अंकित करना

[हिन्दी]

445. **श्री राजबीर सिंह :**

श्री विलासराव नागनाथराव मुत्तेवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां खाद्य और अन्य वस्तुओं के पैकेटों पर लागत और बिक्री मूल्य अंकित नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य बनाने का विचार है कि वे पैकेटों पर निर्माण की तिथि तथा मूल्य अंकित करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) बांट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार खुदरा पैकेजों पर बिक्री मूल्य और उत्पादन/पैकिंग के महीने और वर्ष का उल्लेख करना अनिवार्य है। परन्तु पैकेजों की कुछ श्रेणियों को उपर्युक्त अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। लागत मूल्य के संबंध में कोई घोषणा नियम के तहत अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यह विषय अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है, जिसके अन्तर्गत ये नियम बनाये गये हैं।

ईश्वरी प्रसाद समिति

446. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नियुक्त ईश्वरी प्रसाद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए अन्तर्विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी हां, श्री ईश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में नियुक्त समाचारपत्र कर्मचारियों की विशेषज्ञ समिति ने 15 जनवरी, 1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता और साथ ही चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत तथा समयोपरि भत्ते से सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें की है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित अन्तर विभागीय अधिकार प्राप्त समिति ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है।

राजस्थान में विद्युत केन्द्र हेतु कोयले की आपूर्ति में कमी

447. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण राजस्थान में कोटा ताप विद्युत केन्द्र में कम विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण 1989-90, 1990-91 तथा जनवरी, 1992 तक विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोटा ताप विद्युत केन्द्र को किन-किन कोयला खानों से कितनी-कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई तथा इस विद्युत केन्द्र से उनकी दूरी कितनी-कितनी है;

(घ) समय पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण कितनी हानि हुई है; और

(ङ) कोयले की आपूर्ति को नियमित करने तथा कम आपूर्ति के लिए उपाय करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) से (घ) राजस्थान में कोटा तापीय विद्युत गृह कोयले की सप्लाई के लिए, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की सिंगरौली कोलियरीज, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोरिया-रीवा कोयला क्षेत्रों से और भारत कोकिंग कोल लि० झरिया कोयला क्षेत्रों से संयोजित है। कोटा तापीय विद्युत गृह से इन कोयला क्षेत्रों की अनुमानित दूरी नीचे दी गई है :—

1. सा० ई० को० लि० (कोरिया-रीवा) = 990 कि० मी०
2. ना० को० लि० (सिंगरौली) = 800 कि० मी०
3. भा० को० को० लि० (झरिया) = 1350 कि० मी०

इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार कोटा तापीय विद्युत गृह को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान सप्लाई किया गया कोयला और संयोजन किये गये कोयले के बारे में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

('000 टन में)

कोयला क्षेत्र	1989-90		1990-91		1991-92	(जनवरी, 1992 तक)
	संयोजन	अधिप्राप्ति	संयोजन	अधिप्राप्ति	संयोजन	अधिप्राप्ति
कोरिया-रीवा (सा०ई०को०लि०)	1110	498	930	477	755	612
झरिया (भा०को० को० लि०)	1515	973	1245	679	855	847
सिंगरौली	60	19	390	337	1890	488
सुरमा-सालनपुर (ई० को० लि०)	—	4	—	—	—	—
धोरी/झरिया	—	97	—	—	—	174
जोड़	2685	1591	2565	1493	2700	2121

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, वर्ष 1989-90 के दौरान कोयले की कम सप्लाई किए जाने के कारण उत्पादन लक्ष्यों में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष 1990-91 के दौरान लक्ष्य की तुलना में 75 जी० डब्ल्यू० एच० (सकल वाट घंटे) की गिरावट आई है जिसमे से 215 सकल वाट घंटे कोयले की कमी के कारण आई। अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान कोटा तापीय विद्युत गृह अपने लक्ष्य से 819 सकल वाट घंटे आगे पहुंच गया है। किन्तु विद्युत गृह ने यह सूचित किया है कि यह 233 सकल वाट घंटे का अतिरिक्त उत्पादन कर सकता था यदि इस अवधि के दौरान उसे कोयले की अधिक सप्लाई की जाती।

(ङ) तापीय विद्युत गृहों का कोयले की सप्लाई पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र कोयले की सप्लाई किए जाने में प्राथमिकता दी जाती है।

कोल इंडिया लिमिटेड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा

448. श्री बाऊ बयाल जोशी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों के लेखाओं की 1989-90, 1990-91 के दौरान लेखा-परीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन लेखाओं की उचित समय पर लेखा-परीक्षा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कोयला कम्पनियों ने 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कुल कितना लाभ अर्जित किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार को० इं० लि०, और इसकी सहायक कम्पनियों, जिसमें भा० को० को० लि०, से० को० को० लि०, ई० को० लि०, साउथ ईस्टर्न को० लि०; के० खा० आ० डि० सं० लि०, ना० को० लि०, व० को० लि० और ना० ई० को० शामिल है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लेखों की लेखा-परीक्षा कर ली गई है और इसमें वार्षिक आम बैठकें भी समय पर आयोजित की गई थीं।

(घ) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोयला मूल्य विनियमन लेखा का समायोजन किए जाने के बाद तथा कर से पूर्व प्रावधान किए जाने से उपरोक्त कोयला कम्पनियों द्वारा कमाए गए लाभ/उठाए गए घाटे की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

(+) = लाभ
(—) = घाटा

(करोड़ रु० में)

कम्पनी	1990-91	1989-90
1	2	3
भा० को० को० लि०	(—) 96.27	(+) 51.33
से० को० लि०	(+) 5.26	(+) 10.76

1	2	3
के० खा० आ० डि० सं० लि०	(+) 2.06	(+) 2.42
ई० को० लि०	(—) 42.74	(+) 76.43
ना० को० लि०	(+) 22.58	(+) 2.10
सा० ई० को० लि०	(—) 20.79	(—) 32.32
वे० को० लि०	(—) 95.40	(—) 30.94
ना० ई० को० (स्टाकयार्ड सहित)	(—) 27.87	(+) 0.35
जोड़ : को० इ० लि०	(—) 253.17	(+) 00.13

भूमिगत मलजल व्ययन योजना के लिए राजस्थान को धनराशि

449. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को भूमिगत मलजल योजना के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में भूमिगत मलजल व्ययन व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राजस्थान को इस प्रयोजन हेतु सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) स्वच्छता राज्य सरकार का विषय है और शहरी मलजल निर्यास योजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम नहीं है। मलजल निर्यास के लिए विभिन्न शहरों हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रावधानों के लिए भारत सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है। अतः भाग (ख), (ग) और (घ) का प्रश्न नहीं उठता।

स्व-वित्तपोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा

[अनुवाद]

450. श्रीमती मारयम्म चन्द्रशेखर :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में विभिन्न स्व-वित्तपोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निर्धारित आवासों का पूरा कोटा भरा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए आवंटन की संख्या इस प्रकार है :—

1989	—	शून्य
1990	—	184
1991	—	50

उदारीकरण के बाद उद्यमियों/प्रवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया

451. श्रीमती मारगयम चन्द्रशेखर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के उदारीकरण के बाद भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को विदेशी उद्यमियों, अप्रवासी भारतीयों और स्वदेशी उद्यमियों से मिली निश्चित प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने हमारे औद्योगिक क्षेत्र को जिसमें उपरोक्त श्रेणी के उद्यमियों को निवेश करने और नये उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने का विचार है, निर्धारित करते हुए कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद, औद्योगिक एककों की स्थापना के वास्ते 31 जनवरी, 1992 तक औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उद्यमियों द्वारा 3550 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दाखिल किए जा चुके हैं। उक्त अवधि के दौरान, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल 760 विदेशी सहयोगों को स्वीकृति दी गई है जिसमें विदेशी निवेश प्रस्तावों हेतु 260 अनुमोदन शामिल हैं और जिसमें 588.63 करोड़ रुपये की विदेशी/एन० आर० आई० इक्विटी अन्तर्वस्त है।

(ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुबन्ध 1, 2 तथा 3 में क्रमशः सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों, वे उद्योग जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के स्वतः अनुमोदन और 51% विदेशी इक्विटी अनुदानों हेतु उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूचियां शामिल हैं।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन

452. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के महानिदेशक ने पेरिस कन्वेंशन में भारत के भाग लेने के विचार-विमर्श करने हेतु भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रतिलिप्याधिकार और पेटेंट कानून में संशोधन करने का है;

(ग) क्या भारत भी विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू० आई० पी० ओ०) के महानिदेशक ने जनवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह में भारत का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सरकार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। सरकारी प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा में औद्योगिक सम्पदा की सुरक्षा सम्बन्धी पेरिस कन्वेंशन विषय का उल्लेख किया गया था। भारत उक्त कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। यद्यपि पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की व्यापक समीक्षा कर रही है।

बिहार में कृषि आधारित छोटे और बड़े उद्योग

[हिन्दी]

453. श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के सीतामढ़ी जिले में किसी बड़े या मध्यम कृषि-आधारित उद्योग की स्थापना का विचार है;

(ख) क्या सरकार का सीतामढ़ी क्षेत्र का कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में विशेषज्ञों के दल द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने के बाद वहां और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) बिहार के सीतामढ़ी जिले में कृषि पर आधारित किसी बड़े अथवा मझोले उद्योग की स्थापना करने के लिए इस समय उद्योग मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी राज्य में अथवा उसके किसी क्षेत्र विशेष अथवा जिले में उद्योगों के विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद पहुंचाती है। केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु भागलपुर, हजारीबाग, असौरिया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया कस्बा में पांच विकास केन्द्रों का अनुमोदन किया है। बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1990 में 11 आशय पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1991 में 7 आशय पत्र और 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए जुलाई,

1991 से जनवरी, 1992 तक उद्यमियों द्वारा 27 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए हैं।

खाद्य तेल के व्यापारियों द्वारा अनियमितताएं

[अनुवाद]

454. श्री भवन कुमार पटेल :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र तेल व्यापारियों ने अवैध ढंग से करोड़ों रुपया कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यापारियों ने कुल कितना धन कमाया है; और

(घ) इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

सिविल कर्मचारियों द्वारा निजी क्षेत्र में कार्य करना

455. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल कर्मचारियों को निजी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या औचित्य है; और

(ग) मोटे तौर पर प्रस्ताव के पैरामीटर क्या हैं तथा सिविल सेवा से निजी सेवा में स्थानांतरण की क्या शर्तें है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं आपवादिक मामलों में निजी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं बशर्ते कि ऐसे स्थानान्तरण पर निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों का स्वरूप ऐसा हो जिसे कि लोक हित में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संदर्भ में नियमों में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी को उस राज्य सरकार के परामर्श से जिस राज्य संबंधी वह अधिकारी हो, ही किसी गैर-सरकारी निकाय में भेजा जा सकता है। विद्यमान उपबन्धों को और उदार बनाने का प्रस्ताव प्रारम्भिक जांच के अधीन है।

टी० वी० निर्माता संघों की मांगें

456. श्री अवध कुमार पटेल :

श्री गुरुदास कामत :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान टी० वी० उद्योग के उत्पादन में मौजूदा कराधान ढांचे विशेषकर उत्पादन कर के कारण भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कन्ज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टी०वी० मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों एवं सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मांग में कमी होने के कारण देश में टेलीविजन सेटों के उत्पादन में गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन सेटों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

मात्रा दस लाख नगों में

	1989	1990	1991
श्याम तथा श्वेत टेलीविजन सेट	4.0	3.6	3.1
रंगीन टेलीविजन सेट	1.2	1.2	0.9

(ख) और (ग) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी तथा टी० वी० विनिर्माता संघ (सी०ई०टी०एम०ए०) ने श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन दोनों ही प्रकार के सेटों के मामले में उत्पादन-शुल्क को कम करने के लिए सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वस्तु का नाम	सी० ई० टी० एम० ए० द्वारा दिये गये सुझाव
51 से०मी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत टेलीविजन सेट	— पिक्चर ट्यूबों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क को घटाकर यथा मूल्य 10 प्रतिशत कर दिया जाए।
36 से०मी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत टेलीविजन सेट	— इस समय टी० वी० सेटों पर लिए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को हटाकर पिक्चर ट्यूबों पर लगाना।
	— सभी इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य की समान दर पर उत्पादन-शुल्क लगाना।
12 से०मी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत टेलीविजन सेट	— उत्पादन-शुल्क में छूट देना जैसाकि 36 से०मी० आकार वाले टेलीविजन सेटों के मामले में किया गया है।

51/53से०मी० आकार वाले रंगीन टेलीविजन सेट	—	उत्पादन-शुल्क को कम करके 1500 रुपये किया जाना चाहिए।
36 से०मी० आकार वाले रंगीन टेलीविजन सेट	—	उत्पादन-शुल्क को कम करके 900 रुपये किया जाना चाहिए।

(घ) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी तथा टी० वी० विनिर्माता संघ (सी० ई० टी० एम० ए०) तथा अन्य उद्योग-संघों द्वारा दिए सुझाव बजट के प्रस्ताव तैयार करते समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए मानदण्ड

457. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों का पता लगाने के लिए यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हों तो वे क्या हैं; और

(ख) इस प्रकार के उपक्रमों की कार्यक्षमता तथा इनके सामाजिक दायित्व को उनकी लाभ-प्रदता की तुलना में कितना महत्व दिया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की रुग्णता निर्धारित करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (o) में दी गई रुग्णता की परिभाषा का अनुसरण किया जाता है। इस धारा के अनुसार "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी" का अर्थ एक औद्योगिक कम्पनी (जो कम्पनी 7 वर्ष से कम समय से पंजीकृत न हो) से है जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपनी समस्त निवल सम्पत्ति के बराबर अथवा उससे अधिक का संचित घाटा उठाया हो तथा किसी ऐसे वित्तीय वर्ष में तथा ऐसे वित्तीय वर्ष के तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया हो। सरकारी क्षेत्र के ऐसे एकक, जो इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, के पुरस्थापन/पुनरुद्धार हेतु योजनायें तैयार करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाये। ऐसी योजनाओं के अधीन, मण्डल ऐसे उपक्रमों द्वारा किये गये सामाजिक दायित्व को महत्व दे सकता है।

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ करना

458. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्रीमती बासवाराजेश्वरी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुधीर गिरी :
श्री धनन्जय कुमार :
श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि गरीब व्यक्तियों को सभी वस्तुओं का उचित वितरण किया जाये;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कदम उठाए हैं कि किसी वस्तु की चोरी अथवा कालाबाजारी न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यापक स्वरूप की है। केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसे नया रूप देने के लिए पहल की है, ताकि कुछ अभिज्ञात क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक यह प्रणाली बेहतर तरीके से पहुंच सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, और कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें, इन क्षेत्रों में उन परिवारों को राशन कार्ड जारी करें जिन्हें अभी तक ये कार्ड जारी नहीं किये गये हैं; उचित दर दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं सौंपने हेतु कदम उठाएं ताकि इन वस्तुओं के अन्यत्र जाने की संभावना कम से कम हो सके और इनके समय पर तथा उचित वितरण का निरीक्षण करने के लिए जन सतर्कता समितियों का गठन करें।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता की परिवीक्षा करने के लिए उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करें, जिनमें महिला संगठनों, स्वैच्छिक और उपभोक्ता संगठनों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि को शामिल किया जाए। राज्य प्रशासनों के अधिकारी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए उचित दर दुकानों की नियमित जांच और अचानक दौरा करते हैं तथा कदाचारों पर नियंत्रण करने और दंड देने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हैं। वर्ष 1991 के दौरान 1.5 लाख से अधिक छापे मारे जाने की सूचना मिली है और लगभग 25 करोड़ रु० का माल जब्त किया गया।

नई आवास नीति

459. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री पी० सी० थामस :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई आवास नीति की घोषणा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो नई आवास नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पुरानी आवास नीति से यह किस प्रकार भिन्न होगी; और

(घ) नई आवास नीति को किस तारीख से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति मई, 1988 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा जनसाधारण के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति के संशोधन का कार्य आरंभ किया है। संशोधित प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति तैयार होते ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

कोयला खानों द्वारा विद्युत क्षेत्र को कोयले की सप्लाई

460 डा० सी० सिल्वेरा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी नई कोयला खानों से विद्युत क्षेत्र को केवल पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त कोयले की सप्लाई करने के लिए निदेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयला शुल्क में उपकर सम्मिलित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी पृष्ठ भूमि और इस उपकर के उपयोग के क्षेत्र सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० सी० न्यामगौड) : (क) से (घ) सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति ने कोयला क्षेत्रों से 1,000 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित नए तापीय विद्युत गृहों में परिष्कृत कोयले के प्रयोग किये जाने की सिफारिश की थी। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे दूरस्थ विद्युत गृहों द्वारा परिष्कृत कोयले का प्रयोग उनके लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिक लाभकारी रहेगा— कम परिवहन लागत' उच्च उत्पादन और बेहतर संयंत्र कार्य निष्पादन, आदि। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि विद्युत क्षेत्र कोयले के लिए पिट-हैड कोयला परिष्करण संयंत्र स्थापित किए जाएं। ऐसा एक संयंत्र सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में पिपरवार के स्थान पर निर्माणाधीन है। चूंकि कच्चे कोयले की तुलना में परिष्कृत कोयले में राख का तत्व कम होता है, अतः विद्युत संयंत्रों को कोयले की राख की मात्रा कम वहन करनी पड़ती है और इस तरह तदनुसार प्रदूषण भी कम होता है। कोयले के परिष्करण की अतिरिक्त लागत का वहन उपभोक्ता यूनिटों द्वारा किया जाता है और ऐसे कोयले की कीमत के संबंध में समझौता खरीददार और उत्पादक के बीच करना पड़ता है। अतः इस प्रयोजन से कोयले पर, किसी तरह का उपकर लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार सम्बन्धी नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वित्त मंत्री ने कल यह बताया था कि कुछ लीकेज हुई है। इसलिए वह उक्त पत्र या जो भी पत्र व्यवहार किया गया है, उसे सभा पटल पर नहीं रख सकते। आज प्रधान मंत्री जी यहां पर हैं। हम यह ठीक-ठीक जानना चाहते हैं कि विश्व बैंक को बजट लीक किया गया अथवा नहीं। (व्यवधान) महोदय, आपने भी हमें इसकी जानकारी नहीं दी है। आज प्रधान मंत्री जी यहां हैं। इसलिए या तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा अथवा इंकार करना होगा, या फिर सभा पटल पर उक्त पत्र को प्रस्तुत करना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बारी-बारी से मौका देंगे। अब मैं डा० रामचन्द्र डोम को बोलने की अनुमति देता हूं।

डा० रामचन्द्र डोम (बीर भूम) : महोदय, कल रात्रि को, जो घटना घटी उसकी जानकारी मैं सरकार को देना चाहता हूं। पूर्वी रेलवे खंड में साहिब गंज लूपा लाइन पर बत रात्रि में एक दुखद रेल दुर्घटना घटी। पिचकुटिर ढाल और भेदिया रेलवे स्टेशन के बीच एक माल गाड़ी और एक यात्री गाड़ी-अप-विश्व-भारती फास्ट पैसेंजर ट्रेन से टकरा जाने के कारण यह घटना घटी। ट्रेन के इंजन में आग लग गई। घटना स्थल पर ही एक महिला और एक छोटे बच्चे सहित पांच व्यक्ति मारे गए। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से एक वक्तव्य चाहता हूं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इस दुर्घटना में 18 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें बर्दवान मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय घटना स्थल पर जाएं। इसके आगे मेरा यह निवेदन है कि उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और घायलों का इलाज किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : दुर्घटना जहां घटी है, वह स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। कुछ न कुछ शीघ्र ही अवश्य किया जाना चाहिए। रेल मंत्री जी कहां हैं? उन्हें यहां होना चाहिए था। जब ऐसी रेल दुर्घटनाएं घटती है, तब भी कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता है। लोग मारे जाते हैं। छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए है। पहले जब ऐसी घटनाएं घटती थीं तो रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता था। महोदय क्या आप उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं? जब सभा की बैठक चल रही है तो उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कृपया इसकी जानकारी रेल मंत्री को दे दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह कृपया सदस्यों की बात सुनें। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक मामला उठाना चाहता हूं। आज देश के सभी समाचार पत्रों में वित्त मंत्री द्वारा विश्व बैंक को भेद खोलने वाले पत्र लिखे जाने का समाचार है। उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसमें देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया है। या तो सरकार स्पष्ट वक्तव्य दे और यह कहे कि ऐसा कोई भी वक्तव्य या पत्र नहीं हैं या उक्त पत्र को सभा पटल पर प्रस्तुत करें। अन्यथा मुझे कुछ भी अप्रिय कहने का अवसर न दें। मैं किसी को धमकी नहीं देना चाहता। लेकिन, महोदय, इसमें देश की गरिमा और सम्मान का मामला निहित है। यह किसी दल का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्र पाड़ा) : चन्द्र शेखर जी, आपको कहना चाहिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सदस्यों यदि हम इस मामले को यहां और अभी नहीं उठाते हैं तो सदस्यों की ओर से अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में भारी भूल होगी। इस समय अन्य सभी बातें पूरी तरह अप्रासंगिक है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आप सभा को इस तरह गुमराह नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं ऐसा करने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन मैंने इस तरह के कई उठा-पटक देखे हैं। मैं चुप नहीं होने जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा गम्भीर मसला है, जिसमें वित्त मंत्री जी की साख संदेह के घेरे में है। (व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : पिछले 24 घंटों से हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : इस सदन में मेरा भी कुछ अनुभव रहा है उतना नहीं जितना कि उन्हें हैं। मेरे पास कुछ अनुभव तो है। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं ये एक सांसद के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं यदि अध्यक्ष महोदय यह कहते हैं कि इस विषय को यहां उठाया नहीं जा सकता, यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं यह नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सदस्यों को उत्तेजित होना चाहिए यदि आप चाहते हैं तो एक चिट्ठी मेरे पास है। यहां वित्तमंत्री जी द्वारा लिखी गई चिट्ठी भी उपलब्ध हैं। इस पत्र का जवाब विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। इस तरह धमकी मत दीजिए (व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा। इससे पहले कि इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं विभिन्न ग्रुपों के नेताओं की बैठक बुलाईए और वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को भी इसमें आमंत्रित करें। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को यह पत्र देखने दीजिए और वह यह भी स्पष्ट करें कि यह सत्यपर आधारित पत्र नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस पत्र में समझौता परस्त बयान दिया गया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा प्रचार करने के लिए कह रहा हूं। मैं गंभीररूप से यह महसूस करता हूं—यह बयान इस पूरे सदन तथा पूरे राष्ट्र की मर्यादा पर एक आघात है। इसलिए उस सरकार को, जो देश की मर्यादा के साथ समझोता तक कर सकता है, इस सदन की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मैं इस गंभीर मसले को उठाता हूं। (व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं तो मैं एक बात कहूंगा। जब विश्व बैंक की रिपोर्ट को सदन और इस राष्ट्र की जानकारी में लाया गया था, उस समय, तो मैंने इस सदन में एक बयान जारी किया था कि नवम्बर, 1990 में विश्व-बैंक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी थी। मैं जून, 1991 तक प्रधान मंत्री रहा। रिपोर्ट मुझे नहीं दिखाई गई। मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने इसकी पूछताछ की। मुझे मालूम है कि प्रधान मंत्री यह अच्छी तरह जानते है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने मुझसे यह रिपोर्ट छिपाई थी। क्या प्रधानमंत्री तैयार हैं? प्रधानमंत्री जी को इतनी सज्जनता भी नहीं आई कि वह जुलाई में मिले हुए मेरे पत्र का जवाब दे सकें। मैंने इतने लम्बे समय तक इंतजार किया। मैंने

तब तक नहीं बोला जब तक कि यह रिपोर्ट मेरे पास आ नहीं गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने की मेरी इच्छा नहीं रही है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब न केवल इस सदन बल्कि पूरे राष्ट्र की मर्यादा को दाव पर लगा दिया गया है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता।

मैंने सुबह विपक्ष के नेता से बात भी की और कहा, आपको विपक्ष के नेता के रूप में प्रधानमंत्री से इस पर बात करनी चाहिए कि इस प्रकार की बैठक वह आयोजित करें। इस समस्या का समाधान चिल्लाने से अथवा एक दूसरे पर शोर-शराबा करने से यहां कुछ नहीं होगा (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका उत्तर दूसरे दिन दिया जाने वाले था। यह एक सम्बा पत्र है। यह कैसे हो सकता है जब तक कि इसे पहले ही तैयार न कर दिया गया हो। इस मामले में इसका उत्तर भी दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कल इस सदन में इस विषय पर विपक्ष के सभी लोगों ने बहुत गहरी चिन्ता प्रकट की और मांग की थी कि यह जो पत्र है, इस पत्र को सदन के पटल पर रखा जाय। दिन भर उस पर कई प्रकार से, कई प्रकरणों में चर्चा भी होती रही और एक बयान वित्त मंत्री जी ने भी दिया लेकिन जिस समय शाम को सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तब विपक्ष असन्तोष से भरा हुआ था। आज प्रातः काल चन्द्रशेखर जी ने मुझे फोन करके अपना क्षोभ प्रकट किया और जो बात उन्होंने अभी सदन में कही है, लगभग वही बात मुझे भी कही। उसके बाद प्रधान मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया, इस मामले में एक प्रकार से इस गतिरोध को दूर करना चाहिए और मैं उम्मीद करता था कि आज बारह बजे इसके बारे में कोई कार्यवाही होगी। कल भी आपको स्मरण होगा, अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में भी इस बात का उल्लेख हुआ। एक अर्थ में तो वित्त मंत्री यह कह रहे हैं कि आज नहीं रखूंगा, 29 को रखूंगा और यह पूरी संभावना है कि यह पत्र पूरा का पूरा अखबार में फिर से छप जाए, तो हमारी स्थिति क्या होगी, सदन के नाते और सरकार की स्थिति क्या होगी, सरकार के नाते इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। कल जिस बात पर मैंने बल दिया था और फिर से देना चाहूंगा कि एक प्रकार से वित्त मंत्री जी ने यह कह कर के कि 29 के बाद रखने को तैयार हूं, स्वयं ने इस पत्र का बजट के साथ नैक्सस जोड़ दिया है। अगर वे 29 की बात न करते और यह स्टैंड लेते कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है, जिसके आधार पर विश्व बैंक से सरकार का पत्र-व्यवहार सदन के पटल पर रखा जाए, तो एक पहलू होता और उस पर निर्णय सदन करता या आप करते। वह बात अलग है। लेकिन स्वयं ने यह कह कर के कि आज नहीं रखूंगा, 29 के बाद रखने को तैयार हूं, उसका अर्थ यह है कि 29 को बजट आने वाला है, तो बजट के साथ उसका कोई संबंध है, तारतम्य है। इसीलिए जो आशंकायें हमने कल प्रकट की थीं, उनकी और पुष्टि हुई और इस कारण मैं चाहूंगा कि जो सुझाव अब चन्द्रशेखर जी ने दिया है, उस पर आप विचार करके इस गतिरोध में कोई रास्ता निकालें। स्वयं प्रधान मंत्री जी से बात हुई थी, तब उन्होंने इतना ही कहा था कि अध्यक्ष जी जो भी इस गतिरोध में से रास्ता निकालना चाहें, सरकार उसे मानेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कहा गया है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। एक बार वित्त मंत्री ने कहा कि इस पत्र का बजट प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसलिए इसे बजट से जोड़ने का कोई कारण नहीं हो सकता। उन्होंने यह बयान कल जारी किया था। लेकिन, यदि बजट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसे बजट के प्रस्तुत करने के समय तक किस प्रकार स्थगित किया जा सकता है। और दोनों के बीच क्या सम्भव सम्बन्ध है, यदि यह बयान सही है ? कल भी, जनहित से जुड़ा प्रश्न उठाया गया था और इस प्रश्न के बार-बार उठाने के बावजूद वित्त मंत्री ने इस का उपयोग नहीं किया और न ही राष्ट्रहित के प्रश्न ही शामिल किए गए थे। अब इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस दस्तावेज का उल्लेख किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसे सभा पटल पर रखें क्या यह नियमित मामला है जिस पर हम बहस कर रहे हैं और इसे पक्षपातपूर्ण मामला समझा जाए ? जब देश की संप्रभुता और मर्यादा दाव पर लगी हुई है, तो प्रत्येक को इस पर उत्तेजित होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी ने मात्र गद्दी के लिए अपने विवेक को गिरवी नहीं रख डाला है। आप कर क्या रहे हैं ? क्या कबीना मंत्री मंडल में कोई विरोध करने वाला नहीं है ? मुझे मालूम नहीं कि क्या हो रहा है।

महोदय, यह एक ऐसा मामला है जो मात्र यह कह देने से टल जाएगा कि "अच्छा, वित्तमंत्री ने कहा है कि इसे 29 तारीख को कर लिया जाएगा। हम इसके लिए आग्रह करते हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई सम्बन्ध है या नहीं। श्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि इसका सम्बन्ध है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सदन को गुमराह किया जा रहा है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इस देश की मर्यादा और इज्जत के साथ समझौता किया गया है या नहीं। महोदय, चूंकि सरकार उस दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वे इसे सदन से छिपाना चाहते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस मामले को पक्षपात पूर्ण ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। सदन के नेता को यहां आना चाहिए। मैंने यह क्यों कहा कि सदन के नेता को आने दीजिए ? मैंने यह इसलिए कहा कि उन्हें इस विषय में अपना योगदान देना चाहिए। हमें उनके विचारों से भी अवगत होना चाहिए कि क्या इस विषय में किसी प्रकार के संदेह हैं। और क्या राष्ट्र की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया है या नहीं। इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए। अभी विपक्ष के नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है। अतः उन्हें यहां आने की कृपा करनी चाहिए और हमारे संदेह का और उस भावना को जो यहां लोगों में है शमन करना चाहिए। उन्हें दस्तावेज को सभापटल पर रखना चाहिए और समस्त पत्राचार का ब्योरा उन्हें देना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि यह क्या है इसलिए कि राष्ट्र यह तय कर सके कि क्या इस सरकार ने राष्ट्र की आर्थिक आजादी को कुछ बाहरी एजेंसियों के हाथों बेच दिया है। हमें जानने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन इस सदन में इस पर काफी गरमागरमी रही (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा एक सजेशन है कि मीटिंग बुलाई जाए उस समय आप बोलिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बोलना चाहते हैं मैं वही बोलने वाला हूं क्योंकि सब की बोलने की इच्छा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप चाहते हैं कि आपको हमें रास्ता निकालने में मदद

करनी चाहिए और क्या आप कल की पुनरावृत्ति चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत देने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, असल में कल सुबह और दोपहर में भी इस बात के ऊपर काफी चर्चा हुई···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : लेकिन रिजल्ट जीरो रहा।

अध्यक्ष महोदय : अब एक सुझाव भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने दिया है उसको हम सबको बड़े ध्यान से लेना चाहिए, विरोधी पक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने भी अपना सुझाव दिया है । मैं ऐसा समझता हूं कि सभी की बात को हमें सुनना चाहिए, चाहे इसमें पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई भी बोलना चाहे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सुझाव ही ऐसे हैं इसलिए इसमें पासवान जी भी बोलना चाहेंगे, रवि राय जी भी बोलना चाहेंगे और दूसरे मेम्बर भी बोलना चाहेंगे, सब के विचार हम सुनेंगे।

मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने कल सुना है और आज सुना है और जो कुछ भी गवर्नमेंट और आपके मन में है मैं उसको भांप रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है । मुझे ऐसा लगता है कि जो चन्द्र शेखर जी ने सुझाव दिया है वह अच्छा सुझाव है और उस सुझाव को हमें मान्य करना चाहिए । मैं एक मीटिंग बुलाने जा रहा हूं और उस मीटिंग के अन्दर सारे नेताओं को मैं बुलाऊंगा लेकिन हमारी एक ही विनती रहेगी कि बुलाने पर नेता आ जाएं क्योंकि अगर बुलाने पर नहीं आएं और दूसरे किसी को भेज दें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर वह बात छूट जाती है। कुछ नेता तो बराबर आते हैं लेकिन कुछ नेता नहीं आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : प्रधान मंत्री को भी आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह भी आ जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। सब आ जाएं और तब बैठकर इसके ऊपर चर्चा हो। अब एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वह यह है कि कश्मीर के ऊपर जो प्रक्लेमेशन है वह दो तारीख को खत्म होता है और उसके ऊपर अगर हम इस सदन में कुछ नहीं कर सके, तो एक कांस्ट्रीट्यूशनल प्राब्लम क्रियेट हो जाता है, यह बात भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मैं यहां से चैम्बर में जाऊंगा और आपकी मीटिंग बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कल आपने बैठक बुलाई थी और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 29 तारीख से पहले नहीं बताएंगे और कल आपने रूलिंग दिया जिसके कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाएं। इस तरह से आप बोलते जा रहे हैं वह ठीक बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मीटिंग के सम्बन्ध में आप पार्टी की राय तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मीटिंग नहीं बुलाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : मीटिंग बुलानी है लेकिन मीटिंग कैसे बुलाना है इस पर मैं कह रहा हूं। आपने कल मीटिंग बुलाई थी और फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि 29 तारीख के बाद वह रखेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कोई कार्यवाही मत कीजिए, हाऊस को एडजर्न कीजिए और हाऊस को एडजर्न करके सीधे मीटिंग बुलाइए।

जब तक यह बात तय नहीं हो जाती, तब तक कोई दूसरी कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मैं माननीय चन्द्रशेखर जी के सुझाव का समर्थन करता हूं, लेकिन तब तक कोई दूसरी कार्यवाही सदन में न शुरू की जाए, जब तक यह बैठक नहीं हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : कश्मीर का प्रोक्लोमेशन है, क्या आप उसको नहीं करना चाहेंगे।

श्री राम विलास पासवान : उसको बाद में कर लेंगे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय कोई और सवाल नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कश्मीर सम्बन्धी उद्घोषणा के विषय में कोई समस्या नहीं है। हम इसे पारित करा सकते हैं। लेकिन, हमें इस पर कोई मत तो बनाना ही होगा। (व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : महोदय, निधन सम्बन्धी उल्लेख के विषय में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री विजय एन० पाटील : महोदय। एक वर्तमान सदस्य की कल मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले नहीं किया है, कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय एन० पाटील : महोदय, जब किसी वर्तमान सदस्य की कल मृत्यु हो गई हो, हमने निधन सम्बन्धी उल्लेख किया है। और जब किसी वर्तमान सदस्य की मृत्यु जनवरी में हुई हो तो निधन सम्बन्धी उल्लेख कल ही किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें प्रामाणिक चाहिए। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया, बैठ जाइए, श्री निर्मल चटर्जी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जैसा कि बताया गया है, क्या मैं पूछ सकता हूं, कि क्या यह सभा कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम है अथवा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पक्ष में सक्षमता त्याग दी गई है? (व्यवधान) इस प्रश्न का समाधान पहले होना चाहिए और कश्मीर के प्रश्न पर गौण मुद्दे के तौर पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नेताओं की एक बैठक तत्काल बुलाइए; सभा की बैठक स्थगित करें और मामले को सुलझाएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, हम एक बैठक बुलाने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा कि यहां हम सब अनुभव कर रहे हैं, आप भी वैसा ही अनुभव कर रहे हैं, कि कल और आज की स्थिति इस विषय में मूल रूप से परिवर्तित हो गई है। कल तक, यह बात एक विशेष समाचारपत्र के माध्यम से देश के ध्यान में लाई गई थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वास्तव में इसकी सत्यता अथवा अन्यथा होने का साक्षी बन सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे और समूची सभा से एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब कोई भी जो कुछ समाचारपत्र में छपा था उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है, तो आप इस सभा से उस पर कार्रवाई कैसे अपेक्षित कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु, अब ऐसी स्थिति नहीं है। सबसे पहले तो वित्त मंत्री महोदय, जिन्होंने कल यहां कई घंटे व्यतीत किए थे, ने जो कुछ अखबार में छपा है उसकी सत्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यह प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि आज यह एक अखबार तक ही सीमित नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। वह दस्तावेज प्रामाणिक है या नहीं, यह वित्त मंत्री महोदय को बताना है। परन्तु, एक बार जब दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो फिर स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी कि यह कल थी। कल आपने एक विनिर्णय अथवा जो कुछ भी कहा था, उसमें आपने एक वक्तव्य दिया था कि चूंकि वित्त मंत्री महोदय बजट तैयार करने में व्यस्त हैं और केवल चार या पांच दिन ही बकाया हैं, अतः वह इस दस्तावेज को सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति देने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि यह बजट तैयार करने में अड़चनें पैदा करेगा। अतः आपने उन्हें इसका लाभ दिया और आपने कहा था कि इसे इस समय उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब, दस्तावेज आ गए हैं और आपने देखा है कि श्री चन्द्रशेखर ने इन्हें प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने इसमें से उद्धरण दिया है। वह इसमें से उद्धरण देने को तैयार हैं। अतः आपको एक नई प्रक्रिया पर विचार करना होगा। (व्यवधान) अन्यथा देश में आने वाले कल, उससे अगले दिन और अगले एक सप्ताह के दौरान, क्या होना शुरू होगा ? आप समझ सकते हैं कि देश में क्या होगा ? कितनी अधिक अटकलबाजियां उससे मूर्त रूप में देखने को मिलेंगी ? कितनी अधिक बातें लिखी और कही जाएंगी।

मैं नहीं समझता कि उससे वित्त मंत्री महोदय को सहायता मिलेगी ही। क्या ऐसा होगा ? यह हमारी बिल्कुल सहायता नहीं करेगा। अतः, मैं श्री चन्द्रशेखर के प्रस्ताव से सहमत हूं। यह उचित

होगा कि इस विषय पर इसी वक्त सभा में चर्चा करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर बहुत से दोषारोपण और प्रत्यादोषारोपण हुआ है, परन्तु इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हम इस बात की गहराई तक जाना चाहते हैं। यदि यह दस्तावेज प्रमाणिक है, तब इसके कुछ निष्कर्ष अवश्य सामने आएंगे जो कि इस देश के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। (व्यवधान) अत: यह उचित होगा कि आप अपने विवेकानुसार इस पर विचार करें अथवा एक बैठक बुलवाने की व्यवस्था करें अथवा एक बैठक बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे पहले ही सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री महोदय, सभी को इस बैठक में भाग लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। आप इस पर कार्रवाई शुरू करें। श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया सौम्यता से बोलें।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, अपने स्वभाव के विपरीत, मैं गम्भीर होने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तो हमेशा गम्भीर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : सभा के इस ओर से हमें यहां पर उठाए गए मुद्दों की वास्तविकता पर चर्चा करने में, चाहे वह कुछ भी हो, कोई कठिनाई नहीं है। हमारा तर्क बिल्कुल सीधा-साधा है कि जब हम अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब हम इस सभा की प्रक्रिया तथा अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार करते हैं। पिछले 24 घंटों में हमने यह देखा है कि इस मुद्दे को बिना उचित प्रक्रिया का उद्धरण दिए उठाया गया। तत्पश्चात् अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों—जब आप स्वयं पीठासीन थे और जब आपके अधीनस्थ पीठासीन थे—की सभा के सदस्यों द्वारा अवहेलना की गई।

हमने देखा कि सभा को तीन बार स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए थे। जिन सदस्यों ने ऐसा किया उन्हें सभा से निकालने की बजाय, आपने सभा को तीन बार स्थगित करके, उन सदस्यों को भी बाहर निकाल दिया जो आपके आदेशों का पालन कर रहे थे।

हमें विदित है कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष से जिन पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था, उनमें अहम् मुद्दे निहित थे। श्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकहित में इस पर चर्चा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया था कि राष्ट्रीय-हित में इस पर चर्चा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। उनका इस विषय पर चर्चा करवाने का एकमात्र आधार था कि बजट प्रक्रिया की पवित्रता को बनाये रखना। (व्यवधान) कृपया हमें बोलने दें।

चूंकि उन्होंने बजट-प्रक्रिया की पवित्रता का मुद्दा उठाया है, इस बात का तथ्य यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या उन द्वारा की गई टिप्पणी बजट-प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित

करेंगी अथवा नहीं, यह पूर्णतया वित्त मंत्री के अधिकार-क्षेत्र में है, क्योंकि वह गोपनीयता की इस शपथ से बाध्य हैं कि बजट प्रक्रिया की अन्तर्निहितता या सुस्पष्टता से सम्बद्ध बातों पर वह कुछ नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

अतः, यदि श्री चन्द्रशेखर के पास वित्त मंत्रालय से चुराये गये दस्तावेज हैं, तो ऐसा करके उन्होंने एक अपराध किया है। यदि दूसरी ओर, उन्हें यदि यह विदित नहीं है कि उनके हाथों में जो दस्तावेज है वे चुराये गये अथवा न चुराये गये दस्तावेज हैं, तो वह प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक दस्तावेज, तब इस सभा के एक पूर्ण उत्तरदायी सदस्य और भूतपूर्व प्रधान मंत्री होने के नाते मैं समझता हूं कि उन्हें उन दस्तावेजों को यहां लाने से बाज आना चाहिए था। दूसरी ओर, यदि वह स्वयं जो कुछ भी कागज के टुकड़े में, जिसका कि जिक्र किया गया है, प्रमाणित करने के इच्छुक हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उस मुद्दे को सदस्यों की रुचि के अधिकार-क्षेत्र और सदस्यों की जानकारी के लिए लाया जा सकता है।

यह सब कुछ जिसकी मैं वकालत कर रहा हूं वह है कि हमें कभी भी किसी अहम् मुद्दे से दूर नहीं भागना चाहिए। परन्तु, कृपया यह सुनिश्चित रखें कि सभा की प्रतिष्ठा और अपनी प्रतिष्ठा का बार-बार विरोधी प्रतिनिधि उपहास न करें, हम आपके आदेशों का सम्मान करते हैं, चाहे वे आदेश कुछ भी हों। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैंने इस सम्बन्ध में एडजर्नमेंट-मोशन दिया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा कि इस पर बोलिए। आप कमेटी के लिए तैयार हैं या नहीं, आपने उस पर भी अलाऊ नहीं किया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, सबको टाईम दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : हमको एक मिनट का भी मौका नहीं दिया। आप समय देंगे तो मैं बोलूंगा।...(व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

मैं इससे एक अंक हासिल नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

एक लैटर को लेकर के कल सदन में सारी प्रोसीडिंग्स मैं हुई हैं उसके बाद दुखी मन से घर

गया। मेरे पास कुछ पत्रकारों का टेलीफोन आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। हमको कहा था कि कल सदन में चिट्ठी पेश होगी। कल हम वित्त मंत्री जी को सदन में बार-बार चिट्ठी रखने के लिए कह रहे थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

आप उस विश्व बैंक के उस पत्र के रहस्यों को जान सकते हैं।

[हिन्दी]

वह लैटर वैर-सांसदों के पास पहुंच गया है और सदन को नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : 29 तारीख को देंगे।

(व्यवधान)

श्री रवि राय : वित्त मंत्री जी ने खुद मान लिया है। कल से सारा सदन उनसे चिट्ठी रखने के लिए कह रहा है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। आप मुझे इस सदन में गाईड कर सकते हैं। सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। अगर वह चिट्ठी रखने से इकोनोमी के अन्दर कुछ फ्लक्चुएशन होता है।···

(व्यवधान)

श्री रवि राय : इसका जवाब आडवणी जी दे चुके हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि वे 29 तारीख को बजट पेश होने के बाद देंगे। इससे जाहिर होता है कि इससे संबंधित है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसको साबित करने के लिए दो दिन का टाईम मांग रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री रवि राय : आज चन्द्रशेखर जी आए और कह रहे हैं कि हमारे पास है। वे कह रहे हैं (व्यवधान) उनके मन में है। चन्द्रशेखर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने संसद और देश के प्रति सेवा की है··· (व्यवधान) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी आ करके आपके सामने कह रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि संसद में कोई दूसरी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जब तक इसका फैसला न हो जाए।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही संसद में बड़ी गरिमापूर्ण रीति से चल रही है। जब भी कोई गम्भीर विषय आता है तो उस विषय पर अपने-अपने विचार प्रकट करने का मौका हर सदस्य को देना चाहिए और मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। रूलिंग पार्टी के सदस्यों की कोई शिकायत हो कि उनको कम मौका मिला है।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाकी सारे सदस्यों को इस पर मौका दिया गया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिस पद्धति से आपने उठाया है उसके लिए तो समाधान है और आपने बहुत अच्छे सुझाव

दिए हैं। लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि जानकार लोग इकट्ठे बैठकर, सोचकर जो भी सही रास्ता हो, वह निकालें। वह काम आपने किया है। मैं उस पर एक्ट करने जा रहा हूं। आप एक बात को नजर से दूर न करें कि कश्मीर का प्रोक्लेमेशन का इश्यू भी है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, आपने कश्मीर के सवाल को उठाया है, हम लोगों को समय पर उसको पारित करना है, नहीं तो उसमें संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाएगा, यह बात सबके ध्यान में है। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष के सदस्यों की राय बनती है कि हमने इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो बैठक का सुझाव दिया है उसको तुरंत करें…

अध्यक्ष महोदय : मैं चैम्बर में जाकर करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस मामले को कोई प्रेस्टिज इश्यू न बनाया जाए और इस सुझाव को जो आपके भूतपूर्व अधिकारी और पूर्व प्रधान मंत्री की ओर से आया है इसको मान लिया जाए। इसको पहले-पहले लेकर बाकी की कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तुरन्त करेंगे। मैं अपने कक्ष में आराम कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी-अभी आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है, उस पर मुझे आपत्ति है…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्याकरणिक दृष्टि से अथवा अन्यथा ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कोई पहले प्रधान मंत्री थे और उनका भी उल्लेख करना चाहें तो पूर्व प्रधान मंत्री कहा जा सकता है, उसके आगे भूत लगाने की क्या आवश्यकता है।

श्री चन्द्र शेखर : सिर पर चढ़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भाषा को समझाने के लिए आपका अभिनन्दन करता हूं क्योंकि ऐसा कहकर आपने सब लोगों के मुंह में हंसी ला दी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप हाउस को एडजोर्न कर दीजिए।

12.36 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

12.37 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 25 फरवरी, 1992 को भारत के राजपत्र में [अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 124 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1322/92]

हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली (1990-91) की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1323/92]

आठवीं योजना—1992—97 के उद्देश्यों, क्षेप और मैक्रो-डाइमेनसन्स और इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आठवीं योजना—1992—97 के उद्देश्यों, क्षेप और मैक्रो-डाइमेनसन्स (विवरणात्मक पत्र) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1324/92]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1325/92]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और सेमी० कण्डक्टर लि०, सास नगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1991, जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 646 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1991 जो 23 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 659 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1991, जो 16 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 654 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1991, जो 16 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 655 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1991, जो 21 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 699 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1991, जो 21 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 700 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति सुविधायें) तीसरा संशोधन

[श्रीमती मार्गरेट अल्वा]

नियम, 1991, जो 23 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2890 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1326/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, सास नगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमिकण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, सास नगर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1327/92]

सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) विवरण संख्या 27 — चौदहवां सत्र, 1984 — सातवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1328/92]

(2) आठवीं लोक सभा:

(एक) विवरण संख्या 31 — पांचवां सत्र 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1329/92]

(दो) विवरण संख्या 7 — नौवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1330/92]

(तीन) विवरण संख्या 26 — दसवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1331/92]

(चार) विवरण संख्या 22 — ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1332/92]

(पांच) विवरण संख्या 19 — बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1333/92]

(छह) विवरण संख्या 18 — तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1334/92]

(सात) विवरण संख्या 15 — चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1335/92]

(3) (एक) विवरण संख्या 12 — पहला सत्र, 1989
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1336/92]
(दो) विवरण संख्या 12 — दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1337/92]
(तीन) विवरण संख्या 8 — तीसरा सत्र, 1990
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1338/92]
(चार) विवरण संख्या 6 — छठा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1339/92]
(पांच) विवरण संख्या 5 — सातवां सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1340/92]
} नौवीं लोक सभा

(4) (एक) विवरण संख्या 4 — पहला सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1341/92]
(दो) विवरण संख्या 1 — दूसरा सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1342/92]
} दसवीं लोक सभा

व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न नियम 1991 और राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अन्तर्गत व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न (संशोधन) नियम, 1991 जो 9 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 729(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1343/92]

(2) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1344/92]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1345/92]

[प्रो पी० जे० कुरियन]

(4) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग, आयोग, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी०—1346/92]

(5) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कॅयर बोर्ड, कोची के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोची के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1347/92]

बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड कलकत्ता और इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1348/92]

(ख) (एक) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड बड़ोदरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1349/92]

भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, और पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1990-91 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1350/92]

(ख) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1351/92]

(2) उपयुक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1352/92]

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

12.38 प० म०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.38½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (रूटवा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.39 म० प०

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं प्राक्कलन समिति का सूचना और प्रसारण मन्त्रालय—केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड से सम्बन्धित तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.39½ म० प०

लोक लेखा समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं लाटरी व्यवसाय का मूल्यांकन सम्बन्धी लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.40 म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन विधेयक)

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में समय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 9 का अन्तःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय 30 अप्रैल, 1992 तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"यह सभा भारत के संविधान अर्थात संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक (नये भाग 9 का अन्तःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय 30 अप्रैल, 1992 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

श्री रामविलास पासवान (रोसड़ा) : नहीं, आप सभा को स्थगित कर दें। अध्यक्ष महोदय को सभी दलों के नेताओं की बैठक करने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम 377 के अधीन मामलों को पूरा कर सकते हैं और तब सभा स्थगित करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : आप सभा की भावनाओं को जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की भावना से पूरी तरह सहमत हूं और इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभा की बैठक स्थगित कर दें। अध्यक्ष महोदय को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करने दें। तभी हम सभा का कार्य कर सकते।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : हम किसी भी स्थगन का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

12.44 म० प०

तब श्री अजय मुखोपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने यह पहले ही आश्वासन दे दिया है कि वह एक बैठक

बुलाएंगे। नियम 377 के अधीन मामले आपका अपना मुद्दा है मात्र 10 मिनट की बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह दस मिनट की बात है। दस मिनट तक सभा को चलने दें।

(व्यवधान)

श्री मनि शंकर अय्यर : महोदय, या तो आप उन्हें सभा से निष्कासित कर दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 बजे तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.47 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

2 03 म० प०

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2.03 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, जिस मामले को लेकर यहां चर्चा रही, वह स्टेटमेंट, वह दस्तावेज आज दूसरे सदन में, राज्य सभा में ले हो गया है। पूरा दस्तावेज वहां पेश कर दिया गया है। इसलिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह दस्तावेज राज्य सभा में ले हो गया है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कहां हैं। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलडाना) : खुराना जी, आपके नेता अन्दर बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। इस बात को लेकर, आप यहां हल्ला क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : जब वह डाक्यूमेंट राज्य सभा में ले हो गया है, जिसे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां पेश नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि इस हाउस को अन्धकार में रखा गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, आप देखिये कि राज्य सभा में वह पेश कर दिया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभी पार्टियों के लीडर बात कर रहे हैं, अन्दर बैठकर। इसलिए आप बैठिये, खुराना जी। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : फाइनेन्स मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सदन को अन्धकार में रखा गया है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (शंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, वह दस्तावेज दूसरे हाउस में तो ले हो गया, लीडर अन्दर बात कर रहे हैं तो क्या हुआ। उस हाउस में रख दिया गया है तो इस हाउस में क्यों नहीं रखा गया। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि जब दस्तावेज दूसरे सदन में रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है, दुनिया को उसके बारे में मालूम पड़ गया कि उस स्टेटमेंट में क्या है,

फिर उसे इस सदन में क्यों नहीं रखा गया। इसलिए इस सदन में भी रखा जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री और भूतपूर्व प्रधान मंत्री सहित सभी राजनैतिक दलों के नेता माननीय अध्यक्ष के कक्ष में बैठक कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अनेक माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन सूचना दी है। हम उन्हें निपटा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के अधीन अति महत्वपूर्ण विषय निपटाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब जानते हैं कि सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को मिलकर कोई सौहार्द्रपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। वे इस समय माननीय अध्यक्ष के कक्ष में उनके साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम नियम 377 के अधीन विषयों को निपटा लें। इसमें क्या बुराई है? कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नियम 377 के अधीन कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। हम पांच मिनट के लिए शान्ति से बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल पूरे दिन हम कोई कार्य नहीं कर पाए। परसों भी यहां हमने कोई कार्य नहीं किया। आज भी हम अधिक कार्य नहीं कर पाए। कम से कम नियम 377 के अधीन विषय तो निपटा लें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 3.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.06 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.00 म० प०

लोक सभा 3.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना के अनुसार, नेताओं ने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे कक्ष में बैठक की। बैठक में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और और दलों के अन्य सदस्य—इंद्रजीत जी, सोमनाथ जी और दलों के अन्य नेता उपस्थित थे। नेताओं ने अपना मत व्यक्त किया कि जिस दस्तावेज का उल्लेख किया गया था, उसे सभा पटल पर रखना चाहिए। और सरकार की ओर से समझदारीपूर्ण ढंग से यह कहा गया कि जो भी अध्यक्ष की इच्छा होगी वैसा ही किया जाएगा। मैं इसका अर्थ समझ सकता हूं। यह हममें से कोई भी समझ सकता है। माननीय सदस्यों, नेताओं और यहां उपस्थित समस्त सदस्यों की इच्छानुसार, मैं वित्त मंत्री को पत्र की एक प्रति को सभा पटल पर रखने का निर्देश दे रहा हूं। वे आज रख सकते हैं, सदन के उठने से पूर्व और यदि उसकी अनूदित प्रति की आवश्यकता है और यदि वह तैयार है तो इसे आज रखा जा सकता है अन्यथा इसे कल रखा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया उसकी प्रतियां बांट दें···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उसकी प्रतियां बांटी जा सकती हैं···ताकि वे आज ही हमें मिल जाएं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : इसका अंग्रेजी संस्करण आज सभा पटल पर रख दिया जाए और अनूदित संस्करण कल रखा जा सकता है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मानने योग्य है। आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व अंग्रेजी संस्करण रख दिया जाएगा। यदि हिन्दी संस्करण भी तैयार हो गया तो, आज ही रख दिया जाएगा। अन्यथा इसे कल रखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आपके निर्देश सिर्फ 11 नवम्बर के पत्र के लिए है या 12 नवम्बर के पत्र के लिए भी हैं, जो उन्हें लिखा गया था।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिथियों और सब बातों के बारे में मुझे सही-सही नहीं पता है। मैंने उस सम्बद्ध पत्र के बारे में कहा है जिस पर कल आप चर्चा कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त : पत्रों के आदान-प्रदान का क्या हुआ ?···(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : पत्र और उसका उत्तर, दोनों ही सभा पटल पर रखे जाने चाहिए।···(व्यवधान)

श्री ओकांत जेना (कटक) : महोदय, रेल मंत्री के वक्तव्य का क्या हुआ, जिसका कल वायदा किया गया था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य लेकर आए हैं और वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्री उनसे कृपया वक्तव्य देने को कहें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अनुरोध करता हूं कि सदस्यों को प्रतियां दी जाएं। कृपया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रशासनिक रूप से देखूंगा। अब, नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

श्री बीरबल।

---

3 03 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) रावतसर, राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अधिकाधिक जनसंख्या तक पहुंचाने का संकल्प व उसका क्रियान्वयन सराहनीय है।

हाल ही में श्री गंगानगर में लघु शक्ति के दूरदर्शन रिले केन्द्र का शुभारम्भ हुआ है। रावतसर क्षेत्र श्री गंगानगर तथा पूर्व में स्थापित सूरतगढ़ के दूरदर्शन रिले केन्द्रों की परिधि में नहीं है। इसलिए इन केन्द्रों के कार्यक्रमों से इस क्षेत्र की जनता वंचित रहती है। अमृतसर व जालंधर के कार्यक्रम मौसम के हिसाब से कभी-कभार पकड़ में आ जाते हैं। अलबत्ता लाहौर (पाकिस्तान) का कार्यक्रम हमेशा बहुत साफ-साफ व खूब बढ़िया दिखता है।

पाकिस्तान की इस सांस्कृतिक घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र की लगभग 5 लाख जनता जिसमें एक नगर परिषद क्षेत्र, चार नगरपालिका क्षेत्र व एक तहसील मुख्यालय सहित अनेकों बड़े-बड़े गांव सम्मिलित हैं, दो हजार वर्ग किलोमीटर की परिधि में आते हैं। इतने सभी लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम से वंचित हैं। पाकिस्तान के दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने को विवश हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में पाकिस्तान के कार्यक्रमों से बचने के लिए रावतसर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रावतसर (राजस्थान) में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में विकास केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की नई औद्योगिक नीति से आशा बनी है कि औद्योगिकीकरण की दिशा में तीव्र गति से प्रगति होगी, परन्तु उन पिछड़े इलाकों में जहां ग्रोथ-सेंटर की योजना के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाये गये, वहां कोई भी उद्योग नहीं डाले जा सकेंगे। ये इलाके पिछड़े ही रह जाएंगे और देश में विकास में असंतुलन पैदा हो जाएगा। अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि ऐसे पिछड़े इलाकों में कृषि एवं वन पर आधारित उद्योगों को लगाने के लिए ग्रोथ-सेंटर बनाने की कार्यवाही करें। जहां एक ग्रोथ-सेंटर स्वीकृत हो चुका है वहीं दूसरा ग्रोथ-सेंटर स्वीकृत न किया जाये।

मध्य प्रदेश के उद्योगविहीन जिलों और पिछड़े इलाकों में प्राथमिकता से इसे लागू किया जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र सिवनी के पिछड़ा और उद्योगविहीन जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर बडोल

[कुमारी विमला वर्मा]

ग्राम के पास लगभग 500 हैक्टेयर शासकीय बर्रा भूमि है तथा वैनगंगा नदी में भरपूर पानी उपलब्ध है। पूर्व में यहां ग्रोथ-सेंटर का प्रस्ताव भी था। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सिवनी जिले में ग्रोथ-सेंटर स्वीकृत किया जाए जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

[अनुवाद]

(तीन) राजस्थान में मंडलगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सूरतगढ़ में शीघ्र विद्युत संयंत्र लगाने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, कुछ वर्ष पूर्व, राजस्थान सरकार ने टाटा कन्सल्टेन्सी से राजस्थान के विभिन्न स्थानों में कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस कन्सल्टेन्सी संगठन ने विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और उपलब्ध गौण आंकड़े का विश्लेषण करने के पश्चात् राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ताप केन्द्र स्थापित करने के लिए चार स्थानों को चुना गया है, ये है—मंडलगढ़ 2 × 200 कि० वा०, चित्तौड़गढ़— 2 × 220 कि० वी०, धौलपुर—2 × 200 कि० वा०। और सूरतगढ़—2 × 220 कि० वा०।

इन चार स्थानों में से 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सूरतगढ़ को कोयले की आपूर्ति के लिए प्रायः वर्ष 1985 में चालू करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के कारण अधिक लागत और समय लग रहा है। और इस क्षेत्र की काफी लम्बे समय से की जा रही मांग की उपेक्षा की जा रही है। यह भली भांति ज्ञात है कि क्षेत्रफल के संबंध में राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और मठ क्षेत्रों में चम्बल या भाखड़ा से विद्युत पूर्ति की जाती है जो काफी दूरी पर है और इन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने वाली संचारण लाइनें अपना महत्व खो देती हैं। भारत सरकार से तीन अन्य विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने और सूरतगढ़ के लिए अनुमति देने का अनुरोध है।

[हिन्दी]

(चार) 'इफको' संयंत्रों के विस्तार के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, 1989-90 में देश में चल रहे इफको संयंत्रों के विस्तार करने की योजना की गई थी। इसके अतिरिक्त दसवीं लोक सभा के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी इन फर्टिलाइजर संयंत्रों के विस्तारीकरण की बात की थी। परन्तु, स्थिति ज्यों की त्यों ही है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब काश्तकारों को अच्छी किस्म की खाद समुचित मात्रा में मिलेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि भी संभव होगी। उत्पादन में वृद्धि होने से देश में खुशहाली बढ़ेगी और मूल्य वृद्धि को भी बहुत बड़ी हद तक रोका जाना संभव होगा। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इफको के आंवला संयंत्रों का विस्तारीकरण यथाशीघ्र करने की दिशा में ठोस और कारगर कदम उठा कर महंगाई को रोकने के लिए विस्तारीकरण की व्यवस्था की जाये जिससे कृषकों व जनता को समुचित लाभ मिल सके।

(पांच) पटना और पहलेजा घाट के बीच रेल पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार भौगोलिक रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी दो भागों में बंटा हुआ है। गंगा नदी के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार में आवागमन की असुविधा बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी पर रेल पुल के अभाव में वस्तुतः अपने प्रदेश के उत्तरी भाग से अलग-थलग पड़ जाता है जो इस क्षेत्र के विकास कार्यों में भी बाधक बना हुआ है। रेल सुविधा समाज की खुशहाली और प्रगति में सहायक तो होता ही है, सुरक्षा की दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिणी बिहार से उत्तरी बिहार का मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारन, सिवान, गोपालगंज इत्यादि जिले एकदम कटे हुए हैं तथा छोटे-मोटे व्यापार तथा उद्योगों का पनपना असम्भव है।

लम्बे समय से पटना तथा पहलेजा घाट के बीच रेल्वे पुल की मांग की जा रही है। कई बार साइट सलैक्शन के लिए खोजी दल भी केन्द्र सरकार की ओर से गया पर अभी तक उसका कोई फल नहीं निकला है।

अतः केन्द्र सरकार से मैं मांग करती हूं कि पटना-पहलेजा घाट के बीच गंगा पुल बनाने की दिशा में अविलम्ब पहल की जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ स्वीकृत संस्करण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी स्थित लोकसन टी-एस्टेट की बिगड़ती स्थिति में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ बास (जलपाईगुड़ी) : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोकसन टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल जिसका टी० टी० सी० आई० ने 1976 में अधिग्रहण कर लिया था, वह बन्द होने के कगार पर है।

फैक्टरी भवन जर्जरावस्था में है और इसका तुरंत जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता है। कारखाने में इस समय लगे हुए यंत्र भी काफी पुराने हैं। 447.56 हैक्टेयर भूमि में से 399.57 हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगे हैं। सभी पेड़ पौधे बहुत पुराने हैं और उनमें से लगभग 40 प्रतिशत पुराने होने के कारण काम नहीं कर रहे। पुराने और नए क्षेत्रों में नए पौधे लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्रमिकों की भविष्य निधि की 7.4 लाख रु० से भी अधिक राशि अभी जमा करना शेष है। निश्चित अवधि के दौरान अधिक पत्तियां चुनने के लिए श्रमिकों को अतिरिक्त धन देना चाहिए। टी० टी० सी० आई० द्वारा प्रबंधित अन्य तीन बागानों के श्रमिकों को बस प्रतिशत भविष्य निधि मिल रही है। जबकि इस बागान के श्रमिकों को सिर्फ आठ प्रतिशत मिल रहा है। सेवानिवृत्त श्रमिकों को लगभग सत्रह लाख रुपए उपदान के देना शेष है। पेयजल की कमी, ईंधन, उनके घरों की दयनीय अवस्था इन सब कारणों से श्रमिकों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। श्रमिकों और चाय बागानों को बचाने के लिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

(सात) बंगाल की खाड़ी में तेल फैलने की जांच करने और उस क्षेत्र के लिए संकट प्रबंध योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जय नगर) : महोदय, कुछ दिन पूर्व ढाका से प्राप्त समाचार के माध्यम से ऐसोसिएट प्रेस के एक समाचार द्वारा सरकार और पारिस्थितिकविदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि तेल की परत से बंगाल की खाड़ी में जीव जन्तु और पौधों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और सुन्दरवन के कच्छ वन जो प्रख्यात रायल बंगाल टाईगर और चकतेदार हिरनों का निवास स्थान है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और यह तेल की परत पश्चिमी भूमि की ओर अधिक आगे बढ़ रही थी। नवीनतम जानकारी के अनुसार, यह तेल की परत पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन तक पहुंच चुकी है। सुन्दरवन के तट के साथ-साथ 24 से 32 कि० मी० के क्षेत्र में यह परत अन्ततः टुकड़ों में बंट कर फैल गई है और जमीन की ओर बढ़ गई है और कीचड़ और गंदगी का ठेर बन गई है।

इसके फैलाव के लिए कौन उत्तरदायी है यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। समय की मांग यह है कि सुन्दरवन में वनस्पति और प्राणिजगत की रक्षा की जाए सुन्दरवन बंगाली बाघ का घर है और राष्ट्रीय पार्क है जिसे जीवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, यूनेस्को ने भी इसे एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। और जब नदी के मुहाने के कच्छ वन में तेल भी पतली परत और कीचड़ मिल जाएगी तो खारे पानी में उत्पन्न किए जाने वाले झींगा और झींगी ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे। और ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन है। सरकार को शीघ्र कुछ उपाय करने चाहिए ताकि इस तेल के, जो कि मुख्यतः एक नष्ट न होने वाला तत्व है, इसके प्रभाव वनस्पति और प्राणिजगत पर अधिक समय तक न रहे। सुन्दर वन के बाद मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अविलम्ब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के लिए एक ऐसी संकट प्रबन्धन योजना तैयार करे जोकि इस तरह की दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण की ओर लक्षित की गई हो।

———

3.15 म० प०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे सभा-पटल पर पत्र रखना चाहते हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार मैं अपने द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री प्रेस्टन को 11 नवम्बर, 1991 को भेजे गए पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति सदन के सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखें संख्या एल० टी०—1353/92]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : श्रीमान्, दूसरे पत्र का क्या हुआ ?··· (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि कोई दूसरा पत्र नहीं है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को बता दिया है कि कोई दूसरा पत्र नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसके उत्तर का क्या हुआ ?

श्री मनमोहन सिंह : इसका कोई उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या यह वही पत्र है जिसका उल्लेख 'दि इन्डियन एक्सप्रेस' में किया गया था ? (व्यवधान)

3.16 म० प०

जम्मू-कश्मीर के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उदघोषणा को 3 मार्च, 1992 से और छह मास की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल की सिफारिश पर, 18 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, जम्मू और काश्मीर से संबंधित एक उद्घोषणा जारी की गई थी। उससे पहले, 19-1-1990 को, जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू और काश्मीर के संविधान की धारा 92 के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य की विधान सभा को निम्नलिखित करते हुए राज्य कार्यपालिका और विधान मंडल के अधिकार अपने हाथों में ले लिया। एक महीने के पश्चात् 19-2-1990 को राज्यपाल ने राज्य के संविधान के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधान सभा को भंग कर दिया।

जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3-3-1991 और फिर 3-9-91 से और छह मास की अवधि के लिए जारी रखने के लिए, संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। राज्य में, वर्तमान में चल रहा राष्ट्रपति शासन काल 2-3-1992 को समाप्त होगा।

हाल ही में जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने यह सूचना दी है कि पाकिस्तान अन्तर सेवा आसूचना विभाग और पाकिस्तानी सेना ने, कश्मीरी युवकों को स्वचालित हाथियार, छापा मार युद्ध, बेतार संचालन आदि का प्रशिक्षण देकर, 1991 वर्ष के ग्रीष्म और पतझड़ के महीनों में, काश्मीर वादी में उनके घुसपैठ को बढ़ाकर आतंक फैलाने का पूरा प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों ने स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा और पिछले कुछ महीनों में उग्रवादियों को उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से खदेड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की जा रही है, जहां वे मोर्चाबन्दी का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा है फिर भी, स्थिति और बिगड़ती जा रही है क्योंकि उग्रवादी, सुरक्षा बलों और अन्य लक्ष्यों पर आक्रमण करने की अपनी क्षमता बनाए हुए हैं और जनता में भय फैलाने में सफल हैं। अतः उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिस गति से अब अभियान चल रहा है, उसे

[श्री एस० बी० चव्हाण]

बनाये जारी की आवश्यकता है।

वर्ष 1991 के अन्त तक आम जनता उग्रवाद से निराश एवं तंग हो गई है और उनका इस बात से विश्वास उठ गया है कि हिंसा द्वारा उग्रवादी आजादी प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ रही सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा लूट खसोट, स्त्रीयों से छेड़छाड़, हत्या और मासूम लोगों के अपहरण जैसे बुरे कामों के कारण उग्रवादियों को समर्थन और प्रोत्साहन मिलना बन्द हुआ है। बन्दूक के भय से लोग उग्रवाद का सामना नहीं कर पाये पर ऐसी कुछ घटनायें हुई जहां जनता ने उनके मोहल्ले में हो रही उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। पाकिस्तान से मोह-भंग होने के कारण उग्रवादियों के विभिन्न वर्ग निराश एवं निष्क्रिय हो गये हैं और उनमें से लगभग 600 लोगों ने हथियारों सहित आत्म समर्पण कर दिया है। उग्रवादी गुटों में मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। वादी और सीमा पर हुई कुछ घटनाओं के कारण सामान्य हो रही राज्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभिन्न उग्रवादी गुटों के बीच आपसी दुश्मनी और फूट बहुत कम हो गई है। उग्रवादी अपने व्यापक कार्य के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। फिर भी, यह परिवर्तन अस्थायी लगता है और जम्मू और काश्मीर प्रशासन तथा सुरक्षा गुटों की कड़ी मेहनत रंग लायेगी। सीमा पर हो रही घटनाओं का विकास कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है।

वादी में कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं हो रही है। राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी जनता तथा उग्रवादी गुटों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। फिर भी, विकास कार्यों तथा राहत कार्यों द्वारा प्रशासन तथा सुरक्षा बल, जनता के विश्वास और सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

राज्य में विधान-सभा के चुनाव करवाने लायक स्थिति नहीं है और राज्य में किसी भी बड़े राजनैतिक दल द्वारा चुनावों के लिए आवाज नहीं उठाई गई है। इसके अलावा राज्यपाल ने यह सूचना भी दी है। कि सीमा निर्धारण आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है। राज्य के संविधान की धारा 47 में संशोधन के कारण जो सीटों की वृद्धि हुई है उसके कारण भी निर्वाचन क्षेत्र के सीमा निर्धारण के आधार पर चुनाव आयोजित करना कानूनी तौर पर तर्क संगत नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबन्धों के अनुसार, जो कि जम्मू और काश्मीर पर भी लागू होती है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा राज्य में तीन वर्ष तक जारी रह सकती है बशर्ते प्रति छः माह बाद संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन प्राप्त हो।

राज्य की स्थिति और सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 18-7-1990 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने भी इसी की सिफारिश की है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू और कश्मीर में 3-3-92 से और छह महीनों तक राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाए।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव पर अबस्त सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा को 3 मार्च, 1992 से और छह मास की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी अति संक्षिप्त बात शुरू करने के प्रारम्भ में आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से एक शेर के माध्यम से एक सवाल करती हुई अपनी बात रखूंगी कि :

"तू न इधर-उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा,

हमें रहजनों की फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

आज कश्मीर की जो स्थिति बनी हुई है और जिसके कारण राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव माननीय गृह मन्त्री महोदय इस सदन में लाए हैं उस स्थिति को बनाने का जिम्मेदार कौन है ? इतने वर्षों में कश्मीर के हालात सुधर नहीं सके बल्कि और बिगड़ते चले गए, इसके लिए हम अपराधी के कटघड़े में किसको खड़ा कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि इस सदन में बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर जी भी मेरी हिन्दी समझ जाएंगे क्योंकि जैसे उन्हें भ्रम रहता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती उसी तरह से मुझे भी कुछ भ्रम है कि वह ठीक तरह से हिन्दी नहीं जान पाते।

अध्यक्ष महोदय : दोनों के भ्रम भी गलत हैं।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, अच्छा है कि आपने अपनी रूलिंग दे दी, हम दोनों के भ्रमों के बारे में। मैं अपने अति संक्षिप्त वक्तव्य में यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक समय वह था जब कश्मीर घाटी से शांति और प्रेम का संदेश प्राप्त होता था। स्वतन्त्रता से पहले भी कश्मीर के हजारों साल के इतिहास से मालूम पड़ता है कि कश्मीर में ज्ञान तत्व, शांति, प्रेम, एकता के सूत्र और तत्व गूंजते रहे थे, लेकिन अचानक कश्मीर राजनीति करने का माध्यम बना और कुछ अव्यावहारिक नीतियों के कारण आज कश्मीर की यह स्थिति हो गई है कि कश्मीर में देश के किसी हिस्से का नागरिक जाता है तो वह कल्पना नहीं कर सकता है कि वहां से लौटकर वापिस आ पाएगा या नहीं। हमारी पार्टी की नीति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट रही है लेकिन कश्मीर के मामले में जिस प्रकार की ढुलमुल नीति केन्द्र सरकार ने और वर्तमान सरकार ने अपनाई है और उसे दल ने अपनाई है, जिस दल की सरकार है, उसकी नीति जो कश्मीर और देश के बारे में रही है वह वोटों की नीति रही है। वोटों की राजनीति होती है। वोटों के लालच में एक समस्या खड़ी करना, फिर और वोटों के लालच में उस समस्या को थोड़ा और उलझा देना और फिर और अधिक वोट प्राप्त करने के लिए उस समस्या के समाधान का दिखावा करना। अगर ईमानदारी से प्रयत्न किया गया होता तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर की यह स्थिति न बनती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी की एकता यात्रा के माध्यम से सारे राष्ट्र में आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ वातावरण बना है। (व्यवधान)

मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को एकता शब्द शायद पसंद ही

[कुमारी उमा भारती]

नहीं है। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ एकता का नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे इन पर गर्म तेल डाल दिया गया हो, जबकि एकता के नाम पर ये वोट मांगते हैं। एकता यात्रा के माध्यम से सारे राष्ट्र में पहली बार यह अद्भुत घटना घटी। (व्यवधान)

यह आप लोगों का इस तरह से उत्तेजित होना ही आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा करता है। खिसियानी बिल्ली ही तो खंभा नोचती है। एकता यात्रा के माध्यम से सारे राष्ट्र में अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सामूहिक जनभावना का जागरण हुआ है, लेकिन दुःख की बात यह है कि इस देश के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए माननीय गृह मन्त्री महोदय ने ऐसा बयान दिया जिसको पढ़ कर क्षोभ भी हुआ और शर्म भी आई कि डा० जोशी जी की एकता यात्रा का परिणाम है कि कश्मीर के आतंकवादियों को एक होने का मौका मिला है, जबकि हकीकत यह है जैसा कि आपको मालूम होगा, आप लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, पहली बार यह हुआ है जब कश्मीर घाटी के उस पार पाकिस्तान में भी 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे गूंजने लगे हैं, अन्यथा आतंकवादी चाहे कश्मीर घाटी के या कश्मीर घाटी से उस तरफ के, पाक अधिकृत कश्मीर के, सब 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' और 'हिन्दुस्तान मुर्दाबाद' का नारा ही लगाते थे। यह एकता यात्रा का ही परिणाम है कि अमानुल्ला खां ने उत्तेजित होकर जब बढ़ने की कोशिश की और उसके जत्थे पर गोलियां चलीं तो जो आतंकवादी हिन्दुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते थे वे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। यह हमारी एकता यात्रा का ही परिणाम है। माननीय गृह मन्त्री जी के बयानों का परिणाम यह हुआ कि फगवाड़ा में बेकसूर एकता यात्री मारे गए क्योंकि गृहमन्त्री जी के बयान से आतंकवादियों के हौसले बढ़े। (व्यवधान)

उस एकता यात्रा के माध्यम से ही पाकिस्तान की समझ में एक बात आ गई, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हमारे साथ छद्म युद्ध लड़ रहा था और यह समझता था कि हम पाकिस्तान का जवाब देने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान जिस प्रकार से हमारे खिलाफ साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति कश्मीर के माध्यम से अपनाए हुए था, उससे वह यह नहीं सोच सकता था कि हम कभी उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। हम हमेशा कड़ी कार्यवाही की कड़ी तो पाकिस्तान को खिलाते रहे हैं, लेकिन उसको यह अंदेशा नहीं था कि हम कभी कड़ी कार्यवाही कर भी सकते हैं। मगर एकता यात्रा के बाद जब उसने देखा कि लाखों निहत्थे लोग अपनी जान हथेली पर लेकर उग्रवाद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, तब उसकी समझ में आया कि हिन्दुस्तान का इरादा अब आतंकवाद से लड़ने का है और अब मेरा षड्यन्त्र सफल नहीं हो पाएगा और उसका परिणाम यह हुआ कि अमानुल्ला खां को प्रोत्साहन देने के बजाय उसको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार को बाध्य होना पड़ा और अमानुल्ला खां तथा उसके साथियों पर गोलियां चलाई और अन्त में आतंकवादियों में फूट पड़ी। इसके लिए श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की समझ में यह बात आई है।

माननीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान ने जो नीति अपनायी उसमें उसने प्रचार माध्यम का तरीका भी पकड़ा, जिसमें हम पूरी तरह से फेल हुए। प्रचार माध्यम में एक तो उसने पूरे संसार में यह वातावरण बनाया कि काश्मीर घाटी के लोग हिन्दुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। उनको जोर-जबरदस्ती से रखा जा रहा है। उसमें भी हमारी सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, उस

प्रचार युद्ध में, वह ठीक से नहीं निभा पायी। दूसरे हमारे सुरक्षा बलों के चरित्रों के ऊपर विश्व मानवाधिकार संगठनों ने जिस प्रकार के आरोप लगाए, ऐसा लगा जैसे विदेशों में यह वातावरण बना दिया गया है कि सुरक्षा बल काश्मीर घाटी के अन्दर बहुत जबरदस्त जुल्म ढा रहे हैं और वहां की बहन-बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि उग्रवादी इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। मुझे तो आश्चर्य यह है कि जिस प्रकार से काश्मीर के आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी तत्व बेकसूर लोगों के हत्याएं करते हैं, जितने क्रूर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं उतना शायद विश्व में कहीं भी नहीं किया जाता होगा।

जर्मनी में हिटलर ने गैस चैम्बर के अन्दर लोगों को भुनवाया था। लेकिन काश्मीर घाटी के के अन्दर जो उग्रवादी और अलगाववादी हैं वे जब किसी बेकसूर व्यक्ति को मारते है तो उसकी खाल उधेड़ देते हैं, किसी बहन-बेटी से बदला लेना चाहते हैं तो उसका एक-एक अंग काट कर पोलिथीन के बैग में डालकर उसके ऊपर उसके अंगों का नाम लिखते जाते हैं और सुरक्षा वालों के बेस जहां होते हैं वहां फेंकते चले जाते हैं।

मुझे दुःख इस बात का है कि जो मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने कभी उग्रवादियों के जुल्मों के बारे में शायद ही कुछ कहा हो। लेकिन हमारे देश के सुरक्षा बल और हमारे देश की सेना जो संसार की सबसे ज्यादा तमीज, तहजीब और चरित्र वाली सेना है उसके ऊपर कलंक लगाने की कोशिश की गयी। दुनिया के अखबारों में इसके बारे में छपा, लेकिन केन्द्र में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान को कड़ी कार्यवाही की कड़ी खिलाती रही और प्रचार युद्ध में हम उससे पराजित होते रहे। पश्चिम के कुछ देश उन बातों को हकीकत में मानते रहे और हम प्रचार युद्ध में पूरी तरह से पिछड़ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान का आवाम भी उग्रवाद और आतंकवाद के प्रभाव में आ गया। एक समय वह था जब जगमोहन काश्मीर घाटी में राज्यपाल बनाए गए थे। उस समय जो तरीका उन्होंने अपनाया था, जो हमारी पार्टी की भी नीति रही, कि उग्रवादियों को आवाम से अलग करो, उनके साथ सख्त-से-सख्त कार्यवाही करो तथा काश्मीर की जो शान्तिप्रिय जनता है वह राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहे, इसका पूरा प्रयत्न करो। उस समय जगमोहन जी का प्रयत्न इस तरह का हो रहा था, जब वे काश्मीर के आम जनता से मिलते थे तो उसके राशन-पानी, दुःख-तकलीफ की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते थे और उग्रवादियों पर सख्त-से-सख्त कार्यवाही हो रही थी। पंजाब की जनता आज भी उग्रवाद के प्रभाव में नहीं आ पायी, जबकि काश्मीर की जनता उसके प्रभाव में थोड़ी-बहुत आयी। उसका परिणाम यह है कि काश्मीर में धारा 370 ने भावनात्मक रूप से काश्मीर की सामान्य जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ने ही नहीं दिया। मुझे आश्चर्य यह है कि जब प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव जी ने यह बयान दिया कि धारा 370 नहीं हटायेंगे, यह वायदा है, तब हमें इस बात का दुःख हुआ। क्योंकि वायदा 370 को हटाने का था, वायदा 370 को बनाए रखने का नहीं था। अगर वायदे के ऊपर जायेंगे तो यह तय हुआ था कि काश्मीर की असामान्य परिस्थितियों के कारण धारा 370 लगायी जा रही है, जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा। हटाने का वायदा था वायदा धारा 370 को बनाए रखने का नहीं था। यह कांग्रेस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि 44 साल में काश्मीर की परिस्थितियों को सामान्य नहीं बना पाए। परिस्थितियां और बिगड़ती गई और अन्त में आज यह स्थिति हो गई। इसलिए बावजूद भी हम यह मानते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इस बात की आशा करते है कि बहुत जल्दी काश्मीर में परिस्थितियां सामान्य होंगी।

[कुमारी उमा भारतीय]

लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। क्या काश्मीर की परिस्थितियां इस तरह से सामान्य होंगी, जैसे अभी काश्मीर के मामले में वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार का प्रचार युद्ध चल रहा है, क्या इसके चलते काश्मीर की परिस्थितियां सामान्य होंगी ? क्या सीमा को सील किए बगैर काश्मीर की परिस्थितियां सामान्य होंगी ? आतंकवादियों के वे अड्डे जो पाकिस्तान के अन्दर भी हैं और काश्मीर घाटी के अन्दर भी हैं, उन अड्डों को ध्वस्त किए बगैर क्या काश्मीर की परिस्थितियां सामान्य होंगी ? अभी कुछ दिन पहले इस देश के एक बहुत लोकप्रिय दैनिक समाचार-पत्र "जनसत्ता" ने उन अड्डों को नक्शे समेत छापा था। यह बताया था कि ये वे अड्डे हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक उन आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने वाले, ट्रेनिंग देने वाले अड्डों को हम ध्वस्त नहीं करेंगे क्या हम काश्मीर के अन्दर सामान्य परिस्थितियां ला पायेंगे ? जब तक काश्मीर के उग्रवादियों को काश्मीर के सामान्य जन से हम अलग नहीं खड़ा कर पायेंगे क्या तब तक हम काश्मीर के अन्दर सामान्य परिस्थितियां ला पायेंगे ? क्या सीमाओं को सील किए बगैर हम काश्मीर में सामान्य परिस्थितियां ला पायेंगे ? या ऐसा ही करेंगे जैसे पंजाब में चुनाव का नाटक हुआ।··· (व्यवधान)

हमें पानी नहीं पीना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पानी पिलायेंगे···(व्यवधान) मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार से पंजाब में चुनाव हुए तो हमें आपने अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया। (व्यवधान) माननीय गृह मन्त्री जी आप तो स्वयं अपराधी के कटघरे में खड़े हैं। 22 जून को स्थगित करने के बाद पंजाब में चुनाव किए हैं। पंजाब के चुनाव का बायकाट हुआ है। क्या आपकी इस हरकत से पंजाब के आतंकवादियों को एक होने का मौका नहीं मिला है। पहली बार दो-तीन वर्ष बाद मौका मिला है। जनता को भयभीत और भय का वातावरण बनाने की जिम्मेदार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी है। हम आशा करते है कि पंजाब की समस्या का समाधान हो हम यह चाहते हैं कि काश्मीर के अन्दर चुनाव हो और काश्मीर की जनता अपने मत को पूरी तरह से स्पष्ट कर सके और काश्मीर के अन्दर आतंकवादी गतिविधि करने वाले तत्वों को दंड मिले। इनको संरक्षण देने में जो पाकिस्तान का हाथ है, उसके विरुद्ध हमारा रवैया बना कि सख्त रवैये की चेतावनी है और कड़ी कार्यवाही होगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। एक सज्जन जंगल में जा रहे थे। अपनी पत्नी को बोले कि मेरी बन्दूक का लाइसेंस दे दो। जब बन्दूक का लाइसेंस दिया तो पत्नी बोलने लगी कि बंदूक क्यों नहीं ले जाते। उसने कहा कि बन्दूक सुधरने के लिए गई है, लाइसेंस लेकर जा रहा हूं क्योंकि जंगल में एक नरभक्षी शेर का आतंक है और वह सामने आ गया तो भागेगा कैसे। बन्दूक नहीं तो लाइसेंस दिखा दूंगा, हो सकता है कि लाइसेंस देखकर वह भाग जाएगा। हम इस प्रकार से लाइसेंस दिखाते है। यह भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा का परिणाम है। डा० जोशी अपनी जान हथेली पर रखकर लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए गए। यह मानते हैं कि सुरक्षा बलों का हमें सहयोग मिला। जितना सहयोग मिला, उससे पचास गुना सहयोग आप लेते और काश्मीर के लाल चौक पर जाकर झंडा फहराने 15 अगस्त को जाओ (व्यवधान) डा० जोशी की मां ने दूध पिलाया है तो तिरंगा झंडा फहरा सके। आप क्यों नहीं पहुंच सके। (व्यवधान) सुरक्षा बलों के साये में आप जाकर झंडा फहराते। इस देश के रक्षा मंत्री को यह बयान देना पड़ा कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके पहले शांति, अहिंसा, दया और करुणा नहीं होती है। पाकिस्तान के मामले में भगवान कृष्ण की नीति

पर आना होगा। गोपी अगर होंगी तो बांसुरी सुनाओ, अर्जुन होगा तो गीता सुनाओ, कंस और शिशुपाल होंगे तो सुदर्शन चक्र चलाओ। पाकिस्तान को उसके रास्ते पर चलाना पड़ेगा। काश्मीर की धारा 370 को हटाने के बारे में पूरा देश एक हो गया है। इस देश के गांव के लोगों को यह मालूम नहीं था कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का परिणाम है। एक-एक गांव में यह मालूम है कि धारा 370 क्या है और धारा 370 के चलते देश को क्या नुकसान हुआ है और काश्मीर के अन्दर किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। आज पूरा राष्ट्र आतंकवाद से लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि छः महीने के अन्दर आप ऐसे प्रयत्न कर दीजिए कि काश्मीर के हालात ठीक हो जाएं और जैसी स्थिति की घोषणा आपकी पार्टी के प्रवक्ता करते चले आ रहे हैं हो सकता है वंदनीय और अभिनन्दनीय बात होगी। सात लाख विस्थापितों को काश्मीर से बेघर करके भगा दिया गया और उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गई। आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता को बहुत बड़ी प्रवक्ता मानी जाती है। आपकी धर्मनिरपेक्षता की कसौटी यही है कि आप सात लाख शरणार्थियों को सम्मान के साथ सुरक्षित उनके घर वापिस पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और माननीय गृह मन्त्री जी मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उमा भारती जी के तुरन्त पश्चात बोलने का मौका दिया। उन्होंने अपना भाषण एक शेर से शुरू किया था। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वह यह है :—

"क्या हाल पूछते हो, मेरे कारोबार का,
ऐनक बेच रहा हूं, अन्धों के शहर में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, चूंकि वे मेरी हिन्दी को समझने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में अपना भाषण जारी रखूंगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार को अब से 250 दिन पहले जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून एवं व्यवस्था, न्याय और राजनीतिक अखंडता स्थापित करने की जिम्मेदारी मिली। पिछली बार जब इस सभा में इस विषय पर हस्तक्षेप करने का मुझे अवसर मिला था तो मैंने सभा को बताया था कि जब हमने कार्यभार संभाला था तो उस समय वहां क्या परिस्थितियां विद्यमान थीं। इन पिछले 250 दिनों में क्या कुछ हुआ है मैं उसकी समीक्षा करना चाहूंगा।

सबसे पहले हमने देखा है, जैसा कि अभी-अभी गृह मन्त्री महोदय ने हमें बताया है कि कश्मीर में वहां के लोगों के बजाय उग्रवादियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने इस प्रकार से मुहिम की शुरूआत वहां की है कि आतंकवादी समस्या उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है। यह कहना एक असफलता है कि अनिवार्य विशिष्टता के अन्तर्गत श्री जगमोहन जिसकी कुमारी उमा भारती जी प्रशंसा कर रही थीं। आश्चर्यजनक नहीं है चूंकि श्री जगमोहन वास्तव में उनके दल व द्वारा नियुक्त किए गए थे, दिसम्बर, 1989 और मई, 1990 के बीच के महीनों मे जम्मू और कश्मीर को विनाश के कगार पहुंचाने के लिए भी जगमोहन जिम्मेदार हैं। तथापि हमारे सुरक्षा बलो ने अति कठिन स्थिति को जिसका सामना उन्हें घाटी में करना पड़ा है सुलझाने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्हें आंशिक सफलता भी मिली है लेकिन वह सफलता पूर्ण नहीं है। जैसा कि हमने पंजाब में देखा है,

[श्री मणि शंकर अय्यर]

उग्रवाद की समस्या सुलझाना कोई सरल काम नहीं है। न ही पूर्ण प्रेम-भाव का तरीका कामयाब हो सकता है और न ही उग्रवाद का वास्तविक विरोध काम करता है। उसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती हैं। ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब हम उग्रवाद पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो रहे होते हैं तो उग्रवादी एक बार फिर से इस देश की एकता और अखंडता को पुनः सुनिश्चित करने वाले राज्य के प्रयत्नों को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से इकट्ठे होकर सिर उठाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 250 दिनों की ओर मुड़कर देखें और उससे पहले के 250 दिनों से तुलना करें तो मेरे विचार में इस सदन के सभी वर्ग, केवल उनके सिवाय जो पूर्णतः पूर्वाग्रही हैं और वे मेरे सामने हैं, इस बात से सहमत होंगे कि पूर्व के 250 दिनों के मुकाबले इन 250 दिनों में अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

हालांकि भविष्य में किए जाने वाले कार्य भूतकाल की उपलब्धि के मुकाबले अधिक महत्व और हित के हैं। यहां किसी को इस तथ्य से रोष हो सकता है कि वास्तव में गृह मन्त्री महोदय के 250 दिनों के प्रयत्नों के पश्चात आज घाटी में कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है जो वहां जून, 1991 में थी। स्वयं गृह मन्त्री महोदय ने अपने मूल वक्तव्य में बहुत कुछ कहा है।

मैं बताना चाहता हूं कि घाटी में कोई राजनैतिक गतिविधियां न होने का मुख्य कारण, जैसा कि गृह मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है, राजनीतिक शून्यता बताया, वह जम्मू और कश्मीर के प्रशासन में शीर्ष स्थान पर हमारा राजनीतिक प्राधिकारी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी के रूप में बने रहना है। अब मैं इस बात को मानता हूं कि घाटी में एक बड़ी समस्या सुरक्षा की समस्या का सुलझाना है। अतः श्री गिरीश सक्सेना जैसे अनुभवी सुरक्षाकर्मी को कश्मीर का मामला सौंपना तर्कसंगत है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उग्रवाद का जवाब में हमारे पास कश्मीर के मुख्य प्रशासक के रूप मे सुयोग्य राजनीतिक दक्षता निपुणता रखने वाले किसी व्यक्ति के स्थान पर उग्रवाद-विरोधी-विशेषज्ञ है तो उग्रवादी हमें राजनीतिक गतिविधि की असली स्थिति तक पहुंचाने में सहायता करने के स्थान पर आतंकवादी विरोधी-गतिविधियों में हमें गुमराह कर रहे हैं। देश में राजनीतिक कुशलता और दक्षता का अभाव नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सदन के किसी सदस्य से यह कहना मुश्किल है कि वह अपनी सदस्यता त्यागकर श्रीनगर अथवा जम्मू जाये और वहां समस्या सुलझाए। लेकिन इस सभा के बाहर भी बुजुर्ग राजनेता, जिन्हें, राजनीतिक संकट हल करने का व्यापक अनुभव है, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं गृह मन्त्री महोदय से इस सभा के बाहर को राजनीतिकता की अतुल संपदा लेने का अनुरोध करूंगा। इस आशय से कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को लें जो ऐसे कदम उठाने में समर्थ हो जो राजनीतिक समाधान के लिए आवश्यक है आखिरकार आतंकवादी-विरोधी गतिविधियों का अन्त वहां केवल राजनीतिक स्थिरता लाने से ही हो सकता है।

दूसरे, कश्मीर के लोगों को यह अनुभव कराने के लिए कि वे भारत के नागरिक हैं। कश्मीर या जम्मू और कश्मीर संवर्ग के अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर के प्रशासन में वरिष्ठ-पदों से हटा कर उनमें अविश्वास जताने का तरीका अप्रभावी है। अब श्री जगमोहन के शासन के अंतर्गत जो हुआ उससे तुलना करें, जबकि प्रत्येक कश्मीरी को अपने पद से हटा दिया गया था जहां वास्तव में जम्मू और कश्मीर के किसी अधिकारी को जिम्मेदारी का पद नहीं सौंपा गया तथा मेरे दल के एक नेता के इस प्रश्न के उत्तर में कि आप कितने लोगों पर अविश्वास करते हैं। वहां के राज्यपाल यह उत्तर दें कि उनका किसी पर भी विश्वास नहीं है। अब स्थिति यह है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन में

वरिष्ठ पदों पर आसीन कुछ अधिकारी या तो कश्मीरी हैं अथवा जम्मू और कश्मीर संवर्ग से संबंध रखते हैं लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे पास कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें जम्मू और कश्मीर की स्थिति का अनुभव नहीं है। वे कश्मीरीपन की भावना से ओत-प्रोत नहीं हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में, जो घाटी में रहने तथा काम करने के लिए जाता है चाहे वह वहां पैदा हुआ हो अथवा काम करने के लिए लाया गया हो, होनी चाहिए। और मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन में प्रत्येक उत्तरदायी पद के लिए चाहे वह प्रशासन के मुख्य सचिव का पद हो, पुलिस महानिदेशक हो अथवा चाहे बरामूला में उप-महानिदेशक का हो, हमें ऐसे अधिकारी नहीं रखने चाहिएजिन्हें देश के अन्य भागों के बारे में अनुभव है। आइए हम भारत में कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास की भावना जगाने के लिए उनपर विश्वास करें तथा कश्मीर के लोगों को जिन्हें उनके साथ काम करने का अनुभव है, और अब राज्यपाल के साथ काम कररहे हैं यह दिखायें कि हमें उन पर विश्वास है।

महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि लगभग दिसम्बर, 1989 से लेकर गत वर्ष के लगभग मध्य तक के कुछ समय के दौरान कश्मीर के लोगों में भारत से अलग होने की एक अति बलवती भावना थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह घाटी के लोगों की स्थानीय विशेषता नहीं है। अगर 1947 में जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के हिस्से के रूप में नहीं रहना चाहते तो उनके उस वक्त जाने-पहचाने मुस्लिम नेता शेख अबदुल्ला इस बात पर दबाव नहीं डालने के लिए कि कश्मीर के लोगों का भाग्य केवल भारत के लोगों के साथ है, जम्मू और कश्मीर के हिन्दू महाराजा के विरुद्ध न होते। और उसके पश्चात् यही हुआ। मैं अपनी सहयोगी सदस्या कु० उमा भारती से अनुरोध करूंगा और उन्हें आश्वासन देता हूं कि शेख अबदुल्ला के जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध है—जिन्हें मैंने पढ़ा है, उन्हें कृपया यह देखने हेतु पढ़ें कि किस प्रकार सुप्रसिद्ध और स्पष्टवादी कश्मीरी नेता और अगर पारिभाषित करें तो कश्मीर के मुस्लिम सन् 1920 के मध्य से लेकर 1950 के आरम्भिक समय तक कश्मीर के लोगों तथा कश्मीर के अन्य मुसलमानों को, महात्मा गांधी का जवाहर लाल तथा नेहरू द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्षता तथा पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के साथ नहीं बल्कि भारतीय संघ के साथ इस विश्वास के लिए कि कश्मीर के लोगों के लिए भारत के अभिन्न अंग के रूप में रहकर ही अपनी वास्तविक नियति प्राप्त करना सम्भव था, अपना अभिभाव जाहिर करने का अनुरोध किया।

पाकिस्तान गणराज्य द्वारा यह मानना कि कश्मीर के लिए भारत के अभिन्न अंग के रूप में अपना सही भाग्य प्राप्त करना सम्भव था। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर के उस मुसलमान का विरोध कश्मीर के हिन्दू द्वारा ही किया गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता कि लाखों कश्मीरी मुसलमानों ने हजारों कश्मीरी पण्डितों, लाखों भारतीयों, भले ही वे हिन्दू हों, मुसलमान हों अथवा ईसाई, जो भी हों, के लिए अपना प्यार, स्नेह और भाईचारा दिखाया हो, तो हम 26 अक्तूबर, 1947 को उठकर गर्व के साथ कभी भी यह न कह सकते थे कि कश्मीरियों की आवाज भारत की आवाज के साथ है, पाकिस्तान की आवाज के साथ नहीं।

ऐसा कहते हुए भी ऐसे बहुत से विशिष्ट कारण थे जो कि भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच विशेष सम्बन्ध बनाने के लिए सामने आए हैं। उसका आधार यह था कि 1949 में जम्मू-कश्मीर प्रदेश का एक-तिहाई भाग पाकिस्तान के पास उनके कब्जे में था, जो कि आज तक पाकिस्तान के कब्जे में ही है। भारत का ऐसा और कोई भाग नहीं है जिसके बारे में इतने जोर-शोर से कहा जा सके कि वह किसी

[श्री मणि शंकरअय्यर]

दूसरे देश के कब्जे में है। जहां कहीं भी भारत का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश के कब्जे में है जैसा कि उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर और उत्तर में है, तो वहां भी अर्थात अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के विस्तृत भू-भाग पर और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर भी कुछ विशेष प्रावधान लागू हैं। इस स्थिति में बदलाव के लिए आधार बनाना होगा। इससे पूर्व कि अनुच्छेद 370 हटाया जाए या तो दोनों देश यह मान लें कि जम्मू और कश्मीर प्रदेश, जैसा कि यह 1947 में था, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया है, अथवा फिर भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेना होगा और इसे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनाना होगा। आप केवल एकता यात्रा आयोजित करके तथा किसी को भारतीयों को, कश्मीरी पण्डितों को और कश्मीरी मुसलमानों को भड़का कर ऐसा नहीं कर सकते। आप कर भी क्या सकते हैं? क्या लाल चौक में झण्डा फहरा कर जो कि लाल चौक में ही अभी 15 अगस्त, 1991 को ही फहराया गया था। किराये के हवाई जहाज में बन्दूकधारी हजारों सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में, 17 मिनट के लिए श्रीनगर के लाल चौक में जाकर मांगा हुआ झण्डा फहराने में कौन-सी बहादुरी की बात है। क्या यह एकता के प्रति कोई योगदान है अथवा क्या यह भारतीय झण्डे को एक मजाक बनाने का प्रयास है?

भारतीय अमानुल्ला खान और पाकिस्तानी मुरली मनोहर जोशी में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ने ही यात्राएं करने का प्रयास किया जो कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित नहीं था। दोनों ने हीं अपनी-अपनी सरकारों को अनावश्यक कठिनाई में डाला। यद्यपि मैं जानता हूं कि इस सभा में ऐसा कहने वाली मेरी ही अकेली आवाज होगी, तो भी मैं अपने पूरे बल से यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता के भारत में कूच करने के अत्यन्त गैर-जिम्मेदारी भरे कार्य को रोका।

इसी तरह से, मैं भारत के प्रधान मन्त्री को भी बधाई देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाली-बलबूते का भंडाफोड़ किया है। यह एक बुलबुला मात्र ही है, यह गर्म हवा से भरा गुब्बारा मात्र ही है।

उमा भारती जी ने इसमें योगदान दिया है, यह जानकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है। इस गर्म हवा ने पहले एक कठिन साम्प्रदायिक समस्या को जन्म दिया था जिसने एक ऐसी पार्टी के राजनीतिक मंच पर राम जन्म भूमि मुद्दे को एक केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया था, जिसने 1952 से 1986 तक यह नहीं सोचा था कि राम जन्म भूमि हिन्दुओं का एक केन्द्र स्थल है। अब भी उन्होंने 'एकता यात्रा' के नाम पर 'विभाजन-यात्रा' निकाल कर इसी तरह की दुर्भावनायें फैलाने का प्रयास किया था।

हम पहले ही भारत का एक विभाजन देख चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को भारत का अन्य विभाजन नहीं करने देंगे। हमारे लिए आवश्यक बात यह है कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल की जाए। आवश्यकता इस बात की है कश्मीर में ठीक उसी ढंग से स्वच्छ वातावरण व कश्मीरी संस्कृति बहाल की जाए जैसे कि आतंकवादियों के प्रयासों के बावजूद भी पंजाब के पंजाबियों ने हिन्दू-सिक्ख एकता कायम रखी है। कश्मीरी पण्डितों तथा कश्मीरी मुसलमानों के बीच अलगाव पैदा करने के भारतीय जनता पार्टी व इसके केसरी दल के अलगाववादी प्रयास घोर निन्दनीय हैं। मैं गृह मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथम कदम के रूप में ऐसे कश्मीरी पण्डितों को जिनके घरों को ध्यान में रखा गया है और जिनके गांव (कश्मीर) आतंकवाद की चपेट से मुक्त

करा दिए गए हैं, उन्हें वापिस उनके अपने इलाकों में भिजवाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें, ताकि वे कश्मीर की उस संस्कृति को दर्शा सकें। जो कि कश्मीर के लोगों द्वारा सुरक्षित रखी गई है और एक ऐसी डरपोक पार्टी द्वारा इसका विनाश न हो पाये। जिसका कश्मीर की घाटी में प्रतिनिधित्व तक भी नहीं है, और घाटी में चलने वाले काफिले का ही भाग बनने की बजाये बाहर खड़ी झींक रही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारत की धरती पर कश्मीर की घाटी को हम स्वर्ग मानते हैं और दुनिया के बहुत से लोग कश्मीर की घाटी को स्विटजरलैंड से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आकर्षक मानते हैं। दुनिया भर से जो सैलानी भारत आते थे, कश्मीर जाने की उनमें प्रबल इच्छा होती थी परन्तु आज अत्यन्त दुख का विषय है कि वही कश्मीर की घाटी हिंसा, अपहरण और अविश्वास और राजनैतिक अनिश्चितता का कारण बन गई है। वहां की समस्या का कोई हल निकले और वहां सामान्य स्थिति पैदा हो, कश्मीर भारत का अंग बनकर देश के साथ रहे, यह हम सबकी इच्छा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कश्मीरवासियों की भी यही इच्छा है, थोड़े से उन लोगों को छोड़कर, जो किसी कारण से आज गुमराह हैं, जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है और जो हिंसा के रास्ते पर जाकर, आज देश के खिलाफ विद्रोह और देश से अलग जाने की बात कर रहे हैं। यह बात भी आज बिल्कुल निस्संदेह है कि कश्मीर की स्थिति जो भयावह बन रही है, उसमें हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान के शासकों का हाथ है, वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

पाकिस्तान आज कश्मीर को एक ऐसा मुद्दा बना रहा है, जिसको लेकर वह अपनी आंतरिक कठिनाइयों से लोगों का ध्यान हटा सके। वहां के शासकों का शुरू से ही यह प्रयत्न रहा है, प्रारम्भ से ही, पाकिस्तान जब कभी वहां के शासक या नेता अपने आपको कठिनाई में पाते हैं तो वे कश्मीर के भावनात्मक प्रश्न को उठा देते हैं ताकि उन्हें भारत विरोधी तत्वों से, पाकिस्तान के अन्दर शक्ति मिले। आज यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के लिए। कुछ ऐसी शक्तियां दुनिया में भी हैं जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहतीं, जो भारत को संसार में नई भूमिका निबाहते हुए नहीं देखना चाहतीं। नया संसार बनाने की भूमिका में भारत को देखना नहीं चाहती। वे विदेशी शक्तियां पाकिस्तान को और कश्मीर के अन्दर, जो आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां सिर उठा रही हैं, उनके पीछे हैं, उन्हें सह देती हैं। उन शक्तियों का भी पाकिस्तान को और आतंकवादियों को सहारा और समर्थन मिल रहा है।

इन सब बातों को गौर से, ध्यान से, विमाग में हमें रखना चाहिए और तब कश्मीर की समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर की समस्या को एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनाने का प्रयास पाकिस्तान शुरू से करता रहा है। हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं आज भी भारत सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि किसी भी दबाव के कारण, किसी भी वजह से, किसी भी लिहाज से, कश्मीर के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। कश्मीर का का मामला हमारे देश के अन्दर की अपनी स्थिति है, अपनी राष्ट्रीय परिस्थिति है और उसका हल हम निकालेंगे।

आज बदकिस्मती से पंजाब में भी आतंकवादी अपना सिर उठा रहे हैं। आसाम में भी कुछ

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ऐसी शक्तियां हैं जो हिंसा के रास्ते पर जा रही हैं। देश के अन्य भागों में भी कुछ ऐसी शक्तियां सिर उठा रही हैं। आज हमारे देश में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है तो गम्भीरता से सोचकर; हमें उसका हल, देश के अन्दर ही निकालना है।

कश्मीर से हमारा बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। मेरे जैसे आदमी को इस बात पर बहुत नाज़ होता था कि कश्मीर में रहने वाले लोगों में, चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दू हो, धर्मनिरपेक्षता के प्रति, सैक्यूलरिज्म के प्रति, बहुत गहरी निष्ठा थी। हम लोग इस उदाहरण के रूप में पेश किया करते थे। मैं उस वक्त मौजूद था, जिस दिन शेख अबदुल्ला साहिब की मृत्यु हुई थी और उनका जनाज़ा निकल रहा था, मैं उसमें शामिल था।

4.00 म० प०

उनके जनाजे का जो एक बड़ा नारा था, जो सारी वैली की जनता लगा रही थी वह यही था कि शेख साहब धर्मनिरपेक्षता के अलम्बरदार थे, प्रतीक थे, हम उसको बनाकर रखेंगे। यह बहुत बड़ी शक्ति थी जो वहां देखने को मिलती थी। किसी ने सिखाया नहीं था। अपने आप स्वत: वह नारा वहां के लोगों के दिल से निकल रहा था।

दुर्भाग्य है श्रीमान् कि हमारे देश के अन्दर ही ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ लोगों की राष्ट्र-निष्ठा-पर हमेशा अविश्वास रखती हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि बी० जे० पी० पार्टी ने इस बात को ठीक ढंग से नहीं समझा, जहां भी एक दूसरे धर्म के लोग आज उनकी संख्या अधिक है, किसी भी कारण से नाराज हैं, किसी भी कारण से गुस्से में ऐसी बात कहते हैं, जो अपत्तिजनक है, तो बजाय इसके कि हम उनके गुस्से को समझते, बजाय इसके हम उनकी नीयत पर शक करने लग जाएं, उनकी देशभक्ति पर शक करने लग जाएं, यह उचित नहीं है; यह ठीक नहीं है। आज भी नहीं जब भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ थी, तबसे इन्होंने उस बात को उठा रखा था। कश्मीर के रहने वालों को कभी भी उस पार्टी ने भारत की जनता का अंग मानने और कश्मीर में रहने वालों को वही अधिकार देने को जो देश के सभी नागरिकों को है, मानने को तैयार नहीं हुए।

अध्यक्ष जी, मैंने कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उस वक्त सम्बोधित किया था जिस वक्त कश्मीर के विद्यार्थियों को बागी समझा जाता था और ज्यादातर को प्रो-पाकिस्तानी समझा जाता था, मैंने वहां उनके बीच में भाषण देकर के उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या किया जाए। उस वक्त के नौजवानों ने कहा था कि अगर हमारी बस का किराया बढ़ जाए, अगर हमारे कालेज में ठीक से पढ़ाई न हो और हमारे लिए यदि यातायात के साधन न मिलें, और इनके विरोध में अगर हम विश्व-विद्यालय में कोई आंदोलन करें, तो हमें फौरन पाकिस्तान-समर्थक कह दिया जाता है। ऐसा ही आंदोलन अगर दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, विद्यार्थी गुस्से में हों और कोई तोड़-फोड़ भी करें, तो उन्हें कोई यह नहीं कह सकता है कि ये राष्ट्र-विरोधी हैं। अगर हमने गुस्से में कुछ कहा, तो हमारे ऊपर फौरन अंगुली उठेगी। मैं समझता हूं कि हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कश्मीर की जनता की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझा जाना चाहिए।

श्रीमान, दुर्भाग्य यह है कि आज जो हमारे गृह मंत्री यहां कह रहे हैं कि वहां कोई राजनीतिक दल भी नहीं है जो चुनाव के लिए मांग कर रहा हो। एक ही पार्टी थी जो नेशनल कान्फ्रेंस थी, जो

वहां की पार्टी थी, वहां की धरती की पार्टी थी, शेख साहब ने जिसको कयादत दी थी, नेतृत्व दिया था, वही पार्टी आज राजनीतिक रूप से कमजोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पार्टी कमजोर हुई और मैं यह कह रहा हूं कि उसको कमजोर करने में कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है। खामखां ही उनके साथ संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाना, खामखां उनको बार-बार दिल्ली दौड़ाना और उनको उस वक्त जो सहायता करने के लिए कहा गया था, वह न करना।

श्रीमान, मैं श्रीनगर में था, बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, श्रीनगर शहर में पानी आ गया, सारे कपड़े समाप्त हो गए। उस समय मुख्य मंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिला, वे बड़ी दयनीय स्थिति में थे, मुझसे कह रहे थे कि हम से जो वायदा किया गया था, जो कुछ सहायता देनी थी वह हमको कुछ नहीं दी गई और आज हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमने तो गलती से अपना सिर इसके अन्दर फंसा लिया। मैं समझता हूं कि आज एक बड़ी भारी कठिनाई है। प्रजातंत्र में हमें कुछ मान्यताएं स्थापित करनी है। राजनीति में ऐसे समय आते हैं, जब राष्ट्र हित को पार्टी की राजनीति से ऊपर रखना होता है।

श्रीमान, जो स्थिति आज पैदा हो गई है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वहां के युवक विद्रोही हैं, इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता,—इतनी हमारी एलीनेशन जम्मू और कश्मीर में कभी नहीं हुई थी आम जनता से, जितनी दुर्भाग्य से आज है। एक कारण, मैं यहां नाम नहीं लूंगा, आपके एक सहयोगी मुझसे कह रहे थे, अफसरों की नियुक्ति जब करते हैं, गृह मंत्री जी आप एक बार फिर लिस्ट देख लें, वहां कश्मीर के अधिकारी और कश्मीर के लोग, प्रथम श्रेणी में नाममात्र के हैं। वहां के लोग भी अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं, अपना वहां प्रतिनिधि चाहते हैं, वह उनको दिखाई नहीं पड़ता है। उन पर इस बात का असर पड़ता है कि सब गैर-कश्मीरी लोग, ऐसे लोग जो वास्तव में उनकी नुमाइन्दगी नहीं करते हैं, उनके वर्गों की नुमाइन्दगी नहीं है, उनका आज वहां पूरा प्रभुत्व है। जनतंत्र में, सत्ता में भागीदारी जरूरी है। प्रशासन और नौकरशाही एक महत्वपूर्ण तंत्र है। खाली नौकरशाही का सवाल नहीं है। जनतंत्र में, सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी जनता की, आम लोगों की होनी चाहिए। हमारा देश एक अजीबोगरीब देश है, यहां कई धर्मों के लोग हैं, कई वर्गों के लोग हैं। जातियां ऐतिहासिक स्वरूप लेकर बनी हुई हैं, यदि उनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, उनको यह नहीं लगेगा कि स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में नीतियों के बनाने में, कार्यों के कार्यान्वित करने में हमारी हिस्सेदारी है तो यह बात बड़ी अस्वाभाविक लगती है। मैं समझता हूं कि इस पर गृह मन्त्री ध्यान देंगे और कश्मीर के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी ठीक से मिले जिसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि पार्लियामेंट की सलाहकार समिति बनाएं। प्रश्न खाली लॉ एण्ड आर्डर का नहीं है, प्रश्न इस पर राजनीतिक हल निकालने का है। मैं समझता हूं कि उस पर भी विचार करना चाहिए। हमारी तरफ से यह प्रयास जारी रहना चाहिए, चाहे जिस तरह से हो, चाहे बुद्धिजीवियों के माध्यम से हो, युवकों से बातचीत का सिलसिला शुरू रहना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले अगर एक बात नहीं कहूंगा तो मैं न्याय नहीं करूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं। ये बहुधा पार्टी से ऊपर उठकर, देश, राष्ट्रहित और जनहित को ध्यान में रखकर बात करते हैं, काम करते हैं। क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात की सलाह अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी को

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नहीं देनी चाहिए थी कि यदि इतना आसान होता, फौज के संरक्षण में जाकर खाली राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी तो वह काम कभी का हो गया होता। बी०जे०पी० की राष्ट्रीय एकता एक पोलीटिकल स्टंट थी, उसने देश का नुकसान किया है। गृह मन्त्री ने लिहाज किया है, बाहर तो कह चुके हैं, सदन में कहने में लिहाज किया है। वे जो बात कह रहे थे कि वहां स्थिति में सुधार आने लग गया था, आतंकवादियों का मनोबल टूट रहा था, वे सरैंडर कर रहे थे, मगर अब वे इकट्टे होने लगे हैं। हम जनता से अलगाव हुआ है इसके लिए बी० जे० पी० की तथाकथित राष्ट्रीय एकता जिम्मेदार है जिसने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद जितने मूल्यांकन हुए वह यही हुए कि इसका मैसेज बहुत ही खराब गया। जम्मू-कश्मीर की आम जनता को लगा कि क्या बाहर से लाख, दो लाख आदमी लाकर हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं करना था तो आप कश्मीर में जाकर घूमते, कौन रोक रहा था। पंजाब में घूमना उचित नहीं समझा, पंजाब जल रहा था, खाली कश्मीर की वैली में, जहां एक वर्ग के लोग रहते हैं, उसी को राष्ट्रीय एकता के लिए चुना, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी भूल थी। ऐसे कामों से खाली वहां नुकसान नहीं होता है, अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया में भी हमारी स्थिति बिगड़ती है, उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इस स्थिति से नुकसान हुआ है।

गृह मन्त्री जी, आपने साफ कहा था—(व्यवधान)—आप जानते हैं कि जब यह मार्च कर रहे थे तो कुदरत ने इनका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि सड़क पर पहाड़ गिर गये, मगर आपने उनका साथ बिना वजह दे दिया। आपने कहा कि हेलीकाप्टर हाजिर है, हवाई जहाज हाजिर है। 26 जनवरी को प्रधान मन्त्री भी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराते हैं, 26 जनवरी को झंडे की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं और राज्यों में राज्यपाल और मुख्य मन्त्री भी बहुधा नहीं करते हैं। यह मुरली मनोहर जोशी कौन थे, यह राष्ट्रपति थे, या गवर्नर थे? यह नहीं पहुंच रहे थे तो आपने पहुंचाने का काम क्यों कर दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया—(व्यवधान)—

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : आप सलाह दे देते—(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : पहले सलाह दी थी, मगर यह अच्छी सलाह बहुधा नहीं मानते हैं। अटल जी मांग कर रहे थे, आडवाणी जी मांग कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं। पहले कह रहे थे कि राष्ट्रीय एकता की बैठक बुलायें, उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब सब डिसकस करिये। ठीक है, देश में कहीं ऐसी स्थिति हो, राष्ट्रीय एकता परिषद हमारा महत्वपूर्ण मंच है, उसमें विचार-विमर्श करना चाहिये, मगर वह पहले नहीं किया। जब इनकी एकता यात्रा शुरू होने लगी तो एक दिन पहले आपने बैठक की। आडवाणी जी आये और चले गये और कह गये कि आप डिसकस करिये, मैं राष्ट्रीय एकता में जा रहा हूं।

आपने ख्वाम-ख्वाह महत्व दे दिया, जैसे कि सारे देश में बड़ा भारी काम होने जा रहा है, देश टूट रहा है, आप घबरा गए। ऐसे कभी-कभी नासमझदारी के कामों से गलत लोगों को ताकत मिल जाती है।—(व्यवधान)—इनको ताकत मिलने से एतराज है। बी० जे० पी० मजबूत होगी तो मेरी राय में देश टूट जायेगा, ये मजबूत होंगे तो राष्ट्रीय आधार टूट जाएगा, इस देश की तमाम परम्परायें; जो हमारी आजादी की परम्परायें हैं वे सब की सब कमजोर हो जायेंगी। इसलिए मुझे परेशानी होती है। परेशानी मुझे भारतीय नागरिक होने के नाते होती है। इस देश में हमने कुछ आदर्श, और लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आप एक सलाहकार समिति बनाने पर विचार करिए। आप वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति को जरा फिर से देखिए, कश्मीरी अधिकारियों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और उनको हिस्सेदारी देने के लिए आप उसको देखिए, चाहे दूसरी जगह न हो रहा हो। मैं मानता हूं कि आपका आरक्षण दूसरी जगह पूरा नहीं हो रहा है, उनको पूरा करने में कठिनाइयां है। अगर आप इसे वहां नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। यह एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू-कश्मीर के अन्दर अगर उसको करेंगे तो कम से कम युवकों को भरोसा दिलायेंगे कि उनके प्रति हमारे हृदय में स्थान है, उनकी शासन में भागीदारी है। फिर इससे लाभ होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव आपने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू और काश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन 18 जुलाई, 1990 से लगातार चल रहा है, और गृह मंत्री जी इस सदन में इसे फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। निसंदेह, हम में से कोई भी इस सदन में इस तथ्य का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं कि घाटी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थिति सुधरी नहीं है। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई है जिससे कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू की नाम के चुनी और हुई सरकार फिर से लाई जा सके।

लेकिन हमारे सामने एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। घाटी में एक कठोर हृदय प्रशासक लाने की प्रारंभ के मूल के पश्चात् जिसने घाटी की समूची जनसंख्या को शत्रु के रूप में माना था और प्रशासन को इस ढंग से चलाया गया है कि लोगों को काफी संकटों का सामना करना पड़ा और जिसने लोगों को देश से और अधिक दूर किया; जब देश को उस स्थिति का पता चला और जब हमने इस सदन में उस राज्यपाल को हटाने के लिए अपनी आवाज उठाई तो प्रशासन भी उस स्थिति से निपटने के लिए अलग ढंग से कार्य करने लगा। अब उन्होंने भी एक मानवीय रूप बनाना शुरू कर दिया है और इससे वास्तविक रूप से स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी। अन्य लोगों की तुलना में आतंकवादियों की पहचान करने आतंकवादियों से मजबूती से निपटने के लिए, सीमा पार से आ रहे लोगों पर, सुरक्षा सेनाओं पर हमला कर रहे और घाटी में शान्ति भंग कर रहे उग्रवादियों से निपटने के लिए बनाई है और सहृदयता से लोगों के साथ व्यवहार करने के अच्छे परिणाम निकलने लगे है। मेरे पास समाचार पत्रों की कुछ कतरनें है जिनसे पता चलता है कि लोग सुरक्षा सेनाओं को उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग उन उग्रवादियों को खदेड़ भी रहे है जो निर्दोष लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं तथा आगजनी कर रहे है, निर्दोष लोगों को मार रहे और निर्दोष लड़कियों के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं। ये कुछ सक्रिय घटनाएं है आप सब इन बातों से भली प्रकार अवगत हैं।

4.16 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

राज्य के यू० एन० आई० की एक रिपोर्ट में कहा गया है :

"वर्ष 1991 इस आशा के साथ समाप्त हुआ और जम्मू तथा कश्मीर में लोगों के मूड

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

में बदलाव लाने में उग्रवादियों के विरुद्ध सुरक्षा सेनाओं की कार्रवाई का काफी हाथ रहा है।"

कुछ अन्य समाचार भी हैं। मुझे कहना चाहिए कि सीमा पार के लोग जो घाटी में बवण्डर भड़का रहे हैं अब घाटी में इस प्रकार की घटनाओं से निराश हो गये है।

अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी उनके हक में अधिक नहीं है। विश्व की स्थितियां बदल जाने के साथ ही अमरीका को भी, पाकिस्तान को उसके द्वारा दिया जा रहा खुला समर्थन वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी, इन ताकतों ने सोचा कि अब भारत के विरुद्ध रूस पाकिस्तान को समर्थन देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी इन ताकतों को वह समर्थन नहीं मिला, जैसा कि इन्होंने उम्मीद की थी इन सब परिवर्तनों के कारण यह ताकतें यह देख कर निराश हो गई कि इस आधार पर स्थिति आगे बदतर होती जाएगी।

हमने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री, श्री नवाज शरीफ द्वारा की गई उस निराशाजनक कार्यवाही को भी देखा, जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में पूर्णतः बन्द का आह्वान किया था। इसी तरह की एक निराशाजनक कार्यवाही जे० के० एल० एफ० नेता, श्री अमानउल्लाह खान द्वारा भी की गई थी, जब उन्होंने नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश की थी। इन कृत्यों से उनकी निराशा झलकती हैं। जब वे अधिक से अधिक अकेले पड़ते जाते हैं, वे इसी तरह के निराशाजनक कार्यों पर उतर आते हैं। भविष्य में भी, जब स्थिति में सुधार होगा, उनके द्वारा इस तरह के निराशाजनक कार्य किए जायेंगे। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

जब पाकिस्तान और इस्लामी कट्टरवादी लोग यह सब कर रहे थे तो हमने एक अन्य कट्टरवादी दल, भारतीय जनता पार्टी के कारण इस स्थिति को अपने देश में एक अच्छे तरीके से निपटाने के अवसर को खो दिया। एक यात्रा का आयोजन करना और इसे 'एकता यात्रा' का नाम देना कोई गलत नहीं है। यह बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रदर्शित करने में भी कोई बुराई नहीं है। एक व्यक्ति को इतना बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए कि वे समझें कि उसके द्वारा की गई कार्यवाही का उस क्षेत्र विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा जहां की स्थिति पहले ही खराब है। ऐसे कुछ समाचार भी हैं। यह मेरी खबर नहीं है। यहां मेरे पास दिनांक 4 जनवरी, 1992 के दि ट्रिब्यून की एक प्रेस क्लिपिंग है। इसमें लिखा है :

> "भा०ज०पा० द्वारा प्रायोजित एकता-यात्रा ने कश्मीर में मुसलमानों के बीच असुरक्षा की एक नई भावना को बढ़ावा दिया है क्योंकि उन्होंने लाल चौक में झंडा फहराने को "सांस्कृतिक अतिक्रमण" का हिस्सा माना है। इन दो कार्यों ने एक आम आदमी की मनोवृत्ति को कट्टर बना दिया है, जो कि वर्ष 1990 की अपेक्षा वहां तैनात सेना से वैसे ही अधिक निराश होने शुरू हो गए थे।"

महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि भा० ज० पा० की इस एकता यात्रा ने वास्तव में काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इससे कश्मीर में स्थिति आक्रमणकारी हुई है और उग्रवादियों को सहारा मिला है, जो कि वहां की स्थिति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे है। अब आवश्यकता इस बात की है कि घाटी के लोगों को पुनः यह भरोसा दिला देना चाहिए कि 'भारतीय जनता पार्टी' भारत का सच्चा प्रतिबिम्ब नहीं है।

यह तो एक अस्थाई वस्तु है। इसलिए, यह भारत नहीं है। भारत एक संघीय भारत है। भारत में केवल एक समुदाय नहीं है। यहां एक समुदाय अन्य समुदाय को वश में नहीं कर सकता है या अन्य समुदाय के विरुद्ध आक्रमणशील नहीं हो सकता।

अब, अनुच्छेद 370 का प्रश्न आता है। कुछ लोग यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। हम यह फिर दोहरायेंगे कि भारत सरकार इसे समाप्त नहीं करेगी। यह निर्णय लेना कश्मीर के लोगों का काम है कि इसे रखा जाएगा अथवा नहीं। यह अनुच्छेद 370 का प्रश्न नहीं है, जो कि महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां संघीय व्यवस्था का प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण है। हमारे पास कश्मीर के लोगों के लिए अनुच्छेद 370 है। अन्य अनेक भागों में विगत में संघीय व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें कोई समस्या नहीं थीं। लेकिन आज प्रत्येक राज्य में यह मांग की जा रही है कि उनके मामले में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए। यह एक सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है। यह संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद का तकनीकी प्रश्न नहीं है। यह पूरे संघीय ढांचे का प्रश्न है। हमें इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हमें लोगों को पुन: सुनिश्चित करना है कि हम अपनी वचनबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे। जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। आखिर यह स्थिति कब तक जारी रहेगी।

मुझे यह अवश्य कहूंगा कि इस सभा में यहां अनेक सदस्य हैं जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर यह कह रहे हैं कि भारत कभी भी धर्मतन्त्रात्मक राज्य नहीं बनेगा। अन्यथा, यह भारी भूल होगी। यह गलत होगा। सीमा पार का देश पाकिस्तान एक धर्मतन्त्रात्मक राज्य है। वे टूट रहे हैं। वे धर्म के आधार पर अपने देश को संयुक्त नहीं रख सके। एक देश को गठित करने के लिए धर्म आधार नहीं हो सकता। भारत धर्मनिरपेक्षवाद के आधार पर ही अस्तित्व में रह सकता है। भारत संघीय आधार पर विद्यमान रह सकता है। इन दो बातों पर फिर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे देश के अधिकतर लोग राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग करते हैं। यह एक गलत धारणा है कि यदि एक राज्य विशेष या सभी राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएं तो इसका अर्थ होगा-केन्द्र के अस्तित्व का समाप्त होना। ऐसा नहीं है। अधिक अधिकार देने से आप केन्द्र को मजबूत कर रहे हैं। सहयोग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा हम भारत को मजबूत बना सकते हैं। यही हमारी उपलब्धि है। यही वह संदेश है जो हमें हमारी पूर्व पीढ़ी से मिला है। हमें अपना सहयोग देना चाहिए और स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जे० के० एल० एफ० द्वारा रेखा पार करने की स्थिति का आपने जिस तरह से सामना किया है, काफी हद तक यह सही था लेकिन हमारे सामने कुछ प्रश्न उभर कर और हमारे दल द्वारा इन्हें उठाया गया, यथा सुरक्षा परिषद के सदस्यों की विश्वसनीयता। हमने हमेशा कहा है कि कश्मीर का मामला हमारे देश का आन्तरिक मामला है। शिमला समझौता के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ इसका द्विपक्षीय समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इन्होंने इसे अन्तरराष्ट्रीय मन्चों पर उठाया है। उन्होंने मानव अधिकारों के प्रश्न को भी उठाया है। मुझे 'मानव अधिकार' सम्मेलन में किसी जगह इस सब को सुनने का मौका मिला था। उन्होंने आत्म-निर्णय के प्रश्न को उठाया। हमने उन्हें अच्छा दो टूक जवाब दिया। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमने विश्व के प्रतिनिधियों से बता दिया है कि हमारे देश में लोकतन्त्र है।

हमें अपने देश में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की छूट है, यदि उनकी जानकारी में यह आ जाता है कि घाटी के लोगों के साथ

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

अथवा देश में किसी अन्य जगह कुछ गलत हुआ है। हमने भी इन मामलों पर अनेक बार यहां बहस की है। पिछले दिनों भी यदि देश में किसी स्थान पर ऐसी घटनाएं घटी हैं, हमने तत्काल उन्हें सभा में उठाया है और सरकार से कार्यवाही करने के लिए कहा है। यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हमने सरकार की निन्दा भी की है और अन्य प्रक्रियाओं का भी अनुपालन किया है। अतः हमारे पास एक कार्य-प्रणाली विद्यमान है। यदि हम इस कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए अवश्य कुछ करना होगा।

विगत में भी, यदि कहीं ज्यादतियां किए जाने संबंधी कोई आरोप हमारे ध्यान में आए हैं, तो हमने उन पर कार्यवाही करने के लिए तथा जिन व्यक्तियों ने वह ज्यादतियां की है, उनकी पहचान करने के लिए एक 'निगरानी समिति' नियुक्त करने का निर्णय लिया हुआ है। फिर उनको सजा देने के लिए भी कुछ उपाय किए गए। इस प्रकार यही सब बातें ऐसी हैं, जिन्हें हम जानते और समझते हैं।

हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं, जिसे पाकिस्तान द्वारा भंग किया जा रहा है। वे स्वयं ही अपना न कि हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं।

एकता-यात्रा के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम देख रहे थे कि कौन किसके आगे आत्मसमर्पण करेगा। यह आम धारणा थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करेगी। ऐसा हुआ भी है। परन्तु मुझे यह हैरानी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आभा को धूमिल होने से बचाने के लिए सरकार के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। फिर सरकार को भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख एक और आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं थी। यह दोहरा आत्म समर्पण हो जाता। उन्होंने घाटी में पहुंचने में सक्षम होने की आशा में आत्मसमर्पण किया। सरकार ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें घाटी तक ले गई।

हमें काश्मीर की स्थिति से विवेकपूर्वक जूझना होगा। यह एक बड़ी नाजुक स्थिति है। हमें इसे हल्केपन से नहीं लेना चाहिये। हमें इस स्थिति का अपने राजनैतिक-स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कश्मीर की जनता को जीतने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं हैं जब हम वहां पर लोकतांत्रिक-प्रक्रिया बहाल किये जाने की सभा में आकर घोषणा करेंगे। हमें उन सभी आदर्शों, जिनके लिए यह देश जीवित है, कायम रखना है। मूल बात यह है कि उन समस्याओं की तह तक जाना है जो न केवल काश्मीर बल्कि देश के कई अन्य भागों में भी पनप रही हैं और उन्हें सुलझाना है।

इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़): सभापति महोदय, मैं जम्मू एवं काश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ठीक, छह महिने पहले 26 अगस्त को इसी प्रकार के प्रस्ताव पर यहां इस सम्मानीय सभा में बहस हुई थी। और उस समय भी बहस में भाग लेते हुए, यह आशा की गई थी कि इस प्रकार प्रस्ताव पर चर्चा करने अथवा जम्मू एवं काश्मीर के वार्षिक बजट, नियमित बजट, पूरक बजट पर चर्चा करने और उसे पारित करने का यह अन्तिम अवसर होगा।

यद्यपि, पंजाब के बारे में इसी तरह के एक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भी हमने ऐसी ही आशा

व्यक्त की थी। पंजाब के बारे में हमने जो आशा व्यक्त की थी वह वहां पर हाल ही में हुए चुनावों की वजह से सच साबित हुई है।

जम्मू एवं काश्मीर के बारे में भी हमने ऐसी ही आशा व्यक्त की थी, वह पूरी नहीं हो पाई।

यद्यपि, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इस पर सभा में सर्वसम्मति भी है। यह कोई सुखद कार्य नहीं है। जम्मू एवं काश्मीर भारत का एक बहुत-सुन्दर हिस्सा है, भारत का एक अभिन्न अंग है। वह अब राष्ट्रपति-शासन के अधीन है।

जम्मू एवं काश्मीर राष्ट्रपति-शासन के अधीन है और इससे भी बढ़कर वहां की स्थिति खराब है। पिछले एक लम्बे समय, लगभग पिछले तीन वर्षों से जो स्थिति वहां चल रही है, वह एक चुनौती पूर्ण स्थिति है। वह स्थिति किसी के लिए भी, इस देश के किसी भी नागरिक के लिए किसी भी प्रकार से सुखद स्थिति नहीं है। छह महिने की इस अवधि में मैं समझता हूं कि वहां स्थिति और बिगड़ी है। यद्यपि आशा की कुछ किरणें दिखाई दी हैं। यह स्थिति बिगड़ी कैसे?

पाकिस्तान इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का सक्रिय प्रयास करता रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दावोस में और अमेरिका में बैठकें हुई थीं, जब वे मिले उन्होंने प्रसन्नताओं का आदान-प्रदान किया, उनमें आपस में कुछ बातचीत भी हुई जिन्हें "मैत्री" की संज्ञा दी गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री प्रथम-श्रेणी के एक भद्र-पुरुष हैं। परन्तु इसके तुरन्त पश्चात्, अथवा वहीं से ही उन्होंने पाकिस्तान की जनता को जम्मू एवं काश्मीर की जनता के साथ सहानुभूति जताने के लिए बंद का आह्वान किया। यह "स्वतंत्रता का एक सुस्पष्ट अहितकारी नमूना है—उनको शब्दों में भी यही है—"जम्मू एवं काश्मीर की जनता को भारत के शिकंजे से स्वतंत्र कराना, भारतीय प्रशासन के उत्पीड़न से स्वतंत्रता दिलाना"—और ऐसी तरह का कुछ कहा गया।

यह भी पीड़ादायक विषय है और मैं तीव्र वेदना और दुःख के साथ कहता हूं कि दूसरी ओर, भाजपा के हमारे सम्मानित मित्र वह कैसे सोच रहे हैं कि उनके द्वारा प्रारम्भ की गयी एकता यात्रा ठीक थी। मैं सोचता हूं कि उसमें राजनीति का तत्व शामिल था। इसका उद्देश्य देश की एकता को मजबूत करना नहीं था अपितु इसके कारण उग्रवाद तथा विघटनकारियों के हाथ जरूर मजबूत हो गए हैं। ऐसे उग्रवादी जो कई गुटों में विभाजित हैं, वे एक जुट हो गये और इस एकता यात्रा से उनमें एकता आई।

अतः मैं सोचता हूं कि यह उनके आत्म विश्लेषण कर लेने का समय है। वे सदन में कुछ भी कह सकते हैं। इनमें कुछ समझदार एवं वरिष्ठ राजनैतिक भी हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि वे कुछ कम देश भक्त हैं, वे तो बहुत बड़े देश भक्त हैं। लेकिन अपनी पार्टी को प्रसिद्धि दिलाने या ऐसे ही उनके कुछ प्रयासों के कारण अन्त में क्या हुआ?

एकता यात्रा के दौरान उसे रोकने पर अथवा कुछ लोगों को गिरफ्तार करते समय उत्पन्न हुई उत्तेजना के बावजूद जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार ने परिस्थितियों का सामना किया उसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। जिस आत्म संयम से केन्द्रीय सरकार ने इस परिस्थिति का सामना किया है वह प्रशंसनीय है और मैं केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री तथा गृहमंत्री को बधाई देता हूं।

एक माननीय सदस्य : और हेलिकॉप्टर के लिए भी बधाई।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : उसके न रहने पर भी वे जा सकते थे। वे सुरक्षा की चिन्ता किए बिना चले जाते। वह बहुत बुरी स्थिति थी। तब कुछ भी हो सकता था। एकता यात्रा के कई पहलू हैं। किसी प्रकार उन्होंने सभी पहलुओं को देखा और बड़ी सूझ-बूझ के साथ उनसे निपटा है।

मैं कह रहा था कि स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी। इसके साथ ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की न जाने क्या कोशिश थी, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को बार-बार उठाना चाहा, जो कि शिमला समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है। लेकिन ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि जम्मू और कश्मीर की जनता ने भी यह महसूस किया कि यदि वे पाकिस्तान प्रशासन के कहे पर चलेंगे तो उससे उनका कोई हित नहीं होगा और पाकिस्तान के नेता भी यह बात जानते हैं। अतः पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी अपने मुद्दे से हट रहे हैं। अब वे यह नहीं कहते हैं कि इस भाग को पाकिस्तान के अन्तर्गत आना चाहिए। बल्कि वे कहते हैं कि इसे स्वतन्त्र कर देना चाहिए और आजाद घोषित कर देना चाहिए। इसलिए उनके मुद्दों में अन्तर आ रहा है। यहां तक कि जे० के० एल० एफ० के सदस्य 'पाकिस्तान कृपया वापस जाओं' का नारा लगा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बहुत कम विकास हुआ है। यदि हमारी ओर की स्थिति से तुलना की जाए तो कश्मीर आदि के शिक्षित युवाओं के लिए एक व्यापक रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए हमें भी विकास की प्रक्रिया को और अधिक गति देनी होगी। अब, इन लोगों के हृदय को जीतने के लिए एक गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

महोदया, हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र राजनीति तथा राजनैतिक दलों की अर्थ पूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भूमिका के बिना निरर्थक है। लेकिन इस भाग में राजनीति और राजनैतिक दल असंगत हो गये हैं। इस सच्चाई को कोई भी नहीं झुठला सकता। हम इस प्रक्रिया को कैसे शुरू कर सकते हैं? हम राजनैतिक दलों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? यह सभी राजनैतिक दलों के लिए चुनौती है। यह किसी दल या केवल केन्द्रीय सरकार की समस्या नहीं है। यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए सभी राजनैतिक दलों को एक जुट होकर इस समस्या को उठाना चाहिए। इससे पहले हमने सर्वदलीय सम्मेलन आदि का सुझाव दिया था। ऐसे कुछ प्रयास भी हुए। कुछ सम्मेलनों का आयोजन भी हुआ। लेकिन, उन सम्मेलनों से कोई ठोस समाधान नहीं निकला। पिछली बार एक सुझाव था और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से कोई उत्तर दिया गया था तब हम चुनाव की बात कर रहे थे। जब भारत सरकार पंजाब में चुनाव करवाकर अपने वादे को पूरा कर सकती है तो मैं सोचता हूं कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में दृढ़ निश्चय सहित चुनाव करवाने से पीछे नहीं हटना चाहिए बेशक,। उस समय यह कहा गया था कि परिसीमन सम्बन्धी कार्य अभी जारी है। मैं नहीं समझता कि यह काम पूरा हो गया है। इसे अवसर मिलते ही पूरा कर देना चाहिए।

पूरे जम्मू कश्मीर में अशांति नहीं है, उदाहरण के लिए जम्मू शांत है। छह संसद सदस्यों में से, जम्मू से दो और लद्दाख से एक संसद सदस्य हैं। जैसा कि हमें समाचार पत्र से मालूम हुआ है कि जम्मू के लोगों की स्वायत्तता से संबंधित अपनी समस्या है। लद्दाख में भी बौद्धों की स्वायत्तता की अपनी समस्या है।

घाटी में आतंकवादियों से निपटने के लिए हमें फिर से अपने प्रबन्ध को मजबूत करना है

क्योंकि वे पुलिस महानिदेशक पर भी हमला कर रहे हैं। अतः हमें आतंकवादियों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा प्रशासन और अधिक मानवोचित हो।

प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए।

मैं, हमारे प्रधान मन्त्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। लक्षद्वीप में हुए एक समारोह में उन्होंने विशेषरूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी भूमिका का एक इंच भाग भी अलग नहीं होने देंगे।

कश्मीरी प्रवासियों के कष्टों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कश्मीरी पंडितों ने यहां पर कुछ प्रदर्शन किए हैं और जुलूस निकाले हैं। उनकी समस्याओं पर पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही घाटी के विकास कार्य के लिए जो निधि दी जाती है उसकी चोरी हो रही है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे जनता को कैसे लाभ होगा।

मैं माननीय गृह मन्त्री से विनती करता हूं कि वे घाटी जाकर कुछ और दिन श्रीनगर, कश्मीर में अपना समय बिताएं। उन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मण्डल को अपने साथ ले जाना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया गया है, मैं इससे सहमत हूं लेकिन इस पर समझौता हो गया है। हमारी सरकार ने दूतावासों आदि से सम्पर्क किया है। उन्होंने बड़े देशों के राजदूतों को बुलवाया और जे० के० एल० एफ० द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने के विषय से अवगत कराया। अतः यह हमारे लिए अच्छा अवसर है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और माननीय गृह मन्त्री जी प्रतिनिधि मण्डल को वहां पर ले जाएं। उन्हें वहां रहकर, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों, विद्यार्थी, अध्यापक, प्रेस, वकील, व्यापारी और अन्यों में घुल-मिलकर सभी मतभेदों को मिटा देना चाहिए।

जब हम दृढ़ निश्चय एवं सामूहिक प्रयासों से पंजाब में चुनाव आयोजित करने जैसी कठिन चुनौती का सामना कर सकते हैं तो हम कश्मीर की स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। कुछ हद तक कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति स्थापित की जा सकती है जिससे कि वहां पर चुनाव कराए जा सकें और हमें कोई दूसरा अवसर भी नहीं मिलेगा क्योंकि वाद-विवाद करना कोई सुखद काम नहीं है।

अथवा राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करना या यहां लोक सभा में कश्मीर बजट पारित करना।

[अनुवाद]

श्री भीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : सभापति महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

मैं, ऐसी उम्मीद करता था कि इस राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी पार्टी लाईन से हटकर

[श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित]

विचार किया जाएगा। कश्मीर इश्यु से ज्यादा लोगों ने एकता यात्रा के विषय में अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। काश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग है और हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत के किसी भाग में राष्ट्रध्वज फहराना अपराध है। कुछ राष्ट्र-भक्तों ने इस प्रकार का निर्णय लिया और इस प्रकार का खतरा मोल लेने की कोशिश की। सब जानते थे और हम भी जानते हैं कि फैसला करने से पहले कि हम कहां जा रहे हैं और हम किसी धोखे में नहीं थे। हमको मालूम था और हम बलिदान करना जानते हैं। आज जो लोग देश की अखण्डता की बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का विभाजन किसने किया है और आज स्थिति यह हो गई है "रिट आफ दी गवर्नमेंट" जो वहां का शासन है, वहां का कैंटोन्मेंट और जो पैरा-मिलिट्री फोर्सेज के कैम्प्स हैं, उसके बाहर-बाहर उसका रिट नहीं चलता। वहां के फोर्सेज और पैरा-मिलिट्री फोर्स का मनोबल हमको मजबूत करना था क्योंकि हमको मालूम था कि आतंकवादी शक्तियों के विरुद्ध हमको खड़ा होना है। खड़े होकर यह कहना था कि तुम अकेले नहीं बल्कि सारा देश तुम्हारे साथ है। यही दिखाने के लिए हम कश्मीर गए। आप मानें या न मानें, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में काश्मीर में पाकिस्तान का हमला हो रहा है।

उस स्थिति से निपटने के लिए खाली पैरा-मिलिट्री फोर्स का काम नहीं है। सारे देश का काम है। हम इसीलिए एकता यात्रा करके सारे देश में, कन्याकुमारी से वहां गए थे। उनको बताने के लिए, कश्मीर के लोगों को बताने के लिए, जो वहां हमारी फोर्सेज हैं उनको बताने के लिए कि जितनी गम्भीर परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं उसमें सारा देश आपके साथ है। क्या देश का झण्डा देश के किसी भाग में फहराना जुर्म है? क्या देश का राष्ट्रीय ध्वज एक नहीं है? हमने प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन किया था, सभी से निवेदन किया था कि एकता यात्रा में जो लोग चलना चाहते हैं उनका स्वागत है, हमने किसी को मना नहीं किया। लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत थी।

सभापति महोदया, यह रिपोर्ट मेरे सामने है, जो कश्मीर के गवर्नर ने 3 जुलाई, 1990 को भेजी थी। इस रिपोर्ट में बहुत-सी बातें हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक पैराग्राफ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट का एक पैराग्राफ कहता है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"उग्रवादियों को राज्य में विद्रोही और अलगाववादी तत्वों का समर्थन प्राप्त है। राज्य कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें राज्य पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, प्रभावित नहीं हैं और वे कश्मीर घाटी में आम जनता के एक बड़े भाग से मिलकर या तो आतंकवादी तत्वों के साथ सहानुभूति कर रहे हैं अथवा उनका समर्थन कर रहे हैं।"

यह रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा दी गई थी। सरकार ऐसी ही किसी रिपोर्ट के आधार पर कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

आज जो एक्स्ट्रेक्ट गृह मंत्री महोदय ने पढ़े हैं :

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : किसने भेजी ?

[अनुवाद]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : आपकी सूचना के लिए, यह रिपोर्ट श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना द्वारा भेजी गई थी जो आज राज्यपाल हैं और जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आज सरकार कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

आप देख रहे हैं इन नीतियों को फालो करने का नतीजा क्या हुआ है। जो सन् 1990 में गवर्नर ने भेजी थी। आज स्थिति उससे क्या सम्भल गई है ? आप उसका इलाज करते चले जा रहे हैं। मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। आप क्या इलाज कर रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि आप कह रहे हैं हमारी एकता यात्रा से सब विघटनकारी शक्तियां एक हो गई हैं। यह रिपोर्ट गवर्नर की है जिस पर आपने एक्ट किया है और जिसमें खुद लिखते हैं।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"आतंकवादियों को राज्य में विद्रोही तथा अलगाववादी तत्वों का समर्थन प्राप्त है।"

[हिन्दी]

वे तो पहले से एकजुट हो रहे थे। यहां तो देश को एकजुट करने का सवाल था। हमने जो कुछ किया, हमने जो कदम उठाए, जब हमने यह देखा कि कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हिन्दुस्तान का एक हिस्सा ऐसा हो गया जहां हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सकता, हम आंखों से देखकर आए हैं कि वहां की क्या हालत है, मैं आपको बताना चाहता हू इसको आप अन्यथा न लें···

श्री अयूब खां : पहली बार गए होंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : आपकी सूचना के लिए, मैं एक अफसर रहा हूं और मैंने आई० जी० में काम किया है और कई बार कश्मीर का दौरा किया गया है।

[हिन्दी]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : कितने आदमी पहुंचे ?

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : दो लाख थे। आप कश्मीर जाने देते तो दस लाख हो जाते। यहां पर बड़े जोर-शोर से लोग यह कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके मन में इस एकता यात्रा से क्या भावनाएं उठ रही होंगी। लेकिन जो वहां से निकाल दिए गए, जो वहां के हिन्दुस्तानी नागरिक हैं और महज उनका जुर्म यह है कि वे वहां नहीं रह सकते थे। जिनको अपनी जान का खतरा था उनके लिए मैंने यहां किसी को आंसू बहाते नहीं देखा, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है कि उनकी क्या हालत है। यह तो मैंने सुना कि दुनिया में बहुत से लोगों में रिफ्यूजी प्राब्लम होती है, लेकिन यह सुनने में नहीं आया कि उसी मुल्क में रहने वाले अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी हो जाएं। और वे वहां क्यों न रहें ? वे अपनी मर्जी से आए है क्या ? वहां से जो लोग निकले हैं, उनके दर्द का ख्याल

[श्री ओश चन्द्र दीक्षित]

कीजिए। समाज में कोई तो ऐसा आदमी हो या ऐसा सेक्शन हो जिसकी तरफ देखकर वे कह सकें कि कोई उनका हमदर्द है।

मैडम चेयरमैन, इस रिजोल्यूशन में प्रेसीडेंट प्रोक्लेमेशन आगे बढ़ाने की बात कही है। ठीक है, आज की परिस्थिति में, जो हम वहां देखकर आए है, वहां के जो हालात हैं, शायद पालिटीकल प्रोसेस चलाना मुमकिन भी नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस प्रोक्लेमेशन को एक्सटेंड करने के साथ-साथ किसी बात की ओर इशारा करके बताया है कि आखिर वे क्या करना चाहते हैं? क्या इसी तरह से हर 6 महीने के बाद हाउस में ऐसे गम्भीर हालात बनाकर हमारे सामने रखेंगे कि हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है कि हालात आपसे सम्भलते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि इसकी बुनियाद में वही धारा-370 का प्रावीजन है जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि वे लोग हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है, वे कोई अलग चीज हैं। हम तो यह चाहते हैं कि इसी तरह से हिन्दुस्तान का हर नागरिक अगर धारा-370 के प्रावीजन को देखें तो देश के लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमारे लोग वहां कुर्बानी करते हैं, हमारे देश के जवान वहां अपना खून बहाते हैं, हमारे देश का पैसा वहां खर्च होता है लेकिन अफसोस तो यह है कि हम लोग वहा नहीं रह सकते हैं जबकि वहां के आदमी यहां आ सकते हैं...

श्री इब्राहीम सुलेमान सेत: आप भी वहां गए थे, आपको ले जाया गया था...

श्री ओश चन्द्र दीक्षित : हम लोग अपनी हिम्मत से वहां गए थे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर आपके हिम्मत होती तो आप भी चलते। राष्ट्रीय ध्वज की परवाह हो, राष्ट्र को इज्जत करनी हो तो हम समझते हैं कि देश का झंडा हिन्दुस्तान के हर कोने मे लहराया जा सकेगा। आपको तो किसी ने मना नहीं किया कि आप वहां न जाएं। हम यही चाहते थे कि आप भी हमारे साथ चलकर वहां जाते।

मैडम चेयरमैन, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां की जो स्थिति है, उसके बारे में आपको जानकारी केवल अखबारों से हासिल नहीं करनी होगी बल्कि लोगों में हिम्मत होनी चाहिए कि वे वहां जाकर वहां के लोगों से मिल सकें, जो वहां पर पैरा-मिलट्री फोर्सेज हैं, उनसे बात कर सकें और उनके मनोबल को बढ़ा सकें। अगर हम वहा नही जाएंगे और हमने कश्मीर को छोड़ दिया तो मात्र यह कहते रहना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे स्थिति बिगड़ती चली जाएगी और आगे स्थिति कैसी पैदा होगी? या यह कह देना कि वहां की एक इंच भूमि भी अलग नहीं करेंगे, इतना काफी नहीं है। उनके लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, उस प्रस्ताव को वर्तमान परिस्थितियों में सपोर्ट देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नजर नहीं आता है, इसलिए हमको उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय अपने प्रस्ताव के साथ-साथ यह बताने की कृपा करें कि इस समस्या के समाधान के लिए उनके पास क्या उपाय हैं, क्या करना चाहते हैं या 6 महीने के बाद फिर यह प्रस्ताव आ जाएगा कि राष्ट्रपति शासन को और बढ़ा दिया जाए, यह कोई इलाज नहीं है।

मैडम चेयरमैन, अभी हमारे एक मित्र जम्मू-कश्मीर के गवर्नर के बारे में कह रहे थे और उनका ऐसा ख्याल था कि वहां के गवर्नर चूंकि एक पुलिस आफिसर रहे हैं, शायद इस समस्या का समाधान करने

में इतने सफल नहीं होंगे। यह तो सरकार का काम है कि किसको गवर्नर बनाती है और किसको नहीं बनाती है? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां के गवर्नर का कश्मीर के बारे में एक बैक-ग्राउंड भी है उनका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है जिससे कश्मीर का एक बड़ा अभिन्न नाता है और जिन पदों पर वे रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ वे काम कर चुके हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, यह तो गवर्नमेंट का काम है कि किसको कौन-सी जगह पर तैनात करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहां गवर्नर तैनात किया गया है, उसकी काबलियत, हुनर और उसकी हिम्मत के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। उनकी जानकारी कितनी है और जब स्थिति आतंकवादियों से निपटने की है, जब स्थिति बंदूक से निपटने की है, गोलियों से निपटने की है तो पोलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करना है, वहां जाकर इन स्थितियों को कंट्रोल करना है और इसलिए वहां पर जिनको नियुक्त किया गया है, उसके बारे में कोई एडवर्स कमेन्ट करना या ऐसी राय बनाना। गोया, वह इस चीज के काबिल नहीं होंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उसके साथ-साथ यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला एक पार्टी का मसला नहीं है। कश्मीर का मसला इस राष्ट्र का मसला है और इस राष्ट्र के मसले को हल करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है। 40 साल से जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इस समय ऐसी स्थिति हो गई है, उसको सुधारने के लिए हमने एक रास्ता निकाला। बजाय इसके कि राष्ट्रीय शक्तियां हमारा साथ देतीं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये राष्ट्रीय शक्तियां अपने राजनैतिक हितों को थोड़ा पीछे करके और इस राष्ट्रीय समस्या पर जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था, अगर उसमें हमारा खुलकर साथ देतीं तो आज शायद सारी दुनिया में हमारी इज्जत और बढ़ गई होती और हम कश्मीर की समस्या को हल करने के और करीब पहुंच चुके होते।

मैं इन शब्दों के साथ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो प्रस्ताव गृह मंत्री महोदय लाए हैं, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, हमारे पास एक प्रस्ताव है और वास्तव में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार फिर, सरकार ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें आलोचनात्मक अन्यथा कुछ और, हम कुछ भी कहें, हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसे संवैधानिक संकट में फंसे हैं जिसमें हमें प्रस्ताव का समर्थन करना ही है। चाहे हम इसका समर्थन करें परंतु हम यह बताना चाहते हैं कि हम पिछले नौ महीनों में सरकार के कार्य-निष्पादन पर अपना असन्तोष व्यक्त कर देंगे तथा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के आश्वासन को मानने में अपनी असमर्थता भी जाहिर कर देंगे कि जिस अवधि के लिए आप यह विस्तार चाहते हैं, वे स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में समर्थ होंगे, क्योंकि सरकार जिन तरीकों का अनुसरण कर रही है उनका दुष्परिणाम हो सकता है।

4.59 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुए)

बत दो वर्षों में स्थिति लगातार बिगड़ी है। आज कश्मीर में, जनता पूर्णतया विमुख हो गई है। नागरिक प्रशासन के मुखौटे को उतार फेंका गया है और यदि मैं कहूं तो मेरा यह कहना गलत न होगा

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

कि जिन तरीकों को पुलिस राज्य के साथ जोड़ा गया है उनका प्रयोग किया जा रहा है।

5.00 म०प०

वास्तव में नागरिक प्रशासन पूर्णतया ठप्प हो गया है। न्यायिक प्रशासन [नाम की कोई चीज नहीं है। प्रतिदिन अत्याचार किए जा रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसकी ओर मैंने माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाया है, जिसमें राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने एक ही परिवार के चार सदस्यों —पति, पत्नी और दो बच्चों—को उस समय गोलियों से भून डाला जब वे अपनी कार में यात्रा कर रहे थे।

माननीय मन्त्री ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। तथापि, यह एक अकेला उदाहरण नहीं है। अन्धाधुन्ध तलाशी गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के कई मामले हैं। जब मैंने कश्मीर का दौरा किया था, तब जिला प्रशासन ने मुझे कहा था कि "हमें यह मत पूछिए कि ये छापे कब और कितने पड़ते हैं। हमसे परामर्श नहीं किया जाता। हम इस बारे में नहीं जानते। कोई हमारी अनुमति नहीं मांगता। हमें काफी बाद में पता चलता है।"

सरकार ने मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में नहीं बताया है, यद्यपि, मेरा विचार है कि आज भी हत्याओं के रूप हिंसा का स्तर शायद पंजाब की अपेक्षा कश्मीर में कम है। किन्तु, लोग उग्रवादियों द्वारा मारे जाते हैं, लोग सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाते हैं, और परस्पर गोलीबारी में मारे जाते हैं। किन्तु मनुष्यों की हत्या हो रही है और हर मानव जीवन के ह्रास के साथ, अपवर्तन बढ़ रहा है। बहुत से लोग नजरबन्द हैं जिनकी संख्या ज्ञात नहीं है और ऐसे अत्याचार के कई भयानक मामले हैं जिनकी रिपोर्ट की गई है, विशेषकर एक या दो व्यक्तियों का वह मामला जिनमें उनकी डाक्टरी जांच हुई थी और जिनकी वीडियो फिल्म पर रोक लगा दी गई थी।

अब ऐसी बातें भी होती हैं। मैं समझता हूं कि इसे हमें अपने प्रयत्नों में शामिल करने की सीख लेनी होगी, हम निरुत्साहित नहीं हो सकते।

अराजकता, जो राजनैतिक शून्यता का परिणाम है, उसका भी उपयोग अपराधी तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो स्वयं को आतंकवादी होने का अहसास कराते है। अभी कश्मीर में करीब एक सौ ऐसे ग्रुप हैंजो मैं समझता हूं कि वे सभी किसी भी मायने में सिद्धांत पर आधारित ग्रुप नहीं है और न वे राजनीति प्रेरित हैं। ये ऐसे ग्रुप है जो कश्मीर की अराजक स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते है और उन पर अत्याचार करते हैं। उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं है। वहां कोई शासन व्यवस्था नहीं हैं जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके।

इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, लोग दो पाटों के बीच पिस रहे हैं।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कश्मीर पर जो हमारी संप्रभुता है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह बात हम पूरी दुनिया को स्पष्ट तौर पर बता दें। यह बात हमें कश्मीर के अलगाववादी तत्वों को भी बता देनी चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

लेकिन इसका यह भी तात्पर्य है कि दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें कश्मीर के जन मानस को

जीतना होगा। उनके अन्दर जो अलगाव की भावना है उसे दूर करना होगा।

हमें उन्हें अपने पक्ष में लाना होगा। हमें भारतीय जनतंत्र और भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में उनकी आस्था को पुनर्जीवित करना होगा। हमें उनमें यह विश्वास पैदा करना होगा कि जिन शर्तों पर भारत के साथ वे और वहां के लोग शामिल हुए थे—वह मात्र महाराजा के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र नहीं हैं—बल्कि उन शर्तों और आश्वासनों को पूरा किया जाएगा।

यदि गांधी और नेहरू का भारत नहीं रहेगा तभी कश्मीर भारत का अंग नहीं होगा। मेरा यही कहना है। दुर्भाग्यवश आज कश्मीर के लोग भारत को उन आकृतियों और चेहरों के माध्यम से पहचान रहे हैं जो उनके सामने है। ये चेहरे हैं बंदूकों के, सुरक्षा सैनिकों के और श्री···के और इससे उनके मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं जगेगा। इसलिए हम···के परिणाम पर टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जिसका उल्लेख किया है···वह यहां नहीं हैं। अतः मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत* से निकालता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं भारत-पाक चर्चा के परिणाम पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सरकार को यह सलाह दूंगा कि यदि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को सहयोग देता रहा तो, चाहे यह कश्मीर का मामला हो या पंजाब का हमें उनसे निपटना होगा। जो उचित हो हम करें।

जहां भी हम इस मुद्दे को उठा सकें चाहे वह बहुपक्षीय आधार पर हो या द्विपक्षीय आधार पर इसे अवश्य उठाएं। लेकिन कश्मीर समस्या का निदान वहां के लोगों और भारत सरकार तथा उनके बीच जन प्रतिनिधि के बीच बात-चीत के द्वारा ही हल हो सकता है।

राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जिवित करना होगा। राज्यपाल के लिए गठित सलाहकार परिषद जिसने कार्य शुरू नहीं किया है—मेरे विचार से उसकी एक बार भी बैठक नहीं हुई है और वहां के लोगों को जुटा कर जो कुछ जिला सलाहकार परिषदों का गठन किया गया है वे वास्तविकता से परे हैं चूंकि ये किसी-न-किसी राजनीतिक कारण से विवक्ष हैं, उन्हें फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है इसलिए उनसे यह कार्य नहीं हो सकता है।

बंदूक की नोक पर लोगों में प्यार नहीं पैदा किया जा सकता। कुछ समय के लिए हम बंदूक की नोक पर खामोश कर सकते है उन्हें कुचल सकते हैं, हम इससे आतंकवादियों का भी सामना कर सकते हैं लेकिन हम कश्मीर के जनमानस को फिर से नहीं जीत सकते जो कि वास्तविक समस्या है।

कश्मीर समस्या क्या है ? मेरे विचार में यह निहायत जातीय और स्वायत्तता की समस्या है और इस पर विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विचार किया जाना चाहिए। आज विश्व जातीयता की विभीषिका के कगार पर है और कई विस्मृत और दबे हुए व्यक्तित्व पूरे विश्व में और कश्मीर में भी सामने आ रहे हैं।

इसलिए कश्मीरी जिनकी जातीय पहचान सभी अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक मान्य मानदंडों के आधार पर है, चाहे वह समान भाषा, संस्कृति, इतिहास या भौगोलिक समरूपता के आधार पर हो;

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

यह उनकी बहुत स्पष्ट पहचान है। उन्होंने अपनी नीयति को देश की नीयति से जोड़ा है और आज वे इसका पश्चाताप कर रहे हैं। उनमें से कुछ इसका विरोध कर रहे हैं।

हम उन्हें केवल फिर आश्वासन दे सकते हैं, उनके विश्वास प्रेम और स्नेह को, उनकी जातीय पहचान को मान्यता देकर और स्वायत्तता का जामा पहना कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

कुछ मित्रों ने अनुच्छेद 370 के विरुद्ध बोलने का कोई भी अवसर नहीं खोया है। अनुच्छेद 370 बहुत हद तक इस जातीय एकरूपता और स्वायत्तता को पहचानती है। लेकिन शायद आज की परिस्थितियों में सरकार को अगाह करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने अथवा रद्द करने की बात तो दूर रही इसमें संशोधन करके भी कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती।

आपको अपने विवेक से और हम सबके अनुभव से इसका कोई हल निकालना होगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : बहुधा यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 की मूल शर्तों को काफी अर्से से धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया। इसी कारणवश मैं अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए कह रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : क्या आप ईमानदारी से ऐसा कह सकते हैं कि स्वायत्तता समाप्त हो गई है ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : यह उनका विचार है। आप उनसे बात कीजिए, मेरे से नहीं। कश्मीर की अधिकांश जनता यही समझती है कि अनुच्छेद 370 की मूल शर्तों का भी पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया है और इसीलिए अब आपका कार्य इस सम्बन्ध में उन्हें आश्वस्त करने का है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वायत्तता के लिए न्याय संगत कार्यान्वयन में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को छोड़कर आपको इस सम्बन्ध में कोई संवैधानिक समाधान ढूंढना होगा, जिसके अन्तर्गत आपको अनुच्छेद 370 से भी अधिक आगे बढ़कर कार्यवाही करनी पड़ सकती है।

कई व्यक्तियों ने अनेक बेतुके सुझाव दिए हैं। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि हम कश्मीर की जनता को ही यहां से क्यों न हटा दें, ऐसे कट्टरपंथी व्यक्ति भी हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि हम उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तक क्यों न निष्कासित कर दें, जैसे कि यह सब संभव हो।

अभी हाल ही में कुछेक ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने समाप्त करने की कोशिश की थी और वे असफल रहे तथा जिन्होंने निष्कासित करने की कोशिश की और वे असफल रहे। ऐसे तरीके वास्तव में उपलब्ध नहीं हैं। मेरे विचार से ये गंभीर सुझाव नहीं हैं। गंभीर सुझाव तो वास्तव में कुछ और ही है। इस समय सरकार का यह प्रयत्न है कि कश्मीर में स्थायी तौर पर आपात काल स्थिति लागू कर दी जाए अथवा वहां जगह-जगह पर सशस्त्र और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाए। और उनमें से एक भी उपाय संभव नहीं है।

इससे और तनाव उत्पन्न होता है एवं इससे कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल नहीं की जा

सकती। न तो परिसमापन द्वारा, न निष्कासन द्वारा और न ही केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से ही कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके लिए एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत हमें कश्मीर की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

उनके दिल में अपनी जगह बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में इससे तात्पर्य यह है कि हमें उनके साथ उसी भाई चारे, प्रेमभाव, सेवाभाव, समानता भाव के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक रोगी के स्वास्थ्य लाभ हेतु उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं। उनके साथ सर्वप्रथम मानवोचित व्यवहार करके तथा तत्पश्चात् भाईचारे की भावना से ही हम कश्मीर में पुनः अपनी स्थिति कायम कर सकते हैं।

महोदय, जनता ने एकता यात्रा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं इस संबंध में विस्तार से नहीं कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि एकता यात्रा ने एकता लाने की अपेक्षा लोगों को विभाजित करने की कोशिश की थी। वास्तव में एकता यात्रा से कश्मीर में साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न करने की ही कोशिश की गयी थी···(व्यवधान)···मेरे विचार से कश्मीर में नस्ल-भेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है न कि साम्प्रदायिक स्थिति।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : यदि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचते हैं तो सात लाख हिन्दुओं के लिए भी बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं आप से कुछ कहना चाहूंगा। मैं कुछ माह पूर्व कश्मीर में था। मैंने उन व्यक्तियों से बात की थी जिनके पड़ोसी वहां से पलायन कर गये हैं। वे उनके फलों के बागों उनके घरों की सुरक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था :

> "कृपया उन्हें कहिए कि वह वापस आ जायें। वे हमारे भाई हैं। हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। मैंने संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह बात कहां थी। यह तथ्य कश्मीर के अंधियारे में आशा की किरण जगाने जैसा है। घाटी अभी साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित नहीं है। यह स्थिति तो वहां लाई गई थी। यह राजनीति से प्रेरित स्थिति थी। निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई थी।"

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सात लाख लोग इसलिए अपना घर छोड़कर आ गए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूं कि ऐसा हुआ है। महोदय, इस देश में केवल कश्मीरी पंडित ही एक ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने-अपने घरों से विस्थापित हुआ है। तीन वर्ष के बाद या पांच वर्ष के बाद, कई बार साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न करके लोगों को अपने घरों से विस्थापित किया गया है।

बिहार के भागलपुर में आज भी कितने ही ऐसे गांव हैं जहां लोग अपने घर आज तक वापस

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

नहीं गये हैं। वे अपने गांव वापस नहीं गये हैं। यही कारण है कि मैंने कहा है कि कुछ लोग तनावपूर्ण स्थिति की वजह से नहीं और नहीं भय के माहौल की वजह से अपने-अपने गांवों को वापस जा पाए हैं, बल्कि हिंसा की स्थितियों की वजह से वे आज तक वापस नहीं जा सके हैं। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है कि हिंसा की स्थिति जानबूझकर पैदा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : लाल चौक में भारत माता की जय लगाएं तब जानें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा। आप बीच में टिप्पणी मत कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि एकता यात्रा ने लोगों को बांट दिया है। इस एकता यात्रा से साम्प्रदायिकता को बल मिला है। सबसे बदतर स्थिति यह रही है कि एकता यात्रा से हमारे सुरक्षा बलों में भी साम्प्रदायिकता पनपी है। यह शर्मनाक है। यह राष्ट्रविरोधी है। (व्यवधान)

प्रश्न राष्ट्रीय झंडे को फहराने का नहीं था। (व्यवधान)

हमारा झंडा कश्मीर में फहरा रहा है और यह झंडा वहां लहराता रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जाने की वहां बिलकुल जरूरत नहीं है। इसके लिए श्री मुरली मनोहर जोशी की वहां जाने की और झंडा फहराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अभी कोई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार भी तो नहीं है। श्री मुरली मनोहर जोशी अभी देश के प्रधान मन्त्री नहीं बन सके हैं। अत: उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वहां देवताओं तक पांव बढ़ने से कतराते हैं, वहां उन्हें पांव नहीं रखना चाहिए। (व्यवधान)

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं (व्यवधान) मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीमा रेखा की खासकर नियंत्रण रेखा को एकदम सील कर दिया जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सदन के समक्ष अपना विचार रखना चाहता हूं। यदि कोई भी कीमत नियंत्रण रेखा को अधिकार पार करता है तो वह जानबूझकर खतरा मोल ले रहा है। अत: ऐसे लोगों को सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार दिए जाने पर भी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। लेकिन मैंने सरकार की कमजोरी पकड़ी है। ऐसा क्यों है कि सीमा अभी भी खुली है। इसे पूरी तरह बन्द कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए जो भी कानूनी उपाय किया जाने हैं वे किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी राजनैतिक नजबन्दियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि उन्हें देश के कोने-कोने से लाकर दिल्ली और जम्मू में ला बिठा दिया जाए। राजनीतिक शून्य को तभी भरा जा सकता है जब राजनैतिक नेताओं और नजरबंदियों को मुक्त किया जाए और लोगों को बीच उन्हें काम करने का अवसर दिया जाए। यहां पर पिछले 29 महीनों की अराजकता को देखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा बलों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटा लिया जाना

चाहिए। उन्हें सुरक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण ठिकानों पर और राजमार्ग पर ही तैनात किया जाना चाहिए ताकि मनोवैज्ञानिक तनाव कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की भावना लोगों में पैदा की जा सके। मैं एक औरत को जानता हूं जो यह कह रही है कि मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचलित हूं क्योंकि मैं जब भी अपने घर से निकलती हूं तो एक बन्दूकधारी को सामने खड़ा पाती हूं। इस स्थिति से सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद नही मिल सकती। अत: मेरी सलाह है कि सुरक्षा बलो को अपना कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए। उन्हें हमारे ठिकानों की रक्षा करनी चाहिए साथ ही उन्हें हमारे राजमार्गों की भी रक्षा करनी चाहिए। उन्हें शहर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा खड़ा करना चाहिए। उन्हें अन्य कार्यों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन लोगों पर जुल्म करने या गांवों को जलाने के लिए या जनता को आतंकवादियों के अपराध के बदले सताने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें कश्मीरी जनता और पथभ्रष्ट आतंकवादियों में स्पष्ट अन्तर करना चाहिए।

नागरिक प्रशासन को अवश्य ही बहाल किया जाए और लोगों को मूलाधिकार के इस्तेमाल किए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज कश्मीर में कई काले कानून लागू हैं और देश के अन्य हिस्सों की तुलना में ये वहां बहुत ही प्रचण्डरूप में लागू हैं और लोग पूछते हैं कि क्या हमें आप भारतीय नागरिक समझते हैं, क्या आप हमें भारतीय कानून और भारतीय संविधान तथा मूलाधिकार के अन्तर्गत मानते हैं। क्या ये हमारे लिए भी अस्तित्व में हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए कि वे लोग भारत के हिस्से हैं और भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य हैं, हमारा देश शांतिपूर्ण देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए।

हमें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए। कश्मीर आज कष्टों को झेल रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुकी है। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं और हमें उन्हें ये सुविधाओं पुन: बहाल करनी चाहिए।

अन्तत: हमें अब बातचीत शुरू करनी चाहिए। गृह मन्त्री एकदम पूछ बैठेंगे कि 'किसको' के साथ ? प्रथम प्रश्न यह है कि हम किस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम अलगाववादी मसलों पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन हमें स्वायत्ता की सीमाओं पर बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें मास्टर योजना के लिए तैयार होना चाहिए हमे सुरक्षा के विषय मे अपनी दृष्टिकोण रखना चाहिए। और हमारी संप्रभुता बातचीत से परे है लेकिन देश के एक हिस्से के रूप मे कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के जारी रहने पर हम बात कर सकते हैं।

अत: उन्हें प्रथम गैर-राजनतिक बुद्धजीवियों से बातें करनी चाहिए। उन्हें राजनैतिक नेताओं से बातें करनी चाहिए। जिन्हें आपने जेल में बन्द कर दिया है। और यदि आवश्यक हो तो आतंकवादियों से भी। लेकिन यह सबसे अन्तिम उपाय होना चाहिए। हमे हथियार धारण करने वाले लोगों को समझाना चाहिए ताकि उन्हें शान्ति के रास्ते तक लाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी अब बोलेंगे। इसके पहले माननीय रेल मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

———

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के 25.2.1992 को दिए गए उत्तर पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के बारे में

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, जैसा कि 25-02-1992 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया है, मैंने रेल मंत्रालय में उपलब्ध रेकार्ड देख लिए हैं। मैंने यह पाया है कि कल माननीय सदस्य जिन मामले के बारे में उत्तेजित हो गए थे, उनके बारे में हमारे भूत-पूर्व मन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र ने 11.03-1991 की लोक सभा में उत्तर दिया था। मैं उनका बयान यहां उद्धृत करता हूं।

[हिन्दी]

वैसे हम पिछली सरकार को बता दें कि माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने उन डिस्मिस्ड एम्पलाईज को वापिस लेने के लिए एक आदेश जारी किया था। केबिनेट में उस प्रस्ताव को ले गए थे, केबिनेट ने भी उसको पास कर दिया था लेकिन उन दिनों चूंकि भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया था, इसलिए राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार इस मंत्रिमंडल को नहीं है।

[हिन्दी]

और इसे रिसाइन्ड किया जाए और वह रिसाइन्ड कर दिया गया था, वी० पी० सिंह के सरकार के जमाने में"

यह उस वक्त का हमारे जनेश्वर मिश्र जी का स्टेटमेंट है, जो ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाऊस ऑन रिकार्ड है, उसीको मैं आपके सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत से इस बात की पुष्टि होती है कि कार्यवाही वृत्तांत से वक्तव्य तथ्यों पर आधारित है।

मेरे मित्र, श्री मल्लिकार्जुन ने सभा में जो कुछ भी कहा था वह कार्यवाही वृत्तांत के अनुसार है। यह तथ्यों पर आधारित है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : नहीं, यह सही नहीं है। कृपया दूसरा गलत वक्तव्य न दें। उन्होंने कभी भी राष्ट्रपति जी के निदेशों के बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय या तो श्री मल्लिकार्जुन अपने वक्तव्य को सही करें अथवा सभा से माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया धैर्य रखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। आप जो भी स्पष्टीकरण चाहें मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण कर लें।

((व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप कुछ भी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आपको यह भी बताना चाहिए कि आपने उन्हें पुन: नियुक्त क्यों नहीं किया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। पीठासीन अधिकारी के खड़े होने पर, सभी माननीय सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यह एक सुस्थापित परम्परा है। हम अनावश्यक रूप से इतने उत्तेजित हो रहे हैं। सभा के नियम हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर आप अवश्य ही कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप बारी-बारी से खड़े हों और स्पष्टीकरण मांगें। यदि सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे तो रिपोर्टर किस तरह से कार्यवाही वृत्तांत को लिख सकेंगे ? इस तरह से बहुत अस्तव्यस्तता उत्पन्न होती है। इससे सभा अव्यवस्थित हो जाती है। मैं समझता हूं हममें से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहता।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे सभा के माननीय सदस्यों को बहुत नम्रता के साथ बताना है कि मेरे मित्र श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री हैं के लिए हमारे दिलों में काफी आदर है। यहां हमारा इरादा किसी को बदनाम करने अथवा किसी पर आक्षेप करने का नहीं है। मुझे बिलकुल निष्पक्ष भाव से यह कहना है कि जो कुछ भी श्री वी०पी० सिंह ने किया वह संविधान की मर्यादा के अनुसार ही है। जब कोई सरकार हार जाती है, उस समय यदि कोई सलाह दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारियों के दायित्व को निभाने के लिए उन्हें जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने वैसा ही किया। किसीको इसके लिए उत्तरदायी ठहराने का कोई प्रश्न नहीं है। जो कुछ भी मेरे पूर्व मित्र श्री जानेश्वर मिश्र ने रेलवे मन्त्री के रूप में कहा था यही बात अक्षरश: जो कि रिकार्ड में भी है, मैंने दोहराई है। इसलिए इसपर किसी को अनावश्यक रूप से पुन: उठाने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यात्मक रूप से यही सही है।

श्री अनिल बसु : जो कुछ श्री कल श्री मल्लिकार्जुन ने कहा वह आपत्तिजनक था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह जानबूझकर नहीं कहा गया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह भी वास्तव में पहले से ही कार्यवाही वृत्तांत में है। उन्होंने उसे मात्र दोहराया ही है। अत: अब हमें उसे भूल जाना चाहिए और उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसड़ा) : आप कल की स्पीकर रूलिंग में जाइए, स्पीकर साहब ने जो कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था जब मल्लिकार्जुन ने कहा, कल का यह रिकार्ड है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : मंत्री द्वारा अपना वक्तव्य दिए जाने के बाद चर्चा की अनुमति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : जहां तक कि मैं कार्य प्रणाली के नियमों को समझता हूं लोक सभा में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद चर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सभा में ऐसा प्रावधान है। लेकिन लोक सभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया कार्यप्रणाली के नियमों का पालन करें।

श्री अनिल बसु : वे अध्यक्ष के विनिर्णय का हवाला दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय मंत्री द्वारा स्वत: दिया गया वक्तव्य नहीं है। यह पहले पूछे गए प्रश्न से ही उत्पन्न हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : जी, हां, आप सही हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह पृथक रूप से लिखा हुआ है कि सभा में प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न बहस के लिए आधे घंटे की चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रक्रिया संबंधी नियमों में आपके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप श्री राम विलास पासवान अथवा किसी और को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं यह पढ़ता हूं :

"रेल कर्मचारियों की बहाली के संबंध में 25.02.1992 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में उठाए गए अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में 26.02.1992 को लोक सभा में रेलवे मंत्री द्वारा दिए जाने वाला वक्तव्य"

श्री मणि शंकर अय्यर : इसमें यह नहीं कहा गया है कि इस पर कोई चर्चा होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नियम समिति में हमने इस बारे में चर्चा की थी और अध्यक्षपीठ को इस बारे में अधिकार दिया गया है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, कल जिस बात को लेकर मंत्री जी (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पीटर जो० मरबनियांग (शिलांग) : यदि वे बहस करना चाहते हैं, तो वे बहस के लिए आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पीठासीन अधिकारी ने सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी हो।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वत: वक्तव्य देने और और प्रश्न से उत्पन्न वक्तव्य में बहुत अन्तर है। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर्याप्त सूचना निकट भविष्य में न आ रही हो, वहां वक्तव्य दिया जाता है। नीति के संबंध में अगर किसी एक विशेष घटना अथवा दुर्घटना अथवा किसी अन्य मामले पर

माननीय मंत्री यदि अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते है। यह एक परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री पीटर जी० मरबनियांग : अध्यक्ष के विनिर्णय के कारण प्रश्न को आज रखा गया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम व्यवस्था के प्रश्नों को एक-एक करके सुन लें।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने जो व्यवस्था दी है, सदस्यगण उस पर परिचर्चा अथवा कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन, अब आपने श्री पासवान को बोलने की और अपना वक्तव्य जारी रखने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके विनिर्णय को पूर्ण सम्मान देते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि स्वतः और अन्यथा दिए गए एक वक्तव्य में अन्तर करने की कभी भी कोई प्रथा इस सभा में स्थापित नहीं की गई। इस सभा में दिये गए किसी वक्तव्य पर उसके पश्चात उस पर कोई चर्चा अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया जाना होता। यदि आप कोई नई प्रथा बनाने जा रहे हैं, तो निःसंदेह, वह आप पर निर्भर है। परन्तु, अभी तक स्वतः दिए गए और अन्यथा दिए गए वक्तव्य में कोई अन्तर नहीं था। (व्यवधान)

श्री मुकुल वालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : कल भी, वित्त मंत्री के बारे में एक व्यवस्था दी गई थी, जब यह कहा गया था कि इसे प्रथम बार अनुमति दी जा रही है और इसे पुनः दोहराया नहीं जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम हरेक को सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुकुल वालकृष्ण वासनिक : महोदय, कल जब वित्त मंत्री ने वक्तव्य देना था तब भी आपने ऐसा ही कहा था। वह एक स्वतः दिया गया वक्तव्य नहीं था, बल्कि वह अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार दिया गया वक्तव्य था। उस समय, यह स्पष्ट किया गया था कि यह एक पूर्वोदाहरण नहीं होना चाहिए, यह एक बिल्कुल अलग स्थिति है; और यह पहला अवसर है, जहां इस प्रकार की चर्चा की अनुमति दी जा रही है। (व्यवधान) दूसरे दिन भी, इसी प्रकार की चर्चा की अनुमति दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, अभी-अभी आपने टिप्पणी की है कि दिया गया वक्तव्य एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर आधारित था।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : पहले मैं अपनी बात पूर्ण कर लूं। इस मामले में, यदि चर्चा बहुत जरूरी है, तो केवल आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। महोदय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि केवल दो प्रकार के वक्तव्य हो सकते हैं। प्रथम है एक मंत्री द्वारा नीति के विषय पर दिया गया वक्तव्य। यह सर्वमान्य है कि प्रथा के तौर पर इस सभा में हम, जैसा कि हम दूसरी सभा, राज्य सभा में करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं पूछते। नियमानुसार अन्य वक्तव्य निदेश 115 के अन्तर्गत दिया गया वक्तव्य है, जोकि की गई किसी गलती अथवा त्रुटि की ओर संकेत करने की प्रक्रिया से संबंद्ध है, और उस आधार पर एक वक्तव्य दिया जाता है। यह भी एक वक्तव्य नहीं है जो निदेश 115 के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका एक साधारण-सा कारण यह है कि एक सदस्य द्वारा एक गलती अथवा त्रुटि की ओर संकेत करते हुए अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी गई, कि किस आधार पर ऐसा किया जा रहा है ? वास्तव में इसे स्वत: दिए गए वक्तव्य के बराबर ही समझा जाना चाहिए। (व्यवधान) केवल दो प्रकार के ही वक्तव्य सम्भव हैं। (व्यवधान) क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं ? क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम मंत्री की बात पूर्णतया सुन लें। आप इतने अधिक उत्तेजित क्यों हैं ? यदि आप समझते हैं कि माननीय मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं, जब आपको मौका मिले, आप इसका खण्डन कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। हम सब में कोई समझौता होना चाहिए।

महोदय, चूंकि यह निदेश 115 के अंतर्गत नहीं आता जहां एक सूचना द्वारा विशेषरूप से यह संकेत दिया जाना चाहिए, कि एक गलती है जोकि की गई है अथवा वक्तव्य में एक त्रुटि है जिसको संशोधित किया जाना है, इसकी अनुमति उस तरीके से नहीं दी जानी चाहिये। यहां, अध्यक्ष महोदय ने सभी नेताओं से और माननीय मंत्री महोदय से बातचीत कर महसूस किया है कि एक वक्तव्य मुद्दे को सुलझा देगा। अत: एक वक्तव्य दिया गया है। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत, आप इस वक्तव्य को कैसे लेंगे ? प्रश्न यह है : क्या आप इसे निदेश 115 के अंतर्गत वक्तव्य के रूप में लेंगे ? चाहे यह निदेश 115 के अंतर्गत एक वक्तव्य क्यों न हो, नियम स्पष्टीकरण की अनुमति प्रदान नहीं करते। मुझे यह स्पष्ट करने दें। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको विशेषाधिकार नहीं है। आपको विशेषाधिकार है। परन्तु निदेशों के 115 के तहत भी यदि मैं स्पष्ट करूं तो स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया नियत नहीं की गई है।

स्वत: दिये गये वक्तव्य अथवा नीति पर मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के संबंध में, ज रूरी नहीं है कि यह स्वत: दिया गया वक्तव्य हो। यदि निर्देश अथवा अनुरोध पर एक वक्तव्य दिया भी जाता है, तब भी यह मंत्री महोदय द्वारा ही दिया गया एक वक्तव्य बन जाता है। स्पष्टीकरण का तरीका है ही नहीं। फिर भी मेरा यह मानना है कि माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि

अध्यक्ष महोदय का कल क्या निर्देश था ? मैं नहीं समझता कि उन्हें यह बताने में कोई बाधा है। परन्तु हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपका ध्यान केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिए कि अध्यक्ष जी ने कल क्या कहा है। अध्यक्ष जी ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ श्री वी० पी० सिंह के खिलाफ कहा गया है, उसमें तथ्य कम नजर आता है। आगे अध्यक्ष जी ने कहा है कि मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि वे पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर के फाइल पर जो हो, उसके हिसाब से स्टेटमेंट करें। यह है स्पीकर साहब की रूलिंग। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, यदि वह सही है तो वह बात सही है। इसलिए मैं कहा रहा हूं कि कल पूरी जांच-पड़ताल कर के स्टेटमेंट करें। इसमें बहुत सारी हायर डिगनिटीज इनवाल्व हैं और यह सब देखते हुए··· (व्यवधान)

इसलिए मैंने कहा कि आप चेयर पर हैं और यह स्पीकर साहब की रूलिंग है। जो इन्होंने कहा है, इन्होंने सिर्फ एक बात कह दी कि जनेश्वर मिश्र ने क्या कहा, उसके पहले जो मल्लिकार्जुन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि 6.11.90 को नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने निर्णय दिया कि रीसेंट करें—उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"फिर प्रधानमंत्री, श्री वी० पी० सिंह, ने यह किया है—सरकार ने नहीं, न ही श्री चन्द्रशेखर की सरकार सहित, किसी अन्य सरकार ने। यह उसी मन्त्रि मण्डल ने रद्द किया है जिसने निर्णय लिया था।"

[हिन्दी]

मेरा आपसे इतना ही कहना है कि उन्होंने यह कहा था कि 6 नवम्बर को सरकार ने निर्णय लिया और 7 नवम्बर को सरकार चली गई। उसके बाद मामला प्रेसीडेंट हाउस में गया। प्रेसीडेंट ने कहा कि यह निर्णय चूंकि सरकार ने जाने के वक्त में लिया था, इसलिए वह सरकार निर्णय नहीं ले सकती और इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें रिजेक्ट हुई। एस० सी०-एस० टी० कमीशन का मामला, माइनारटी कमीशन का मामला, इस तरह से बहुत सारे मामले रिजेक्ट हुए, उसमें वह भी रिजेक्ट कर दिया गया। यदि कल चव्हाण साहब प्राइम मिनिस्टर हो जाएं या नरसिंह राव सरकार अल्पमत में चली जाए, दूसरी सरकार आ जाए, तब राष्ट्रपति कह दें कि आपने जाते समय ये निर्णय लिए हैं, इसलिए ये निर्णय मान्य नहीं होंगे। तब क्या नरसिंहराव जी कहेंगे कि नहीं मैं तो केयर टेकर प्राइम-मिनिस्टर हूं और हम प्रेसिडेंट के आर्डर के खिलाफ आर्डर करेंगे।

5.39 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की दी हुई रूलिंग ही पढ़ रहा था। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है,

[श्री राम विलास पासवान]

उस स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाया है। आपने कल चेयर से कहा था कि राष्ट्रपति सचिवालय ने किस दिन आपको भेजा और वी० पी० सिंह सरकार ने किस दिन आर्डर दिया था, या नहीं, उसके बाद यदि राष्ट्रपति जी के यहां से आता है तो आप इसको लागू नहीं कर सकते—

[अनुवाद]

श्री वी० पी० सिंह इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

इसलिए कल जो मामला था, कल जो हम लोगों को चोट पहुंची है, वी० पी० सिंह जी को भी चोट पहुंची, वह इसलिए कि इंटेंशनली बार-बार कहा गया···।

अध्यक्ष महोदय : थोड़े में बोलिए, हम सब आपकी बात समझ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा हूं कि कल बार-बार मल्लिकार्जुन जी ने वी०पी० सिंह के बारे में कहा कि वी० पी० सिंह ने जानबूझ कर नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए, हमने आपकी बात समझ ली है।

श्री राम विलास पासवान : अभी भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, जाफर शरीफ साहब ने कुछ नहीं बोला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को यहां माफी मांगनी चाहिए। कल इन्होंने क्यों एलीगेशन लगाए ? इसके लिए खेद प्रकट करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल जो यहां चर्चा हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था, डिटेल नहीं आयी थी, ऐसा लग रहा था किसी हालत में फार्मर प्राईम मिनिस्टर ने वह किया था। ऐसा करने, कहने का इन्टेंशन आपका हो नहीं सकता। किसी को दुःख होता है तो आपको भी दुःख होता है और आपको इसका खेद है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय आपके पीठासीन होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि कुछ भी जानबूझकर नहीं किया गया और किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था तथा श्री वी० पी० सिंह का निरादर नहीं किया गया। महोदय यह दुर्भाग्य है। श्री राम विलास पासवान जी, श्री विश्वनाथ जी के नये मित्र हैं जबकि श्री विश्वनाथ जी हमारे बहुत पुराने मित्र है।

[हिन्दी]

आपकी ही दोस्ती नहीं है, आपसे ज्यादा हमारे दिल में इज्जत है। आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं। छोड़िए इन बातों को, देखिए, इससे कोई फायदा नहीं होता। हमने जब कह दिया कि जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, कांस्टीट्यूशनल प्रोपराइटी थी, उसने जो किया है वह

हमने सामने रखा है। इससे बढ़ कर क्या है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : जी, नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा, मैंने सुन लिया है। मैं आपका हर शब्द सुन रहा था। लेकिन कल जब बयान दिया गया, वह स्पष्ट नहीं था और उससे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हुआ है और श्री वी० पी० सिंह जिम्मेदार थे। क्या इसके लिए आपको खेद नहीं है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमने कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि हम श्री वी०पी० सिंह पर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का आभास देते हुए क्या आपको खेद नहीं हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : श्रीमान, बयान को सही करने की गुंजाइश है। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कसम खाते हैं कि कल दिया गया बयान···

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं विवाद नहीं कर सकता कि कार्यवाही वृतांत में क्या है। सत्य तो सत्य ही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप उसे स्पष्ट क्यों नहीं कर देते ? कल आपने उसे स्पष्ट नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : कल उन्होंने सच्चाई को छिपाया था और श्री वी० पी० सिंह पर दोष लगाया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कल आपने टिप्पणी दी थी। हम उसे ऐसे ही कैसे ले सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्लिकार्जुन जी, पहले आप मेरी बात सुनिए उसके बाद आप बोल सकते हैं। अभी आपने ऐसा बयान दिया था जो तथ्य गलत है। यदि आप थोड़ी विस्तार से कुछ और सूचना देते तो शायद इस तरह का आभास नहीं होता। कोई भी आपको दोष नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उससे ऐसा आभास हुआ है कि इसके लिए कोई परिस्थिति नहीं बल्कि केवल वे ही जिम्मेदार हैं, तो क्या तुम्हें इसका खेद नहीं होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्रीमान, कृपया मेरी बात सुनिए। पर्याप्त समय है। मुझसे जो प्रश्न पूछा गया मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। उत्तर देते समय, सदस्य मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सदस्य ने मुझसे जो प्रश्न किया था, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि किस सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। उस समय गम्भीर परिस्थिति के कारण मैं शायद अपनी बात ठीक व्यक्त नहीं कर पाया। मैंने यह कहा था कि उन्हें बहाल करने के लिए 6-11-1990 को मन्त्रिमण्डल ने निर्णय लिया था। फिर भी, 7-11-1990 को विश्वास प्रस्ताव था। वास्तव में मुझे राष्ट्रपति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सांविधानिक प्रावधानों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपने उनका उल्लेख नहीं करके ठीक किया।

श्री मल्लिकार्जुन : जब सांविधानिक प्रावधान सामने आया तब राष्ट्रपति भवन से एक संदेश आया कि ऐसे निर्णय को रद्द कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं जानता हूं। आप बहुत सतर्क थे।

श्री मल्लिकार्जुन : उस सन्दर्भ में मैंने कहा था राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तब भी कार्यरत थी क्योंकि विश्वास मत का प्रस्ताव, 7 तारीख को ही लाया गया था··· (व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए। 7 तारीख विश्वास प्रस्ताव रखने का दिन था। राष्ट्रपति भवन से एक संदेश आया और संविधान के अन्तर्गत, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार उस समय भी सत्ता में थी। जब तक उसे परास्त नहीं किया जाता, वही सरकार थी। यदि इस बीच, यह हो जाता, तो मुझे तथ्यों की सूचना देनी पड़ती थी। इस तरह से मैंने उत्तर दिया। किसी पर अप्रत्यक्ष उद्देश्य को आरोपित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने इसका उल्लेख, किसी भी सरकार, यहां तक कि श्री चन्द्र शेखर की सरकार से भी नहीं किया जिसने इस निर्णय को रद्द कर दिया था, क्योंकि सांविधानिक बाध्यता के अनुसार निर्णय को स्वीकार करना चाहिए था और उसे स्वीकार भी किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कहते हैं। यदि आप यह सब-कुछ कल ही बता देते तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी थी।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं कैसे बताता श्रीमान ? आप ही बताइए। कल जब सब लोग चिल्ला रहे थे तो मैं कैसे कह सकता था ? यदि वे मुझे कहने का अवसर देते तो मैंने कह दिया होता। यहां तक कि मुझे राष्ट्रपति जी का भी हवाला देना पड़ा। राष्ट्रपति जी का हवाला देने की क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके संविधान का उल्लेख करना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि यह सांविधानिक प्रावधान के अनुसार हुआ था।

श्री मल्लिकार्जुन : यही तो मैंने कहा था। जैसे कि मेरे बरिष्ट सहयोगी ने कहा है, यह सांविधानिक मर्यादा के अनुसार किया गया। लेकिन 7 तारीख से जो कुछ हुआ वह अपने आप···

अध्यक्ष महोदय : तो क्या ? क्या आप अपना खेद व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने सदन के समक्ष सच्चाई के तथ्यों को रख दिया है इसलिए कल से

कम मुझे इस सम्माननीय सदन में क्षमा मांगने की और खेद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

5.47 अ० प०

(तब श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपने स्थान पर जाइये उसके बाद बात कीजिए।

(तब श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

श्री राम कापसे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रेल मंत्री महोदय को अपनी गलती में सुधार करने का एक और मौका दे रहा हूं? अन्यथा, मैं बोलने जा रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, आपको मुझे चेतावनी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह विषय विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रेल मंत्री को अभी भी अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए। मैं इस माननीय सभा का सदस्य हूं। आप इस विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में ही विशेषाधिकार के मामले निपटा सकता हूं। आपको यह पता होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, कोई मंत्री ऐसा नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय ने भरसक कोशिश की थी कि समाधान ढूंढा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : हम एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा ध्यान रखते हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री जाफर शरीफ बोलने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मैं दूसरों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे अत्यन्त खेद है। समस्या यह है कि एक गैर-मुद्दे को मुद्दा बना दिया गया है। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनें यह कोई तरीका नहीं है। यह अनुचित है। वे दूसरों को बात पूरी करने का मौका नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, आपने निष्कपट रूप से यह अनुभव किया है कि इसमें कुछ गलत है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि यह जान-बूझकर नहीं किया गया है। हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का आदर करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया वह संविधान की मर्यादा के अनुरूप है। किसी के खिलाफ कोई अभियान चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यदि इससे किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो गया है। अब इस पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा जारी रहनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल इन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाएगा। इस निर्णय के आधार पर।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक को ऐसा नहीं करना चाहिए।

5.54 म० प०

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जम्मू और कश्मीर

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। इस सम्बन्ध में मैंने यहां अनेक सदस्यों के विचार सुने हैं और उन्होंने कहा है कि कश्मीर राज्य सुन्दर राज्य है, कश्मीर स्वर्ग और है कश्मीर भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ और जब भारत को सत्ता सौंपी गई तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, उस समय कश्मीर राजा हरी सिंह के शासन के अन्दर था, उस पर भारत की कोई पकड़ नहीं थी, यह तो कश्मीर की जनता है, जिसने कश्मीर की पाकिस्तान से रक्षा की।

इसलिए महोदय, हमारे मित्रों को यह स्मरण करना चाहिए कि जब कश्मीर के अधिसंख्यक लोग, प्रजा परिषद जो जनसंघ का पूर्व रूप थी, और जिसे अब भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है— यह कह रही थी कि जम्मू भारत के पास आएगा, लद्दाख भी भारत के हिस्से में आएगा, और कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। इसलिए यह कश्मीर की जनता है जिसने पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा की है। यही कारण है कि अभी प्रत्येक आदमी सहमत है कि स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और आतंकवाद को प्रश्रय मिल रहा है। मेरा कहना यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कश्मीर की जनता पर पहले भी उक्त आक्रमण क्यों हुआ था। क्यों कश्मीर के वे नवयुक, जिन्होंने भारत में रहने के लिए संघर्ष किया था। आज भारत से उदासीन हो चले हैं?

समय आ गया है जब प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को, जो देश की एकता और अखण्डता की बात कर रही है, आत्मालोचन करना चाहिए कि इन स्थितियों के उभरने में उनकी क्या भूमिका रही है। कश्मीर की उदासीनता की कहानी की शुरूआत हमारे कांग्रेसी मित्रों से होती है। इसका कारण उनके कार्य करने के तौर-तरीके रहे हैं। स्थितियां तब और बिगड़ चलीं, जब श्री जगमोहन को वहां का राज्यपाल बनाया गया। वही जगमोहन, जिसने कश्मीर में राज्यपाल के रूप में उस नेशनल कांफ्रेंस को विभाजित करवाया, जो वहां एक मात्र प्रजातांत्रिक पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी की इस कार्यवाही में अपनी भूमिका थी। उसी जगमोहन को पुन: कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। कौन इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। जब कश्मीर की जनता हमसे विमुख हो रही थी, तब हम यहां इस सदन में जगमोहन की वापसी के लिए लड़ रहे थे। मेरे मित्र श्री चार्ल्स ने यह भुला दिया है।

तब उसके बाद यह एकता-यात्रा का बवण्डर खड़ा हुआ। आज गृह मंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद में वहां कमी आई है। जब सकारात्मक सुधार हो रहा हो तो 'एकता-यात्रा' का सवाल उचित हो सकता है। यह धारा 370 को हटाने के लिए किया गया है। यह प्रमुख मुद्दा है। एकता-यात्रा श्रीनगर तक के लिए शुरू की गई थी। न सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाए बल्कि धारा 370 को हटाने की मांग भी की जाए। सरकार यह सब जानती है। वे लोग वहां तक पहुंच पाने में सफल नहीं हो सके। सरकार ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। इसके बाद, कई तरह की बातें गूंजती चली गई। मेरा कहना यह है कि इससे सिर्फ कश्मीर की जनता में उदासीनता ही नहीं बढ़ी है; बल्कि इसके प्रतिक्रिया रूप में कई अन्य घटनाएं हुई हैं। जब हमारी सरकार डा० मुरली मनोहर जोशी को हवाई मार्ग से वहां ले गई तो पाकिस्तान की सरकार को स्थिति को और बदतर करने का मौका मिल गया। नेशनल कौंसिल में कुछ भ्रम की स्थिति थी जब जे० के० एल० एफ० प्रमुख श्री अमानुल्ला खां ने नियंत्रण रेखा को पार करने की कोशिश की। भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या यह मुझे वहां ले जाएगी, यदि मैं कलेक्टोरेट के समक्ष जाकर धरना दे दूं। क्या वे मेरी मदद करेंगे और

[श्री लोक नाथ चौधरी]

हवाई मार्ग से मुझे वहां पहुंचाएंगे ? क्या यह सरकार मुझे हवाई जहाज प्रदान करके मदद करेगी। भारत सरकार परिणाम के प्रति सचेष्ट नहीं थी। इसमें बैठे लोग सत्ता में रहना चाहते थे और यही कारण है कि उन्हें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं था और कश्मीर में जो भी विकास हुआ उसको इन्होंने बेकार कर दिया।

6.00 म० प०

क्या आप कश्मीर को इसी हालत में रहने देंगे ? सेना भेजकर, सुरक्षा बलों को भेजकर आप कश्मीर में सामान्य स्थिति कैसे बहाल कर सकते हैं। आप कश्मीर को किस तरह राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करेंगे ?

यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। प्रत्येक ने कहा है कि हमारे बी० जे० पी० मित्रों को इससे सीखना चाहिए। अपने कर्मों के परिणामों को जानना चाहिए। उनके इन कर्मों की वजह से लोगों की नजर से उनकी प्रतिष्ठा भी घटी है। और लोग यह सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह ही एक अन्य पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की मांग यह है कि सरकार को शीघ्र ही यह घोषणा करनी चाहिए कि धारा 370 जारी रहनी चाहिए। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें इसे दे दिया है। उन्होंने यह प्राप्त किया है अपने निर्भय संघर्ष के बाद। इसकी घोषणा साफ-साफ की जानी चाहिए। सिर्फ घोषणा ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सभी राजनैतिक पार्टी ऐसा ही कह रही हैं। ये बातें ही कश्मीरी जनता को बांटती है, अलग-थलग करती हैं, सरकार को इस दुष्प्रचार पर विचार करना चाहिए। और सरकार को इस प्रचार पर रोक भी लगानी चाहिए। तभी सरकार कश्मीर की जनता को जीत सकती है।

कश्मीर के लोग भी हिन्दू राष्ट्र के प्रचार को समझते हैं, हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना से उनकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इस प्रकार के कार्य पृथकतावाद के लिए उत्तरदायी हैं।

निःसंदेह पाकिस्तान अपने प्रचार को बढ़ावा दे रहा है। हमें उनसे अन्य तरीके से निपटना चाहिए, हम उनसे सफतापूर्वक निपटे हैं। निःसंदेह जिस प्रकार सरकार ने सुरक्षा परिषद में सदस्यों को आमंत्रित किया वह चिन्ता का विषय है, और यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि इससे कश्मीर के मुद्दे को पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने में पाकिस्तान को मदद मिल सकती है अथवा कुछ बाहरी शक्तियां कोई शरारत कर सकती हैं।

मेरा अनुरोध है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति केवल तभी बहाल हो सकती है जबकि वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो। वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया कैसे शुरू की जा सकती है ? श्री वी० पी० सिंह की सरकार के समय प्रयास किया गया था कि सभी राजनैतिक पार्टियां एकजुट हों। लेकिन हम जानते हैं कि इसका क्या हुआ। मैं सुझाव देता हूं कि सरकार राज्यपाल के शासन के माध्यम से इस प्रक्रिया को जारी रखे और सामान्य स्थिति बहाल करे और कश्मीर में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाए। इस कार्य में सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियों का सहयोग लिया जाए और हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में कश्मीर के लोगों को वापस लाने हेतु सरकार निष्पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाए। मैं जानता हूं कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार से सहयोग करने में प्रमुख

पार्टियों को कोई झिझक नहीं होगी।

हमने पंजाब में यह देखा है। सरकार ने पंजाब के चुनावों में जैसा बर्ताव किया उससे पता चलता है कि सरकार सभी अन्य राजनैतिक पार्टियों का सहयोग लेने की इच्छुक नहीं है। इसलिए साथ सभी राजनैतिक पार्टियों को साथ लेना सरकार का दायित्व है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैं उनकी विचार प्रक्रिया में एक रात का अन्तर नहीं डालना चाहता।

श्री लोकनाथ चौधरी : दूसरा मुद्दा जेलों में बन्द लोगों से संबंधित है। सरकार उन लोगों के मामलों की तुरन्त समीक्षा करे जो आतंकवादी नहीं हैं लेकिन जेलों में हैं। उनके मामलों की समीक्षा हो और उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। सरकार उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। लेकिन इसके साथ ही सरकार ध्यान रखे कि सुरक्षा बल वहां पर ज्यादती न करें।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की एक योजना होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदतर हो रही है। सरकार तत्काल एक योजना बनाए ताकि वह सुनिश्चित हो कि वहां पर अधिक कार्य हो, युवकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्राप्त हों और इन सब बातों पर एक साथ गौर किया जाए। इस प्रक्रिया के माध्यम से, और अधिक काम देकर, लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करके और लोगों द्वारा अपने संगठन बनाने के लिए उन्हें और अधिक महत्व देकर और नजरबन्द लोगों को रिहा करके तथा कश्मीर भारत का एक अंग है इस विश्वास से जो उग्रवादी वापस आना चाहते हैं, उनसे बात करके सरकार स्थिति में सुधार ला सकती है। तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वातावरण छह महीने में बनाया जा सकता है। तब लोग चुनाव में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेंगे। मुझे आशा है कि सरकार अपने कार्य द्वारा ऐसी स्थिति छह महीने में उत्पन्न कर लेगी कि वहां पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे और कश्मीर देश के लोकतांत्रिक तन्त्र से और अधिक देरी तक बाहर नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 फरवरी, 1992/8 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

पी०एल०एस०—48/8/3/92 (एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित